वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2023-2024

भारत सरकार

Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law And Justice

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.	**अध्याय– I**	विधायी विभाग	1–54
2.	**अनुबंध– VI**	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	55 और 56
3.	**अनुबंध– VII**	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या	57
4.	**अनुबंध– VIII**	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	58
5.	**अनुबंध – IX**	स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजनएवं अन्य कार्यकलाप	59–62
6.	**अध्याय–II**	न्याय विभाग	63–102
7.	**अध्याय III**	विधिकार्य विभाग	103–211
8.	**अनुबंध– I**	विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट	212
9.	**अनुबंध– II**	आईएलएस और जीसीएस की संख्या	213
10.	**अनुबंध– III**	सीएसएस, सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसओएलएस और जीसीएस (केवल लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार) संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या	214
11.	**अनुबंध– IV**	आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन श्रेणियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े	215–216

अध्याय – 1

विधायी विभाग

विधायी विभाग को मुख्य रूप से प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक विभागों और मंत्रालयों द्वारा संसद के समक्ष रखे जाने वाले विधायनों का मसौदा तैयार करने और विधायी कारबार पर कार्रवाई करने में केंद्र सरकार को सहयोग प्रदान करने हेतु अधिदेश है।

1. कार्य

1.1 विधायी विभाग का कार्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित है, अर्थात्: –

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह निर्धारित करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिन्हें संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रऐपति की अनुमति अपेक्षित है;

(X) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 का प्रशासन; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951;

(xv) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 से संबंधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधायन;

(xviii) संघ सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;

(xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चुनिंदा निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन;

1.2 विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई सांविधिक या स्वायत्त निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड हैं, नामत राजभाषा खंड (ओएलडब्ल्यू) और विधि साहित्य प्रकाशन (वीएसपी), जो विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य राजभाषाओं के प्रचार के लिए उत्तरदायी हैं।

(i) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधिक शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने तथा संसद में पुरस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि को, जैसा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अपेक्षित है, हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड संविधान की आठवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के राजभाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था करने और यथा अपेक्षित प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भी उत्तरदायी है।

(ii) विधि साहित्य प्रकाशन मुख्यतः विधिक क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिपोर्ट करने योग्य निर्णयों के हिन्दी रूपान्तरण प्रकाशित करने से संबंधित है। विधि साहित्य प्रकाशन हिंदी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित करता है। यह हिंदी में उपलब्ध विधिक साहित्य का व्यापक प्रचार करने और उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधायी विभाग के संगठनात्मक ढांचे में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी और सहायक विधायी परामर्शी और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं। मुख्य विधायन के मामले में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधायन की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्यों को विभिन्न विधायी समूहों के बीच वितरित कर दिया गया है। प्रत्येक विधायी समूह का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी या अपर सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाता है, जिन्हें विभिन्न स्तरों पर कई विधायी परामर्शियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विधायी विभाग का सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करता है और अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधायनों का प्रभारी होता है। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध–VI पर दिया गया है।

3. विधायी–I अनुभाग

विधान सरकार की नीति को अभिव्यक्त करने के प्रमुख साधनों में से एक है। इस संदर्भ में, विधायी विभाग नीतिगत उद्देश्यों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे सरकार विधायन के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है।

(1) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा शुरू किए गए विधायन का मसौदा तैयार करने के लिए प्राथमिक विभाग के रूप में कार्य करता है, बल्कि उन मामलों के संबंध में विधायी प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता है जिनके साथ यह प्रशासनिक रूप से संबंधित है।

(2) विधायी विभाग प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने हेतु वित्त विधेयक का मसौदा तैयार करता है। यह कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा उसके समक्ष लाए जा रहे बजट प्रस्तावों पर विधायी विभाग में किया जाता है। सुविधा के उद्देश्य से, उन विभिन्न विषयों को, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की ओर से विधायी विभाग में विधेयकों का प्रारूप तैयार किया जाता है, को सामान्यतः तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:–

(क) संवैधानिक संशोधन;

(ख) आर्थिक और कॉर्पोरेट विधियां;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य समाज कल्याण विधायन;

(घ) आपराधिक कानून;

(ङ) अप्रचलित विधियों का निरसन; और

(च) विविध कानून।

(4) दिनांक 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विधेयक या अध्यादेशों का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल/नए विधायी प्रस्तावों के लिए 140 टिप्पणियों की जांच की है। इस अवधि के दौरान 56 विधायी विधेयकों को पेश करने के लिए संसद को अग्रेषित किया गया था। इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची इस प्रकार है:–

01.01.2023 से 31.03.2024तक संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची

क्र. सं.	नाम
1.	वित्त विधेयक, 2023
2.	संविधान (जम्मू–कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
3.	अंतर–सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
4.	विनियोग विधेयक, 2023
5.	विनियोग (संख्यांक 2), 2023
6.	जम्मू–कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
7.	जम्मू–कश्मीर विनियोग (सख्यांक 2), 2023
8.	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

9.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
10.	राष्ट्री य दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
11.	राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
12.	चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023
13.	जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
14.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
15.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
16.	संविधान(जम्मू–कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
17.	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
18.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
19.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
20.	भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
21.	अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
22.	प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023
23.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
24.	डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
25.	भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
26.	अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
27.	मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023
28.	डाकघर विधेयक, 2023
29.	केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
30.	एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
31.	भारतीय न्याय संहिता, 2023
32.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
33.	भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023
34.	संविधान (एक सौ अठ्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023
35.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
36.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2023
37.	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2023

38.	अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 2023
39.	केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा) संशोधन विधेयक, 2023
40.	संघ राज्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2023
41.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
42.	भारतीय न्याय (दूसरा) संहिता, 2023
43.	भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा) संहिता, 2023
44.	भारतीय साक्ष्य (दूसरा) विधेयक, 2023
45.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023
46.	दूर संचार विधेयक, 2023
47.	सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024
48.	वित्त विधेयक, 2024
49.	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
50.	संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
51.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
52.	विनियोग विधेयक, 2024
53.	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
54.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
55.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024
56.	जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

(5) संसद के समक्ष लंबित और पेश किए गए विधेयकों में से 63 विधेयकों को तथाएक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ अधिनियमों में अधिनियमित किया गया है। इस अवधि के दौरान, अधिनियमित अधिनियमों की सूची इस प्रकार हैः–

अधिनियमित अधिनियम

क्र. सं.	अधिनियम का नाम
1.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 1)
2.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (चारवां संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 2)
3.	समुद्री जल दस्युतारोधी अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 3)
4.	विनियोग अधिनियम 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 4)
5.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 5)
6.	जम्मू–कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 6)

7.	जम्मू–कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 7)
8.	वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 8)
9.	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 9)
10.	जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 10)
11.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 11)
12.	चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 12)
13.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 13)
14.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 14)
15.	वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 15)
16.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 16)
17.	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 17)
18.	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 18)
19.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 19)
20.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 20)
21.	राष्ट्री य दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 21)
22.	डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 22)
23.	भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 23)
24.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 24)
25.	अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 25)
26.	राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 26)
27.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 27)
28.	अंतर–सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 28)
29.	भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 29)
30.	केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 30)
31.	एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 31)
32.	मध्यकता अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 32)
33.	अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 33)
34.	जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 34)
35.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 35)
36.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 36)

37.	निरसन और संशोनधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 37)
38.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 38)
39.	संघ राज्यक्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 39)
40.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 40)
41.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 41)
42.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 42)
43.	डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 43)
44.	दूर संचार अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 44)
45.	भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45)
46.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46)
47.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 47)
48.	केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 48)
49.	मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें औरपदावधि) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 49)
50.	अनंतिम कर संग्रह अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्याक 50)
51.	प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम,2023 (2023 का अधिनियम संख्याक 51)
52.	सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 1)
53.	जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्याक 2)
54.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्याक 3)
55.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्याक 4)
56.	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्याक 5)
57.	संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 6)
58.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 7)
59.	वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 8)
60.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 9)
61.	विनियोग अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 10)
62.	जम्मू और कश्मीर विनियोग अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 11)
63.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 12)

संविधान संशोधन अधिनियम

क्र. सं.	अधिनियम का नाम
1.	संविधान (106वां) संशोधन अधिनियम, 2023

(6) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है:–

प्रख्यापित अध्यादेश

क्र. सं.	अधिनियम का नाम
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(7) संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत चार विनियम जारी किए गए हैं –

जारी किए गए विनियम

क्र. सं.	विनियम का नाम
1.	लैकाडिव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप भूमि राजस्व और किरायेदारी (संशोधन) विनियम, 2023
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप किरायेदारी विनियम, 2023
3.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियम, 2023
4.	लक्षद्वीप किरायेदारी विनियम, 2023

(8) अधीनस्थ विधायन

दिनांक 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, इस विभाग द्वारा सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं सहित कुल 3089 अधीनस्थ विधायनों की संवीक्षा और विधीक्षा की गई।

(9) अप्रचलित विधियों का निरसन

76 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 पर लोकसभा द्वारा दिनांक 27.07.2023 को और राज्यसभा द्वारा दिनांक 13.12.2023 को विचार किया गया और पारित किया गया। दिनांक 17.12.2023 को माननीय राष्ट्रपति की सहमति के बाद, उक्त विधेयक को निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 37) के रूप में अधिनियमित किया गया है।

4. विधायी II अनुभाग

(1) निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विभाग का विधायी II अनुभाग प्रशासनिक रूप से संसद, राज्य विधान मंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के निर्वाचन के संचालन, उनके तहत बनाई गई विधियों/नियमों में सुधार और उनसे संबंधित/आनुषंगिक मामलों के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित है:

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950,

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951,

(iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952,

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002,

(v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005,

(vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

(2) हमारे देश की निर्वाचन प्रणाली, जिसे चुनाव की फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट प्रणाली भी कहा जाता है, ने पचहत्तर वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने गणतंत्र बनने के बाद इन पचहत्तर वर्षों की यात्रा को सभी क्षेत्रों में गौरव और अनुकरणीय सफलताओं के साथ समाविष्ट किया है। यह उन लाखों लोगों के अथक परिश्रम और निरंतर संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने अपने खून–पसीने से इस महान देश के वर्तमान और भविष्य को आकार दिया है। निस्संदेह, यह यात्रा एक आसान यात्रा नहीं रही है और हमने इस अवधि के दौरान बहुत उग्रता और उत्पात देखा है। इस दौरान देश के राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी प्रक्रिया में लगातार युगांतरकारी बदलाव हुए हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ, चुनावी प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ रही हैं। प्रत्येक मतपत्र बेहद मूल्यवान साबित हुआहै।

(3) उपर्युक्त परिदृश्य, जो लगातार बदल रहा है, ने कई अवसरों पर निर्वाचन विधियों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। निर्वाचनों के दौरान अभिप्राप्त अनुभव, निर्वाचन आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक दलों सहित विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त प्रस्तावों, लोक जीवन की प्रतिष्ठित हस्तियों, विधानमंडलों और विभिन्न सार्वजनिक निकायों में हुए विचार–विमर्शों के आलोक में, उत्तरवर्ती सरकारों ने, निर्वाचन सुधार लाने के लिए समय–समय पर अनेक उपाय किए हैं।

(4) संविधान (एक सौ छहवां संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)

संसद ने दिनांक 28 सितंबर, 2024 को संविधान (एक सौ छहवां संशोधन) अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया है ताकि देश के शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके, लोकसभा (लोकसभा) और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का लगभग एक तिहाई आरक्षण प्रदान कर देश को गौरवशाली 'अमृतकाल' की ओर अग्रसर किया गया है।

महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण ऐसे प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। हालाँकि, संसद इस अवधि को कानून के माध्यम से आगे बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन परिसीमन के प्रत्येक अनुवर्ती अभ्यास के बाद प्रभावी होगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। पुडुचेरी विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

(5) एक राष्ट्र एक चुनाव

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं (उप–निर्वाचन सहित) के अतुल्यकालिक चुनावों के परिणामस्वरूप आदर्श आचार संहिता लंबे समय तक लागू रहती है जिसका विकास और कल्याण कार्यक्रमों पर इसके सहवर्ती प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार दिनांक 02 सितंबर, 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में संकल्प संख्या 11019/03/2023 के तहत एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया था, ताकि समकालिक चुनाव कराने की संभावना की जांच की जा सके, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में भारी बचत हो सकती है और प्रशासन की ओर से प्रयास की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(क) समिति सिफारिश करती है कि पहले चरण में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव साथ–साथ कराए जाएं। दूसरे चरण में, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से सिंक्रनाइज़ किया जाएगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव कराए जाएं।

(ख) पहला प्रयास में, अर्थात् लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के समकालन के प्रयोजन के लिए, समिति सिफारिश करती है कि भारत के राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, लोक सभा की पहली बैठक की तारीख को जारी किए गए उपबंध के संबंध में, इस अनुच्छेद के उपबंध को प्रवृत्त किया जाएगा और अधिसूचना की उस तारीख को "नियत तारीख" माना जाएगा।

(ग) राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों द्वारा गठित सभी राज्य विधान सभाओं की पदावधि नियत तारीख के पश्चात् और लोक सभा की पूर्ण पदावधि की समाप्ति से पहले केवल लोक सभा के अनुवर्ती आम चुनावों तक की अवधि के लिए होगी।

(घ) तत्पश्चात्, लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के सभी आम चुनाव साथ–साथ कराए जाएंगे।

(ङ) दूसरे चरण में, समिति लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक साथ चुनावों को समर्थ बनाने के लिए अनुच्छेद 324क को पुरस्थापित करने तथा एकल निर्वाचक नामावली और एकल निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को समर्थ बनाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन करने की सिफारिश करती है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग (आयोगों) के परामर्श से तैयार किया जाएगा और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 325 के तहत भारत निर्वाचन आयोग या अनुच्छेद 243ट और 243यक के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए किसी अन्य मतदाता सूची को प्रतिस्थापित करेगा।

(च) चूंकि दूसरे चरण में भारत के संविधान की अनुसूची टप्प की राज्य विषयों, भाग–IX और भाग–IXक के संबंध में संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित होगा। तथापि, पहले चरण अर्थात् लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।

(छ) एक साथ चुनाव कराने के प्रयोजन के लिए, समिति यह भी सिफारिश करती है कि एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाए जो समिति द्वारा की गई सिफारिशों के निष्पादन की जांच करेगा।

(ज) समिति सिफारिश करती है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव अथवा ऐसी किसी अन्य घटना की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाएं। जहां लोक सभा के लिए नए निर्वाचन कराए जाते हैं वहां लोक सभा का कार्यकाल केवल लोक सभा की तत्काल पूर्ववर्ती पूर्ण अवधि की असमाप्त अवधि के लिए होगा और इस अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में संचालित होगी

(झ) जहां राज्य विधान सभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाते हैं। तब ऐसी नई विधान सभा, जब तक कि उसका शीघ्र ही विघटन न हो जाए, लोक सभा की पूर्ण अवधि के अंत तक बनी रहेगी।

(ञ) समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन करते हुए एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पुरस्थापित किया जाना होगा। इस संविधान संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।

(V) समिति सिफारिश करती है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के समकालिक चुनावों के संभार तंत्र बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम और वीवीपीएटी जैसे उपस्करों के प्रापण के लिए, मतदान कार्मिकों और सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए अग्रिम रूप से योजना और अनुमान तैयार कर सकता है और अन्य आवश्यक प्रबंध कर सकेगा।

(ठ) इसी प्रकार, नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचनों के लिए, समिति सिफारिश करती है कि राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से ईवीएम और वीवीपीएटी जैसे उपस्करों के प्रापण के लिए, मतदान कार्मिकों और सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए अग्रिम रूप से एक योजना और अनुमान तैयार कर सकता है और अन्य आवश्यक प्रबंध कर सकेगा।

इस समिति ने दिनांक 14 मार्च, 2024 को माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(6) असम राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।

असम राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क के अनुसार अपने दिनांक 20 जून, 2023 के आदेश तथा दिनांक 11 अगस्त, 2023 के अंतिम आदेश के तहत किया गया है और यह 16 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3661 (ई) के माध्यम से प्रभावी हुआ है।

(7) निर्वाचन विधियों में संशोधन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 18।, 24, 27। और प्रपत्र 13क को निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2023 द्वारा संशोधित किया गया है। अब, चुनाव ड्यूटी पर मतदाता एक सुविधा केंद्र में अपना वोट डाल सकते हैं। समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई भी अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता द्वारा की गई घोषणा को सत्यापित कर सकता है।

(8) भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024 द्वारा संशोधित किया गया है और इसे दिनांक 01 मार्च, 2024 को अधिसूचना का.आ. (ई) 995, के माध्यम से भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। अब डाक मतपत्र के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है।

(9) निर्वाचन विधियों से संबंधित अदालती मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन विधियों के प्रशासनिक रूप से प्रभारी होने के नाते, निर्वाचन विधियों की वैधता वाले विभिन्न अदालती मामलों को भी संभालता है। वर्ष 2023 की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनाव संबंधी विषयों पर 141 मामले लंबित थे। उक्त वर्ष के दौरान 45 नए मामले प्राप्त हुए जिनमें उपयुक्त कार्रवाई की गई है। इस अवधि के दौरान (जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक), 31 मामलों का निपटारा किया गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 तक, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 155 मामले लंबित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से निगरानी की जा रही है।

(10) संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2023–24 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वय/संचालन का कार्य आवंटित किया गया है, ने निम्नलिखित कार्य का निपटान किया : –

क्र.सं.	कारबार की मद	विधि और न्याय मंत्रालय संबंधी आंकड़े
1.	लोकसभा प्रश्न	299
2.	राज्य सभा के प्रश्न।	223
3.	लोकसभा में गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक।	14
4.	राज्य सभा में गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक।	20
5.	गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प	03
6.	शून्यकाल के दौरान उठाया गए मामले (लोकसभा)	06
7.	नियम 377 के तहत लोकसभा में उठाया गए मामले।	15
8.	राज्यसभा में विशेष उल्लेख।	06

भारत निर्वाचन आयोग

(11) भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई), 1950 में अपनी स्थापना के बाद से, भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों, जिम्मेदारियों, संरचना और शक्तियों को परिभाषित करते हैं। ये अनुच्छेद आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के निचले और ऊपरी सदनों और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उच्च पदों हेतु नियमित अंतराल पर चुनाव कराने का अधिकार देते हैं।

निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। पिछले 75 वर्षों में, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उच्च पद के 17 चुनावों के अलावा लोक सभा के 17 आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनाव कराए हैं। निरंतर सुधार के परिणामस्वरूप, भारत का चुनावी लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर चुनावी अखंडता का एक परिभाषित बेंचमार्क रहा है।

वर्ष 1951–52 में पहले आम चुनावों के बाद से, भारत निर्वाचन आयोग ने योजना, तैयारी, संचालन, मतगणना और परिणाम घोषणा सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया है। आयोग ने अपनी 75 वर्षों की यात्रा में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। प्रत्येक चुनाव ने संस्था को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी, सुलभ, सहभागी और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेवाओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। विज्ञान प्रयोगशाला की तरह, जहां प्रयोग और अनुसंधान कभी समाप्त नहीं होते हैं, आयोग लगातार चुनाव प्रबंधन में नवाचारों और सुधार की तलाश में है।

आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल और अभिनव उपाय किए हैं जैसे एएमएफ, रैंप, व्हीलचेयर और स्वयंसेवी सहायता, प्राथमिकता मतदान, सभी महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, सभी पीडब्ल्यूडी प्रबंधित मतदान केंद्र, और हाल ही में संशोधन जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और दिव्यांगजन मतदाता ताकि वे अपने घर से आसानी से मतदान कर सकें। यह सब, एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, “कोई मतदाता छूट न जाएं”।

चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण के तरीके में एक शांत और गहनपरिवर्तन आया है। ये परिवर्तन संरचनात्मक, तकनीकी, प्रशासनिक, संचार, प्रवर्तन, प्रभावकारिता और क्षमता निर्माण सुधारों में कुशलता लाते हैं। संचयी रूप से, इन व्यक्तिगत सुधारों को 2022 और 2023 में 16 (2023 में 9 और 2022 में 7) राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान लागू और परीक्षण किया गया था। इन चुनावों की सफलता, 2024 में (अब से) होने वाले आम चुनावों की तैयारी के लिए एक अच्छा संकेत है।

एक स्वस्थ और समावेशी मतदाता सूची चुनावी अखंडता की नींव बनाती है। पिछले दो वर्षों में और आम चुनाव 2024 की तैयारी में, आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन करने और महिलाओं, अन्य लिंग, पीडब्ल्यूडी और आदिवासियों जैसे कमजोर मतदाताओं के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए पहल की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के नामांकन के लिए और उन्हें बूथों तक लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। यह चुनाव आयोग की 'रोल टू पोल' पहल की अनुकरणीय प्रतिबद्धता है।

सुरक्षा बलों की योजना, प्रकीर्णन और तैनाती, मशीनरी के सही मिश्रण का चयन, नियमित समीक्षा और करीबी निगरानी में प्रतिमान बदलाव से भी चुनावों में हिंसा में कमी आई है। चुनाव कर्मचारियों के कठोर प्रशिक्षण से प्रक्रियात्मक त्रुटियों में कमी के परिणामस्वरूप पुनर्मतदान की संख्या में कमी सुनिश्चित की जाती है।

प्रलोभन मुक्त चुनावों पर आयोग का विशेष जोर चुनावों में धन बल के दुरुपयोग के खिलाफ और समतुल्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक उप–कार्य है। पिछले दो वर्षों में प्रवर्तन एजेंसियों की बढ़ती संख्या और चुनावी जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म के एकीकरण के साथ, आयोग ने 2023 में हाल ही में हुए राज्य चुनावों में रिकॉर्ड अभिग्रहण सुनिश्चित किया है।

आयोग सभी हितधारकों के लिए चुनाव प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में सबसे आगे रहा है। नागरिकों के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट करने के लिए सीविजिल ऐप, उम्मीदवारों हेतु सुविधा ऐप, उम्मीदवार के विवरण जानने हेतु केवाईसी, दिव्यांगजनोंहेतु सक्षम ऐप जैसे आईटी अनुप्रयोगों का एक पारिस्थितिकी तंत्र उन्हें सशक्त बनाने और पारदर्शिता और समतुल्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईसीआई वेबसाइट और ईसीआई रिजल्ट वेबसाइट पर परिणाम संबंधी बेहतर अनुभव और सभी हितधारकों पर ध्यान देने के साथ जानकारी तक आसान पहुंच के लिए पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। परिणाम वेबसाइट ने विस्तृत एसी/पीसी वार परिणाम और चार्ट और ग्राफिक्स के साथ जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच जीत का मार्जिन प्रदान किया जो मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए उपयोग के लिए तैयार प्रारूप के रूप में थे।

राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के तहत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत किया गया है। आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है। राजनीतिक दल चुनावी स्थान में एक महत्वपूर्ण संस्था और हितधारक हैं क्योंकि वे मतदाताओं और चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए पुल के रूप में कार्य करते हैं। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उपलब्ध वैधानिक स्थान का उपयोग करके राजनीतिक दलों के वित्त को सुव्यवस्थित करने और राजनीतिक क्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए भी पहल की है। भारत निर्वाचन आयोगने मई 2022 से 284 व्यतिक्रम और गैर–अनुपालन पंजीकृत गैर–मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटा दिया है और 253 से अधिक पंजीकृत गैर–मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है, जिससे उन्हें प्रतीक आदेश, 1968 का लाभ उठाने से रोक दिया गया है। आयोग ने वित्तीय प्रकटीकरण को ऑनलाइन दाखिल करने के अनुपालन के लिए एक एकीकृत चुनाव व्यय प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) भी शुरू की।

चुनाव की गुणवत्ता से चुनाव प्रचार की गुणवत्ता का संकेत मिलता है। आयोग द्वारा समतुल्य स्थिति और चुनाव प्रचार की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिल गतिशीलता के माध्यम से नेविगेट करके अभियानसंबंधी भाषणों के गिरते स्तर की चिंता को दूर करने पर विशेष बल दिया गया है।

(12) वर्ष 2023 में विधानसभा चुनावः भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यस्त चुनावी वर्ष का प्रबंधन किया।

जैसे ही वर्ष 2023 समाप्त हुआ, भारत निर्वाचन आयोग नेवर्ष 2019 के पिछले संसदीय चुनावों के बाद से अपने सबसे व्यस्त चुनावी वर्ष से उभरा। इसने नौ राज्यों में चुनाव कराए। समाविष्ट किए गए कुल मतदाताओं की संख्या 222 मिलियन से अधिक थी। इसे वर्ष 2024 के 18वें लोकसभा चुनाव से पहले का भव्य पूर्वाभ्यास माना जा सकता है।

(12.1) पूर्वोत्तर राज्य विधानसभा चुनाव, 2023

चुनावी वर्ष की शुरुआत 18 जनवरी 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव की घोषणा के साथ हुई। इनमें से प्रत्येक के पास 60 सदस्यों की विधान सभा सीटें है। मेघालय में, 60 में से 55 सीटें और नागालैंड में 60 में से 59 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जो इन राज्यों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा को दर्शाता है। त्रिपुरा में 20 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, 10 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

इन सभी राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एक मजबूत और व्यापक समन्वय के परिणामस्वरूप नकदी और वस्तु में जब्ती में सुधार हुआ। प्रारंभिक चरण से ही, कानून और व्यवस्था को आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के रूप में प्राथमिकता दी गई थी।

त्रिपुरा में कड़ी निगरानी और पारदर्शिता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत वेबकास्टिंग की गई। चुनाव काफी हद तक हिंसा मुक्त थे क्योंकि त्रिपुरा में स्थानीय अखबारों की सुर्खियां गर्व से 'लोगों ने हिंसा को नकारने के लिए वोट दिया' के रूप में चमकती थीं। कठोर प्रशिक्षण और सख्त निगरानी के साथ, यह सुनिश्चित किया गया कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 168 पुनर्मतदान की तुलना में विधानसभा चुनावों के दौरान कोई पुनर्मतदान न हो।

त्रिपुरा में पहली बार, ब्रू समुदाय के मतदाताओं को लगभग 6,300 ब्रू परिवारों से प्राप्त एक विशेष स्थान पर बसने के लिए सहमति फॉर्म के साथ नामांकन करने के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिनमें से 5,645 परिवारों ने निपटान स्थलों पर रिपोर्ट किया और लगभग 14,000 वयस्क सदस्यों को राज्य में 12 स्थानों पर नामांकित किया गया।

मेघालय चुनाव

नागालैंड चुनाव

त्रिपुरा चुनाव

मतदान सांख्यिकी अवलोकनः

राज्य	मतदान की तिथि	मतदान केंद्रों की सं.	मतदान प्रतिशत
मेघालय	27 फरवरी	3,482	86.8%
नागालैंड	27 फरवरी	2,291	88.1%
त्रिपुरा	16 फरवरी	3,337	89.8%

(स्रोतः राज्य विधान सभा के आम चुनावों के संबध में ईसीआई वेबसाइट की सांख्यिकीय रिपोर्ट)

तीनों राज्यों में वोटों की गिनती दिनांक 2 मार्च, 2023 को हुई थी। परंपरागत रूप से, ये तीन राज्य उच्च मतदान वाले राज्य हैं, जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने इन चुनावों में बनाए रखी। ईसीआई ने मतदान में आसानी पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ चुनावों को समावेशी, भागीदारीपूर्ण, नैतिक और मतदाता अनुकूल बनाने के लिए एक स्थिर अभियान चलाया। इन राज्यों में पहली बार दिव्यांग मतदाताओं और अस्सी वर्ष के मतदाताओं के लिए घर पर मतदान की सुविधा का प्रयोग किया गया।

(12.2) कर्नाटक चुनावः

कर्नाटक राज्य में दिनांक 10 मई, 2023 को एक ही चरण में मतदान हुआ था और मतगणना दिनांक 13 मई को हुई थी।

मतदान सांख्यिकी अवलोकनः

राज्य	मतदान की तिथि	मतदान केंद्रों की सं.	मतदान प्रतिशत
कर्नाटक	10 मई	58,534	73.8%

(स्रोतः राज्य विधान सभा के आम चुनाव के संबध में ईसीआई वेबसाइट की सांख्यिकीय रिपोर्ट)

नवविवाहितों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडरों, आदिवासियों आदि के समूह ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें मतदाताओं की उत्साही भागीदारी के साथ 73.8% मतदान हुआ। मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा और पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं थी। कर्नाटक में चुनाव खर्च की निगरानी के निरंतर प्रयासों के कारण विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 385 करोड़ रुपये की जब्ती की गई, जो पिछले चुनावों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है।

(12.3) वर्ष 2023 को पांच राज्यों के चुनावों के साथ समाप्त करनाः

वर्ष के अंत में, अन्य पांच राज्यों में चुनाव हुए, दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 को, भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभाओं के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई।

छत्तीसगढ़ चुनाव

मध्य प्रदेश चुनाव

मध्य प्रदेश चुनाव

मिजोरम चुनाव

राजस्थान चुनाव

राजस्थान चुनाव

तेलंगाना चुनाव

राज्य विधानसभा चुनावों में वोटर टर्नआउटः

राज्य	मतदान की तिथि	मतदान केंद्रों की सं.	मतदान प्रतिशत
छत्तीसगढ़	7 नवंबर– 17 नवंबर	24,137	76.8%
मिजोरम	7 नवंबर	1,276	82.3%
मध्य प्रदेश	17 नवंबर	64,626	77.7%
राजस्थान	25 नवंबर	52,139	75.3%
तेलंगाना	30 नवंबर	35,655	72.0%

(स्रोतः राज्य विधान सभा के आम चुनावों के संबध में ईसीआई वेबसाइट की सांख्यिकीय रिपोर्ट)

एक बहुत ही अभिनव और बड़े पैमाने पर मतदाता आउटरीच और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें कई हितधारकों को शामिल किया गया था और इन राज्यों की सीईओ टीमों ने लक्षित हस्तक्षेप करके "टर्नआउट कार्यान्वयन योजना" के माध्यम से पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए मतदाता उदासीनता को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। इन राज्यों में पहली बार दिव्यांग और अस्सी वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए घर पर मतदान की सुविधा का प्रयोग किया गया। तकनीकी ऐप जैसे सी–विजिल, केवाईसी, सुविधा, सक्षम आदि को विभिन्न माध्यमों से व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया।

(13) आम चुनाव, 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई पहलें

पहले आम चुनावों के बाद से, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सफलतापूर्वक 18 स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव आयोजित किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान अनुभव और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार पथ–प्रदर्शक पहलें की है। हाल के वर्षों में, मतदाता जुड़ाव की पहल और चुनाव सुधारों के परिणामस्वरूप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता भागीदारी के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है। इन विशाल अभ्यासों से संचयी सीख, यह सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही है कि आगामी आम चुनाव, 2024 में 'कोई भी मतदाता पीछे न छूटे'।

प्रत्येक पहल चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और मजबूत बनाने, विभिन्न हितधारकों के लिए चुनाव अनुकूल बनाने और मतदान के दिन चुनावी भागीदारी बढ़ाने का एक प्रयास है। आम चुनाव, 2024 के अंत में, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को भारत के प्रत्येक मतदाता के लिए और भी अधिक सहज, मतदाता अनुकूल और सहभागी बनाने का प्रयासरत है।

निम्नलिखित पहलें लोकतंत्र की भावना को समाहित करती है, और भारत में मजबूत चुनावों की दिशा में एक विशाल छलांग साबित होगी।

(13.1) सटीक और गुणकारी मतदाता सूची

1. **17 साल की उम्र में प्री–रजिस्ट्रेशनः** अब, 17 साल के बच्चे फॉर्म –6 का उपयोग करके वोटर आईडी के लिए प्री–रजिस्टर कर सकते हैं, निर्दिष्ट तिथियों पर 18 साल की उम्र के बाद पात्र हो सकते हैं, जिससे मतदाता तत्परता और लोकतांत्रिक जुड़ाव बढ़ सकता है।

2. **एकाधिक/बहु अर्हक तिथियांः** 18 वर्ष के युवा वयस्कों के पास अब चार वार्षिक अवसर हैं– 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए, मतदाता सूची में त्रैमासिक अपडेट के साथ उनके समावेश की सुविधा है।

3. **नए फार्मों का समावेशनः** कई अपडेट और सुधारों के लिए नए फॉर्म पेश किए गए हैं, और दिव्यांग मतदाताओं और उनके विधिक संरक्षकों के लिए समायोजन किए गए हैं।

4. **समर्पित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्तिः** शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करके 18–19 वर्ष के युवाओं के बीच मतदाता पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समर्पित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(13.2) निर्वाचन प्रबंधन

1. **संदर्भ में आसानी के लिए ईसीआई निर्देशों का समेकनः** कानून और व्यवस्था, मतदान दिवस निगरानी, पारिश्रमिक, मानदेय, अनुग्रह राशि, वोटों की गिनती आदि जैसे कई विषयों पर 300 से अधिक निर्देशों को 27 निर्देशों में समेकित किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर चुनाव मशीनरी और अधिकारियों के लिए संदर्भ में आसानी सुनिश्चित हो सके।

2. **मैनुअल, हैंडबुक और चेकलिस्ट का पुनरीक्षण/संशोधनः** आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, ईसीआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे रिटर्निंग अधिकारी की हैंडबुक, पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक, मतदान एजेंट के लिए हैंडबुक, मतगणना एजेंट के लिए हैंडबुक, जोखिम प्रबंधन पर मैनुअल, बल तैनाती पर मैनुअल, भेद्यता मानचित्रण पर मैनुअल, जिला चुनाव प्रबंधन योजना पर मैनुअल, स्वीप मैनुअल, विभिन्न चेकलिस्ट, आदि प्रत्येक विषय–वस्तु पर नवीनतम निर्देशों के अनुसार अपडेट किए जाते हैं।

3. **पुलिस अधिकारियों हेतु पुस्तिकाः** चुनावों के संदर्भ में पुलिस की बढ़ती भूमिका के साथ, चुनावी गतिविधियों से संबंधित अपने कर्तव्यों का पालन करने में संपूर्ण पुलिस पदानुक्रम के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए एक पुस्तिका के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को संकलित करने की आवश्यकता थी। पहली बार, पुलिस अधिकारियों हेतु हैंडबुक द्वारा पुलिस बल को उनकी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और उनके अधिकार क्षेत्र में चुनाव कराने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए उपकरणों और रणनीतियों से लैस करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया था।

4. **सेवा और विशेष निर्वाचकों के लिये लैंगिक तटस्थ प्रावधानः** निर्वाचन विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2021 सेवा मतदाताओं के पति–पत्नी दोनों को सेवा मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देकर लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है।

5. **मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)** : प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनावों में धन और बाहुबल का मुकाबला करने के लिए समन्वय और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए एसओपी विकसित किया, जिससे हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बेहतर परिणाम सामने आए।

6. **अंतर–राज्यीय सीमा चौकियों पर कड़ी निगरानीः** भारत निर्वाचन आयोग अवैध वस्तुओं की तस्करी को रोकने और संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बढ़ी हुई जांच के साथ निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अंतर–राज्यीय सीमा चौकियों पर कड़ी जांच पर अधिक बल दे रहा है।

7. **व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ईएससीएस) की पहचानः** व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (ईएससीएस) की पहचान पिछले आंकड़ों और संवेदनशीलता के आधार पर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, जिसमें निष्कर्षों की जिला खुफिया समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा निगरानी की जाती है।

8. **एक मानकीकृत प्रकटीकरण प्रोफार्मा की शुरुआतः** भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक मानकीकृत प्रकटीकरण प्रोफार्मा पेश किया ताकि उनके चुनावी वादों के वित्तीय निहितार्थ और धन के स्रोतों का विस्तार किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा सके।

9. **सार्वजनिक विमर्श के गिरते स्तर पर परामर्शिकाः** आयोग ने कर्नाटक विधान सभा चुनाव 2023 के दौरान अभियान विमर्श के गिरते स्तर को गंभीरता से लेते हुए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रचार के

दौरान अपने बयानों में सावधानी और संयम बरतने और चुनावी माहौल को खराब नहीं करने के लिए, सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को परामर्शिका जारी की।

(13.3) **ज्ञान का आदान–प्रदान :** विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संचालन करने वाले निर्वाचन प्रबंधन निकाय के रूप में, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व के साथ सीख और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आगामी लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए विशाल अभ्यास के लिए की गई पहलों की एक झलक प्रदान करती हैं।

अनुभव साझा करने और ज्ञान अंतरण के लिए सीईओ का सम्मेलनः 2024 के आम चुनावों की तैयारी में, ईसीआई ने दिनांक 11–12 जनवरी, 2024 को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में हाल के राज्य चुनावों के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया गया और चुनाव योजना, ईवीएम–वीवीपीएटी, मतदाता सूची, व्यय निगरानी, आईटी अनुप्रयोग, स्वीप रणनीति और मीडिया रणनीति जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के बाद चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ और अहमदाबाद में आयोजित सीईओ/एसपीएनओ के क्षेत्रीय सम्मेलन हुए।

इस सम्मेलन से पहले एलबीएसएनएए, मसूरी में दिनांक 2–4 अप्रैल, 2023 के दौरान और आईआईआईडीईएम में 19–20 अप्रैल, 2023 के दौरान आयोजित दो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे। कुशल, समावेशी और मतदाता अनुकूल चुनावों को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियों के सभी पहलुओं को समाविष्ट करते हुए सात समूह/कार्यक्षेत्र बनाए गए थे। इन विषयों पर अंतर्दृष्टि के आधार पर विभिन्न प्रस्तुतियां और बातचीत सम्मेलनों में हुई। ईसीआई और सीईओ/डीईओ स्तर पर अत्यंत गंभीरता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रत्येक कार्यक्षेत्र हेतु कई कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की गई थी। ये सम्मेलन पूरे चुनाव तंत्र के लिए बेहद लाभकारी साबित हुए।

सीईओ सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) लोक सभा, 2024 के आम चुनावों की तैयारी शुरू करना;

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालयों की संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करना और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के साथ संरेखित करना; और

(iii) निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक कार्यात्मक कार्यक्षेत्र के लिए न्यूनतम साझा कार्यसूची और लक्ष्य निर्धारित करना।

चुनाव मशीनरी का प्रशिक्षणः भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के सभी चुनाव कार्मिक चुनाव प्रक्रिया के सभी चरणों में निर्धारित प्रक्रियाओं, प्रथाओं और नियमों और विनियमों का पालन करें और अच्छी तरह से परिभाषित प्रोटोकॉल के अनुसार आकस्मिक स्थितियों का जवाब दें। यह अभ्यास अप्रैल 2023 में आईआईआईडीईएम के प्रशिक्षण घटकों – लक्षित समूहों, प्रशिक्षण सामग्री और संसाधन व्यक्तियों (आरपी) के सूचीकरण के साथ शुरू हुआ।

(i) प्रशिक्षण सामग्री–विषय आधारित सांविधिक और गैर–सांविधिक पीपीटी, दृश्य–श्रव्य, पुस्तिकाएं, मैनुअल और परिपत्र, आदि।

(ii) संसाधन व्यक्ति–राष्ट्र स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एनएलएमटी) और राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी)

(iii) लक्ष्य समूह–आईआईआईडीईएम के प्रत्यक्ष अधिदेश के अंतर्गत अधिकारी एवं कर्मचारी (सीईओ, डीईओ, आरओ/एआरओ, ईआरओ/एयरो, पुलिस नोडल अधिकारी तथा प्रशिक्षण नोडल अधिकारी) तथा लक्षित समूहों का अनुरोध आधारित प्रशिक्षण जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

सूची बनाने की कवायद के बाद प्रत्येक प्रशिक्षण घटक का अंतराल विश्लेषण किया गया और अंतराल को पाटने और समय–सीमा के अनुसार उनके निष्पादन के लिए एक ढांचा विकसित किया गया।

देश भर में 800 से अधिक जिला शिक्षा अधिकारियों/आरओ को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में निर्वाचन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर प्रशिक्षित किया गया और सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 3,100 ईआरओ ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से भाग लिया। आयोग ने उदाहरण के साथ नेतृत्व किया, विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ने अंतर्दृष्टि प्रदान करने के साथ–साथ प्रशिक्षण के हर एक बैच में डीईओ को प्रेरित किया।

राज्य के सीईओ के अनुरोध के आधार पर, ईआरओनेट पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 डीईओ के लिए प्रशिक्षण दिनांक 28 से 30 नवंबर 2023 के बीच आईआईआईडीईएम में आयोजित किया गया था। इसी तरह, दिनांक 16 दिसंबर, 2023 को असम के सीईओ कार्यालय के 96 अधिकारियों के लिए आईटी अनुप्रयोगों पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर, आईआईआईडीईएम ने लोकसभा 2024 के आम चुनावों और लोकसभा और राज्य विधान सभा 2024 के एक साथ चुनाव वाले चार राज्यों के लिए 4,732 संसाधन व्यक्तियों और 18,296 मतदान कर्मियों सहित 23,028 कर्मियों की क्षमता निर्माण पूरा कर लिया है।

निर्वाचन प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूलः आईआईआईडीईएम ने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन प्रणाली फाउंडेशन (आईएफईएस) के साथ भागीदारी में मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रशासन और सोशल मीडिया जैसे विषयों को समाविष्ट करते हुए सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए निर्वाचन प्रबंधन पर दस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल सृजित किए हैं। इन मॉड्यूल का उद्देश्य चुनाव प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और कानूनी ढांचे की समझ को बढ़ाना है।

अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन प्रबंधन एवं व्यवहार (एमआईईएमपी) कार्यक्रम में मास्टर डिग्रीः आईआईआईडीईएम के माध्यम से और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के सहयोग से भारत निर्वाचन आयोग अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन प्रबंधन एवं व्यवहार (एमआईईएमपी) में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है। चार सेमेस्टर और कुल 80 क्रेडिट में फैले इस दो वर्ष के कार्यक्रम में ऑनलाइन सीखने के दो सेमेस्टर और दूसरे वर्ष में मिश्रित सीखने के दो सेमेस्टर शामिल हैं। 2022–24 के लिए उद्घाटन कक्षा दिसंबर 2022 में शुरू हुई, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, अंतर्राष्ट्रीय चुनावी निकायों और टीआईएसएस–चयनित छात्रों के प्रतिभागी शामिल थे। पहले दो सेमेस्टर ऑनलाइन थे, इसके बाद तीसरे सेमेस्टर के लिए टीआईएसएस, मुंबई में और चौथा आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित की गई थीं।

आईआईआईडीईएम छात्रावास ब्लॉक का उद्घाटन

दिनांक 6 जून, 2023 को, भारत निर्वाचन आयोग ने आईआईआईडीईएम, द्वारका में एक छात्रावास ब्लॉक का उद्घाटन किया। यह सुविधा आईआईआईडीईएम के मिशन को अनुकूल शिक्षण और रहने का माहौल प्रदान करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए समर्थन करती है।

आईआईआईडीईएम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (2023)

आईआईआईडीईएम ने 2011 से 138 देशों के 2,701 प्रतिभागियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मेजबानी की है। वर्ष 2023–24 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

आईआईआईडीईएम अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सांख्यिकी स्थापना के समय से

कार्यक्रम	कार्यक्रम की संख्या			प्रशिक्षण दिवसों की कुल सं.	प्रतिभागियों की संख्या			
	ऑफलाइन	ऑनलाइन			ऑफलाइन	ऑनलाइन	कुल	91
अंतर्राष्ट्रीय	112	17	129	700	2271	430	2701	

वर्ष 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सारांश इस प्रकार है:

प्रतिनिधिमंडल का दौरा:

(क) दिनांक 19 जुलाई, 2023 को प्राइड (च्प्क्म्) में 27 बांग्लादेशी सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण।

(ख) 82 बांग्लादेशी सिविल सेवकों ने दिनांक 10 अगस्त, 2023 को दौरा किया।

(ग) डायस्पोरा युवाओं के लिए भारत को जानो कार्यक्रम दिनांक 4 और 18 अगस्त, 2023 को क्रमशः 56 और 58 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम:

(क) दिनांक 20–24 नवंबर, 2023 तक 5–दिवसीय मतदाता पंजीकरण प्रशिक्षण, जिसमें 9 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ख) दिनांक 18–29 दिसंबर, 2023 तक 2 सप्ताह का बुनियादी चुनाव प्रशासन पाठ्यक्रम, जिसमें 15 प्रतिभागी होंगे।

(13.4) समावेशी और सुलभ चुनावों के लिए मतदान में आसानी

(i) **गृह मतदान:** चुनाव आयोग की गृह मतदान सुविधा जो वैकल्पिक है और अनिवार्य नहीं है, दिव्यांग, अस्सी वर्षों के व्यक्तियों, आवश्यक श्रमिकों और COVID–19 प्रभावित व्यक्तियों सहित अनुपस्थित मतदाताओं को फॉर्म 12–D के माध्यम से आवेदन करके घर से मतदान करने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मतदान केंद्रों पर जाए बिना मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

(ii) **समावेशी नामांकन:** भारत निर्वाचन आयोग ने सीमांत समूहों जैसे ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), बेघर और खानाबदोश समूहों की चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

(iii) **मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ):** भारत निर्वाचन आयोग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम से मतदान केंद्रों पर "सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं" (एएमएफ) सुनिश्चित करती है। इनमें भूतल पर एक मतदान केंद्र, उपयुक्त ढलान के साथ एक रैंप, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर, उचित प्रकाश व्यवस्था, मतदाता मार्गदर्शन के लिए संकेतक, शौचालय सुविधा,

छाया, बच्चों के लिए एक क्रेच, मतदाता सुविधा पोस्टर और मतदाता सहायता बूथ शामिल थे।

(iv) **मतदान केंद्रों पर अन्य सुविधाएं:** एएमएफ से परे, मतदान केंद्र सक्षम–ईसीआई ऐप के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा किट, व्हीलचेयर, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए परिवहन, और पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग–अलग कतारें प्रदान करते हैं।

(v) **महिलाओं के लिए सुविधा :** महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण महिला प्रबंधित मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां सुरक्षा कार्मिकों सहित पूर्णतया महिला कर्मचारी तैनात हैं। महिलाओं के लिए अलग कतार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्राथमिकता मतदान और लक्षित हस्तक्षेप जैसी पहलों ने महिला मतदाता मतदान में वृद्धि की है।

(vi) **दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक संवाद हेतु राजनीतिक दलों के लिए परामर्शिका:** ईसीआई ने राजनीतिक दलों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं कि वे दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के प्रति सम्मानजनक संवाद सुनिश्चित करें, अपमानजनक या आपत्तिजनक भाषा को प्रतिबंधित करें और सक्षमता और भेदभाव को रोकने के लिए अभियान सामग्री की आंतरिक समीक्षा की आवश्यकता को महत्व दें।

(vii) **दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा :** मतदान केंद्र मजबूत रैंप के साथ भूतल पर हैं। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाती है और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए मतदान केंद्रों पर टैग किए जाते हैं। स्वयंसेवक उनकी सहायता करते हैं, और उन्हें परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मतदान के दिन जहां संभव हो, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन पास की पेशकश की जाती है।

निम्नलिखित अतिरिक्त प्रयास शामिल हैं:

(क) **डाक मतपत्र सुविधा:** यह सुविधा बेंचमार्क दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की गई है, जिससे उन्हें फॉर्म 12डी के माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति मिलती है।

(ख) **सुगम्य संचार:** दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल पहुंच और सामग्री विकास में सुधार के लिए तकनीकी पहुंच के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ग) **सुगम्य चुनावों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति:** सुगम्य चुनावों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने दिव्यांगजनों के सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की और सुगम्य चुनावों के लिए सुधारों की सिफारिश की।

(14) चुनाव प्रबंधन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग: भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने और चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग में काफी वृद्धि की है। नागरिकों, राजनीतिक दलों और प्रतियोगियों के लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन अनुप्रयोगों का अवलोकन यहां दिया गया है:

(14.1) नागरिक परिप्रेक्ष्य: मतदाता के रूप में नामांकित होने और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना।

(14.1.1) मतदाता सेवाएँ:

(voters.eci.gov.in) (https://voters.eci.gov.in) वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से, नागरिक मतदाता सूची को देख सकते हैं,मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतदाता विवरण सही कर सकते हैं और

मतदान केंद्र की जानकारी पा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट मैनेजमेंट सिस्टम (ETPBMS) सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्राप्त करने और जमा करने की अनुमति देता है, जो मतपत्रों की मुफ्त वापसी के लिए डाक सेवा के साथ एकीकृत होता है।

(14.1.2) दिव्यांगजनों के लिये अभिगम्य:

सक्षम–ईसीआई ऐप दिव्यांग मतदाताओं को सहायता का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर, और उनके मतदाता पंजीकरण विवरण का प्रबंधन करना।

(14.1.3) बीएलओ और उम्मीदवार से संबंधित जानकारी:

बीएलओ ऐप बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए डिजिटल कार्यों की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें घर–घरजाकर सत्यापन करना भी शामिल है। उम्मीदवार शपथ पत्र पोर्टल और "अपने उम्मीदवार को जानें" (केवाईसी) मोबाइल ऐप उम्मीदवार प्रोफाइल और उनके आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में जान सकते हैं।

(14.1.4) शिकायत निवारण:

राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल ((एनजीएसपी) (https://eci-citizenservices.eci.nic.in)) नागरिकों, राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों की शिकायतों का समाधान करता है,यह शिकायतों का समयबद्ध रूप से समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

(14.1.5) टीवी पर चुनावी रुझानों की जानकारी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया इलेक्शन ट्रेंड्स टीवी, वास्तविक समय के चुनाव परिणाम और रुझान प्रदान करता है, जिसमें मतगणना हॉल और सार्वजनिक स्थानों के बाहर ऑटो–स्क्रॉलिंग पैनल के माध्यम से प्रदर्शित डेटा होता है, जो पारदर्शिता और अभिगम्यता को बढ़ाता है।

(14.2) राजनीतिक दल और प्रतियोगी का परिप्रेक्ष्य – चुनावों के संचालन और निगरानी में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना

(14.2.1) ईवीएम प्रबंधन और निगरानी:

ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) यादृच्छिक तैनाती के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करती है, जिसे पार्टी प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों द्वारा देखा जाता है।

(14.2.2) रिपोर्टिंग और अनुपालन:

सी–विजिल ऐप नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। वोटर टर्नआउट ऐप लगभग वास्तविक समय में मतदाता टर्नआउट संबंधी अनुमान प्रदान करता है।

(14.2.3) नामांकन और अनुज्ञा:

सुविधा पोर्टल ((suvidha.eci.gov.in) (https://suvidha.eci.gov.in)) चुनाव से संबंधित अनुमति के लिए नामांकन और आवेदन ऑनलाइन जमा करने, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करता है।

(14.2.4) चुनावी व्यय की निगरानी:

एकीकृत चुनाव व्यय निगरानी प्रणाली (आईईएमएस) राजनीतिक दलों को वित्तीय दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने, आधार (|कींत) आधारित ई–साइन और वास्तविक समय स्थिति अपडेट जैसी सुविधाओं के माध्यम से अनुपालन में सुधार करने में सक्षम बनाती है।

(14.2.5) टाइम वाउचर डिजिटलीकरण:

चुनाव आयोग ने एयर टाइम वाउचर के वितरण को डिजिटल कर दिया है, जिससे राजनीतिक दलों को सुविधा पोर्टल

के माध्यम से क्यूआर–कोडेड वाउचर ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिससे प्रक्रिया की दक्षता को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाया जा सकता है।

(14.3) उन्नत सुरक्षा और प्रबंधन

(14.3.1) ईआरओ नेट 2.0

यह मजबूत बुनियादी ढांचा चुनाव प्रबंधन को केंद्रीकृत करता है, ई–ईपीआईसी डाउनलोड, एनआरआई पंजीकरण और मतदाता सूची अपडेट जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

(14.3.2) प्रेक्षक पोर्टल

पर्यवेक्षक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मंच, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण और आयोग संबंधी सूचनाएं शामिल हैं।

(14.3.3) ईएसएमएस पोर्टल

इलेक्शन सीज मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) मोबाइल ऐप जब्त वस्तुओं पर डेटा को डिजिटाइज़ करता है, केंद्रीय/राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करता है ताकि प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

(14.3.4) सुरक्षा विशेषताएं

एकाधिक प्रमाणीकरण कारक सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली को उल्लंघनों से बचाते हैं, डेटा अखंडता और सटीकता सुनिश्चित करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सभी हितधारकों के लिए अधिक कुशल, पारदर्शी और अभिगम्य बनाना है।

(15) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (म्टड) और वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (टटच।ज)

निम्नलिखित सारांश भारत में ईवीएम और वीवीपीएटी से संबंधित प्रमुख विकास और अपडेट को कैप्चर करता है।

(क) भारत में मतदान प्रणालियों का विकासः प्रारंभ में, वर्ष 1952 और 1957 के लोकसभा चुनावों में प्रतीकों के साथ अलग–अलग मतपेटियों का उपयोग किया गया था, जिससे छेड़छाड़ के बारे में चिंता बढ़ गई थी। मतपत्रों पर एक अंकन प्रणाली ने 1960–61 में इसे बदल दिया और 1999 के चुनावों तक इसका उपयोग किया गया।

(ख) ईवीएम के लिए कानूनी मंजूरीः "एसी जोस बनाम सिवन पिल्लई", वर्ष 1984 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को वैध बनाने के लिए विधायी संशोधनों की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, वर्ष 1989 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61क जोड़ी गई।

वर्ष 1977 में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर अन्वेषण किया गया। वर्ष 1979 तक, एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया था और राजनीतिक दलों को प्रदर्शित किया गया था। ईवीएम का उपयोग पहली बार वर्ष 1982 के केरल उपचुनाव में हुआ, लेकिन कानूनी प्रावधानों की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके उपयोग को रद्द कर दिया था। दिनांक 15 मार्च, 1989 से प्रभावी धारा 61क को शामिल करने के लिए दिसंबर, 1988 में कानून में संशोधन किया गया था।

वर्ष 2004 के लोकसभा चुनावों में पेपर मतपत्रों की जगह ईवीएम का राष्ट्रव्यापी उपयोग किया गया था। वर्ष 2000 के बाद से, 148 राज्य विधानसभा चुनावों और चार आम चुनावों (वर्ष 2004, 2009, 2014 और 2019) में ईवीएम का उपयोग किया गया।

(ग) **विनिर्माणः** ईवीएम का उत्पादन तकनीकी विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

(15.1) लोकसभा के आम निर्वाचन, 2024 के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रापण।

(क) प्रापणः वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 10.42 लाख बैलट यूनिट, 6.97 लाख कंट्रोल यूनिट और 6.46 लाख वीवीपीएटी (दिनांक 21 जून, 2021 तक), और अतिरिक्त 2.84 लाख बैलट यूनिट, 2.12 लाख कंट्रोल यूनिट और 2.46 लाख वीवीपीएटी (दिनांक 1 फरवरी, 2023 तक) खरीदी।

(ख) वर्ष 2023 के चुनावों में ईवीएम और वीवीपीएटी की परिनियोजनः 2023 में विभिन्न राज्य विधान सभा चुनावों के सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपीएटी का परिनियोजन निम्नानुसार किया गया थाः –

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल मतदान केंद्र
1	छत्तीसगढ़	24,137
2	कर्नाटक	58,534
3	मध्य प्रदेश	64,626
4	मेघालय	3,482
5	मिजोरम	1,276
6	नागालैंड	2,291
7	राजस्थान	52,139
8	तेलंगाना	35,655
9	त्रिपुरा	3,337

(स्रोतः राज्य विधान सभा के आम चुनावों के संबध मेंईसीआई वेबसाइट की सांख्यिकीय रिपोर्ट)

(15.2) **ईवीएम की सफलताएंः** वर्ष 2004 में, लोकसभा चुनावों में सभी 543 संसदीय क्षेत्र के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम में तकनीकी उन्नयन वर्ष 2001 में, 2006 में और फिर 2013–14 में हुआ था। वर्ष 2006 से पहले निर्मित ईवीएम को 'एम1 ईवीएम' कहा जाता है, जबकि वर्ष 2006 और वर्ष 2010 के बीच निर्मित ईवीएम को 'एम2 ईवीएम' कहा जाता है। वर्ष 2013 से अब तक बनी नवीनतम 'एम3 ईवीएम' में अधिक पारदर्शिता एवं सत्यापन क्षमता के लिए वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) को शामिल किया गया है. वीवीपीएटी का पहली बार उपयोग नागालैंड में 51–नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्ष 2013 के उपचुनाव में और वर्ष 2019 में लोकसभा के आम चुनावों के दौरान पूरे देश में सभी मतदान केंद्रों पर किया गया था।

(15.3) ईवीएम और वीवीपीएटी की तकनीकी विशेषताएं

(क) ईवीएमः

- स्टैंड–अलोन ऑपरेशनः इसमें बाहरी पहुंच को रोकने के लिए कोई वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन नहीं होता है।
- वन–टाइम प्रोग्रामेबल (OTP) चिपः यह सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करता है।
- गतिशील और एन्क्रिप्टेड सिग्नल कोडिंगः यह यूनिटों के बीच संचार सुरक्षा को बढ़ाता है।
- अनधिकृत एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल (UADM) : यह ईवीएम सेहेर–फेर के प्रयासों को रोकता है।
- वास्तविक समय घड़ीः यह घटना समय मुद्रांकन प्रदान करता है।
- पारस्परिक प्रमाणीकरणः यह प्रणाली के भीतर यूनिटों की पुष्टि करता है।
- आंतरिक बिजली की आपूर्तिः यह बाहरी बिजली स्रोतों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है।

(ख) वीवीपीएटी:

- दृश्य पुष्टिः यह मतदाता सत्यापन के लिए 7 सेकंड के लिए एक पेपर स्लिप/पर्ची प्रदर्शित करता है।
- इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्सः इसमें ईवीएम के समान फीचर्स है।
- आंतरिक बिजली की आपूर्तिः यह बाहरी शक्ति के बिना संचालित होती है।
- कंट्रास्ट और लंबाई सेंसरः यह प्रिंट गुणवत्ता बनाए रखता है और पेपर स्लिप की लंबाई पर नज़र रखता है।
- डिप्लीशन और फॉल सेंसरः यह कम कागज होने की स्थिति में चेतावनी देता है और समय पर स्लिपजारी करना सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम–वीवीपीएटी मशीनों और मतदान सामग्री के लिए पानी और शॉक–प्रूफ एर्गोनॉमिक रूप से कुशल बैकपैक पेश किए हैं, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों में मतदान दलों के लिए सुरक्षा और गतिशीलता में सुधार करते हैं।

(16) आम चुनाव, वर्ष 2024 के लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से मतदाताओं को शामिल करना:

व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे सूचित और नैतिक चुनावी भागीदारी के लिए मतदाताओं को सूचित, प्रेरित, सुसाध्य, शिक्षित, संलग्न और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आम चुनाव वर्ष 2024 के लिए व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

1. **ईसीआई गीत 'मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं':** यह गीत वर्ष 2023 में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जारी किया गया था, और यह चालीस प्रमुख गायकों द्वारा गाया गया था, यह मतदाता भागीदारी के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और विविधता का जश्न मनाता है। यह यूट्यूब चैनलों पर हिंदी और बहुभाषी संस्करणों में उपलब्ध है।

2. **राष्ट्रीय आइकनः** क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और अभिनेता राजकुमार राव को मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा विशेष रूप से युवाओं को लक्षित करना था।

3. **राष्ट्रीय स्तर एसएसआर–2024 लॉन्च "देश का फॉर्म":** नामांकन को बढ़ावा देने और मतदाता सूची में अनुलिपि प्रविष्टियों को हटाने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, "देश का फॉर्म" शुरू किया गया था। यह दिनांक 30 नवंबर से दिनांक 9 दिसंबर, 2023 तक आयोजित किया।

4. **चाचा चौधरी कॉमिक बुकः** "चाचा चौधरी और चुनावी दंगल" युवा मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोकप्रिय पात्रों का उपयोग करने वाली एक कॉमिक बुक है।

5. **शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनः** शिक्षा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में चुनावी साक्षरता को शामिल करना था, जिसके द्वारा उत्तरदायी नागरिकता और चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

6. **मतदान कार्यान्वयन योजनाः** भारत निर्वाचन की मतदान कार्यान्वयन योजना (टीआईपी) कम मतदान वाले विशिष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके और राष्ट्रव्यापी उच्च जुड़ाव को प्रोत्साहित करके मतदाता भागीदारी में वृद्धि का लक्ष्य रखती है।

7. **लोकतंत्र कक्षः** सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईओ) को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 'लोकतंत्र कक्ष' स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि साल भर की स्वीप गतिविधियों और संसाधनों के माध्यम से छात्रों के बीच नागरिक शिक्षा और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

8. **मतदाता जंक्शनः** निर्वाचन आयोग का मतदाता जंक्शन, दिनांक 7 अक्टूबर, 2022 को शुरू की गई एक वर्ष लंबी रेडियो श्रृंखला, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और उदासीनता का मुकाबला करने के लिए 23 भाषाओं में 230 एआईआर चैनलों पर प्रसारित होती है, एक नए संस्करण, मतदाता जंक्शन 2.0 के साथ, वर्ष 2024 के आम चुनावों के लिए योजना बनाई गई है।
9. **बीएलओ ई–पत्रिकाः** बीएलओ ई–पत्रिका एक डिजिटल पत्रिका है जो अपडेट, चुनौतियों और सफलता की कहानियों को साझा करके बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के साथ संचार को बढ़ाती है, और इसे स्थानीय भाषाओं में व्हाट्सएप और बीएलओ ऐप के माध्यम से वितरित किया जाता है।
10. **ईसीआई अब व्हाट्सएप पर है!** भारत निर्वाचन आयोग अब सटीक अपडेट और जानकारी प्रदान करने, व्यापक आउटरीच के लिए मंच का लाभ उठाने और बीएलओ को मतदाता संचार के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्हाट्सएप पर है।
11. **पॉकेट वोटर गाइडः** भारत निर्वाचन आयोग की "पॉकेट–साइज़ वोटर गाइड" संपर्क विवरण, मतदान केंद्रों और पहचान संबंधी आवश्यकताओं सहित आवश्यक चुनाव जानकारी प्रदान करती है, जिससे मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है।

(17) 2023 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

(i) भारत निर्वाचन आयोग ने 23–24 जनवरी, 2023 के दौरान नई दिल्ली में 'चुनाव अखंडता' पर समूह के नेतृत्व के रूप में'प्रौद्योगिकी के उपयोग और चुनाव अखंडता' परदूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव अखंडता पर समूह में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के भाग के रूप में दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी की, जो दिसंबर 2021 में आयोजित 'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' के पश्चात हुआ।

'प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव अखंडता' पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : 23–24 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित तीन सम्मेलनों की श्रृंखला में दूसरा था। इसका उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल द्वारा किया गया था। सम्मेलन में चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) पर नए मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया के प्रभाव पर मुख्य रुप से ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें प्रतिभागियों के रूप में 16 देशों के प्रतिनिधि, जिनमें नौ ईएमबी के प्रमुख या उप प्रमुख, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए और आईएफईएस के प्रतिनिधि और नई दिल्ली में स्थित आठ विदेशी मिशनों के राजनयिक शामिल थे।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च, 2023 को बेंगलुरु में 'चुनाव अखंडता' पर समूह के नेतृत्व के रूप में'समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता' पर वर्चुअल मोड में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।

'समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता' पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : 9 मार्च, 2023 को बैंगलोर से वर्चुअली आयोजित यह सम्मेलन चुनाव अखंडता को बढ़ाने के लिए कोहोर्ट के प्रयासों का हिस्सा था। यह 31 अक्टूबर – 1 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित पहले सम्मेलन के पश्चात हुआ, जिसमें ईएमबी की भूमिका और क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें 11 देशों के लगभग 50 प्रतिनिधि शामिल हुए। तीसरे सम्मेलनमें चुनावों में समावेशिता और अखंडता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने और चुनाव प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा जारी रही।

(iii) आयोग के अंतर्राष्ट्रीय दौरे और उनके साथ समझौता ज्ञापन

- **कजाकिस्तानः** तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल ने 19 मार्च, 2023 को मजिलिस और मसलिखत के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कजाकिस्तान का दौरा किया।

- **भूटानः** श्री राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भूटान के चुनाव आयोग के साथ द्विपक्षीय चर्चा की तथा मतदाता नामांकन और ईटीपीबीएस के बारे में एनआरआई समुदाय और दूतावास के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

- **नीदरलैंडः** श्री राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 13 जुलाई, 2023 को हेग में एनआरआई समुदाय और दूतावास के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

- **कोस्टा रिकाः** श्री राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिमंडल ने 7–8 जुलाई, 2023 के दौरान कोस्टा रिका के सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट (टीएसई) के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए सैन जोस का दौरा किया।

- **कोलंबियाः** मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 12 जुलाई, 2023 को ए–वेब की 11 वीं कार्यकारी बोर्ड बैठक में भाग लिया।

- **उज़्बेकिस्तानः** श्री अनूप चंद्र पांडे, तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने 9 जुलाई, 2023 को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लिया।

- **ब्राज़ीलः** श्री अरुण गोयल तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने 14–15 अगस्त, 2023 को "चुनावों में सूचना की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना" विषय पर ब्राजील में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया।
- **मालदीवः** श्री अरुण गोयल तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने 9 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति चुनाव में एक पर्यवेक्षक के रुप में भाग लिया।
- **मॉरीशसः** श्री राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भारत निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग–मॉरीशस के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए मॉरीशस का दौरा किया।

- **कोरिया गणतन्त्रः** श्री अनूप चंद्र पांडे, चुनाव आयुक्त और श्री धर्मेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ने ए–वेब की 10 वीं वर्षगांठ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और 12 अक्टूबर, 2023 को दूतावास के अधिकारियों और एनआरआई प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

समझौता ज्ञापन

- **सेशेल्सः** श्री राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 26 सितंबर, 2023 को सेशेल्स के चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्री डैनी लुकास के साथ चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **पनामाः** 5–6 जुलाई, 2023 को एक यात्रा के दौरान श्री राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त और श्री अल्फ्रेडो जुनका वेंदेहाक, राष्ट्रपति द्वारा पनामा के साथ चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

5. विधायी III अनुभाग

(1) समवर्ती सूची में कानून

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III – समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय केवल विधान निर्माण के संबंध में इस विभाग को आवंटित किए गए हैंः –

(क) विवाह और तलाक, शिशु और नाबालिग, गोद लेना, वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण (बेनामी लेनदेन, विलेखों और दस्तावेजों के पंजीकरण को छोड़कर) ;

(ग) अनुबंध, परंतु कृषि भूमि से संबंधित अनुबंध इसमें शामिल नहीं हैं;

(घ) कार्रवाई योग्य गलतियाँ;

(ड) न्यास और न्यासी, प्रशासक – सामान्य और आधिकारिक न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सीमा और मध्यस्थता सहित सिविल प्रक्रिया;

(ज) खैराती एवं धार्मिक दान तथा धार्मिक संस्थाएं।

(2) भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III–समवर्ती सूची में उल्लिखित कुछ विषयों पर भारतीय विधि आयोग (एलसीआई) की रिपोर्ट, जिनसे यह विभाग संबंधित है, की जांच की जा रही है और तदनुसार केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श के बाद उन्हें कानून/संशोधन हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

(3) लाभ के पदों पर संयुक्त संसदीय समिति

लाभ के पदों पर संयुक्त समिति (जेसीओपी), जिसका गठन प्रत्येक लोकसभा के कार्यकाल के दौरान (दूसरी लोकसभा के बाद से) किया जाता है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पदों, सांविधिक और गैर–सांविधिक निकायों की प्रकृति, चरित्र और संरचना के संबंध में, निरंतर जांच का कार्य करती है, जिसका उद्देश्य संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करना है। विधायी विभाग लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के सचिवालय के लिए संदर्भों की जांच करता है कि क्या कुछ कार्यालय "लाभ के पद" के परिसर में आते हैं। 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, हमने ऐसे 2 संदर्भों की जांच की और ऐसे मामलों में लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर लाभ के पदों पर संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान किया।

(4) व्यक्तिगत कानूनों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य अदालती मामले

विधायी विभाग, व्यक्तिगत कानूनों (विधान के संबंध में) और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III– समवर्ती सूची से संबंधित मामलों जैसे कि अनुबंध अधिनियम, 1872, साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, विभाजन अधिनियम, 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, परिसीमा अधिनियम, 1963, संसद् (निरर्हता निवारण) अनिनियम, 1959 आदि का प्रभारी है; और सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामलों को संभाला है। 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, 62 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियाँ, जवाबी हलफनामे और उचित निर्देश, जैसा भी मामला हो, तैयार किए गए हैं और सरकारी वकील को बताए गए हैं।

(5) राज्य विधायी प्रस्ताव

इस विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विधायी प्रस्तावों, जिन पर संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अपेक्षित होती है, की विभाग में संवीक्षा की जाती है।

1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित सत्तावन संदर्भों की जांच की गई है।

6. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आईएलडीआर)

विधायी प्रारूपण एवं अनुसंधान संस्थान (आईएलडीआर) की स्थापना जनवरी, 1989 में विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में विधायी प्रस्तावों से निपटने के लिए प्रशिक्षित विधायी परामर्शदाताओं की क्षमताओं और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए की गई थी। अपनी स्थापना के पश्चात से ही, आईएलडीआर केंद्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी निकायों के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण एवं अनुसंधान में सैद्धांतिक, नैदानिक, व्यावहारिक ज्ञान के साथ–साथ ऑफसाइट प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

विधान प्रारूपण एवं अनुसंधान संस्थान को उनके गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, जो आईएसओ 9001:2015 मानक की सभी अपेक्षाओं का पूर्ण रुप से अनुपालन करता है।

आईएलडीआर पाठ्यक्रम पहल/कार्यः

A. प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माणः

(i) प्रशंसा पाठ्यक्रमः – विधायी प्रारूपण में प्रशंसा पाठ्यक्रम जो पंद्रह दिनों की अवधि का है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों/ संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। विधायी प्रारूपण के द्वारा अब तक 25 प्रशंसा पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं और जिनमें विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के कुल 444 अधिकारी लाभान्वित हुए हैं।

21.02.2023 से 07.03.2023 तक 24वां प्रशंसा पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, उक्त कार्यक्रम जिसमें 20 अधिकारियों ने भाग लिया। जबकि, 25वां प्रशंसा पाठ्यक्रम 12.02.2024 से 23.02.2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें 38 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ii) मौलिक पाठ्यक्रमः – विधायी प्रारूपण में मौलिक पाठ्यक्रम की अवधि तीन महीने है और यह राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए है। अब तक विधायी प्रारूपण में 33 मौलिक पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के 418 अधिकारी इससे लाभान्वित हुए हैं।

33वां बेसिक कोर्स 03.07.2023 से 27.09.2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें 11 अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(iii) संरचित पाठ्यक्रमः – विधायी प्रारूपण पर एक पाठ्यक्रम विशेष रूप से केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी निकायों के अनुरोध पर अधिकारियों के लिए किया जाता है। ऐसे संरचित पाठ्यक्रम के लिए स्थान, अवधि, संकाय और पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रत्येक ऐसे पाठ्यक्रम हेतु अलग से तैयार किए जाते हैं और उनको अंतिम रूप दिया जाता है।

डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव और श्री दिवाकर सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी ने दिनांक 19 मार्च, 2024 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्याख्यान दिए।

डॉ. के.वी. कुमार, अपर विधायी परामर्शी और श्रीमती अकाली वी. कोंगहे, अपर विधायी परामर्शी ने केरल सरकार के अधिकारियों के लिए तिरुवनंतपुरम में 'विधान प्रारूपण' पर दिनांक 19.03.2024 से 21.03.2024 तक 3 (तीन) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

(iv) व्याख्यान, कार्यशाला अथवा प्रशिक्षण सत्रः – विधायी प्रारूपण पर व्याख्यान, कार्यशाला या प्रशिक्षण सत्र विशेष रूप से केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी निकायों के अनुरोध पर अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाता है। व्याख्यान, कार्यशाला या प्रशिक्षण सत्र के लिए स्थान, अवधि, संकाय और विषय प्रत्येक इस प्रकार के सत्र के लिए अलग से तैयार किए जाते है। आईएलड़ीआर किसी अन्य संस्थान या विधि विद्यालय के साथ व्याख्यान, कार्यशाला या प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकता है।

(v) विधायी विभाग के लिए सम्मेलन, सेमिनार और वेबिनार :– आईएलड़ीआर विधायी विभाग के लिए

विभिन्न विषयों पर सम्मेलन, सेमिनार और वेबिनार की परिकल्पना करता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। साथ ही, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग से संबंधित अनुभागों और प्रशासनिक सहायता टीमों के साथ मिलकर कार्य करता है। प्रत्येक सम्मेलन, सेमिनार या वेबिनार के लिए स्थान, अवधि, संसाधन व्यक्ति और विषय को प्रत्येक ऐसे सम्मेलन, सेमिनार और वेबिनार के लिए अलग से तैयार कर अंतिम रूप दिया जाता है।

B. इंटर्नशिप/फेलोशिपऔर अनुसंधान पहलें:

(i) प्रशिक्षण/ अध्येतावृत्तिः – आईएलड़ीआर योग्य उम्मीदवारों को प्रेरित करने, विधायी प्रारूपण कौशल में रुचि पैदा करने और विधायी विभाग की प्रकृति और कार्यप्रणाली के बारे में सुरक्षित ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप/फेलोशिप प्रदान करता है। आईएलड़ीआर आवश्यकता के आधार पर इंटर्नशिप/फेलोशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। इंटर्नशिप/फेलोशिप के लिए चुने गए उम्मीदवार किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे और उन्हें विधायी विभाग की आचार संहिता और गोपनीयता के अधीन कार्य करना होगा।

अब तक विभिन्न लॉ कॉलेजों के 437 छात्र इंटर्नशिप योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

(ii) अनुसंधान पहलें: – आईएलड़ीआर केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी निकायों के लिए अनुसंधान संबंधी पहलें करता है। इस उद्देश्य के लिए, आईएलड़ीआर किसी अन्य संस्थान या विधि विद्यालयों के साथ मिलकर भी आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी पहलें करता है:

क) सामाजिक कानूनी अध्ययन और क्षेत्र अनुसंधान;

ख) शोधपत्रों, पत्रिकाओं और शोध रिपोर्टों का प्रकाशन;

ग) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न चरणों में कानूनों का अनुप्रयोग;

घ) कानूनी विज्ञान, कानूनी प्रणाली और कानून सुधार के संदर्भ में अनुसंधान के तरीके और कार्यप्रणाली;

ङ) निर्माण और आवश्यकतानुसार संसाधनों को साझा करना।

ग. कानूनी साक्षरता और जागरूकता पहल:

आईएलडीआर संस्थाओं, बार एसोसिएशनों और विधि विद्यालयों के साथ मिलकर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, व्याख्यान श्रृंखलाओं, नुक्कड़ नाटकों, मंचीय नाटकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सामुदायिक पड़ावों और अन्य सामाजिक सेवा पहलों आदि सहित कानूनी जागरूकता पहलों का समर्थन और संचालन करता है।

(6.1) ई–गवर्नेंस पहल

सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य (सुलभ) वेबसाइट:

विधायी विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है जो S3WaaS द्वारा संचालित है, जो सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य (सुलभ) वेबसाइट बनाने के लिए विकसित एक क्लाउड सेवा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय ने वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणपत्र सत्यापित और प्रदान किया है, जो प्रमाणित करता है कि इस विभाग की वेबसाइट वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन योजना गुणवत्ता स्तर 1 को पूरा करती है। उक्त वेबसाइट भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा–निर्देश (जीआईजीडब्ल्यु) के अनुरूप है, दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल है और उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने और अपनी इच्छित सामग्री खोजने में सक्षम बनाता है।

ई–ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन :

सुशासन के एक भाग के रूप में तथा सरकार की एक महत्वपूर्ण मिशन मोड परियोजना होने के नाते, ई– ऑफिस (लाइट) का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के समन्वय से विधायी विभाग में क्रियान्वित किया गया है।

विधायी विभाग में किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देशः

साइबर खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वय में सूचना प्रौद्योगिकी के तहत ई–गवर्नेंस नीति का अनुपालन समय–समय पर किया जाता है। गैर–राज्य संस्थाओं द्वारा डेटा चोरी, हैकिंग और इसी तरह के साइबर हमलों के निरंतर खतरे के बारे में विधायी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए साइबर सुरक्षा निर्देशों का भी सख्ती से पालन करने के लिए इन्हें परिचालित किया गया है ताकि किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल किया जा सके और विभाग की वेबसाइट के साथ–साथ किसी भी डेटा के चोरी से सुरक्षित किया जा सके।

7. सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के फलस्वरूप विधायी विभाग ने 12 अगस्त, 2005 से एक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसमें एक अपीलीय अधिकारी, एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा एक केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए। वर्तमान में श्री उदय कुमार, अपर सचिव, श्री पीसी मीना, निदेशक और श्री नवनीत कुमार, अनुभाग अधिकारी क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अंतर्गत एक अलग वेबपेज शुरू किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप प्रसारित किया गया है ताकि उक्त अधिनियम के तहत परिकल्पित सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का उद्देश्य सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के लिए एनआईसी प्रकोष्ठ के समन्वय में संपर्क ई–मेल पते बनाए गए हैं, ताकि इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को जनता के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का संपर्क ई–मेल पता aa-rti-legis@nic.in और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का cpio-rti-legis@nic.in. है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की गहन जांच की जाती है और विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक इकाइयों से एकत्रित उपलब्ध जानकारी आवेदकों को प्रदान की जाती है। इसके साथ ही, जिन आवेदनों में केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषय वस्तु होती है, उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के अनुरूप केंद्र के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की जाती है और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटान किया जाता है। वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक) उक्त अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले एक हजार छः सौ छः (1606) आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की गई। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 85 (85) प्रथम अपीलें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 58 (अट्ठावन) मामलों का 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर निपटान कर दिया गया।

8. सुधार अनुभाग और भारत कोड अद्यतन युनिट

केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों का रखरखाव

सुधार अनुभाग, केंद्रीय विधानों, भारत के संविधान के तहत जारी आदेशों, केंद्रीय अध्यादेशों, संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विनियमों, अधिनियमों और विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए राज्य अधिनियमों के संकलन के रखरखाव और अद्यतन के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग भारत संहिता की मास्टर प्रतियां रखता है, जिसमें अप्रतिस्थापित केंद्रीय अधिनियम शामिल हैं और यह प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग) के अधिकारियों और भारत सरकार के विधि अधिकारियों के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करता है। ये मूल्यवान संदर्भ पुस्तकें हैं और इनका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष 2024 के लागू केंद्रीय अधिनियमों को भारत संहिता की मास्टर प्रति में अद्यतन किया गया है। संसद के प्रत्येक सत्र के बाद, केन्द्रीय अधिनियमों की एक सूची, जो वर्णानुक्रम और कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित है, विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर "दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत अद्यतन की गई है।

वर्ष 2023–2024 में, इस अनुभाग ने मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.egazette.nic.in से संसद के 63 अधिनियमों (जिनमें दो वित्त अधिनियम और दस विनियोग अधिनियम शामिल हैं), एक संविधान संशोधन अधिनियम, अर्थात् संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 और एक केंद्रीय अध्यादेश और चार विनियमों की राजपत्र प्रतियां डाउनलोड की हैं। इस अनुभाग ने वर्ष 2023–2024 में संसद द्वारा पारित केंद्रीय अधिनियमों का एक फोल्डर तैयार किया है और 28 संशोधनकारी अधिनियमों के संशोधनों को प्रमुख अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में शामिल किया है। डाउनलोड किए गए अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का विवरण इस प्रकार है:

केंद्रीय अधिनियम:

क. वर्ष 2023 में डाउनलोड किए गए प्रमुख अधिनियम (विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम को छोड़कर) :

1. समुद्री समुद्री डकैती निरोधक अधिनियम, 2022 (2023 का 3)
2. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 21)
3. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22)
4. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम, 2023 (2023 का 25)
5. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 26)
6. अंतर–सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 (2023 का 28)
7. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (2023 का 32)
8. निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का 37)
9. डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43)
10. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44)
11. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 में से 45)
12. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47)
14. अनंतिम कर संग्रह अधिनियम, 2023 (2023 का 50)
15. प्रेस एवं पत्रिका का पंजीकरण अधिनियम, 2023 (2023 का 51)

*संविधान (एक सौ छः संशोधन) अधिनियम, 2023।

ख. वर्ष 2023 में डाउनलोड किए गए संशोधित अधिनियमः

1. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का 1)
2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का 2)
3. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 9)
4. जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 10)
5. बहु–राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 11)
6. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 12)
7. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 13)
8. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 14)
9. वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का 15)
10. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का 16)
11. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का 17)
12. जन विश्वास (संशोधन और प्रावधान) अधिनियम, 2023 (2023 का 18)
13. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 19)
14. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 20)
15. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 23)
16. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 24)
17. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 27)
18. फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 29)
19. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 30)
20. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 31)
21. अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 33)
22. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 34)

23. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 35)
24. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 36)
25. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 38)
26. केन्द्र शासित प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 39)
27. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का 42)
28. केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 48)

वर्ष 2023 में डाउनलोड किया गया अध्यादेशः

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का 1)

वर्ष 2023 में डाउनलोड किये गये विनियम :

1. लैकाडिव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप भूमि राजस्व और किरायेदारी (संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का 1) .
2. अंडमान और निकोबार द्वीप किरायेदारी विनियम, 2023 (2023 का 2) .
3. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियम, 2023 (2023 का 3) .
4. लक्षद्वीप किरायेदारी विनियम, 2023 (2023 का 4)

क. वर्ष 2024 में डाउनलोड किये जाने वाले प्रमुख अधिनियम (विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम को छोड़कर) :

1. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1)

ख. वर्ष 2024 में डाउनलोड किए जाने वाले संशोधन अधिनियमः

1. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का 2)
2. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का 3)
3. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का 4)
4. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5)
5. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का 6)
6. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का 7)

संसद के संशोधित अधिनियमों के प्रवर्तन संबंधी राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, 28 प्रमुख अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए अधिनियमों, उनके प्रवर्तन की तिथि और उससे संबंधित अधिसूचना संख्या अधिनियमों की मास्टर प्रतियों के संबंधित स्थानों पर दर्ज की गई हैं।

राज्य अधिनियमः

वर्ष 2023–2024 के दौरान, इस अनुभाग को 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से कुल 60 राज्य अधिनियम और 2 राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु से 5 अध्यादेश प्राप्त हुए हैं। सभी राज्य अधिनियमों और अध्यादेशों को फ़ोल्डरों में रखा गया है और रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ की गई हैं।

इंड़िया कोड अद्यतन इकाई

प्रत्येक वर्ष विधानमंडल द्वारा अनेक कानून (मुख्य कानून और संशोधन कानून दोनों) पारित किए जाते हैं और न्यायाधीशों, वकीलों तथा नागरिकों के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रासंगिक और अद्यतन कानूनों को संदर्भित करना कठिन होता है। सभी अधिनियमों और संशोधनों का एक ही स्थान पर एक विशेष संग्रह बनाकर इसे हल किया जा सकता है जो सभी के लिए खुला हो। सभी अधिनियमों और उनके अधीनस्थ कानूनों (समय–समय पर बनाए गए) का एक ही स्थान पर एक केन्द्रीय संग्रह बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है जो सभी हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ हो ताकि जनता, वकीलों, न्यायाधीशों आदि को आवश्यकता पड़ने पर ऐसे कानून अद्यतन रूप में उपलब्ध हो सकें और निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अद्यतन कानूनों को अपना कॉपीराइट कार्य बताकर आम जनता से भारी कीमत पर शोषण करने से बचा जा सके। वास्तव में, यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है किइंड़िया कोड़को इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इंड़िया कोड़ सूचना प्रणाली (आईसीआईएस), सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों का एक ही स्थान पर डिजिटल संग्रह है।

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन मे एनआईसी की सहायता से संबंधित अधिनस्थ विधायों को शामिल कर एक एकीकृत कानूनी ढांचा विकसित किया गया है। यह सभी नागरिकों के कानूनी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के साथ–साथ एक राष्ट्र–एक मंच के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख विशेषताएंः

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी अधिनियमों और विधानों को आम जनता, वकीलों, न्यायाधीशों और अन्य सभी इच्छुक पक्षों को, जिसकी आवश्यकता हो, एक ही स्थान पर नवीनतम और अद्यतन प्रारूप में संग्रह उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली की सहायता से न केवल प्रासंगिक उदाहरणों और संशोधनों को खोजने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बनाया गया है, बल्कि किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम को अद्यतन रूप में प्राप्त करना उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल और सुलभ बना दिया गया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी कहीं से भी मोबाइल पर उपलब्ध है। इस प्रणाली ने भारत में बनाए गए सभी कानूनों के बारे में सार्वजनिक ज्ञान को बढ़ावा दिया है और प्रशासनिक अधिकारियों के काम का समर्थन करने और डिजिटल रूप में जनता द्वारा इसे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी सूचना प्रबंधन में मदद की है।

इस रिपॉजिटरी में सभी केंद्रीय अधिनियम (मौजूदा और निरस्त) और राज्य अधिनियम शामिल हैं। यह एक केंद्रीय डेटाबेस रिपॉजिटरी है जिसमें भारत में बनाए गए सभी कानून शामिल हैं। जब भी कोई नया अधिनियम, मौजूदा अधिनियमों में संशोधन संसद और राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाते हैं और अधीनस्थ कानून बनाए जाते हैं, तो संबंधित प्राधिकरण को केंद्रीय रिपॉजिटरी पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है।

आईसीआईएस के rgrindiacode.nic.in वेबसाइट विकसित की गई है जिसमें सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के साथ–साथ उनके अधीनस्थ विधान भी शामिल हैं। सभी केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियमों में धाराएँ, अनुसूचियाँ, संक्षिप्त शीर्षक, अधिनियमन तिथियाँ और प्रत्येक अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण फुट–नोट्स से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।

निम्नलिखित क्षेत्रों में खोज सुविधा उपलब्ध कराई गई है :

1. अधिनियम वर्ष
2. अधिनियम संख्या
3. अधिनियमन तिथि
4. संक्षिप्त शीर्षक
5. मंत्रालय
6. विभाग

एक निःशुल्क ''टेक्स्ट सर्च'' भी उपलब्ध है।

प्रमुख ई–गवर्नेंस पहल

इंड़िया कोड वेबसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड करने की सतत प्रक्रिया के रूप में, 885 केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड किया गया है; 8 खर्च अधिनियम और 4058 निरस्त अधिनियम भी अपलोड किए गए हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर, 654 केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी संस्करण को अद्यतन किया गया है और पोर्टल पर अपलोड किया गया है। निर्वाचन कानूनों के मैनुअल खंड–II के मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960 और चुनाव संचालन नियम, 1961 को अद्यतन किया गया है और पोर्टल पर अपलोड किया गया है। केंद्रीय अधिनियमों में राज्य संशोधनों को भी अद्यतन किया गया है और पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जहां तक अधीनस्थ विधानों को अद्यतन और अपलोड करने का संबंध है, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को अद्यतन संस्करण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है और कई मंत्रालयों/विभागों ने अपने अधीनस्थ विधानों को अपलोड करने का काम पूरा कर लिया है।

आईसीआईएस एक प्रमुख ई–गवर्नेंस पहल है जिसमें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सभी मौजूदा केंद्रीय और राज्य अधिनियम एक ही स्थान पर मौजूद हैं। इसलिए, उपलब्ध अधिनियमों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माताओं, न्यायपालिका, शिक्षाविदों, कानून के छात्रों आदि द्वारा संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार, वेब पोर्टल को वैश्विक स्तर पर एक्सेस किया जाता है। आईसीआईएस निजी प्रकाशकों के एकाधिकार को रोकता है जो अपने प्रकाशन के कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं।

10. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग, अर्थात् मुद्रण I और मुद्रण II, विभिन्न चरणों में मुद्रण के लिए विधान की प्रक्रिया का कार्य करते हैं। ये दोनों अनुभाग विधेयकों अध्यादेश, विनियम, अनुकूलन आदेश, भारत के संविधान के तहत जारी आदेश, परिसीमन आदेश और अन्य वैधानिक उपकरण उन्हें प्रेस में भेजने से पहले की पांडुलिपियों के संपादन से संबंधित कार्य को संभालते हैं (जिसमें जहाँ भी आवश्यक हो, खंडों की व्यवस्था (एओसी) और अनुलग्नकों की तैयारी शामिल है)। मुद्रण अनुभाग कई चरणों में विधेयकों आदि के प्रूफ की जाँच करते हैं और अनुमोदन के बाद, उन्हें विधायी–I अनुभाग को भेजते हैं, जो उन्हें लोक सभा को भेजता है। लोक सभा / राज्य सभा सचिवालय को 'लोक सभा में प्रस्तुत किया जाने वाला' शीर्षक के मुद्रण हेतु। लोकसभा / राज्यसभा की ओर से मुद्रण अनुभाग द्वारा विधेयकों की प्रतियां भी मुद्रित की जाती हैं। जिन विधेयकों को अल्प सूचना पर प्रस्तुत करना होता है, उन्हें भी लोक सभा की ओर से मुद्रण अनुभाग द्वारा मुद्रित किया जाता है। लोकसभा / राज्य सभा सचिवालय इसके बाद, विधेयकों की मुद्रित प्रतियों की विभिन्न चरणों में जांच की जाती है, अर्थात्, 'पेश किया जाना' चरण, 'लोकसभा द्वारा पारित' चरण लोकसभा / राज्यसभा ' चरण, 'संसद के सदनों द्वारा पारित' चरण, 'अनुमोदन प्रति' चरण, 'हस्ताक्षर प्रति' चरण और अंत में, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात, अधिनियम तैयार किया जाता है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए संसाधित किया जाता है। भारत के राजपत्र में अधिनियम के प्रकाशन के तुरंत बाद, मुद्रण अनुभाग अधिनियम की जांच करता है और यदि आवश्यक हो तो, शुद्धिपत्र प्रकाशित करता है।

2. उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, मुद्रण अनुभाग भारत के संविधान की प्रूफ रीडिंग तथा अन्य केन्द्रीय अधिनियमों की जांच–पड़ताल से संबंधित कार्य भी करते हैं, जिन्हें अद्यतन सरकारी अभिलेखों के साथ इंड़िया कोड़ वेबसाइट पर अपलोड करने तथा अन्य प्रकाशन प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

3. संसद के बजट सत्र–2024 से इस विभाग में मुद्रण अनुभाग द्वारा सभी सरकारी विधेयकों की कैमरा रेडी कॉपी (सीआरसी) तैयार करने की नई प्रक्रिया लागू की गई है। इसमें मुद्रण अनुभागों को मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी विधेयकों के मसौदे को अंतिम मानकीकृत और मुद्रण के लिए तैयार प्रारूप में तैयार करना था। पूर्व में संसदीय विधायी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सरकारी विधेयकों की सीआरसी भारत सरकार मुद्रणालय (मिंटो रोड) द्वारा तैयार की जाती थी। गहन शोध और प्रशिक्षण के बाद मुद्रण अनुभागों ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया है जिससे विधेयकों के प्रूफ को कई बार मुद्रित करने के चरणों को कम कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कागज का कम उपयोग हुआ है, प्रेस और मुद्रण अनुभागों के बीच विधेयकों की आवाजाही और हैंडलिंग कम हुई है जिससे त्रुटि की संभावना कम हुई है, अनुभाग में ही विधेयक की जांच और प्रूफरीडिंग के लिए अधिक समय उपलब्ध हुआ है

4. 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024की अवधि के दौरान मुद्रण I और मुद्रण II अनुभागों ने निम्नलिखित कार्य किए हैं, अर्थात्: –

(क) 104 विधेयकों, 1 अध्यादेश और 4 राष्ट्रपति विनियमों की पांडुलिपियों का संपादन, प्रूफों की जांच और संवीक्षा की गई तथा 64 अधिनियमों, 1 अध्यादेश और 4 राष्ट्रपति विनियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया;

(ख) भारत संहिता वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आधिकारिक अभिलेखों सहित 2253 पृष्ठों वाले 109 अधिनियमों की तथा अन्य प्रकाशन प्रयोजनों के लिए 1996 पृष्ठों वाले 39 अधिनियमों की समीक्षा की गई; तथा

(ग) 49 सरकारी विधेयकों के लिए सीआरसी प्रतियां तैयार की गईं तथा उन्हें संसद को भेजने के लिए संसाधित किया गया।

11. सामान्य वैधानिक नियम और आदेश (जीएसआरओ) अनुभाग

(1) जीएसआरओ अनुभाग एक संदर्भ अनुभाग है जो संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, आदेशों आदि का रखरखाव करता है और उन्हें इंडिया कोड पोर्टल की वेबसाइट पर भी अपलोड करता है। किसी अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधान, अर्थात् सामान्य वैधानिक नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना आदि उस मंत्रालय या विभाग द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं जो संबंधित अधिनियम से प्रशासनिक रूप से संबंधित है, उन्हें विधायी विभाग द्वारा अनुमोदित और जांचने के बाद। अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालयों को उनके द्वारा तैयार किए गए सभी वैधानिक नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना आदि अपनी वेबसाइट और इंडिया कोड पोर्टल पर अपलोड करना और ई– समीक्षा पोर्टल पर स्थिति को अद्यतन करना अनिवार्य है।

(2) इसके अलावा, यह अनुभाग संसद के अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, विधियों और अध्यादेशों पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उनके द्वारा प्रशासित अधिनियमों के लिए रिपोर्ट एकत्रित और संकलित करता रहा है तथा एक तिमाही रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत करता रहा है।

(3) यह अनुभाग इस विभाग के सभी अधिकारियों के साथ–साथ अन्य विभागों/मंत्रालयों को भी आवश्यकतानुसार राजपत्र अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही, यह अनुभाग विभिन्न साधारण और असाधारण राजपत्र अधिसूचनाओं के भाग–II, धारा 3, उप –धारा (i) और (ii) से संबंधित डेटा के साथ रजिस्टर तैयार रखता है।

(4) संसदीय प्रश्नों और संबंधित रिपोर्टों से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों से निपटने के अलावा, यह अनुभाग संसदीय आश्वासनों की पूर्ति पर पत्राचार भी करता रहा है जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक इनपुट/अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट संकलित करना, लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति से समय विस्तार की मांग करना। लोकसभा / राज्यसभा सचिवालय को इन आश्वासनों की पूर्ति तथा उनकी कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। साथ ही, आश्वासनों के हस्तांतरण के संबंध में ओएएमएस (ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली) पोर्टल तथा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल की समय पर निगरानी की जाती है।

12. एकीकृत वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग (आईएफडी)

एकीकृत वित्त तथा बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों अर्थात् विधिक कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के लिए बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, बजट को अंतिम रूप देने, बजट–पूर्व चर्चा तथा अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांग करने से संबंधित कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। संपूर्ण मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों की तैयारी तथा भारत के निर्वाचन आयोग तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अनुदान मांगों का संकलन भी बजट एवं लेखा अनुभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग वित्तीय सलाहकार की सहमति के लिए वित्तीय निहितार्थ वाले प्रस्तावों पर भी विचार करता है तथा जहां कहीं भी वित्त मंत्रालय से विशिष्ट राय लेने की आवश्यकता होती है, वहां वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करने से पहले उस पर भी कार्रवाई की जाती है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(2) आईएफ और बी एंड ए अनुभाग चुनाव संबंधी व्यय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा वाले) को धनराशि जारी करने से संबंधित कार्य के लिए भी जिम्मेदार है।

13. प्रकाशन अनुभाग

प्रकाशन अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों के नवीनतम संस्करण तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन जैसे भारत का संविधान, निर्वाचन विधि मैनुअल, भारत के संविधान के अंतर्गत जारी आदेश, वैधानिक परिभाषाओं की अनुक्रमणिका तथा संसद के अधिनियमों का वार्षिक खण्ड आदि आम जनता के लिए प्रकाशित करता है।

(2) वर्ष 2023–2024 के दौरान प्रकाशन अनुभाग नेसंविधान (एक सौ छःवाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 सहित नवीनतम संशोधनों को शामिल करते हुए भारतीय संविधान (अंग्रेजी संस्करण) का संकलन और जांच की, साथ ही पाद टिप्पणियों का भी संकलन किया। अद्यतन संस्करण इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://legislative.gov.in/constitution-of-india/ पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के नवीनतम संस्करण 2024 की पांडुलिपि तैयार की गईऔर द्विभाषी संस्करण (अंग्रेजी और हिंदी) में प्रकाशन के लिए राजभाषा विंग को भेज दी गई।

(3) निर्वाचन कानून मैनुअल, 2024 का नवीनतम संस्करण, जिसमें नवीनतम संशोधनों को विधिवत शामिल किया गया है, इस विभाग द्वारा मार्च, 2024 में द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया।

(4) प्रकाशन अनुभाग केन्द्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियाँ (अंग्रेजी संस्करण) तैयार करता है, जिसमें नवीनतम संशोधनों को शामिल किया जाता है, जिन्हें द्विभाषी संस्करण में प्रकाशन के लिए राजभाषा विंग को भेजा जाता है। वर्ष 2023–2024 के दौरान, निम्नलिखित केन्द्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियाँ तैयार की गईं, अर्थातः –

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)।
2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32)।
3. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)।
5. घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का 13)।
6. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)।
7. राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19)।
8. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10)।
9. प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25)।
10. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का 2)।
11. तलाक अधिनियम, 1869 (1869 का 4)।
12. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43)।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22)।

14. राजभाषा अनुभाग

राजभाषा अनुभाग भारत संघ की राजभाषा नीति; राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी विपरीत अनुवाद कार्य के अतिरिक्त भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(1) राजभाषा नीति के संवैधानिक एवं अन्य प्रावधानों का कार्यान्वयन।

01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान विधायी विभाग ने राजभाषा नीति को उसके सभी रूपों में कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान में क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' को क्रमशः 90.80%, 82.18% और 68.23% से अधिक पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा नीति के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जा रहा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट, संविदा, सूचनाएं और संसद के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार और जारी किए जाते हैं।

सरकारी कामकाज को हिंदी में करने के लिए राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के तहत दिनांक 29 अप्रैल, 1979 विधायी विभाग को अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ड्राफ्ट आदि केवल हिंदी में ही प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन के लिए, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उपनियम (4) के अंतर्गत 31 में से 17 अनुभागों को हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टः

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति तथा हिंदी में उनके समग्र कार्य को दर्शाया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार तथा नोटिंग और ड्राफ्टिंग की प्रतिशतता में वृद्धि हो।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकेंः

इस विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का आकलन करने के लिए इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इन बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को अनुपालन हेतु विभाग के सभी अधिकारियों एवं अनुभागों को भी परिचालित किया जाता है। इस समिति की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बैठकें क्रमशः 31.03.2023, 23.06.2023 एवं 29.09.2023 को आयोजित की गईं। यह समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने एवं समाधान सुझाने के लिए प्रभावी साधन उपलब्ध कराती है। इस समिति की बैठकों में संघ का सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाती है तथा उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का हरसंभव प्रयास किया जाता है। इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, प्रस्तावों, सिफारिशों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(4) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में 4 अगस्त, 1967 को मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। यह समिति विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। समिति मेंसंसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मनोनीत माननीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के मनोनीत सदस्य, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के मनोनीत सदस्य, विधि एवं न्याय मंत्रालय के मनोनीत सदस्य तथा गैर–सरकारी सदस्य के रूप में राजभाषा विभाग के मनोनीत सदस्य शामिल हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव और संबंधित संयुक्त सचिव इस समिति के सरकारी सदस्य हैं।

(5) हिंदी प्रशिक्षणः

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित करता है। ये हिंदी भाषा पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपिक के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। इन हिंदी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक सतत् प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों /कर्मचारियों का नियमित आधार पर भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण होता रहता हैं।

(6) हिंदी पखवाड़ा :

14 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रहिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इनमें से दो प्रतियोगिताएं विशेष रूप से गैर हिंदी भाषी कर्मियों के लिए आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि के रूप में कुल 88,300/– रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

15. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधायी विभाग के विजन, मिशन और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, कई देशों के साथ विचार–विमर्श, अनुसंधान और प्रशिक्षणके लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई हैःदृ

i. विधायी प्रारूपण–उभरती चुनौतियाँ;

ii. विधायी प्रारूपण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ;

iii. विधायी प्रारूपण और कानून तक पहुंच;

iv. विधायी प्रारूपण और कानून का शासन;

v. कानूनों का सरलीकरण;

vi. विधायी प्रारूपण में सरल भाषा का प्रयोग।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा रूसी संघ, तुर्की, कतर, उज्बेकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों, प्रोटोकॉल और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, कानूनों के प्रारूपण में पारस्परिक सहायता, कानूनों के प्रारूपण पर सूचना का आदान–प्रदान, कानून बनाने की प्रक्रिया और बैठकों को बढ़ावा देना, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और संयुक्त पाठ्यक्रमों आदि को आयोजित करने और उनका आयोजन शामिल हैं।

विधायी विभाग का प्रयास है कि संबंधित देशों में क्षमता निर्माण के अलावा न्याय और कानून के शासन के वितरण में पारस्परिक लाभ के लिए भारत और अन्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से विचार–विमर्श, अनुसंधान और प्रशिक्षण को जारी रखा जाए।

16. सोशल मीडिया यूनिट

विधायी विभाग एक सेवा–उन्मुख विभाग है जो भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की कानून का मसौदा तैयार करने और अधीनस्थ विधानों की जांच करने की जरूरतों को पूरा करता है। सभी प्रस्ताव गोपनीय प्रकृति के होते हैं और सभी नीतियां संबंधित मंत्रालय/विभाग की होती हैं। यह विभाग किसी भी नागरिक केंद्रित योजनाओं अथवा कार्यक्रमों का संचालन नहीं करता है। हालाँकि, महत्वपूर्ण घटनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। विधायी विभाग की सोशल मीडिया इकाई आम जनता और अन्य हितधारकों के साथ पहुंच, जुड़ाव और संचार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इकाई विधायी विभाग की ओर से मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि पर महत्वपूर्ण घटनाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिनों और अन्य प्रासंगिक त्योहारों और कार्यक्रमों को पोस्ट करने से संबंधित कार्य करती है।

उक्त अवधि के दौरान, सोशल मीडिया इकाई ने विभाग की ऑनलाइन उपस्थिति, सहभागिता और संचार प्रभावशीलता में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इकाई ने तीन नए पद सृजित किए और गणमान्य व्यक्तियों के पांच पद पुनः पोस्ट किए। इकाई ने वार्षिक आधार पर एक सोशल मीडिया कैलेंडर भी तैयार किया और उसे मासिक आधार पर अपडेट किया।

17. राजभाषा खंड़

परिचय – विधायी विभाग का राजभाषा विंग, विधायी विभाग के एक भाग के रूप में राजभाषा (विधायी) आयोग के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में वर्ष 1976 में अस्तित्व में आया। राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य, 1 अक्टूबर, 1976 से इस विंग को सौंपे गए।

(1) कार्य

इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं: –

(i) जहां तक संभव हो, सभी राजभाषाओं में प्रयोग हेतु मानक कानूनी शब्दावली तैयार करना और उसका प्रकाशन करना;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों तथा अध्यादेशों एवं विनियमों का हिन्दी में प्रामाणिक पाठ तैयार करना;

(iii) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश या विनियमन के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों का हिन्दी में प्रामाणिक पाठ तैयार करना;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों तथा अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की संबंधित राजभाषाओं में प्रामाणिक पाठ तैयार करना तथा किसी राज्य में पारित सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों का हिन्दी में अनुवाद कराने की व्यवस्था करना, यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में हो; तथा

(v) विभिन्न विभागों के कार्य, कानूनी दस्तावेज जैसे अनुबंध, समझौते, पट्टे, बांड, बंधक आदि का हिंदी पाठ तैयार करना;

(vi) राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए वैधानिक नियमों का हिंदी पाठ तैयार करना;

(vii) विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित सभी संसदीय प्रश्नों/उत्तरों, आश्वासनों आदि का हिंदी पाठ तैयार करना;

(viii) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण का प्रशिक्षण;

(प•) हिंदी में एक समान कानूनी पदावली और मानक खंडों के मॉडल के विकास और उसके प्रकाशन में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए हिंदी भाषी राज्यों की समन्वय समिति से संबंधित कार्य;

(X) विधि एवं न्याय मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;

(xi) विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने से संबंधित कार्य ;

(xii) केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी संस्करणों का प्रकाशन (विधायी इतिहास सहित) तथा उनका लोकप्रियकरण करना;

(xiii) हिन्दी में भारत संहिता (भारत संहिता) तथा द्विभाषी रूप में भारत संहिता तैयार करना तथा उसका रखरखाव करना; तथा

(xiv) भारतीय संविधान के क्षेत्रीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(xv) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर उसे सौंपे जाएं।

(2) कानूनी शब्दावली

वर्ष1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना के बाद से, विधिक शब्दावली के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और प्रत्येक उत्तरवर्ती संस्करण आकार में बड़ा होता गया है। जहाँ पहले संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियाँ थीं, वहीं विधिक शब्दावली के छठे संस्करण (2001) में आठ भागों में लगभग 63,000 प्रविष्टियाँ थीं। विधिक शब्दावली का नवीनतम 7वाँ संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ है और इसमें सात भागों में लगभग 65,000 प्रविष्टियाँ हैं। राजभाषा खंड़ द्वारा प्रकाशित विधिक शब्दावली, जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित प्रकाशनों में से एक है, को विधि और साहित्य के जानकार लोगों द्वारा व्यापक प्रशंसा मिली है। विधिक शब्दावली के 8वें संस्करण का प्रकाशनप्रक्रियाधीनहै।

(3) भारत का संविधान

भारत के संविधान का आधिकारिक पाठ हिंदी (संघ की राजभाषा) के अलावा17 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, अर्थात् असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी।

(4) भारत संहिता

सभी केंद्रीय अधिनियमों को संकलित करके भारत संहिता के रूप में सुविधाजनक खंडों में प्रकाशित किया गया है। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में प्रकाशित हुआ था। भारत संहिता (भारत संहिता का संशोधित संस्करण) को द्विभाषी रूप में कालानुक्रमिक क्रम में प्रकाशित करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है।

संहिता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि मुख्य विधेयकों के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण भी प्रत्येक अधिनियम के अंत में जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में शामिल किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खंड I से XXXI पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं और भारत संहिता खंड XXXII और XXXIII की पांडुलिपियाँ प्रेस को भेज दी गई हैं।

(5) केन्द्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक पाठों की तैयारी और प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) (क) के अंतर्गत 31 केंद्रीय अधिनियमों के प्रामाणिक पाठ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं।

(6) केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषिक संस्करणों का प्रकाशन

जिन केन्द्रीय अधिनियमों के लिए जनता की मांग होने की संभावना होती है, उन्हें राजभाषा विंग द्वारा द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जाता है। जब किसी विशेष अधिनियम के लिए जनता की मांग होती है, तो उसे आम जनता को बेचने के लिए द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में प्रकाशित किया जाता है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि का प्राधिकृत हिन्दी पाठ।

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, अन्य अनेक कार्यों के अतिरिक्त, सभी केन्द्रीय अधिनियमों तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों एवं विनियमों तथा ऐसे अधिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों एवं आदेशों का हिन्दी में प्रामाणिक पाठ तैयार करने का कार्य भी विधायी विभाग को आवंटित किया गया है। यह कार्य राजभाषा खंड़ द्वारा किया जा रहा है। इस रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्न कार्य किये गए हैं–

(i) विधेयक/कैबिनेट नोट/अधिनियम– इस खंड़ द्वारा 83 विधेयकों का निपटारा किया गया तथा संसद के सदनों में रखे जाने वाले विधेयकों का हिंदी संस्करण तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट के लिए 7 नोट, 57 अधिनियम तथा 1 अध्यादेश का हिंदी संस्करण भी इस खंड़ द्वारा तैयार किया गया।

(ii) अधिसूचनाएं/भर्ती नियम/विनियम/संसदीय प्रश्न/वैधानिक नियम आदि– अधीनस्थ विधान के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सामान्य वैधानिक नियम, अधिसूचनाएं, भर्ती नियम आदि तैयार करने के लिए इस खंड़ को संदर्भ प्राप्त होते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस खंड़ द्वारा विभिन्न अनुभागों में निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए–

(क) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वैधानिक नियमों/अधिसूचनाओं आदि का हिन्दी संस्करण तैयार करने से संबंधित 1126 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ख) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भर्ती नियमों का हिन्दी संस्करण तैयार करने से संबंधित 495 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के विभिन्न संसदीय प्रश्नों के उत्तरों/आश्वासनों के हिन्दी संस्करण भी प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए गए।

(8) केन्द्रीय अधिनियमों आदि का रखरखाव।

राजभाषा खंड़ का सुधार अनुभाग मुख्य रूप से संसद द्वारा पारित और लागू केंद्रीय विधानों के हिंदी पाठ को बनाए रखने और अद्यतन करने से संबंधित है। यह भारत के संविधान और चुनाव कानूनों की नियमावली को भी अद्यतन रखता है। यह अनुभाग संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को केंद्रीय अधिनियमों के मास्टर फ़ोल्डर में लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, यह द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ की पांडुलिपियाँ भी तैयार करता है। वर्ष के दौरान आम चुनाव–2024 के मद्देनजर निर्वाचन विधियों की नियमावली की हिंदी पाठ की पांडुलिपि अंग्रेजी पाठ की पांडुलिपि के अनुरूप तैयार की गई। भारतीय संविधान की हिंदी पांडुलिपि अंग्रेजी पाठ की पांडुलिपि के अनुरूप भी तैयार की गई है और प्रकाशन के लिए अंतिम रूप दिया गया है।

वर्ष के दौरान, अगस्त, 2023 से, संशोधन अनुभाग ने विधायी विभाग द्वारा बनाए गए भारत संहिता पोर्टल पर संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ के साथ–साथ अ–प्रयुक्त केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ अपलोड करना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया नेशनल इंफ्रोमेटिक सेंटर के समन्वय से की जा रही है। वर्तमान में, लगभग 654 केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ उक्त भारत संहिता पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यह एक सतत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें अपलोड किए गए अधिनियमों को संबंधित अधिनियम (संशोधनों) में, यदि कोई हो, शामिल करके अद्यतन भी किया जाता है।

(9) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषिक संस्करणों आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा स्कंध का मुद्रण अनुभाग मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति अधिनियमों आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच से संबंधित है; विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश आदि; लोक सभाओं या राज्य सभा की ओर से अल्प समय में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को भी मुद्रित किया जाता है। भारतीय संविधान के द्विभाषी रूप में प्रकाशन, चुनाव विधि नियमावली, भारत संहिता का संशोधित संस्करण, केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित द्विभाषी संस्करण, वैधानिक नियम और आदेश, वार्षिक रिपोर्ट

आदि का संपादन और प्रूफ–जांच भी इस अनुभाग द्वारा की जाती है। यह अनुभाग केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति अधिनियम आदि के मुद्रण और प्रकाशन के लिए भी जिम्मेदार है; और बिक्री के लिए प्रकाशन के रूप में द्विभाषी रूप में उनके बाद के पुनर्मुद्रण के लिए भी जिम्मेदार है। इस अनुभाग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। राजभाषा स्कंध का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्ट के तहत इस अवधि के दौरान 31 अधिनियमों को प्रमाणित किया गया।

(10) मानक कानूनी दस्तावेजों की तैयारी और प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) (iii) के अनुसार यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से जारी किए जाने वाले समझौतों, अनुबंधों, पट्टों, बांडों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाए। उक्त अधिनियम की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, राजभाषा विंग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए दस्तावेजों के अनुवाद में एकरूपता लाने के उद्देश्य से आठ खंडों में उनका हिंदी संस्करण तैयार किया है।

(11) विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना

राजभाषा विंग, क्षेत्रीय भाषा इकाई भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निहित केंद्रीय अधिनियमों का हिंदी में अनुवाद करने का कार्य निरंतर कर रही है। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल है, यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड़ ने प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय कानून) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अंतर्गत परिकल्पित क्षेत्रीय भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित किए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कार्य समूह (क्षेत्रीय भाषाएँ) द्वारा 47 केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद को मंजूरी दी गई है और हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में 83 केन्द्रीय अधिनियमों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत पाठ के रूप में प्रमाणित किया गया है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत पाठ को हिंदी के अतिरिक्त 17 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में भी प्रकाशित किया गया है।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान 73 केन्द्रीय अधिनियमों को विभिन्न क्षेत्रिय भाषाओं में और इसके साथ डोगरी भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण और मलयालम और मराठी भाषाओं में संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 भी हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(12) केन्द्रीय अधिनियमों, विधिक शब्दावली आदि का व्यापक वितरण।

केंद्रीय अधिनियमों की ई–गजट प्रतियों के प्रकाशन के बारे में जानकारी विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए उपलब्ध करा दी गई है। भारत का संविधान और कानूनी शब्दावली भी लोक सभा और राज्य सभा और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को वितरित की गई है।

(13) हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

हिंदी सलाहकार इस मंत्रालय की समिति का गठन संकल्प संख्या ई.4(1) /2019–ओएल(एलडी) दिनांक 11 मई, 2023 के तहत तीन वर्षों के लिए किया गया है।समिति का कार्य आम तौर पर निम्नलिखित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है : –

(i) केन्द्रीय अधिनियमों एवं वैधानिक नियमों का हिन्दी संस्करण तैयार करना;

(ii) सामान्य कानूनी शब्दावली का विकास;

(iii) विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हिन्दी में विधि शिक्षा प्रदान करने के लिए हिन्दी में मानक विधि पुस्तकों का निर्माण;

(iv) हिंदी में विधि पत्रिकाओं और रिपोर्टों का प्रकाशन;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी से संबंधित सहायक और प्रासंगिक मामले; और

(vi) सरकारी प्रयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार–प्रसार और विकास के लिए उपाय और साधन सुझाना।

(14) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार तथा विकास के लिए संघ एवं राज्यों की राजभाषा संवर्धन योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1985 से राजभाषा खंड़ इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो विधि एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के क्षेत्र में साहित्य के विकास एवं प्रचार–प्रसार की गतिविधियों में संलिप्त हैं। यह साहित्य प्रस्तावित टीकाओं, ग्रंथों, विधि विषयों पर पुस्तकों, विधि पत्रिकाओं, विधि संग्रह एवं अन्य प्रकाशनों के रूप में हो सकता है, जो राज्य की हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन, प्रचार–प्रसार एवं विकास में सहायक हों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 23 नवंबर, 2022 से तीन वर्ष के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य डॉ. वैभव गोयल, प्रो., सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ (विधि संकाय), मेरठ, उत्तर प्रदेश और श्री के.जी. अग्रवाल, अधिवक्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली हैं।

(15) आधिकारिक भाषाओं के प्रगतिशील उपयोग के लिए अपनाए गए विशेष कदम

राजभाषा विंग से संबंधित सामग्री और जानकारी http://legislative.gov.in यूआरएल के साथ वेबसाइट पर होस्ट की गई है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में संसद के महत्वपूर्ण अधिनियमों को भी इस विभाग की वेबसाइट पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत होस्ट किया गया है। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि की छपाई को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खंड़ ने यूनिकोड फ़ॉन्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि को हिंदी पाठ की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारतीय संविधान, चुनाव कानून मैनुअल और आयकर अधिनियम पहले से ही इस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट को वर्ष 1838 से 2018 तक के केंद्रीय अधिनियमों को सूचीबद्ध करके और समृद्ध बनाया गया है। मुख्य और संशोधन अधिनियमों के साथ–साथ कुछ महत्वपूर्ण विधानों को भी इस विभाग की वेबसाइट पर राजभाषा खंड़ की होम पेज पर पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया गया है, ताकि कानूनी बिरादरी और आम जनता के साथ–साथ कानून के छात्रों को भी लाभ मिल सके।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बिल अनुभाग, अनुवाद–I अनुभाग, अनुवाद–II अनुभाग, विधान–I, विधान–II अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, सुधार अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, कैश अनुभाग और राजभाषा खंड़ के पुस्तकालय को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, सभी बिलों की कैमरा–रेडी प्रतियां रिपोर्ट के अनुसार अवधि के दौरान तैयार की गईं। काम करने में आसानी के लिए, राजभाषा खंड़ ने मंगल फ़ॉन्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसकी हिंदी भाषा में सार्वभौमिक कार्यक्षमता है।

प्रशासन और रोकड़ अनुभाग से संबंधित फाइलों के लिए ई–ऑफिस को राजभाषा विंग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

होम पेज पर उपलब्ध कानूनी शब्दावली को व्यापक प्रसार और उपयोगकर्ता अनुकूल उपयोग के लिए खोज योग्य पीडीएफ प्रारूप से प्रतिस्थापित किया गया है।

राजभाषा खंड के सभी ग्रुप 'ए' अधिकारियों के नाम, पते, ई–मेल पते और संपर्क नंबरों की अंग्रेजी और हिंदी में अद्यतन सूची भी इस विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर डाल दी गई है।

विधि के क्षेत्र में संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु योजना भी इस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

राजभाषा खंड़ के सभी अनुभागों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा डेटा प्रोसेसिंग के लिए हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए सुसज्जित किया गया है। राजभाषा खंड़ कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा भौतिक फाइलों पर निर्भरता को कम करने के लिए अपने सभी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का प्रयास कर रहा है।

18. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अधिकृत अनुवाद करने की व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग की देखरेख में एक केंद्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। इसके बाद, हिंदी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर, विधि क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1968 में विधायी विभाग में एक "जर्नल विंग" की स्थापना की गई। इस "जर्नल विंग" का नाम बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" रखा गया।

प्रारंभ में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्णयों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और उनका संक्षिप्त सारांश और शीर्षक बनाने का काम शुरू हुआ और उसे अप्रैल, 1968 में सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट योग्य निर्णयों के एक मासिक हिंदी प्रकाशन में प्रकाशित किया गया और इसका नाम "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" रखा गया। उच्च न्यायालयों के निर्णयों से युक्त एक और मासिक प्रकाशन जनवरी, 1969 में शुरू किया गया और इसका नाम "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" रखा गया। वर्ष 1987 में "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" को दो निर्णय पत्रिकाओं में विभाजित किया गया। अर्थात् "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दण्डिक निर्णय पत्रिका"।

उपर्युक्त तीन निर्णय पत्रिकाओं के प्रकाशन के अलावा, विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है, अर्थात्:–

(क) वकीलों, न्यायविदों, विधि छात्रों, वादियों और आम जनता के लाभार्थ संदर्भ पुस्तक के रूप में हिंदी में विधि पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिंदी विधि पाठ्य पुस्तकों तथा केंद्रीय अधिनियमों, चुनाव मैनुअल, भारतीय संविधान और विधिक शब्दावली आदि के द्विभाषी संस्करण की बिक्री; और

(ग) विधि क्षेत्र में हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए पूरे भारत में जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और विधि महाविद्यालयों में सम्मेलन, सेमिनार तथा पुस्तक प्रदर्शनी एवं बिक्री काउंटर आयोजित करना।

डिजिटलीकरण: विधि साहित्य प्रकाशन ने निर्णय पत्रिकाएँ (वर्ष 2012 से) पीडीएफ प्रारूप में http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya पर उपलब्ध कराई हैं, ताकि वकीलों, न्यायविदों, विधि छात्रों, वादियों और आम जनता को लाभ मिल सके। निर्णय पत्रिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर (ISSN) के साथ मानकीकृत भी किया गया है।

विधि प्रकाशनों की बिक्री और ऑनलाइन बिक्री तथा भुगतान गेटवेःव्यापार सुगमता पहल के तहत, हिंदी विधि पत्रिकाएँ, हिंदी विधि पाठ्य पुस्तकें, केंद्रीय अधिनियमों के द्विगोत्र संस्करण, भारतीय संविधान, चुनाव मैनुअल और विधि शब्दावली आदि को डिजिटल भुगतान के आधार पर https://bharatkosh.gov.in/Product/Product/ पर ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। ये प्रकाशन विधि साहित्य प्रकाशन के बिक्री काउंटर पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं जोआई. एल.आई. बिल्डिंग, प्रथम तल, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001 में स्थित है। इन प्रकाशनों की बिक्री के लिए पूरे भारत में जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और विधि महाविद्यालयों के परिसरों में प्रदर्शनी–सह–बिक्री काउंटर भी आयोजित किए जाते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान इन प्रकाशनों की कुल बिक्री 8,13,390/– रुपये है।

उपलब्धियांः

(i) संसदीय राजभाषा समिति की अनुशंसाओं तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति के आदेश और माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, विधि साहित्य प्रकाशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगभग 10,000 निर्णयों (मूल रूप से अंग्रेजी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित) का हिंदी संस्करण, शीर्ष नोट, संक्षिप्त सारांश और मामलों की सूची के साथ उपलब्ध कराया है और उन्हें अपने ई–एससीआर पोर्टल (https://main.sci.gov.in) पर अपलोड करने के लिए सहमति दी है और उन्हें वकीलों, न्यायविदों, कानून के छात्रों और वादियों आदि के लिए उपलब्ध कराया है। साहित्य प्रकाशन ने भविष्य में वकीलों, न्यायविदों, विधि छात्रों और वादियों के लाभ के लिए उनके ई–एससीआर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अंग्रेजी में हिंदी संस्करण उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की है।

(ii) विधि साहित्य प्रकाशन ने संघ की राजभाषा नीति, भारतीय संविधान के आदेश, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों, भारत के माननीय राष्ट्रपति के आदेशों और माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अंतर्गत वादियों और जनता को उनकी अपनी भाषा अर्थात राजभाषा हिंदी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को उपलब्ध कराने के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त किया है।

19. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि, निर्वाचन आयोग द्वारा कामकाज के संचालन की प्रक्रिया और इससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम 2जनवरी, 2024 से लागू किया गया है।

अधिनियम के अनुसार, 15 मार्च, 2024 से निम्नलिखित चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई हैः–

(1) श्री ज्ञानेश कुमार

(2) श्री सुखबीर सिंह संधू

20. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवा पदों पर आरक्षण।

उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक विंग अर्थात् विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा विंग और विधि विभाग के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। साहित्य प्रकाशन को संबंधित

इकाइयों में सेवा/पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर सरकार के आदेशों/निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख करनी होगी।

विभाग (मुख्य), राजभाषा विंग और विधि में कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण साहित्य 31.03.2024 तक प्रकाशन विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या अनुबंध–VII और अनुबंध–VIII में संलग्न है।

21. स्वच्छता पखवाड़ा एवं अन्य गतिविधियों का आयोजनः

इस विभाग ने जल मंत्रालय के स्वच्छता कैलेंडर के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 का आयोजन किया है शक्ति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, रन फॉर यूनिटी/राष्ट्रीय का उत्सव आज़ादी का अमृत के तहत एकता दिवस विभाग ने समय–समय पर महोत्सव आयोजित किए हैं। विभाग ने डीएपीएआरजी के दिशा–निर्देशों के अनुसार विशेष अभियान 3.0 भी मनाया है। (अनुबंध–IX)

22. लोक शिकायत

1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान विधायी विभाग को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1574 जन शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा 67 जन शिकायतें 1 जनवरी, 2023 से पहले लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान 1614 शिकायतों का निपटारा किया गया है और शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

Annexure – VI
[see Chapter-I, Para 2]

ORGANISATION CHART OF THE LEGISLATIVE DEPARTMENT- MAIN
(As on 31.03.2024)

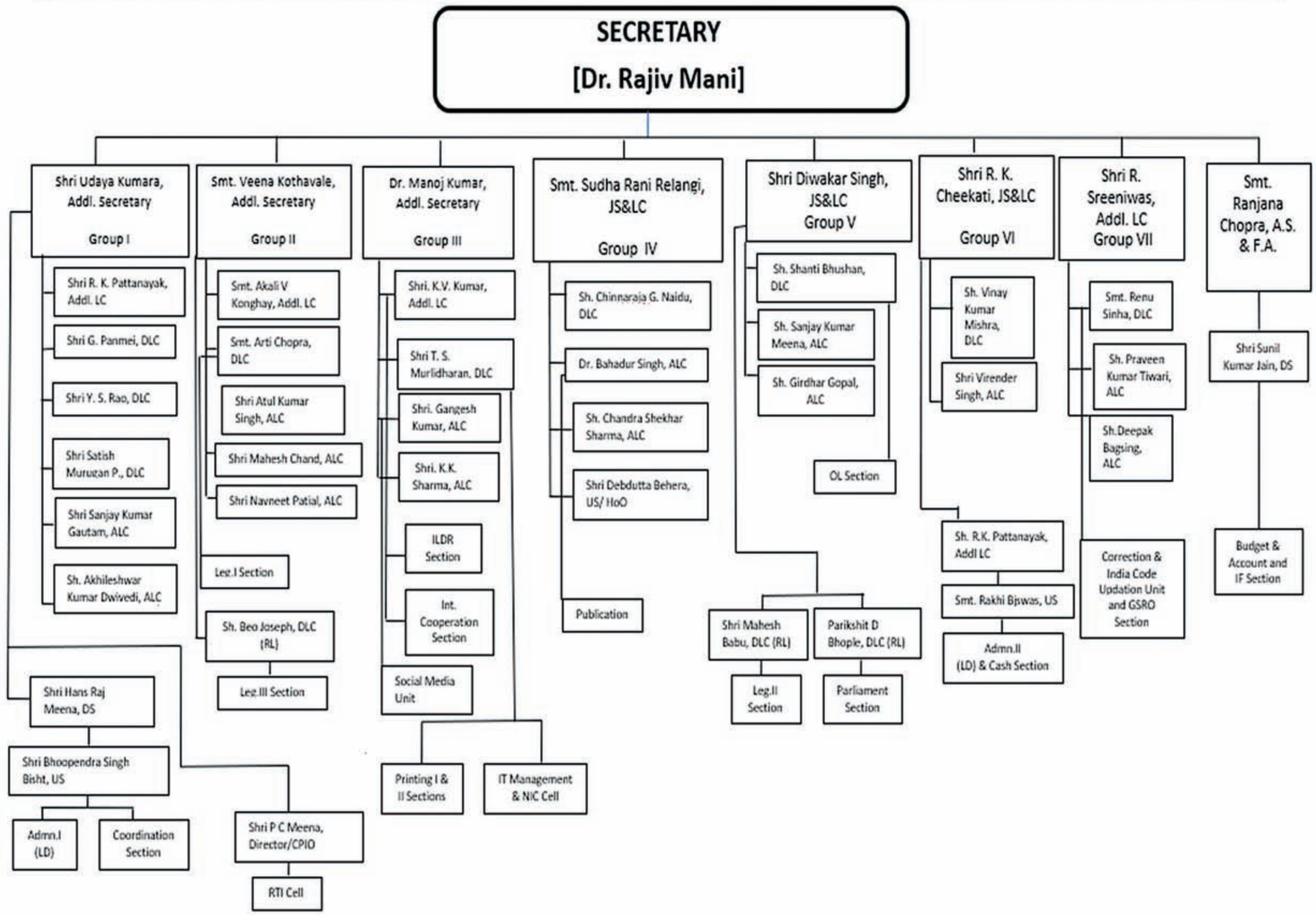

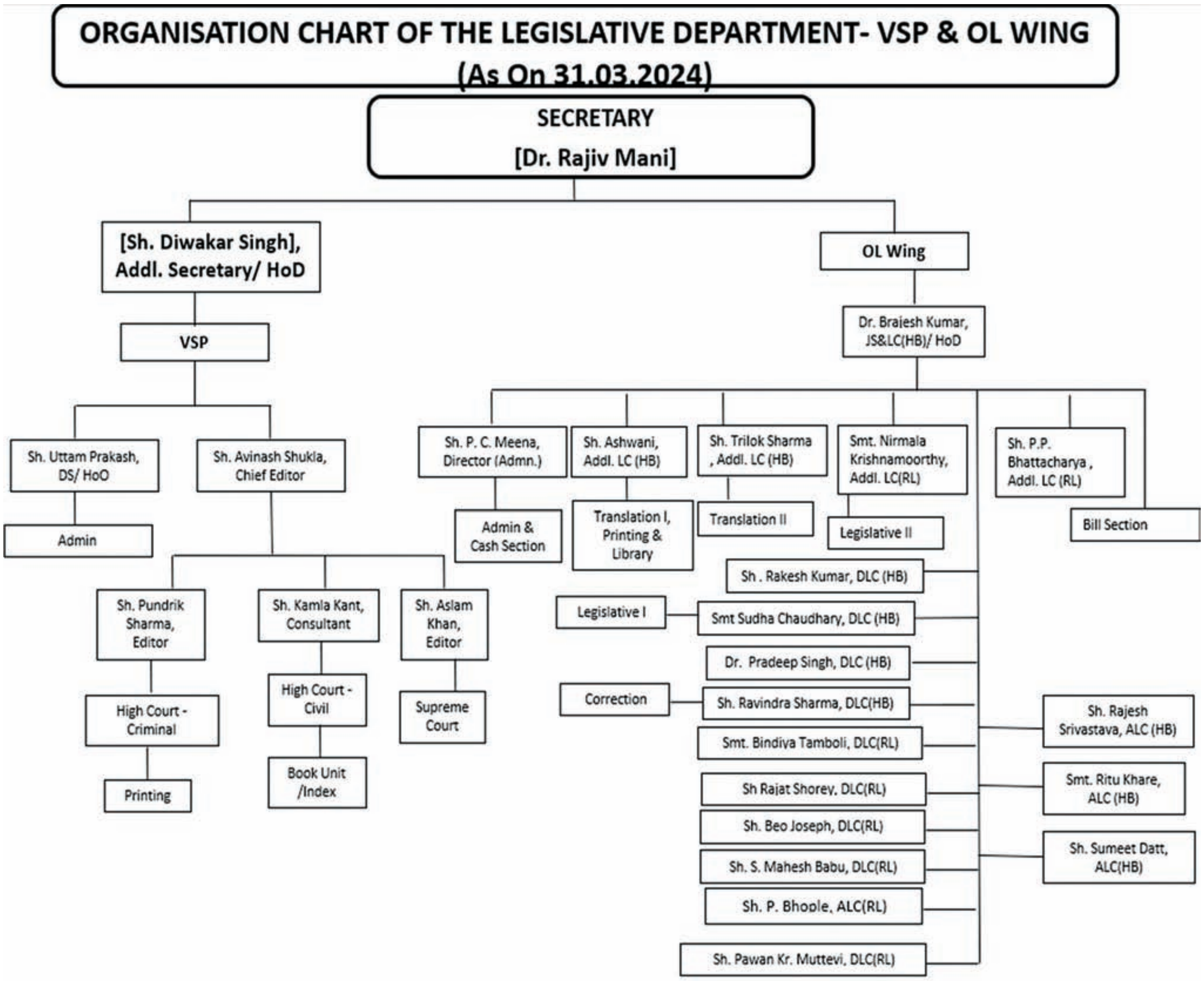
ORGANISATION CHART OF THE LEGISLATIVE DEPARTMENT- VSP & OL WING
(As On 31.03.2024)
SECRETARY
[Dr. Rajiv Mani]
[Sh. Diwakar Singh], Addl. Secretary/ HoD
VSP
Sh. Uttam Prakash, DS/ HoO
Admin
Sh. Avinash Shukla, Chief Editor
Sh. Pundrik Sharma, Editor
High Court - Criminal
Printing
Sh. Kamla Kant, Consultant
High Court - Civil
Book Unit /Index
Sh. Aslam Khan, Editor
Supreme Court
OL Wing
Dr. Brajesh Kumar, JS&LC(HB)/ HoD
Sh. P. C. Meena, Director (Admn.)
Admin & Cash Section
Sh. Ashwani, Addl. LC (HB)
Translation I, Printing & Library
Sh. Trilok Sharma , Addl. LC (HB)
Translation II
Smt. Nirmala Krishnamoorthy, Addl. LC(RL)
Legislative II
Sh. P.P. Bhattacharya , Addl. LC (RL)
Bill Section
Sh . Rakesh Kumar, DLC (HB)
Legislative I
Smt Sudha Chaudhary, DLC (HB)
Dr. Pradeep Singh, DLC (HB)
Correction
Sh. Ravindra Sharma, DLC(HB)
Smt. Bindiya Tamboli, DLC(RL)
Sh Rajat Shorey, DLC(RL)
Sh. Beo Joseph, DLC(RL)
Sh. S. Mahesh Babu, DLC(RL)
Sh. P. Bhoole, ALC(RL)
Sh. Pawan Kr. Muttevi, DLC(RL)
Sh. Rajesh Srivastava, ALC (HB)
Smt. Ritu Khare, ALC (HB)
Sh. Sumeet Datt, ALC(HB)

अनुबंध– VII

(अध्याय–I, पैरा 20 देखें)

31 मार्च, 2024 तक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	प्रतिशत	अनु. जन जाति	प्रतिशत	अ.पि.व.	प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक	प्रतिशत	दिव्यांगजन	प्रतिशत
क	80	07	8.75	08	10	19	23.75	–	–	4	5
ख	90	17	18.88	03	3.33	19	20.65	–	–	1	1.11
घ	107	25	23.36	07	6.54	20	18.69	1	0.93	–	–
कुल	277	49	17.68	18	6.49	58	20.93	1	0.36	5	1.80

अनुबंध– आठवीं

(अध्याय–I, पैरा 20 देखें)

31 मार्च, 2024 तक विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व।

समूह	कुल संख्या कर्मचारी	महिलाओं की संख्या	कर्मचारी का प्रतिशत (%)
समूह 'ए'	80	21	26.25%
समूह 'बी'	90	21	23.33%
समूह 'सी'	107	18	16.82%
कुलः–	277	60	21.66%

अनुबंध– IX

(अध्याय–I, पैरा 21 देखें)

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
In coordination with National Disaster Response Force, Ministry of Home Affairs
DISASTER MANAGEMENT AWARENESS PROGRAMME, 27th APRIL 2023
PREPAREDNESS

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Law & Justice
Legislative Department
SWACHHATA HI SEVA
GODLINESS
KEEP IT
SPECIAL CAMPAIGN 3.0

G20
Department of Legal Affairs
Legislative Department
VIGILANCE
2023
"SAY NO TO CORRUPTION;
COMMIT TO THE NATION"

अध्याय 2

न्याय विभाग

1. संगठन और कार्य :

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का भाग है। विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इसके अध्यक्ष हैं। सचिव (न्याय) सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढाँचे में (4) संयुक्त सचिव, (8) निदेशक / उप सचिव और (11) अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्या 102 है, जिसमें से 44 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 58 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 09 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं। न्याय विभाग का संगठनात्मक ढांचा अनुबंध–I में दर्शाया गया है।

1.1 भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम–1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार अन्य बातों के साथ–साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ता सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते ;
2. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना; उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ता सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते ;
3. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति ;
4. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) और इनमें लिया गया शुल्क (किन्तु इस न्यायालय की अवमानना सहित) ;
5. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों का संघटन और संगठन सिवाय इन न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर ;
6. संघ शासित क्षेत्रों में न्याय प्रशासन और न्यायालयों का संघटन और संगठन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क ;
7. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी ;
8. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन ;
9. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें;
10. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ शासित क्षेत्र तक विस्तार करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ शासित क्षेत्र को बाहर रखना ।
11. गरीबों को विधिक सहायता
12. न्याय का प्रशासन
13. न्याय तक पहुंच,न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण

2.1 भारत का उच्चतम न्यायालय :

31.03.2024 तक, सुप्रीम कोर्ट 03 महिला न्यायाधीशों सहित 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा था। 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

2.2 उच्च न्यायालय :

(i) 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1114 है, जिसके प्रति 787 न्यायाधीश कार्यरत हैं और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 327 पद रिक्त हैं। वर्तमान में, विभिन्न उच्च न्यायालय कॉलेजियम से न्यायाधीशों के पद के लिए 115 सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और ये सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचाराधीन हैं। शेष 212 पदों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अनुशंसाएं अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ii) 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 120 नई नियुक्तियां की गईं और 111 अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 03 अपर न्यायाधीशों को नया कार्यकाल दिया गया। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के 30 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गई। उच्च न्यायालयों के 37 न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

(iii) गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में 06 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई, जिससे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 24 से बढ़कर 30 हो गई।

3. कुटुंब न्यायालय (फेमिली कोर्ट)

(i) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में विवाह और कुटुंब मामलों से संबंधित विवादों और उससे जुड़े मामलों के समाधान और त्वरित निपटान को बढ़ावा देने की दृष्टि से उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) (क) के तहत, राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें, जिसमें कोई ऐसा शहर या कस्बा आता हो जिसकी आबादी दस लाख से अधिक हो। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो राज्य के अन्य क्षेत्रों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है।

(ii) कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परिवार से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से पारिवारिक मामलों से निपटने के लिए एक विशेष न्यायालय का निर्माण करना, एक किफायती उपाय प्रदान करना और कार्यवाही के संचालन में लचीलापन लाने के साथ एक अनौपचारिक वातावरण प्रदान करना है।

(iii) कुटुंब न्यायालयों (फेमिली कोर्टों) की स्थापना के लिए वर्ष 2002–03 में केंद्रीय वित्तीय सहायता से एक योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने कुटुंब न्यायालय के भवन और न्यायाधीश के आवास के निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया, जो योजना सहायता के रूप में एकमुश्त अनुदान के तहत 10 लाख रुपए और गैर–योजना के तहत आवर्ती लागत के रूप में सालाना 5 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अंतर्गत है। राज्य सरकार को बराबरी का हिस्सा प्रदान करना अपेक्षित था। वर्ष 2012–13 तक राज्य सरकारों को 11.50 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था। कुटुंब न्यायालय के भवन के निर्माण और न्यायाधीशों के रिहायसी आवास के लिए प्रदान किए गए अनुदान को न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल किया गया है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (31.03.2024 तक) 826 कुटुंब न्यायालय कार्यरत थे।

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट :

राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और एचआईवी/एड्स और अन्य लाइलाज बीमारियों से प्रभावित वादियों से संबंधित दीवानी मामलों, 5 साल से अधिक समय से लंबित भूमि अधिग्रहण और संपत्ति/किराया विवाद से जुड़े सिविल विवाद से निपटने के लिए 1800 एफ़टीसी स्थापित करने की सिफ़ारिश की और राज्य सरकारों से हस्तांतरण (डेवोल्यूशन) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बढ़ी हुई निधि का उपयोग करने का आग्रह किया। दिनांक 31.03.2024 तक 20 राज्यों में 850 एफटीसी कार्यरत थे।

5. निर्वाचित सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों की जाँच के लिए विशेष न्यायालय

अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपी(सी) 699/2016) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में, निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के शीघ्र परीक्षण और निपटान के लिए 10 विशेष अदालतें (दिल्ली में 02 विशेष अदालतें और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 01–01) कार्यरत हैं।

6. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफ़टीएससी) :

6.1 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केंद्र सरकार बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र परीक्षण और समयबद्ध तरीके से निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 से विशेष पोक्सो (ई–पोक्सो) अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रही है।

6.2 इस योजना को शुरू में एक वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिसे मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। अब इस योजना को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए 1952.23 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा, जिसमें से 1207.24 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के रूप में निर्भया कोष से खर्च किए जाएंगे।

6.3 उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 409 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 754 एफ़टीएससी कार्यरत हैं। इन न्यायालयों ने दिनांक 31.03.2024 तक 2,35,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है।

6.4 इन एफटीएससी के संचालन के लिए, जनवरी–मार्च, 2023 की अवधि के दौरान, 12.9908 करोड़ रुपये की राशि और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, इस विभाग द्वारा 200.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

7. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीः

7.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), भोपाल एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। यह स्वतंत्र निकाय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यालय और भोपाल, मध्य प्रदेश में अपने परिसर के साथ कार्य करता है। यह एक सर्वोच्च निकाय है जो देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत मंत्रिस्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण, राज्य/संघ शासित प्रदेशों में न्यायालय प्रबंधन और न्याय प्रशासन का अध्ययन, न्यायालय प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलन, सेमिनार, व्याख्यान और अनुसंधान आयोजित करने की सुविधा प्रदान करता है। उक्त अकादमी का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को मजबूत करना है।

7.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनजेए की सामान्य निकाय के साथ–साथ कार्यकारी समिति की शासी परिषद और एनजेए की शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष हैं। अकादमी के मामलों का प्रबंधन एक शासी परिषद द्वारा किया जाता है। अकादमी को भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया जाता है। इसका एक निदेशक प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। जनवरी–मार्च, 2023 की अवधि के दौरान 7.00 करोड़ रुपये की राशि और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 24.50 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को जारी की गई थी। एनजेए, भोपाल ने जनवरी–मार्च, 2023 की अवधि के दौरान 22 कार्यक्रम और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 85 कार्यक्रम आयोजित किए थे।

8. ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना :

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ई–कोर्ट परियोजना एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, जो %भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" पर आधारित भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। ई–कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ई–कोर्ट का पहला चरण 2015 में पूरा हुआ, जिसमें 14,249 न्यायालय स्थलों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। परियोजना का दूसरा चरण 2015 में 1,670 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू हुआ, जिसमें से सरकार द्वारा 1668. 43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

(क) वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी:

ई–कोर्ट्स परियोजना के तहत वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल), आरएफ (आकाशवाणी आवृत्ति), वीएसएटी (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। अब तक, 2992 स्थलों में से 2977 स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड (99.4% साइटों को पूरा करना) के साथ चालू किया गया है। यह ई–कोर्ट्स परियोजना के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है जो देश भर में अदालतों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।

ई–कोर्ट परियोजना के अंतर्गत कई न्यायालय दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से संभव नहीं (टीएनएफ) स्थल कहा जाता है, उन्हें ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल), आरएफ (रेडियो फ्रीक्वेंसी), वीएसएटी (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल), सबमरीन केबल आदि जैसे हर संभव वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके जोड़ा जा रहा है।

(ख) केस सूचना प्रणाली:

केस सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई–कोर्ट सेवाओं का आधार बनता है, वह कस्टमाइज्ड फ्री एंड ओपन–सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में और सीआईएस राष्ट्रीय कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है।

हर एक मामले को एक विशिष्ट पहचान कोड प्रदान किया गया है जिसे सीएनआर संख्या और क्यूआर कोड कहा जाता है। इसने न्यायिक डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक नई संचार पाइपलाइन के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के विकास को जन्म दिया है।

(ग) ई–कोर्ट सेवाएं :

ई–कोर्ट परियोजना के हिस्से के रूप में, एसएमएस पुश और पुल (प्रतिदिन 4,74,371 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (31 दिसंबर 2023 तक प्रतिदिन 6,06,818 भेजे गए), बहुभाषी और स्पर्शनीय ई–कोर्ट सेवा पोर्टल

(प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादियों को केस की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफ़ॉर्म बनाए गए हैं। इसके अलावा, वादीगणों और वकीलों के लिए ई–कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप (31 मई 2024 तक कुल 2.42 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 मई 2024 तक 19,893 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं। जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0 एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग न्यायाधीश अपने न्यायालय में लंबित मामलों के साथ–साथ अपने अधीन काम करने वाले न्यायाधीशों पर भी नज़र रख कर अपने न्यायालयों और मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब इस ऐप का उपयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक राज्य और जिले की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं, जो उन्हें भी उपलब्ध कराया गया है।

(घ) राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग:

प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया तामील और समन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। समन देने हेतु बेलीफ को एक जीपीएस सक्षम डिवाइस प्रदान की जाती है जिससे प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शित लाई जा सके। यह सेवा के समय प्रक्रिया सर्वर के भौगोलिक निर्देशांक को ट्रैक करने के अलावा समन की अद्यतित वास्तविक समय स्थिति प्रदान करता है। इसे वर्तमान में 28 उच्च न्यायालयों में लागू किया गया है।

(ड.) राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड :

ई–कोर्ट परियोजना के तहत विकसित एनजेडीजी का उपयोग करते हुए, लचीली खोज प्रौद्योगिकी के साथ, वर्तमान में वकील और वादी 26.044 करोड़ मामलों की केस स्थिति की जानकारी और 26.047 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों तक पहुँच सकते हैं। अब देश के सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के साथ–साथ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के डेटा तक पहुँच प्रदान की गई है। यह लंबित मामलों की पहचान करने, उसके प्रबंधन और उसमें कमी लाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हाल ही में मामले के निपटारे में देरी का कारण दिखाने के लिए एक विशेषता जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुँच नीति (एनडीएसएपी) के अनुरूप, विभागीय आईडी और एक्सेस कुंजी के उपयोग द्वारा एनजेडीजी डेटा तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान किया गया है। भूमि विवाद से संबंधित मामलों पर नजर रखने के लिए 26 राज्यों के भूमि अभिलेख आंकड़ों को एनजेडीजी से जोड़ा गया है।

(च) वर्चुअल कोर्ट:

21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 28 वर्चुअल कोर्ट जैसे दिल्ली (2), हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात (2), तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड (2), मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान और मणिपुर (2) यातायात अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए हैं। इस अवधारणा का उद्देश्य न्यायालय में उल्लंघनकर्ता या वकील की उपस्थिति को समाप्त करके न्यायालय में आने वाले लोगों की संख्या को कम करना है। वर्चुअल कोर्ट का प्रबंधन एक वर्चुअल जज (जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है) द्वारा किया जा सकता है, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक बढ़ाया जा सकता है और उसके कार्य घंटे 24X7 हो सकते हैं। 28 वर्चुअल अदालतों द्वारा 5.08 करोड़ से अधिक मामलों (5,08,99,608) को संभाला गया है और 31.05.2024 तक 54 लाख (54,72,772) से अधिक मामलों में 561.09 करोड़ रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है। नवंबर 2020 में, दिल्ली उच्च

न्यायालय ने "डिजिटल एनआई अधिनियम न्यायालय–परियोजना कार्यान्वयन दिशानिर्देश" जारी किए हैं और परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए 34 डिजिटल न्यायालय स्थापित किए हैं। कागज रहित होने के अलावा, ऐसे न्यायालय पर्यावरण के अनुकूल हैं और इससे न्यायिक जनशक्ति की बचत भी हुई है और नागरिकों की सुविधा में भी इजाफा हुआ है।

(छ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग :

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों का मुख्य आधार बनकर उभरी क्योंकि सामूहिक मोड में फिजीकल सुनवाई और सामान्य अदालती कार्यवाही संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन शुरू होने के बाद से, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,33,67,497 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने दिनांक 31.05.2024 तक 86,35,710 मामलों (कुल 3.20 करोड़) की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उच्चतम न्यायालय में दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 04.06.2024 तक लगभग 7,54,443 सुनवाई हुई। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वी.सी. उपकरणों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। 2506 वी.सी. केबिन स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अतिरिक्त 1500 वी.सी. लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों में वी.सी. सुविधाएं पहले से ही शुरू की गई हैं।

गुजरात, गुवाहटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों एवं भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया गया है, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्ति कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।

(ज) ई–फाइलिंग :

कानूनी कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए एक ई–फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई है। यह वकीलों को 24X7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने की अनुमति देता है, जिससे कागजात दाखिल करने के लिए अदालत आना अनावश्यक हो जाता है। इसके अलावा ई–फाइलिंग आवेदन में दर्ज मामले का विवरण सीआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज कर लिया जाता है और इसलिए गलतियों की संभावना कम हो जाती है। उन्नत संस्करण 2.0 उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल है और इसमें अधिवक्ता पोर्टफोलियो, अधिवक्ता क्लर्क प्रविष्टि मॉड्यूल, कैलेंडर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के साथ एकीकरण जैसी उन्नत सुविधाएँ हैं।

नया ई–फाइलिंग 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसे https://filing.ecourts.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। नए संस्करण में, नया टैब प्रदान किया गया है जो अधिवक्ताओं और वादियों को दस्तावेज़ अपलोड करते समय इन–सिस्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी शपथ रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। नए संस्करण में मेरे भागीदारों, केस फाइलिंग, वकालतनामा, दलील, ई–भुगतान, आवेदन और पोर्टफोलियो के विकल्पों सहित नया डैशबोर्ड भी प्रदान किया गया है। नए संस्करण में प्रदान किया गया सहायता अनुभाग ट्यूटोरियल वीडियो, एफएक्यू और उपयोगकर्ता नियमावली प्रदान करता है। यह वादीगणों को अधिवक्ताओं को प्रस्ताव भेजने का विकल्प भी प्रदान करता है। नया पोर्टल अधिवक्ताओं के लिए दस्तावेजों की अनुक्रमणिका का विकल्प भी प्रदान करता है। ई–फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए, पीएसयू सहित सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों से सभी अदालतों में ई फाइलिंग का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

(झ) ई–सेवा केंद्रः

न्याय प्रदान करने को समावेशी बनाने और डिजिटल विभाजन के कारण होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए 1057 ई–सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं।

(ञ) ई–भुगतानः

मामलों की ई–फाइलिंग के लिए न्यायालय शुल्क के ई–भुगतान की सुविधा की आवश्यकता होती है, जिसमें न्यायालय शुल्क, जुर्माना और दंड शामिल हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं। मामलों की ई–फाइलिंग के लिए न्यायालय शुल्क के ई–भुगतान की सुविधा की आवश्यकता होती है। https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से न्यायालय शुल्क, जुर्माना और दंड का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया गया है। न्यायालय शुल्क और अन्य नागरिक भुगतानों के इलेक्ट्रॉनिक संग्रह की शुरूआत के लिए मौजूदा न्यायालय शुल्क अधिनियम में उचित संशोधन की आवश्यकता है।

(V) निर्णय और आदेश खोज पोर्टलः

हितधारकों की सुविधा के लिए निर्णयों को आसानी से खोजने के लिए एक 'निर्णय और आदेश खोज' पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। निर्णय खोज के लिए नया पोर्टल उच्च न्यायालयों के निर्णयों और अंतिम आदेशों के लिए एक संग्रह प्रदान करने के लिए तैयार है। 'निर्णय खोज' खंड https://judgments.ecourts.gov.in पर पहुँचा जा सकता है, जिसमें बेंच, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, निर्णयः तिथि से लेकर तिथि तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

(ठ) न्याय घड़ियाँः

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जानकारी को जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए, न्याय घड़ियाँ नामक एलईडी डिस्प्ले संदेश साइन बोर्ड प्रणाली स्थापित की गई है। न्याय घड़ी का उद्देश्य न्याय क्षेत्र के बारे में जनता में जागरूकता लाना, विभाग की विभिन्न योजनाओं का विज्ञापन करना और जनता को विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति बताना है, जिससे अदालतों द्वारा निपटान, न्यायालय परिसरों में दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी मिल सके और जनता को विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और अन्य जानकारी मिल सके जिससे नागरिक लाभान्वित हो सकें।

25 उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद (इलाहाबाद और लखनऊ), आंध्र प्रदेश, बॉम्बे (4 बेंच), कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गौहाटी (4 बेंच – अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (2 बेंच), झारखंड, कर्नाटक (3 बेंच), केरल, मध्य प्रदेश (3 बेंच), मद्रास (2 बेंच), मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान (2 बेंच), सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड में कुल 39 न्याय घड़ियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस में भी एक न्याय घड़ी स्थापित की गई है। वर्चुअल न्याय घड़ी को उच्च न्यायालय, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और न्याय विभाग के पोर्टल पर भी होस्ट किया गया है

वर्चुअल न्याय घड़ी न्यायालय स्तर पर न्याय प्रदायगी प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जो न्यायालय स्तर पर दिन/सप्ताह/माह के आधार पर शुरू किए गए मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण देता है। न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की स्थिति को जनता के साथ साझा करके न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाता है।

(ड) आईईसी अभियान और ई–कोर्ट आउटरीच गतिविधियाँः

S3WaaS प्लेटफॉर्म पर विकसित दिव्यांगों के अनुकूल वेबसाइट को विशेष रूप से 14 भाषाओं में ई–कमेटी के लिए लॉन्च किया गया है। यह वेबसाइट सभी स्टेकहोल्डरों को ई–कोर्ट परियोजना से संबंधित जानकारी प्रसारित करती है। उच्च न्यायालयों के लिए उनकी उपलब्धियों और उनके सर्वोत्तम

अभ्यासों को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। ई–कमेटी वेबसाइट को न्याय विभाग की वेबसाइट से भी जोड़ा गया है।

ई–फाइलिंग पर एक मैनुअल "ई–फाइलिंग के लिए चरण–दर–चरण मार्गदर्शिका" तैयार किया गया है और इसे ई–फाइलिंग पोर्टल पर अधिवक्ताओं और वादियों के उपयोग के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराया गया है। इसे 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया गया है। भारतीय उच्चतम न्यायालय की ई–कमेटी द्वारा ई–कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूजर मैनुअल जारी किया है और इसे ई–कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर 14 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में अपलोड किया गया है। वकीलों के इस्तेमाल के लिए ई–फाइलिंग पोर्टल पर 12 क्षेत्रीय भाषाओं में "ई–फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" पर अंग्रेजी और हिंदी में एक विवरणिका उपलब्ध कराया गया है। जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, ईकोर्ट सर्विसेज के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जहां स्टेकहोल्डरों तक व्यापक पहुंच के लिए ई–फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध कराए गए हैं। ईकोर्ट सर्विसेज के तहत ईफाइलिंग और ईसीएमटी टूल्स पर वकीलों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहले ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्चतम न्यायालय की ई–कमेटी द्वारा किया जा चुका है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए गए हैं, जिन्होंने पहले ही देश भर में 5409 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए हैं। इन 5409 मास्टर ट्रेनरों ने देश के प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के लिए उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में ई–कोर्ट सेवाओं और ई–फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं और मास्टर ट्रेनर अधिवक्ताओं की पहचान भी की है।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई–कमेटी ने मई 2020 से दिसंबर 2023 तक ई–कोर्ट परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली आईसीटी सेवाओं पर 392 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 6,14,124 स्टेकहोल्डरों को शामिल किया गया है।

(ढ) ई–कोर्ट चरण–III :

कैबिनेट ने दिनांक 13.09.2023 को 7,210 रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई–कोर्ट चरण–III को मंजूरी दी है। चरण–I और चरण–II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, चरण–III का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, जो अदालतों, वादीगणों और अन्य स्टेकहोल्डरों के मध्य एक सहज और कागज रहित इंटरफेस प्रदान करेगा। परियोजना की प्रस्तावित समय–सीमा 2023 से शुरू होकर चार साल है। इसमें अदालत के रिकॉर्ड, विरासत रिकॉर्ड और लंबित मामलों दोनों का डिजिटलीकरण; आसान पुनर्प्राप्ति के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा भंडार; भारत भर के सभी न्यायालय परिसरों में ई–सेवा केंद्र; कागज रहित अदालतें; जिला अस्पतालों को भी कवर करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना; अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वर्चुअल कोर्ट के दायरे के विस्तार की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना एक %स्मार्ट% इकोसिस्टम का निर्माण करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। रजिस्ट्री में डेटा एंट्री कम होगी और फाइल जांच न्यूनतम होगी, जिससे बेहतर निर्णय लेने और नीति नियोजन में सुविधा होगी। इस प्रकार ई–कोर्ट्स चरण– III देश के सभी नागरिकों के लिए कोर्ट के अनुभव को सुविधाजनक, किफायती और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर साबित होगा।

ई–कोर्ट्स चरण–III के तहत, वित्त वर्ष 23–24 में आवंटित 825 करोड़ रुपये में से, परियोजना के तहत एक ही वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे अधिक 805.57 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। यह धनराशि अक्टूबर 2023 के महीने में प्राप्त हुई और पांच महीनों के अंतराल में 768.25 करोड़ रुपये (93.11%) का व्यय किया गया, जो कि ई–कोर्ट्स परियोजना के तहत अब तक का सबसे अधिक है।

(ण) पुरस्कार और मान्यता :

- ई–कोर्ट्स परियोजना को अपने "जजमेंट और सर्च पोर्टल" (https://judgments.ecourts.gov.in) के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के संरक्षण में 'गोल्ड कैटेगरी' में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार 2021–2022 से सम्मानित किया गया है।
- ई–कोर्ट्स परियोजना को जजमेंट सर्च पोर्टल के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संरक्षण में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
- ई–कमेटी, भारत के उच्चतम न्यायालय को कानूनी स्थान को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 (सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) से सम्मानित किया गया है।
- ई–कोर्ट परियोजना को ई–गवर्नेंस पहल के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के संरक्षण में 'गोल्ड कैटेगरी I – डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता' में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020–2021 से सम्मानित किया गया है।
- ई–कोर्ट सेवाओं को डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वावधान में स्थापित प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने ई–गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ई–कोर्ट परियोजना को जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 (ज्यूरी की पसंद) से सम्मानित किया है।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ई–ताल) पोर्टल पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, ई–कोर्ट पिछले एक वर्ष में कुल 446.41 करोड़ ई–लेनदेन के साथ भारत में शीर्ष 5 एमएमपी में अग्रणी परियोजनाओं में से एक है।

9. राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन (नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलिवरी एंड लीगल रिफ़ोर्म्स)

9.1 **उद्देश्य :** प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की गई थी। इस मिशन में न्यायिक प्रशासन में मामलों के बकाया और उनके लंबन को चरणबद्धरूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा बनाना, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्याबल में वृद्धि करना, अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

9.2 सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और कार्य योजना तथा इसके कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों के रूप में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष; विधि और न्याय मंत्री, आंध्र प्रदेश; विधि, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री, जम्मू

और कश्मीर; भारत के अटॉर्नी जनरल; अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग; सचिव, विधि कार्य विभाग; सचिव, विधायी विभाग; सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया; भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव; निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी; और अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शामिल हैं। न्याय विभाग के सचिव इस सलाहकार परिषद के संयोजक हैं। पाँच रणनीतिक पहलों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मिशन की एक कार्य योजना तैयार की गई थी, जिनकी समय–समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद द्वारा समीक्षा की जाती है। सलाहकार परिषद की बैठक छह महीने में एक बार होती है। अब तक सलाहकार परिषद की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं।

9.3 अधीनस्थ न्यायपालिका

संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल पर उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 25,504 थी, जबकि कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या 20,439 थी और 5,065 पद रिक्त थे। वर्ष 2014 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में क्रमशः 5,986 और 5,324 न्यायिक अधिकारियों की वृद्धि हुई है।

9.4 न्यायालयों में लंबित मामले

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति (दिनांक 31.03.2024 तक) नीचे दी गई है:

उच्चतम न्यायालय	80,194
उच्च न्यायालय	61,83,070
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	4,42,76,365

स्रोत : एनजेडीजी पोर्टल

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में आंकडा प्रदान करता है। एनजेडीजी को विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 में केस मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में सराहा और स्वीकार किया गया है। वर्ष 2023 से, वास्तविक समय के आधार पर उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के बारे में डेटा भी एनजेडीजी पर उपलब्ध है।

9.5 विश्व बैंक की 'डुइंग बिजनेस रिपोर्ट' के संविदा संकेतक प्रवर्तन के तहत सुधार

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (अब बंद हो चुकी है और इसकी जगह नया बी–रेडी फ्रेमवर्क लाया जा रहा है) विश्व बैंक समूह का प्रमुख प्रकाशन था, जिसने 191 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार विनियमनों का बेंचमार्क बनाया। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ने उन विनियमनों को मापा जो व्यापार गतिविधि को बढ़ाते थे और जो इसे बाधित करते थे। न्याय विभाग अनुबंध प्रवर्तन संकेतक के लिए नोडल विभाग था। "अनुबंध प्रवर्तन" संकेतक पर किसी भी देश के प्रदर्शन को वाणिज्यिक विवाद के निपटान में लगने वाले समय; वाणिज्यिक विवाद को हल करने में शामिल लागत; न्यायिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छे अभ्यासों के आधार पर मापा जाता था।

इस विभाग ने सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, विधि

कार्य विभाग, उच्च न्यायालय, दिल्ली, बंबई, और कलकत्ता तथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के विधि विभागों और उच्चतम न्यायालय की ई–समिति से सदस्यों के साथ एक कार्यबल (टास्क फोर्स) बनाया है। इन्फोर्सिंग कोंट्रेक्ट के तहत सुधारों को कार्यान्वित करने में सरकार और भारतीय न्यायपालिका के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत की रैंक में सुधार आया है, जो वर्ष 2014 के 186 स्थान से सुधर कर वर्ष 2020 में 163वें स्थान पर आ गई है। 23 स्थानों की यह छलांग पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों के कारण संभव हो पाई है।

संविदा संकेतक प्रवर्तन (एन्फोर्सिंग कोंट्रेक्ट इंडिकेटर्स) में निम्नलिखित मापदंडों को मापा जाता है :

क. वाणिज्यिक मामलों के लिए समय का अनुमान : इसमें फाइलिंग और सर्विस चरण, विचारण तथा निर्णय चरण और निर्णय चरण को कार्यान्वित करने के दौरान लिया गया समय शामिल होता है।

ख. वाणिज्यिक मामलों के लिए लागत अनुमान : इसमें, अटॉर्नी की फीस, कोर्ट की फीस (केवल निर्णय तक) और विशेषज्ञ की फीस और प्रवर्तन फीस शामिल होती है। न्यायिक

ग. प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता : इसमें कोर्ट संरचना और कार्यवाही, केस मैनेजमेंट, कोर्ट ऑटोमेशन और वैकल्पिक विवाद समाधान शामिल होता है।

9.5.1 इस वर्ष में संविदा संकेतक को लागू करने में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:

विभाग ने वाणिज्यिक विवादों को तेजी से हल करने और “संविदाओं को लागू करने” की व्यवस्था को मजबूत करने हेतु विशेष और संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं और न्यायपालिका के सहयोग से इन चरणों को संस्थागत रूप दिया है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार से है:

i. वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र समाधान के लिए, सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2018 में यथा संशोधित) को लागू किया, जिसके कारण दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरू और कोलकाता में जिला स्तर पर “समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों” की स्थापना हुई। इन वाणिज्यिक अदालतों में हल किए जाने वाले वाणिज्यिक मामलों का निर्दिष्ट मूल्य 3 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। इन न्यायालयों के पास विशेष अधिकारिता के साथ–साथ विशेष जनशक्ति भी होती है। दो (02) पेपरलेस डिजिटल वाणिज्यिक न्यायालयों सहित दिल्ली में 46 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं; मुंबई में 6 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं; बेंगलुरु शहर में 8 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं और बेंगलुरु ग्रामीण में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय है और कलकत्ता में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं तथा 2 और समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया जाना है। सरकार द्वारा प्रस्तावित इस संरचनात्मक सुधार का उद्देश्य, वादकारियों और वकीलों के लिए तेजी से वाणिज्यिक विवादों का निपटान करने को सुगम बनाना है और साथ के साथ कोर्पोरेट निवेशकों में विश्वास पैदा करना है।

ii. वाणिज्यिक मामलों के उचित और निष्पक्ष न्याय निर्णयन को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के साथ मिलकर सरकार, ई–कोर्ट परियोजना को लागू कर रही है। इस परियोजना के तहत न्यायिक पारदर्शिता और अदालती स्वचालन को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक मामलों के %यादृच्छिक और स्वचालित आवंटन% को शुरू किया गया है। समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में दर्ज किए गए सभी नए वाणिज्यिक मामले, नवीनतम केस इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीआईएस 3.2) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित और यादृच्छिक रूप से न्यायाधीशों को आवंटित किए जाते हैं।

iii. सरकार द्वारा लागू किये गये वाणिज्यिक आदेश अधिनियम, 2015 के सीपीसी आदेश XV–क के तहत %केस मैनेजमेंट हियरिंग या प्री–ट्रायल कॉन्फ्रेंस सुविधा% को इस सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कलकत्ता में सभी वाणिज्यिक मामलों के लिए चालू किया गया है। इसे विचारण से पहले आयोजित किया जाता है और इससे विवादास्पद मुद्दों / साक्ष्यों के प्रश्नों में कमी आती है, विचारण

प्रक्रिया में भी तेजी आती है और यह देरी की किसी भी युक्ति को हतोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य, मुकदमे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके मामले के निपटान में तेजी लाना है, और इस प्रकार वादीगणों के साथ–साथ वकीलों को लाभ पहुंचाना है।

iv. प्रधानमंत्री के प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए, संविदा प्रवर्तन संकेतक के तहत की गई पहल जैसे कि "ई–फाइलिंग की सुविधा" प्रदान करने जैसे सुपरिष्कृत प्रयास किए गए हैं। ई–फाइलिंग ने मामलों के दर्ज होने को रियल टाइम और ऑनलाइन बना दिया है, जिसका अर्थ है वकील द्वारा मामलों को घर या किसी भी स्थान से सातों दिन चौबीसों घंटे (24X7) दर्ज कराया जा सकता है। भारत में अदालतों के समक्ष मामले दायर करने के लिए प्रौद्योगिकी–संचालित समाधान को अपनाकर ई–फाइलिंग प्रणाली का उद्देश्य, पेपरलेस फाइलिंग को बढ़ावा देना और समय और लागत बचत की क्षमता का निर्माण करना है।

v. "ई–समन": ई–कोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न एसएमएस अलर्ट के बाद ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन जारी करने और देने की प्रक्रिया दिल्ली और मुंबई की अदालतों में पूरी तरह से चालू है। डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप सरकार की यह अग्रणी पहल विवाद में पक्षों को समन स्वचालित रूप से वितरित करके समय और संसाधनों की बचत करेगी। वाणिज्यिक विवादों में ऑनलाइन समन भेजने की सुविधा के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत कंपनियों के डेटाबेस का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैच विकसित किया गया है और यह बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली की वाणिज्यिक अदालतों में चालू है।

vi. सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू किया है, जिससे वाणिज्यिक मामलों के "संस्थित होने से पहले की मध्यस्थता और निपटान" (प्री–इन्स्टीट्यूशन मिडीएशन एंड सेटलमेंट) की परिवर्तनकारी नीतिगत पहल की शुरुआत हुई है, जिसमें किसी जरूरी अन्तरिम राहत पर विचार नहीं किया जाता है और यह कार्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनलबद्ध, विषय के अनुभवी मध्यस्थतों द्वारा किया जाता है।

vii. डिजिटल इंडिया और ई–कोर्ट्स परियोजना का विजन, देश की न्यायिक प्रणाली को आईसीटी से युक्त अदालतों द्वारा सक्षम बनाना है। न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से बढ़ाने के लिए न्यायिक वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाते हुए "इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी)" न्यायाधीश और वकील दोनों के लिए पेश किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स का एकीकरण किया गया है, जो विश्व बैंक की रैंकिंग में एंफोर्सिंग कोंट्रेक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार है।

viii. जस्टिस ऐप (JustIS MobileApp), न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है और यह उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत के न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराया गया है। यह वर्तमान समय में सूचीबद्ध हुए मामलों, अद्यतित मामलों, संस्थान द्वारा प्राप्त मामलों, पिछले महीने में स्थानांतरण द्वारा प्राप्त मामलों और वर्तमान महीने में लंबित और निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या की एक त्वरित झलक देता है। ई–कोर्ट्स एप का उद्देश्य, वकीलों और वादीगणों को शीघ्र और सटीकता के साथ मामले की जानकारी प्रदान करके न्यायिक उत्पादकता और कार्य की गति को बढ़ाना है।

ix. सरकार ने माना है कि उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों के समाधान की प्रभावी और तीव्र प्रणाली के लिए शीघ्र निर्णय हेतु विशेष मंचों की आवश्यकता है। 500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में विशेष वाणिज्यिक पीठों की स्थापना की गई है।

X. विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। कलकत्ता, कर्नाटक, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में विशिष्ट दिन आवंटित किए हैं, ताकि ये न्यायालय ऐसे दिनों में बुनियादी ढांचा अनुबंधों के लिए समर्पित न्यायालयों के रूप में कार्य कर सकें।

Xi. उच्चतम न्यायालय की ई–कमेटी ने कलर बैंडिंग की सुविधा बनाकर तीन स्थगन नियमों के अनुपालन को सक्षम बनाया है। रंग किसी मामले में स्थगन की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

Xii. बॉम्बे, कलकत्ता, कर्नाटक और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए समर्पित वेबसाइट विकसित की गई हैं।

Xiii. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल–न्याय विभाग ने अनुबंध प्रवर्तन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो %अनुबंधों को लागू करने" के मापदंडों पर किए जा रहे सुधारों के बारे में जानकारी का एक व्यापक स्रोत प्रदान करता है।

9.6. विधि का शासन सूचकांक (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स) :

विश्व न्याय परियोजना (डबल्यू जे पी) द्वारा विधि के शासन सूचकांक को विकसित और प्रकाशित किया जाता है। विधि का शासन सूचकांक (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स) 2023 में 142 देशों को शामिल किया गया है और उन्हें "जवाबदेह सरकार, अच्छे कानून, अच्छी प्रक्रिया और न्याय तक पहुँच" के चार सिद्धांतों के आधार पर 8 कारकों और 44 उप–कारकों में एकत्र किए गए देश–विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर रैंक किया गया है। अक्टूबर 2023 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विश्व न्याय परियोजना (डबल्यू जे पी) द्वारा मूल्यांकन किए गए 142 देशों में से विधि का शासन सूचकांक (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स) में भारत की रैंक 79 थी। न्याय विभाग, नोडल विभाग के रूप में, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जीआईआरजी (सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक) अभ्यास के तहत इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए 8 प्रमुख संकेतकों/कारकों और 44 उप–कारकों पर भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए 22 स्टेकहोल्डर मंत्रालयों/विभागों के साथ काम कर रहा है।

9.7 डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) :

डीजीक्यूआई मूल्यांकन अभ्यास डीएमईओ और नीति आयोग द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की डेटा तैयारी का आकलन करने के लिए किया जाता है, ताकि डेटा तैयारी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की निगरानी के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) के हिस्से के रूप में काम किया जा सके। डीजीक्यूआई मूल्यांकन वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए समय–समय पर किया जाता है। इस तरह का अंतिम अभ्यास मार्च, 2024 को समाप्त हुआ था। न्याय विभाग ने डीजीक्यूआई 2.0 मूल्यांकन 2023–24 की तीसरी तिमाही में 5 में से 4.74 अंक हासिल कर, 2022–23 की चौथी तिमाही में अपने पिछले प्रदर्शन 5.0 में से 4.57 अंक में सुधार किया है। 5.0 का फ्रंटियर स्कोर हासिल करने के लिए, डीजीक्यूआई के लिए कार्य योजना/रोडमैप के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा एक डेटा रणनीति इकाई (डीएसयू) का गठन किया गया है। विभाग ने नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं को विकसित करने के उद्देश्य से डेटा प्रबंधन दिशानिर्देश भी तैयार और जारी किए हैं, जो न्याय विभाग द्वारा रिपोर्ट/एकत्रित डेटासेट और सूचना के मूल्य को नियंत्रित, संरक्षित और बढ़ाएंगे।

10. न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन के लिए योजना

न्याय विभाग द्वारा वर्ष 2013 में स्थायी वित्त समिति की आवश्यक स्वीकृति के साथ न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक योजना शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 से, इस योजना को न्याय विभाग के "गैर–योजना" घटक के अंतर्गत शामिल किया गया था। कार्य अनुसंधान का उद्देश्य न्याय प्रदायगी, कानूनी अनुसंधान और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना है। दिनांक 31.03.2024 तक, योजना के तहत 51 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 44 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

11. न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

11.1 उद्देश्य और कार्य क्षेत्र : राज्यों में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना संबंधित राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। हालाँकि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की गई थी। इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करना शामिल है। योजना को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पाँच वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी शामिल किया गया है।

11.2 योजना की शुरुआत से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 10927.215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से 2014–15 से 31 मार्च 2024 तक 7482.95 करोड़ रुपये (68.47%) प्रदान किए गए हैं, जिसमें 2022–23 में 857.20 करोड़ रुपये और 2023–24 के दौरान जारी किए गए 1061 करोड़ रुपये (दिनांक 31.03.2024 तक) शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक उच्च न्यायालयों से एकत्रित जानकारी के अनुसार, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 21,572 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम उपलब्ध थे। इसके अलावा, न्याय विकास पोर्टल के अनुसार 3,084 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम निर्माणाधीन थे। इन आंकड़ों की तुलना उच्च न्यायालयों द्वारा 31 मार्च 2024 तक बताई गई 20,308 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या से करने पर पता चलता है कि न्यायिक जनशक्ति की वर्तमान कार्यरत संख्या के लिए पर्याप्त कोर्ट रूम/कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। 2014–15 से दिनांक 31.03.2024 तक 5,290 कोर्ट हॉल और 3,409 रिहायशी आवास का निर्माण/पूर्ण किया गया; इसमें से 320 कोर्ट हॉल और 160 आवासीय इकाइयों का निर्माण वर्ष 2023–24 में दिनांक 31.03.2024 तक किया जा चुका है। अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 25,485 न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के अनुरूप कोर्ट रूम/कोर्ट हॉल की उपलब्धता पर ध्यान है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी काफी प्रगति हुई है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक कुल 18,975 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध थीं और 3,011 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन थीं।

11.3 योजना के विस्तार और उसमें नई सुविधाओं को शामिल करने के बाद, योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देशों को 19 अगस्त, 2021 को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा–निर्देशों में भारित मानदंड (वेटेज क्राइटेरिया), शामिल हैं, जो एक वैज्ञानिक फार्मूला है, जिसे इस योजना के तहत धन के अंतर–राज्यीय वितरण के लिए वर्ष 2018–19 से अपनाया गया है। ये मानदंड, 4 मापदंडों पर आधारित हैं, अर्थात् (i) राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत / कार्यरत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले कोर्ट हॉल की संख्या, (ii) राज्य / केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले रिहायसी इकाइयों की संख्या (iii) राज्य / संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या, और (iv) अधीनस्थ न्यायपालिका में 10 वर्ष और इससे अधिक पुराने मामलों का लंबन। इस तरह के मानदंडों के आधार पर, राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को निधियों के अस्थायी आवंटन के बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष की शुरु में सूचित किया जाता है, ताकि वे तदनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। इन दिशानिर्देशों में फ्लेकसी फंड योजना का प्रावधान भी शामिल है, जिसके अनुसार राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, यदि वे चाहें, स्थानीय आवश्यकताओं / अनिवार्यताओं जैसे कि मौसम, जलवायु आदि की स्थानीय दशा के संबंध में आवश्यक अनुकूलन अथवा विशिष्ट स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए निधियाँ आवंटित कर सकते हैं ।

11.4 न्याय विकास वेब पोर्टल और मोबाइल एप वर्जन 2.0, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र की तकनीकी

सहायता से एक ऑन–लाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए वर्ष 2018 में "न्याय विकास" नाम का वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास किया गया है। राज्य सरकारों ने चल रही और पूरी की गई योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और आंकड़ों / सूचना को दर्ज और अपलोड करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए सर्वेयर और माडरेटर नामांकित किए हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर उपयोगकर्ताओं के अनुभव और अवलोकनों के आधार पर न्याय विकास पोर्टल और मोबाइल एप को उन्नत किया गया है और वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है और यह 1.04.2020 से कार्य कर रहा है। सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र में उपयोगकर्ता, वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज कर रहे हैं और जियो–टैगिंग वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। पोर्टल में दर्ज परियोजनाओं की कुल संख्या 3,088 है, जिनमें 1,674 पूर्ण हो चुकी हैं, 948 निर्माणाधीन हैं और 466 प्रस्तावित हैं। 2,608 परियोजनाओं को जियो–टैग किया गया है।

जिला न्यायालय, दिल्ली

जिला न्यायालय, अकोला (महाराष्ट्र)

सिविल कोर्ट बिल्डिंग, गुजरात

अवसीय क्वार्टर, भागलपुर

12. ग्राम न्यायालय :

12.1 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, 2 अक्टूबर, 2009 से लागू हुआ। इस अधिनियम में नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध है। न्याय विभाग की वेबसाइट पर इस अधिनियम की एक प्रति रखी गई है। ग्राम न्यायालय

अधिनियम की धारा 3(1) के संदर्भ में, राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के किसी समूह के लिए एक या दो ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं, जहां किसी राज्य में सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है। इसलिए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, राज्य सरकारों से समय–समय पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।

12.2 15 राज्यों द्वारा कुल 477 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 300 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर–आवर्ती खर्चों और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने की दिशा में आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और गैर–आवर्ती सहायता वित्तीय अधिकतम सीमा के अधीन है, जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों में प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ग्राम न्यायालयों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना की लागत के लिए प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपये विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा एकमुश्त सहायता (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये, वाहन के लिए 5 लाख रुपये और कार्यालय को सुसज्जित करने के लिए 3 लाख रुपये) और तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये शामिल हैं।

12.3 ग्राम न्यायालय योजना को दिनांक 31.03.2021 से आगे पांच और वर्षों के लिए यानी 31.03.2026 तक के लिए 50.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ बढ़ा दिया गया है। अब से ग्राम न्यायालयों के लिए धनराशि तभी जारी की जाएगी जब उन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा और साथ ही न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के साथ–साथ उन्हें चालू भी कर दिया जाएगा और न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर रिपोर्ट कर दी जाएगी। ग्रामीण वंचितों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने में एक संस्था के रूप में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने और इसके भविष्य पर निर्णय लेने के लिए एक वर्ष के बाद ग्राम न्यायालयों के कार्य की समीक्षा की जानी थी। यह प्रक्रियाधीन है।

11.4 दिनांक 31 मार्च, 2024 तक राज्यों को अब तक 83.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें 2022–23 में 0.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यात्मक ग्राम न्यायालय	जारी की गई निधि (लाख रुपए में)
1	मध्य प्रदेश	89	89	2456.40
2	राजस्थान	45	45	1240.98
3	केरल	30	30	828.00
4	महाराष्ट्र	36	24	660.80
5	उड़ीसा	24	20	524.40
6	उत्तर प्रदेश	113	85	1323.20
7	कर्नाटक	2	2	25.20
8	हरियाणा	2	2	25.20
9	पंजाब	9	2	25.20
10	झारखंड	6	1	75.60
11	गोआ	2	0	25.20

12	आंध्र प्रदेश	42	0	436.82
13	तेलंगाना	55	0	693.00
14	जम्मू कश्मीर	20	0	0.00
15	लद्दाख	2	0	0.00
	कुल	**477**	**300**	**8340.00**

13. न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान निर्मित करना (डिजायनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA)

भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय को भारत के लोगों के लिए प्राप्त किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण परिदेयों में से एक मानती है। भारत के संविधान में प्रतिपादित अनुच्छेद 39क राज्य को आर्थिक, भौगोलिक विषमताओं आदि के कारण वंचित लोगों को न्याय तक पहुँच एवं मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। न्याय तक पहुंच को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

इस अधिदेश के अनुपालन में, न्याय विभाग ने पांच वर्षों 2021–2026 की अवधि के लिए एक नई योजना – न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान निर्मित करना (डिजायनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA) बनाई है। प्रौद्योगिकी के साथ न्याय तक पहुंच को एकीकृत करके नागरिक केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली को वरीयता देने के लिए, दिशा के उद्देश्य हैं : –

- टेली–लॉ के माध्यम से मुकदमेबाजी से पहले तंत्र को सुदृढ़ करना;
- अपने न्याय बंधु कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सेवाओं की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना;
- अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

14. टेली – लॉ : वंचितों तक पहुंचना

14.1 **टेली – लॉ** : 'भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना' (दिशा)

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय एक एकीकृत अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है, जिसका नाम 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना' (दिशा) है जिसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच के लिए व्यापक, एकीकृत, प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक–केंद्रित समाधान प्रदान करना है। इस योजना के तहत देश में टेली–लॉ, न्याय बंधु और कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को मुख्यधारा में लाया जा रहा है।

दिशा का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39 ए के तहत दिए गए अधिकार को अनुपूरक और पूरक बनाना है, ताकि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। दिशा का उद्देश्य कानूनी सेवा अधिनियम, 1987 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना भी है, ताकि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 16 के कार्यान्वयन को गति दी जा सके, खासकर सभी के लिए न्याय तक पहुँच प्रदान करने के पहलू को।

टेली–लॉः वंचितों तक पहुंचना

समाज में कानूनी सहायता को मुख्यधारा में लाने के व्यापक लक्ष्य के साथ, न्याय विभाग ने 2017 में टेली–लॉः रीचिंग द अनरीच्ड लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों का सही तरीके से दावा करने और उनकी कठिनाइयों का समय पर निवारण करने के लिए मुकदमे–पूर्व सलाह लेने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह एक ई–इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य राज्य/जिला स्तर पर तैनात पैनल वकीलों को समाज के ज़रूरतमंद और वंचित वर्गों से जोड़ना है, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श चाहते हैं।

शुरुआत में उत्तर प्रदेश, बिहार, 8 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर (अब एक केंद्र शासित प्रदेश) जैसे 11 राज्यों में 1800 सीएससी में शुरू की गई, टेली–लॉ सेवाओं को वर्ष 2022–2023 में 1,00,000 सीएससी/ग्राम पंचायत को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। वर्तमान में, देश के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 783 जिलों (112 आकांक्षी जिलों सहित) में 2,50,000 सीएससी/ग्राम पंचायतों में टेली–लॉ चालू है। टेली–लॉ पर एक समर्पित वेब पोर्टल (http://www.tele-law.in@) 22 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो पूरे भारत में विभिन्न और विविध जातीयताओं के लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करता है। दूरदराज के क्षेत्रों में निर्बाध पहुंच को सक्षम करने के लिए, कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने के लिए कानूनी सलाह और परामर्श चाहने वाले लाभार्थियों को सीधे पैनल वकीलों से जोड़ने के लिए एक टेली–लॉ मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया है।

विशेषताएंः

- टेली–लॉ के माध्यम से दी गई सलाह में विशुद्ध कानूनी मामलों से लेकर योजनाओं के तहत लाभ से संबंधित मामलों और अन्य दिन–प्रतिदिन के मामलों की जानकारी होती है।
- 31 मार्च 2024 तक कुल 80,04,749 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें से 79,08,682 लाभार्थियों को सलाह दी जा चुकी है। वित्त वर्ष 2023–2024 में देशभर में 43.51 लाख लाभार्थियों को सलाह दी गई।

आउटरीच विस्तार हेतु अभियानः –

- सेल्फी ड्राइव अभियान– इस पहल का उद्देश्य सोशल मीडिया साइटों पर जागरूकता को बढ़ावा देना है, जहां लाभार्थी और क्षेत्र के कार्यकर्ता (वीएलई और पैनल वकील) टेली–लॉ सेवा पर सेल्फी वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव साझा करेंगे। 31 अक्टूबर, 2023 तक टेली लॉ सोशल मीडिया पर कुल 206 सेल्फी वीडियो अपलोड किए गए।
- देश के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 765 जिलों (112 आकांक्षी जिलों सहित) में 2,50,000 सीएससी को कवर करने के लिए टेली–लॉ सेवा का विस्तार किया गया।
- रेडियो जिंगल अभियान 28 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था, इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य आम जनता को टेली–लॉ कार्यक्रम के बारे में जागरूक करना और संवेदनशील बनाना था। अभियान 30 दिनों (120 स्पॉट) तक प्रसारित किया गया और टेली–लॉ जिंगल को 36 राज्यों/केंद्र शासित

प्रदेशों के सभी जिलों को शामिल करते हुए 193 रेडियो स्टेशनों से व्यस्त समय और गैर व्यस्त समय दोनों में बजाया गया।

- जिला स्तरीय कार्यशाला – टेली–लॉ राज्य टीम द्वारा देश भर में 100 जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं, इन कार्यशालाओं में ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई), पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी), सरकारी अधिकारी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों सहित 5500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। टेली–लॉ कार्यान्वयन, टेली–लॉ योजना के बारे में जागरूकता और टेली–लॉ सिटीजन मोबाइल एप्लिकेशन पर सत्र आयोजित किए गए।
- वीएलई द्वारा विशेष जागरूकता अभियान : टेली–लॉ वीएलई द्वारा अपने क्षेत्र के उन इलाकों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने की पहल की गई, जहां टेली–लॉ के बारे में जागरूकता सीमित या शून्य है। वीएलई ने टेली–लॉ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ई–रिक्शा, मोबाइल वैन, ऑटो–रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके विशेष प्रयास किए। जागरूकता शिविरों में 12000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया।
- 26 जून से 2 जुलाई 2023 तक टेली–लॉ पोर्टल पर टेली–लॉ के तहत पंजीकृत 1.5 लाख गैर विचाराधीन और लंबित मामलों तक पहुंचने के लिए विशेष बकाया निकासी अभियान शुरू किया गया, जहां टेली–लॉ पैनल वकीलों द्वारा 1,05,771 से अधिक मामले प्रदान किए गए।
- नया रेडियो जिंगल अभियान शुरू किया गया (1 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक) : नया रेडियो जिंगल ऑल इंडिया रेडियो (201 स्टेशन), विविध भारती (42 स्टेशन) और एफएम रेडियो (29 स्टेशन) पर जारी और प्रसारित किया गया।
- टेली–लॉ 2.0 (टेली–लॉ और न्याय बंधु (प्रो बोनो) कानूनी सेवा कार्यक्रम का एकीकरण) का शुभारंभ और 50 लाख कानूनी सलाह की अद्भुत उपलब्धि का कार्यक्रम 25 अगस्त 2023 को सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान टेली–लॉ और न्याय बंधु सेवाओं के एकीकरण (टेली–लॉ 2.0), का शुभारंभ किया गया और लाभार्थियों की आवाज़ (चौथा संस्करण) और पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की गई। माननीय मंत्री द्वारा देश भर के 6 क्षेत्रों के 12 अग्रणी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
- न्याय सहायक कार्यक्रम जनवरी 2024 में शुरू किया गया था, जहां 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 328 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में घर–घर जाकर कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए 500 न्याय सहायकों को लगाया गया था।

14.2 **'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान** – भारत के गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने और भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में, न्याय विभाग ने एक अखिल भारतीय वर्ष भर चलने वाला अभियान 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' शुरू किया। 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' का आयोजन 24 जनवरी, 2024 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया। इस अभियान का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया। अभियान 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। इस राष्ट्रव्यापी पहल की परिकल्पना संवैधानिक ढांचे में उल्लिखित आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए की गई थी। यह प्रत्येक नागरिक को विभिन्न तरीकों से भाग लेने का अवसर भी देगा, उन्हें हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में सार्थक तरीके से योगदान करने के लिए सशक्त करेगा।

14.2.i इस अभियान के प्रमुख विषयों में सबको न्याय–हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान को शामिल किया गया। सबको न्याय–हर घर न्याय उप–अभियान का लक्ष्य सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल करना है, जिससे नागरिकों को क्षेत्रीय भाषाओं में पंच प्रण प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बैठक में "जन सेवा जनता के द्वार" नामक नागरिक केंद्रित सेवा मेला आयोजित करने पर जोर दिया गया। और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कानूनी सेवाओं पर कार्यशाला आयोजित की गई। नव भारत नव संकल्प में नागरिकों को ऑनलाइन गतिविधियों में भाग लेना शामिल है, जैसे कि पंच प्रण प्रतिज्ञा पढ़ना, संविधान पर प्रश्नोत्तरी, पोस्टर–बनाना और रील–बनाना प्रतियोगिताएं। विधि जागृति अभियान का उद्देश्य विभिन्न तरीकों से नागरिकों तक कानूनी जानकारी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना है, जिसमें विधि छात्रों द्वारा आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना भी शामिल है।

14.2.ii. इस कार्यक्रम में 2021–2023 के लिए दिशा उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन भी हुआ और नागरिकों की कानूनी जिज्ञासाओं को उनकी अपनी भाषा में संबोधित करने के लिए मल्टी मॉडल इंटरफेस बनाने के लिए भाषिणी के साथ सहयोग की औपचारिकता भी पूरी हुई। अभियान के उद्घाटन के अलावा, इस प्रमुख कार्यक्रम में न्याय सेतु जैसी नागरिक–केंद्रित सेवाओं का विमोचन और इग्नू और भाषिणी के साथ न्याय विभाग के बीच साझेदारी भी देखी गई।

14.2.iii. इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा प्रो बोनो लॉ कॉलेजों के 650 से अधिक छात्र और संकाय, देश भर के कॉमन सर्विस सेंटरों के टेली–लॉ पदाधिकारी एकत्रित हुए।

14.3. राजस्थान के बीकानेर में पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम – हमारा संविधान हमारा सम्मान के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के क्रम में अभियान का पहला क्षेत्रीय आयोजन बीकानेर राजस्थान में हुआ। इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई.चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.), श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय श्री जोगा राम पटेल, विधि मंत्री, राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के अन्य उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए।। इस समारोह में देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायक के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। न्याय सहायक की भूमिका और ज़िम्मेदारी को प्रस्तुत करने वाले ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। टेली–लॉ कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की आवाज़ पर विशेष महिला संस्करण का विमोचन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। टेली–लॉ के 08 अग्र पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पुरस्कार वितरित किए गए, जिन्होंने नव भारत नव संकल्प उप–विषय के तहत अनुकरणीय प्रयास किए। इसमें 'जन सेवा जनता के द्वार मेला' को भी लगाया गया जो नागरिकों के लिए जिला, राज्य और केंद्रीय प्रशासन की कानूनी और कल्याणकारी योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, दिशा योजना के तहत टेली–लॉ कार्यक्रम के क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, विधि छात्र और संकाय शामिल थे।

14.4 हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला सह मेला : 21 फरवरी 2024 से 28 मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'सबको न्याय हर घर न्याय' उप–विषय के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला सह मेले आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न राज्य विभागों द्वारा नागरिक केंद्रित सेवा स्टॉल लगाए गए। टेली–लॉ राज्य पुस्तिका और लाभार्थियों की आवाज़ का चौथा संस्करण क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया गया और टेली–लॉ पुरस्कार विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। संबंधित राज्य सरकार के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों सहित 15000 से अधिक नागरिकों ने इन क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों के बाद सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर व्यापक प्रचार किया गया जिसमें प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों शामिल हैं, जिसकी अनुमानित पहुंच 65,56,858 से अधिक है। कुल मिलाकर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रचार के माध्यम से 84,65,651

से अधिक लोगों तक पहुंचा। यह क्षेत्रीय कार्यक्रम 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' नामक वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय अभियान का विस्तार था जिसका शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में किया गया था।

15. न्याय बंधु (प्रो–बोनो लीगल सर्विसेज) :

न्याय विभाग का उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सेवाओं की संस्कृति को विकसित करना और निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था का ढांचा तैयार करना है। निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से न्याय विभाग ने चार रणनीतियों को रेखांकित किया है:

15.1 **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना** : एंड्रॉयड, आईओएस संस्करण में मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उमंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। न्याय बंधु ऐप के उपयोग पर वर्चुअल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

15.2 **उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों** के सहयोग से उच्च न्यायालयों में प्रो बोनो पैनल बनाए गए हैं, ताकि प्रो बोनो अधिवक्ताओं का राज्य विशिष्ट विकेन्द्रीकृत पूल उपलब्ध कराया जा सके। 22 उच्च न्यायालयों ने प्रो बोनो पैनल बनाए हैं, जिनमें अधिवक्ताओं को इन पैनलों के माध्यम से नामांकित किया गया है।

15.3 **प्रो बोनो क्लब योजना** युवा मन में प्रो बोनो के बारे में समझ और ज्ञान पैदा करने तथा पंजीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं को शोध और कानूनी मसौदा तैयार करने में सहायता करने के लिए शुरू की गई है। 89 लॉ स्कूलों ने इस योजना का हिस्सा बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। 19 कानूनी स्कूल वित्त वर्ष 2023–2024 में जोड़े गए।

15.4 **स्टार्ट–अप, सीएसओ आदि के साथ गठजोड़ को बढ़ावा देनाः** कानूनी सहायता और जागरूकता पहल के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन प्रो बोनो इंडिया के सहयोग से, न्याय विभाग ने छात्र स्वयंसेवक जुड़ाव कार्यक्रम शुरू किया। प्रो बोनो एसोसिएट्स के रूप में नामित 43 कानून के छात्रों (विभिन्न लॉ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से) ने योजनाओं (केंद्रीय/राज्य) को संकलित करने के लिए अनुसंधान; और वर्ष 2016 से कल्याणकारी कानूनों पर विभिन्न संशोधनों/आदेशों/निर्णयों; महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों की अद्यतन निर्देशिका, जिला/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के विवरण में सहायता प्रदान की और कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम पर न्याय विभाग द्वारा विकसित आईईसी की जांच की।

15.5 **विकास** : 31 मार्च, 2024 तक 24 बार काउंसिलों के कुल 10922 अधिवक्ता न्याय बंधु कार्यक्रम में शामिल हुए। 1095 अधिनक्ता वित्त वर्ष 2023–2024 में जोड़े गए थे।

16. अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता

16.1 न्याय विभाग ने देश में कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए हैं :

- मंत्रालयों और संबद्ध विभागों, संस्थानों, स्कूलों आदि के बीच साझेदारी बनाना;
- जमीनी स्तर/अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं/स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण में सुविधा प्रदान करना ;
- अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना;

16.2 दिशा योजना के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम को अब अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित किया गया है। वर्ष 2021–24 के दौरान न्याय विभाग ने निम्नलिखित 16 एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 15,30,661 लाभार्थियों तक पहुँच बनाई है। वित्त वर्ष 2023–2024 में, इस कार्यक्रम की पहुँच 7,35,731 लाभार्थियों तक थी। वर्ष 2023–2024 में दो नई एजेंसियों अर्थात स्कूलों/कॉलेजों में कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अंबेडकर राजकीय विधि महाविद्यालय, पुडुचेरी तथा भारत में पैरालीगल प्रैक्टिस को मजबूत करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को शामिल किया गया।

16.2.1 जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), मणिपुर के मनोचिकित्सा विभाग ने %बाल यौन शोषण पर हितधारकों के प्रशिक्षण और संवेदनशीलता" पर एक परियोजना प्रस्ताव लागू किया (आउटरीच 2,605)।

16.2.2 सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससीडब्ल्यू) ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और मानव तस्करी निरोधी अधिनियम पर कार्यशाला/प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम' पर परियोजना कार्यान्वित की (आउटरीचः 1,55,606)।

16.2.3 अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 'पारंपरिक ग्राम परिषद प्रणाली की परंपरागत प्रथाओं और भारत के औपचारिक कानूनों के बीच तालमेल' पर एक परियोजना लागू की (आउटरीचः 6,666)।

16.2.4 सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी, जयपुर, राजस्थान ने राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों–जैसलमेर, बारां, करौली, धौलपुर और सिरोही में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जागरूकता परियोजना लागू की। (आउटरीचः 58,990)

16.2.5 विधि अनुसंधान संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी' भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के परंपरागत कानूनों का दस्तावेजीकरण' शीर्षक से एक शोध परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है (आउटरीचः 304)

16.2.6 राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल राष्ट्रीय स्तर पर 'डिजिटल कानूनी साक्षरता – डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण–ई न्यायगंगा परियोजना' का क्रियान्वयन कर रहा है। (आउटरीचः 6,173)

16.2.7 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु 'डिजिटल कानूनी साक्षरता–प्रसार और मूल्यांकन' नामक एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। (आउटरीचः 4,33,804)

16.2.8 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 'उत्तर प्रदेश में 'अधिकारों का ज्ञान उन्नति की पहचान' नामक परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। (आउटरीचः 1,613)

16.2.9 शैडो एडवरटाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर 'ओडिशा में अभिनव कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' पर एक परियोजना लागू कर रहा है। (आउटरीचः 3,61,702)

16.2.10 अब्दुल नजीर साब राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, मैसूर, कर्नाटक, कर्नाटक के पंचायती राज पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। (आउटरीचः 33,836)

16.2.11 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की 100 ग्राम पंचायतों में विधि दूतों को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। (आउटरीचः 2,365)

16.2.12 बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना बिहार की ग्राम पंचायतों में 700 विधि मित्रों को बढ़ावा दे रहा है। (आउटरीचः 1,024)

16.2.13 मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय, मेघालय में सामुदायिक मध्यस्थता पर काम कर रहा है। (आउटरीचः 1,599)

16.2.14 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली 'कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन' पर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

16.2.15 न्याय विभाग ने स्कूलों/कॉलेजों में कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डॉ. अंबेडकर राजकीय विधि महाविद्यालय, पुडुचेरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (आउटरीचः 900)

16.2.16 न्याय विभाग ने भारत में पैरालीगल प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (आउटरीचः 630)

16.3 वेबिनार श्रृंखला :

कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन सामुदायिक स्तर पर कानूनी जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों के संचालन में बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इसलिए, कानूनी जागरूकता पर वेबिनारों के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों तक पहुंचने के लिए वर्चुअल माध्यम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। सितंबर, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक–कानूनी मुद्दों पर बीस विषयगत कानूनी जागरूकता वेबिनार आयोजित की गईं और 4.62 लाख लाभार्थियों तक पहुँच बनाई गई। वित्त वर्ष 2023–2024 में कुल 4 वेबिनार आयोजित की गईं, जो 75,700 से अधिक दर्शकों तक पहुँचे। जिन विषयों पर वेबिनार आयोजित की गईं उनमें भारत में बाल श्रम, एसिड अटैक सर्वाइवरों का पुनर्वास, श्रम कानून और बाल यौन शोषण शामिल हैं।

17. आज़ादी का अमृत महोत्सव : गहन जन–केन्द्रित आउटरीच

आज़ादी के अमृत महोत्सव जश्न में शामिल होने के लिए गहन जन–केन्द्रित संपर्क कार्यक्रम चलाए गए हैं विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है : –

17.1 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 2023 का उत्सव

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय "वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग" था क्योंकि यह 'एक विश्व–एक परिवार' के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग को दर्शाता है। योग ने करुणा, दया के माध्यम से लोगों को एक साथ लाया है, एकता की भावना को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर के लोगों में लचीलापन पैदा किया है। न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21.06.2023 को जैसलमेर हाउस में अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आई डी वाई) मनाया। कार्यक्रम में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023 को न्यायपालिका के साथ मिलकर अभूतपूर्व पैमाने पर पूरे देश में अद्वितीय वास्तुकला वाली प्रतिष्ठित इमारतों में मनाया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों सहित न्यायपालिका के 30,000 से अधिक सदस्यों और विभिन्न स्थानों पर स्टाफ सदस्यों और बार सदस्यों ने भाग लिया।

17.2 हर घर तिरंगा अभियान, 2023

न्याय विभाग ने समानता, न्याय, शांति के मूल्यों को विकसित करने और आजादी के सम्मान में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 13 से 15 अगस्त, 2023 तक मनाए गए हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया। इस अभियान को पूरे देश में न्यायपालिका द्वारा अभूतपूर्व पैमाने पर मनाया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों ने अपने कर्मचारियों के साथ अपने आवासों और संबंधित कार्यालय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भाग लिया।

17.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 (30.10.2023 से 05.11.2023)

विभाग में दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 मनाया गया। दिनांक 30.10.2023 को न्याय विभाग और इससे अनुदान प्राप्त निकायों यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। दिनाक 30.10.2023 को शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, न्याय विभाग के सचिव ने सतर्कता जागरूकता गतिविधियों की आवश्यकता के बारे में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। न्याय विभाग द्वारा दिनांक 03.11.2023 को 'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है।

18. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणः

18.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रह जाए। अनुच्छेद 14 और 22 (1) राज्य को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित करते हैं। वर्ष 1987 में, संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था, जो 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ, ताकि समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन किया गया है, ताकि विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके और अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित किए जा सकें।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का संगठन आरेख नीचे दर्शाया गया हैः

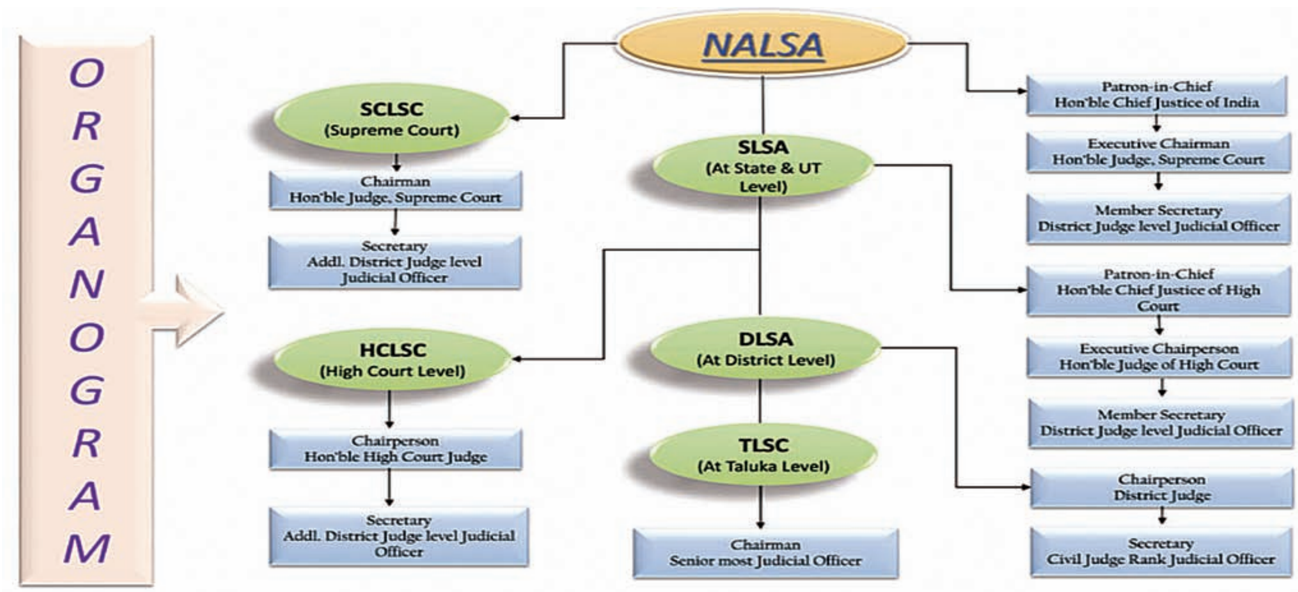

18.2 क्षेत्रीय सम्मेलन

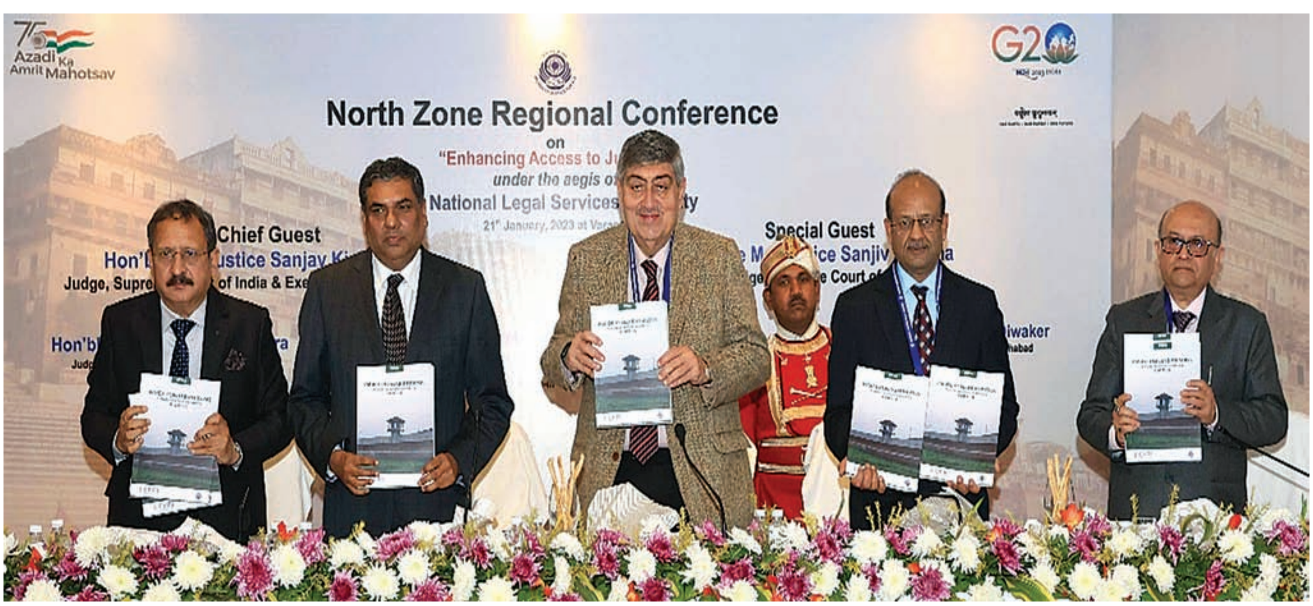

नालसा ने सभी के लिए समान न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पूरे भारत में क्षेत्रवार चार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए। सम्मेलन का मुख्य विषय, "न्याय तक पहुँच बढ़ाना" ने समाज के सभी पहलुओं के लिए कानूनी सहायता को प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए नालसा के समर्पण पर जोर दिया।

तारीख	क्षेत्र	कार्यक्रम का स्थान
21 जनवरी, 2023	उत्तर क्षेत्र	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
4 मार्च, 2023	पश्चिम क्षेत्र	उदयपुर (राजस्थान)
18 मार्च, 2023	पूर्वी क्षेत्र	शिलांग (मेघालय)
8 अप्रैल, 2023	दक्षिण क्षेत्र	मैसूर (कर्नाटक)

ये क्षेत्रीय सम्मेलन विधिवेत्ताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास का प्रतीक थे। मुख्य चर्चाएं निम्न पांच मुख्य एजेंडों के इर्द–गिर्द घूमती रहीं:

1. न्यायिक ढांचे के भीतर कानूनी सहायता सेवाओं का विकास
2. वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना और लोक अदालतों का महत्व
3. न्याय तक बेहतर पहुंच के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का निर्बाध एकीकरण
4. नालसा योजनाओं, कानूनी जागरूकता और आउटरीच को बढ़ावा देना
5. चुनौतियों की खोज और सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान–प्रदान

18.3 19वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिवेशनः

नालसा हर साल एसएलएसए की अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित करता है, जिसमें भविष्य की कार्रवाई पर विचार–विमर्श और उसे अंतिम रूप दिया जाता है, साथ ही पिछले वर्षों में शुरू की गई विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन भी किया जाता है। इस वर्ष 19वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन जम्मू और कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा के तत्वावधान में 30 जून और 1 जुलाई, 2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में किया गया।

अधिवेशन के दौरान, विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए भविष्य की कार्यवाही, लक्ष्य निर्धारित करने, विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने और देश में विधिक सहायता कार्यक्रमों को सुदृढ़ और कारगर बनाने के लिए कदमों को लागू करने पर चर्चा की गई। अधिवेशन में राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन– 15100 और नालसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने, विचाराधीन कैदियों के लिए विधिक सहायता, विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) सहित न्यायालय आधारित विधिक सहायता, विधिक सशक्तिकरण और पर्यावरण–न्याय पर सत्र शामिल थे।

18.4 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों का सम्मेलन

नालसा ने 15 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के सत्र निम्नलिखित विषयों पर थे:

- पीएफएमएस के ट्रेजरी सिंगल अकाउंट मॉड्यूल (टीएसए) और मुद्दों का निराकरण – कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याएं और उनका निवारण।
- एलएडीसीएस – कार्यान्वयन की स्थिति, चुनौतियाँ और समाधान खोजना।
- जीएफआर 2017 के नियम 237 के अनुसार लेखा विवरण की लेखापरीक्षा, तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।
- 30 जून और 1 जुलाई, 2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित विधिक सेवा संस्थान के 19 वें अखिल भारतीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्रवाई।

18.5 विचाराधीन समीक्षा समिति विशेष अभियान – 2023

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा के मार्गदर्शन में नालसा ने 18 सितंबर, 2023 से 20 नवंबर, 2023 तक अडर ट्रायल रिव्यू कमेटी विशेष अभियान 2023' शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों (यूटीआरसी) के नियमित कामकाज में तेजी लाना और सभी पात्र अंडर ट्रायल कैदियों (यूटीपी) की समीक्षा करना है। इससे उन कैदियों की पहचान और समीक्षा में तेजी आएगी जो यूटीआरसी के लिए नालसा की स्थायी संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार रिहाई के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

18.6 विधिक सेवा दिवस स्मरणोत्सव – 2023

नालसा द्वारा 09 नवंबर, 2023 को विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और नालसा के मुख्य संरक्षक ने आईवीआरएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से नालसा के उन्नत "राष्ट्रीय टोल–फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100" और एनसीडब्ल्यू के मोबाइल एप्लिकेशन "हर लीगल गाइड" का शुभारंभ किया।

18.7 कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन: वैश्विक दक्षिण में न्याय तक पहुंच को मजबूत करना

नालसा ने भारत सरकार के न्याय विभाग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फाउंडेशन (आईएलएफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के साथ मिलकर 27 और 28 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली, भारत में "कानूनी सहायता तक पहुंच: वैश्विक दक्षिण में न्याय तक पहुंच को मजबूत करना" विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 40 अफ्रीका–एशिया–प्रशांत देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय विधि मंत्री; राष्ट्रीय कानूनी सहायता संस्थानों/प्राधिकरणों/सेवाओं के प्रमुख; और शिक्षाविदों/नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल थे।

दो दिनों के दौरान, विभिन्न विषयों पर कुल 16 सत्र आयोजित किए गए, ताकि भाग लेने वाले देशों की न्याय तक पहुँच और कानूनी सहायता तक पहुँच की विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित और रणनीतिक विचार–विमर्श किया जा सके। सम्मेलन के दौरान एक सतत विकास लक्ष्य के रूप में न्याय तक पहुँच पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज और मुख्य न्यायाधीशों की गोलमेज बैठक भी आयोजित की गई और उसके बाद एक परिणाम दस्तावेज़ जारी किया गया। सम्मेलन में कानूनी सहायता तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने और वैश्विक दक्षिण देशों के लिए 'न्याय की सुगमता' को आगे बढ़ाने के लिए एक मॉडल के रूप में भारत की 'न्याय तक पहुंच' रूपरेखा को प्रदर्शित किया गया।

18.8 मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) का राज्य स्तरीय सम्मेलन

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने दिनांक 13.01.2024 को भोपाल, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के डीएलएसए के पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में एमपी एसएलएसए के सदस्य सचिव, अध्यक्ष और डीएलएसए के सचिवों ने भाग लिया। सम्मेलन का एजेंडा जमीनी स्तर की चुनौतियों, चिंताओं, समाधानों और फीडबैक पर चर्चा करना था।

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (केएसएलएसए) ने नालसा के तत्वावधान में दिनांक 24.03.2024 को डीएलएसए का राज्य सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन ने ज्ञान त्रिकोण के एकीकरण अर्थात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, केएसएलएसए और नालसा की जानकारी और दृष्टिकोणों के एकीकरण के लिए एक मंच प्रदान किया।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 30 मार्च, 2024 को जयपुर में "कानूनी सहायता और सामाजिक न्याय, न्याय तक पहुंच में चुनौतियाँ और अवसर" विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का हिस्सा थी। इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 2 पुस्तकों और एक चैट बॉट का विमोचन किया गया। इस संगोष्ठी के बाद राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का राजस्थान राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया।

18.9 युवाओं को पुनः स्थापित करना : जेलों में बंद किशोरों की पहचान करने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय अभियान – 2024

माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने 75 वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी, 2024 को एक अखिल भारतीय अभियान – "युवाओं को पुनर्स्थापित करनाः जेलों में किशोरों की पहचान करने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय अभियान–2024" का शुभारंभ किया, जो 25 जनवरी, 2024 से 27 फरवरी, 2024 तक आयोजित किया गया।

वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम में सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य सचिव और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस अभियान का उद्देश्य उन कैदियों की पहचान करना जो अपराध के समय संभवतः नाबालिग थे, और संबंधित अदालत के समक्ष किशोर होने का दावा करने के लिए आवश्यक आवेदन दाखिल करने में उनकी सहायता करना और पहचाने गए मामलों में उन्हें बाल देखभाल संस्थानों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करना था।

18.10 राष्ट्रीय लोक अदालत

विधिक सेवा संस्थाएं नालसा के तत्वावधान में चार राष्ट्रीय लोक अदालते हर साल आयोजित करती हैं। इन लोक अदालतों का आयोजन 'शीघ्र और प्रभावी न्याय' के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अदालतों में विभिन्न मामलों जैसे आपराधिक समझौता योग्य मामले, राजस्व मामले और बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक बाउंस मामले, श्रम विवाद और अन्य सिविल मामलों की सुनवाई की जाती है।

दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

दिनांक	पूर्व मुकदमेबाजी			लंबित मामले			कुल		
	सुनवाई के मामलों की संख्या	निपटान	कुल निपटान राशि (रुपये में)	सुनवाई के मामलों की संख्या	निपटान	कुल निपटान राशि (रुपये में)	सुनवाई के मामलों की संख्या	निपटान	कुल निपटान राशि (रुपये में)
11.02.2023	32713845	17604677	27485393280	5990139	3057454	126759049411	38703984	20662131	154244442691
13.05.2023	24447578	15632501	30733933185	5981543	3381576	116631049862	30429121	19014077	147364983047
09.09.2023	24190061	16251374	35836516957	6726729	4244195	107635067176	30916790	20495569	143471584133
09.12.2023	33102853	17889355	43728738522	5333468	2969514	113904291867	38436321	20858869	157633030389

18.11 विधिक सेवाओं से लाभान्वित व्यक्ति

मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा गरीबों और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्रदान की जाती हैं। अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 के दौरान मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का लाभ उठाने वाले समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या से संबंधित डेटा निम्नलिखित है :

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	एसएलएसए	अ.ज.	अ.ज.ज.	महिला	बच्चे	हिरासत में	विकलांग व्यक्ति	औद्योगिक कामगार	ट्रांस जेंडर	मानव तस्करी या बेगार का शिकार	सामूहिक आपदा हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित	निर्धारित सीमा से अधिक न हो)	अन्य	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	42	0	64	8	0	0	0	0	14	92	220
2	आंध्र प्रदेश	318	75	983	61	2220	24	1	1	0	0	1128	3454	8265
3	अरुणाचल प्रदेश	628	2006	1453	84	1440	4	17	0	0	0	41	23	5696
4	असम	1254	3098	6168	2366	17711	188	1286	1	2	813	8922	21940	63749
5	बिहार	7306	1270	15307	6889	34778	163	429	21	0	549	2575	82126	151413
6	छत्तीसगढ	6884	12701	9621	544	14601	10	12	1	5	21	8489	9275	62164
7	दादरा एवं नगर हवेली	2	6	21	0	15	0	11	0	0	0	0	0	55
8	दमन और दीव	4	2	14	1	7	0	2	0	0	0	4	0	34
9	दिल्ली	1705	16	22631	2761	24794	342	1538	१३	912	32940	12984	21246	121882
10	गोवा	6	4	790	4	232	38	0	0	0	0	480	4	1558
11	गुजरात	3825	2716	11560	565	10184	123	101	0	3	62	7981	3449	40569
12	हरियाणा	1568	0	7818	468	35367	137	7	3	0	26611	3151	1733	76863
13	हिमाचल प्रदेश	547	143	3195	90	725	81	0	8	१३	553	897	1094	7346
14	जम्मू और कश्मीर	757	398	4082	510	1184	145	1	3	0	32	2759	1525	11396
15	झारखंड	21387	27451	47687	14730	19352	770	5266	664	34	59	2534	129369	269303
16	कर्नाटक	6751	3876	11955	932	8647	340	314	39	2	0	3210	17340	53406
17	केरल	2789	441	15812	3899	5653	225	137	54	85	49	5822	1532	36498
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	30163	25563	41291	19955	58171	1444	1110	0	1	5	20759	27048	225510
20	महाराष्ट्र	2298	635	17566	964	20687	287	158	52	389	17	5823	4880	53756
21	मणिपुर	751	8585	7621	2487	282	129	17	26	686	38304	2881	866	62635

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	एसएलएसए	अ.ज.	अ.ज.ज.	महिला	बच्चे	हिरासत में	विकलांग व्यक्ति	औद्योगिक कामगार	ट्रांस जेंडर	मानव तस्करी या बेगार का शिकार	सामूहिक आपदा हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित	निर्धारित सीमा से अधिक न हो)	अन्य	कुल
22	मेघालय	27	716	490	68	865	0	0	0	0	3	81	121	2371
23	मिजोरम	4	2528	537	62	599	218	0	0	0	0	62	791	4801
24	नागालैंड	373	2342	557	137	628	56	0	0	0	0	510	0	4603
25	ओडिशा	1375	1073	3264	39	4473	6020	15	100	11	4	1967	948	19289
26	पुदुचेरी	26	0	181	256	71	0	1	0	0	0	49	37	621
27	पंजाब	5287	28	13714	419	24764	243	101	6	1	447	9968	5383	60361
28	राजस्थान	333	132	1337	6274	11000	19	36	0	0	0	938	221	20290
29	सिक्किम	32	118	553	18	218	2	0	0	0	0	127	6	1074
30	तमिलनाडु	1881	782	10962	178	8989	135	90	6	11	32	7186	14928	45180
३१	तेलंगाना	131	66	2066	334	4258	12	0	0	0	0	3198	3128	13193
32	त्रिपुरा	795	831	3732	286	1115	41	0	38	24	0	1610	1492	9964
33	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	15	0	1355	238	418	8	0	1	0	0	692	95	2822
34	उत्तर प्रदेश	2776	83	2487	1654	7328	231	89	251	0	1	4964	9215	29079
35	उत्तराखंड	626	215	2358	846	14701	47	49	2	0	32	1570	893	21339
36	पश्चिम बंगाल	5020	2590	14423	1404	18383	101	111	18	69	7	18516	1712	62354
37	लद्दाख	29	333	105	3	0	0	0	0	0	0	0	35	505
	कुल	107673	100823	283738	69526	353924	11591	10899	1308	2248	100541	141892	366001	1550164

19. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) :

भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, परिलब्धियों और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री पी.वेंकटराम रेड्डी की अध्यक्षता में एक नया राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया गया, जिसे द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के रूप में जाना जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति दिनांक 16.11.2017 की अधिसूचना द्वारा की गई थी।

2. एसएनजेपीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.07.2022 के आदेश के तहत संशोधित वेतन ढांचे पर एसएनजेपीसी की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि एसएनजेपीसी द्वारा अनुशंसित वेतन संरचना को स्वीकार किया जाएगा और संशोधित वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे। इस माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जहां तक बकाया राशि का संबंध है, बकाया राशि का 25% 3 महीने की अवधि के भीतर नकद रूप में देय होगा। इसके बाद 3 महीने के भीतर अन्य 25% राशि का भुगतान नकद में किया जाना था और शेष 50% का भुगतान जून, 2023 के अंत तक या उससे पहले किया जाना था। माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.05.2023 के आदेश के तहत न्यायिक अधिकारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर एसएनजेपीसी की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि वेतन के सभी बकाया का भुगतान दिनांक 30.06.2023 तक किया जाए। पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के 25% बकाया का भुगतान 31.08.2023 तक अन्य 25% का भुगतान दिनांक 31.10.2023 तक तथा शेष 50% का भुगतान 31.12.2023 तक किया जाए।

3. न्याय विभाग ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों के संबंध में एसएनजेपीसी की सिफारिशों को लागू किया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.7.2022 और 19.05.2023 के आदेशों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के संशोधित वेतनमान में निर्धारण के लिए जम्मू–कश्मीर, दिल्ली एवं पुड्डूचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की मंजूरी से दिनांक 08.08.2023 के आदेश के तहत् अवगत कराया। शेष केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों का अपना कोई संवर्ग नहीं है और इन केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों को संबंधित पड़ोसी राज्य से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23.11.2023 के आदेश के अंतर्गत यह उल्लेख किया है कि 31 जनवरी, 2024 की बाहरी सीमा के आधार पर, सभी उच्च न्यायालय 19 मई 2023 के निर्णय में निहित निर्देशों का अनुपालन 31 दिसंबर, 2023 तक सुनिश्चित करेंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और उच्च न्यायालय नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्वोक्त समय सीमा के भीतर सूचित करेंगे और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र इन नियमों को 31 जनवरी 2024 तक अधिसूचित करेंगे।

5. न्याय विभाग ने कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.7.2022 और 19.05.2023 के आदेशों में दिए गए निर्णयों के अनुसार संशोधित वेतनमान में करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से जम्मू–कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 08.08.2023 के आदेश के तहत अवगत कराया। न्याय विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी की सरकारों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.11.2023 के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 04.01.2024 के आदेश के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न भत्तों को लागू करने का निर्देश दिया है। यह मामला वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में परामर्श के लिए विचाराधीन है।

20. न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)

न्याय विभाग ने न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायिक सहयोग और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के क्षेत्र में नौ देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में, न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में सिंगापुर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर दिनांक 07.09.2023 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

21. शिकायतों का निवारणः

न्याय विभाग को नागरिकों से सीधे और ऑनलाइन सी पी ग्राम पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक 18077 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अद्यतन स्थिति के अनुसार 17866 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था।

22. भारत की न्यायिक प्रणाली पर विजन /2047 – राष्ट्रीय हितधारक परामर्श

भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने के लिए, भारत सरकार के क्षेत्रीय सचिव समूह (एसजीओएस) द्वारा बुनियादी ढांचे, संसाधन, सामाजिक और कल्याण, रक्षा, शासन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए "विजन इंडिया /2047" विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अगले 25 वर्षों के लिए सुधारों पर एक ऐसा विजन दस्तावेज प्रदान किया जा सके, जो संबंधित क्षेत्रों में भारत को विश्व नेता के रूप में पेश करेगा।

शासन पर एसजीओएस–09 के तहत, न्याय विभाग भारत की कानूनी और न्यायिक प्रणाली के लिए विज़न इंडिया / 2047 तैयार कर रहा है। विज़न /2047 दस्तावेज़ में शामिल करने के लिए सचिव (न्याय) की अध्यक्षता में नवीन और परिवर्तनकारी विचारों पर विधि छात्रों, अधिवक्ताओं, विभिन्न बार काउंसिलों के सदस्यों और सिविल सोसाइटी संगठन (सीएसओ), कानूनी स्टार्ट–अप आदि के प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों के साथ विविध परामर्श और विचार–विमर्श किया गया है। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग ने व्यावसायिक विवाद समाधान में तेजी लाने के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए कानूनी सुधारों को आगे बढ़ाने, ई–कोर्ट के माध्यम से न्याय में आसानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और नागरिकों को सुचारू और प्रभावी न्याय प्रदायगी और कानूनी सेवाओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले और बाद में कानूनी सहायता और सलाह सेवाओं को मजबूत करने के माध्यम से न्याय तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया है।

23. विभाग की विविध गतिविधियां :

23. 1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत न्याय विभाग ने निम्नलिखित कार्यवाहियां शुरू की हैं:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों को एकत्रित करने और संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करने तथा सूचना के अधिकार के आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के संबंध में त्रैमासिक रिटर्न केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत करने के लिए सी.ए.पी.आई.ओ. के रूप में नामित किया गया है।

(ख) विभाग के कार्यों और उसके पदाधिकारियों का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://doj.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है, जैसा कि उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (आई) के तहत अपेक्षित है।

(ग) आवंटित विषयों के अनुसार अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (आई) के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) आवंटित विषयों के लिए कार्यरत अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों के संबंध में सूचना का अधिकार

अधिनियम, 2005 की धारा 19 (i) के अनुसार निदेशकों / उप सचिव / अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(ङ.) वर्ष 2023–24 (01.01.2023) से (31.03.2024) के दौरान, 444 सूचना का अधिकार के आवेदन और 11 अपीलें मैन्युअल रूप से प्राप्त हुईं और 5312 आरटीआई आवेदन और 149 अपीलें विभाग में ऑनलाइन प्राप्त हुईं और अनुरोधित सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित सीपीआईओ / सार्वजनिक प्राधिकरणों को भेज दी गईं।

(च) डीओपीटी के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 / 5 / 2011 – आईआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, विभाग सभी सूचना का अधिकार और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

वर्ष 2023 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:–

मामला	ऑनलाइन	ऑफलाइन
सूचना का अधिकार	5312	444
अपील	149	11

23.2 महिला सशक्तिकरण :

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के अनुपालन में, विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए दिनांक 20.09.2023 को एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (एक एनजीओ से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी शामिल हैं।

23.3 स्वच्छ भारत अभियान :

भारत सरकार के नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम लागू किया गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान 'स्वच्छता पखवाड़ा' कार्यक्रम दिनांक 01.04.2023 से 15.04.2023 तक मनाया गया और 'स्वच्छता ही सेवा' नामक एक अन्य कार्यक्रम मनाया गया और लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसर के अंदर वृक्षारोपण, व्यापक सफाई अभियान, पुराने रिकॉर्डों की छंटाई, पुरानी और अप्रचलित वस्तुओं का निपटान और न्याय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान जैसी गतिविधिया की गईं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कार्यालय परिसर के रखरखाव के लिए स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत कार्यों के लिए 61.30 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे। इस पर (31.03.2024 तक) 60.87 लाख रुपये खर्च हो गए थे।

23.4 ई–ऑफिस का कार्यान्वयनः

कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई–ऑफिस को चालू करने की पहल की है। ई–ऑफिस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई–ऑफिस पर प्रशिक्षण देने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग भारत सरकार के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों/विभागों में से एक है, जो पूर्ण ई–ऑफिस प्लेटफ़ॉर्म पर आ गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के बीच डेटा के निर्बाध प्रवाह के लिए, न्याय विभाग पहले ही ई–फाइल (ई–ऑफिस) के संस्करण 7.0 पर आ चुका है।

24. राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः

विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। यह केंद्र सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुपालन के दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करता है। अनुवाद कार्य के अतिरिक्त विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य भी इसे सौंपा गया है। राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2023 में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गईं। विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए टिप्पण एवं प्रारूपण से संबंधित योजना कार्यान्वित की जा रही है। टिप्पण एवं प्रारूपण योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी) के सहयोग से न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए 05 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र दिए गए। वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशालाओं और त्रैमासिक बैठकों के आयोजन के अलावा, न्याय विभाग के 30 अधिकारियों/कर्मचारियों को नव विकसित अनुवाद सॉफ्टवेयर, %कंठस्थ 2.0% पर डेस्क प्रशिक्षण दिया गया ताकि उन्हें इस उपकरण का उपयोग करके दस्तावेजों का अनुवाद करने में सक्षम और प्रोत्साहित किया जा सके।

24.1 हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवसः

विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए 30 सितम्बर, 2023 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय सचिव (न्याय) की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री का संदेश पढ़ा गया। अपने संबोधन में सचिव (न्याय) ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, विभाग में 14 सितम्बर, 2023 से 29 सितम्बर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा मनाने के दौरान छह प्रतियोगिताएं अर्थात हिंदी निबंध, हिंदी अनुवाद, हिंदी कविता पाठ, हिंदी टंकण, हिंदी श्रुतलेखन और हिंदी आशुलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में कुल 89 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार (प्रथम : रु.3,000/–,

द्वितीय : रु. 2,500 /– और तृतीय : रु. 1500/–) और पांच प्रोत्साहन पुरस्कार रु. 1,000/– तथा प्रमाण पत्र दिए गए।

25. एक विशेष अभियान 2.0

लंबित मामलों में कमी लाने और स्थान के कुशल प्रबंधन के लिए 2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक एक विशेष अभियान चलाया गया। स्थान प्रबंधन उद्देश्य के लिए इस अभियान के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को भी लाया गया। लंबित मामले निपटान के अभियान में सांसदों, संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों और राज्य सरकारों के संदर्भों की श्रेणियों के अंतर्गत सभी लंबित मामलों का निपटान किया गया।

26. सीएजी पैरा की स्थिति

न्याय विभाग में कोई भी सीएजी/पीएसी का पैरा लंबित नहीं है।

*****

अध्याय 3

विधि कार्य विभाग

1. कार्य और संगठनात्मक संरचना

1.1 विभाग को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार निम्नलिखित विषय आवंटित किए गए हैं :–

1. कानूनी मामलों पर मंत्रालयों को सलाह देना जिनमें संविधान और कानूनों की व्याख्या, हस्तांतरण–लेखन शामिल है और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपस्थित होने के लिए काउंसेल की नियुक्ति।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, तथा राज्यों के अन्य केन्द्रीय सरकारी विधि अधिकारी, जिनकी सेवाएं भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा साझा की जाती हैं।
3. केन्द्रीय अभिकरण योजना में सहभागी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मामलों का संचालन करना।
4. सिविल न्यायालयों के आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल मुकदमों में समन की तामील, भरण–पोषण आदेशों के प्रवर्तन तथा भारत में बिना वसीयत के मरने वाले विदेशियों की सम्पदा के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था।
5. संविधान के अनुच्छेद 299(1) के तहत राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति हस्तांतरण–पत्रों को निष्पादित करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत करना, और केंद्र सरकार द्वारा या उसके खिलाफ वादों में शिकायत या लिखित बयानों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत करना।
6. भारतीय विधि सेवा।
7. सिविल कानून के मामलों में विदेशों के साथ संधियाँ और समझौते।
8. विधि आयोग।
9. विधिक पेशा, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) तथा उच्च न्यायालयों में वकालत करने के हकदार व्यक्ति भी हैं।
10. उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार और अतिरिक्त शक्तियों पर विचार विमर्श; उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने के लिए हकदार व्यक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के संदर्भ।
11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन
12. आयकर अपीलीय अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन भी आवंटित किया गया है:–

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

(घ) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996

(ड.) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और

(च) भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019

1.2 विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण, भारतीय विधि आयोग और भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र का प्रशासनिक प्रभारी भी है। विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी मामलों से भी प्रशासनिक रूप से संबंधित है। यह भारत के महान्यायवादी, भारत के महा सॉलिसिटर और भारत के अपर महासॉलिसिटर जैसे विधि अधिकारियों की नियुक्ति से भी जुड़ा हुआ है। विधि विभाग में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने तथा विधिक पेशे में सुधार के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में कार्यरत कुछ संस्थानों जैसे भारतीय विधि संस्थान को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की दो स्तरीय संरचना, अर्थात नई दिल्ली में मुख्य सचिवालय तथा मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बेंगलुरु में शाखा सचिवालय है। विभाग द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है– सलाह कार्य और मुकदमेबाजी कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–I में दिया गया है।

2.1 मुख्य सचिवालयः

i. मुख्य सचिवालय की व्यवस्था में विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार शामिल हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण–लेखन से संबंधित कार्य अधिकारियों के समूहों में वितरित किया गया है। प्रत्येक समूह का नेतृत्व आम तौर पर एक अपर सचिव या एक संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार द्वारा किया जाता है, जिन्हें क्रम से विभिन्न स्तरों पर कई अन्य विधि सलाहकारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

ii. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ प्रशासनों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी का कार्य केंद्रीय अभिकरण अनुभाग द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में अपर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता संवर्ग के अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

iii. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय और कैट (प्रधान पीठ) में मुकदमेबाजी का कार्य मुकदमेबाजी (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में एक उप विधि सलाहकार द्वारा किया जा रहा है।

iv. मुकदमा (निचली अदालत) अनुभाग द्वारा दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमेबाजी का कार्य किया जाता है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में एक सहायक विधि सलाहकार द्वारा किया जा रहा है।

v. विभाग में भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2015 के प्रशासन के निपटान के लिए कार्यान्वयन प्रकोष्ठ नामक एक विशेष प्रकोष्ठ है। यह विधिक पेशे से भी संबंधित है।

vi. रेलवे बोर्ड और दूरसंचार विभाग में क्रमशः संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार का एक–एक पद है। हालाँकि, वर्तमान में इन दोनों संगठनों से संबंधित कार्य अपर सचिव स्तर पर देखा जा रहा है। इनके

अलावा, भारतीय विधि सेवा के अधिकारी रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, एसएफआईओ, अंतरिक्ष विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आसूचना ब्यूरो, नैटग्रिड, एनटीआरओ और सीबीआई में भी तैनात हैं।

2.2 भारतीय विधि सेवा(आईएलएस) का सृजनः

समाज के विकास के साथ–साथ कानूनी पेशे में भी कायापलट हुआ और न्याय के समुचित वितरण तथा समाज की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए 1956 में किया गया ऐसा ही एक प्रयास केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान में भारतीय विधि सेवा का अग्रदूत) का सृजन था। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने भारतीय विधि सेवा नियमावली, 1957 के अंतर्गत भारतीय विधि सेवा की स्थापना की, जो 1 अक्टूबर 1957 से लागू हुई। स्थापना के बाद से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देकर तथा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों का मसौदा तैयार करके राष्ट्र को समर्पित सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस सेवा ने राज्यों को राज्यपाल, संसद के सदनों को महासचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश तथा विभिन्न अधिकरणों जैसे कैट, आईटीएटी, डीआरटी आदि को न्यायिक सदस्य और सूचना आयुक्त दिए हैं।

2.3 भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) की भूमिकाः

भारतीय विधि सेवा (आईएलएस) के अधिकारी विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग जो भारत सरकार के प्रमुख विधिक अंग हैं में कार्यरत हैं एवं इन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए इष्टतम स्तर पर कार्यनिष्पादन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना साझा करने की गतिशीलता को बदल दिया है और अर्थव्यवस्था ने धन सृजन के नए क्षेत्र उपलब्ध कराए हैं। विधि और न्याय वितरण प्रणाली ऐसे परिवर्तनों से अछूती नहीं है। इसके लिए आईएलएस अधिकारियों को उभरती हुई कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधि कौशल और तीक्ष्णता को अद्यतन करना आवश्यक है। इन्होंने सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा उन पर की गई मांगों का प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से जवाब दिया है और सलाहकार के साथ–साथ मसौदा तैयार करने के काम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. सलाह अनुभाग

3.1 विधि कार्य विभाग में तीन सलाह अनुभाग अर्थात सलाह ए, सलाह बी और सलाह सी हैं। सलाह ए और सलाह बी अनुभाग कानूनी राय के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सलाह के आवेदनों से संबंधित फाइलों के संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं। कानूनी सलाह के लिए प्राप्त अनुरोधों को संबंधित समूह प्रमुखों के समक्ष जिन्हें विशेष मंत्रालय/विभाग आवंटित किए गए, रखा जाता है। कामकाज को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सलाह ए और सलाह बी अनुभागों के बीच वितरित किया गया हैः

(क) निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग/संगठन सलाह 'ए' अनुभाग द्वारा देखे जाते हैंः

1. गृह मंत्रालय
2. विदेश मंत्रालय
3. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
4. रक्षा मंत्रालय
5. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

6. श्रम और रोजगार मंत्रालय
7. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
8. इस्पात मंत्रालय
9. खान मंत्रालय
10. न्याय विभाग
11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
12. कोयला मंत्रालय
13. संचार मंत्रालय
14. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास
16. संघ लोक सेवा आयोग
17. कर्मचारी चयन आयोग
18. केंद्रीय सूचना आयोग
19. पोत परिवहन मंत्रालय
20. नागर विमानन मंत्रालय
21. जनजातीय कार्य मंत्रालय
22. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
23. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
24. पर्यटन मंत्रालय
25. भारत का निर्वाचन आयोग
26. केंद्रीय सतर्कता आयोग
27. सभी मंत्रालयों और विभागों के गृह निर्माण अग्रिम मामलों सहित हस्तांतरण–लेखन संबंधी मामले।

(ख) निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मामले सलाह 'बी' अनुभाग द्वारा देखे जाते हैं:

1. वित्त मंत्रालय
2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
3. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
5. रेल मंत्रालय
6. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
7. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
8. संसदीय कार्य मंत्रालय
9. लोक सभा सचिवालय
10. राज्य सभा सचिवालय

11. राष्ट्रपति सचिवालय
12. प्रधानमंत्री कार्यालय
13. मंत्रिमंडल सचिवालय
14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
15. जल शक्ति मंत्रालय
16. वस्त्र मंत्रालय
17. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
19. परमाणु ऊर्जा विभाग
20. विद्युत मंत्रालय
21. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
22. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
23. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
24. कृषि मंत्रालय
25. ग्रामीण विकास मंत्रालय
26. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
27. शिक्षा मंत्रालय
28. संस्कृति मंत्रालय
29. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
30. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
31. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
32. अंतरिक्ष विभाग
33. पंचायती राज मंत्रालय
34. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
35. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
36. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
37. सहकारिता मंत्रालय
38. आयुष मंत्रालय
39. विधि कार्य विभाग
40. विधायी विभाग
41. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

3.2 सलाह ए और बी अनुभाग (विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में तैनात अधिकारियों सहित) को वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान मुकदमेबाजी मामलों, कैबिनेट नोट, निजी सदस्य बिल, राज्य विधेयक, हस्तांतरण–लेखन मामलों, जवाबी हलफनामों की जांच और सामान्य मामलों पर कानूनी सलाह के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कुल 10328 संदर्भ प्राप्त हुए।

3.3 2441 एसएलपी, 1431 न्यायालय मामले, सामान्य मामलों पर कानूनी सलाह के लिए 2558 संदर्भ, 2264 जवाबी हलफनामों की जांच, 313 कैबिनेट नोट, 41 गैर–सरकारी सदस्य विधेयक, 68 राज्य विधेयक/अध्यादेश और 206 हस्तांतरण–लेखन मामले जिनमें पट्टा अनुबंध/समझौता ज्ञापन (एमओयू) आदि शामिल हैं, की जांच की गई।

3.4 इस विभाग के अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान 315 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में भाग लिया।

3.5 सलाह अनुभाग से संबंधित 81 आरटीआई आवेदनों और 8 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया।

3.6 40 संसदीय प्रश्नों/प्रश्नों के लिए इनपुट तैयार किए गए।

4. नोटरी सेल

4.1 नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियमावली, 1956 का प्रशासन नोटरी सेल के अधिकार क्षेत्र में आता है। नोटरी सेल विधि व्यवसायियों (लीगल प्रैक्टिसनर) या अन्य व्यक्तियों से प्राप्त उन ऑनलाइन आवेदनों को संसाधित करता है, जिनके पास नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित अहर्ताएं हैं। इसमें इन आवेदनों की जांच परीक्षा और संवीक्षण साक्षात्कार आयोजित करना; चयनित व्यक्तियों को नोटरी के रूप में नियुक्त करना; आदि शामिल है। नोटरी सेल नोटरी की ओर से व्यावसायिक (प्रोफेशनल) कदाचार के आरोपों की जांच भी करता है। यह पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त केंद्रीय नोटरी के सत्यापन के अनुरोधों पर भी कार्रवाई करता है।

4.2 नोटरी सेल केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटरी के रूप में प्रैक्टिस के प्रमाण–पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर भी कार्रवाई करता है। नोटरी सेल द्वारा नोटरी प्रैक्टिस के क्षेत्र में बदलाव के लिए आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाती है।

4.3 केन्द्र सरकार द्वारा अब तक, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 22742 व्यक्तियों को नोटरी के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रदान किया गया है।

4.4 नोटरी की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करनाः –

नोटरी सेल ने केंद्रीय नोटरी की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(क) प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। नोटरी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार अब ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाते हैं। इससे उन आवेदकों को आसानी हुई है, जिन्होंने केंद्रीय नोटरी की नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और इससे पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आई है। ऑनलाइन साक्षात्कार आवेदकों के लिए किफायती भी है क्योंकि इससे उनकी यात्रा लागत और समय की बचत होती है। आवेदक अब अपने घर या कार्यालय से ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

(ख) कागज रहित प्रणाली बनाने की दिशा में, भौतिक (फिजिकल) आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ऑनलाइन आवेदन प्रणाली द्वारा बदला गया है।

4.5 नागरिकों के लिए आसान पहुंचः –

जहां तक नोटरी सेवाओं का संबंध है, केंद्र सरकार ने नागरिकों को इसकी आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, 24 फरवरी, 2024 की अधिसूचना के तहत नोटरी नियमावली, 1956 में संशोधन किया है, जिससे विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की संख्या बढ़कर 1,04,925 हो गई है।

4.6 नोटरी की नियुक्ति : –

वर्ष 2023–24 के दौरान 185 नए नोटरी को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसके अलावा, नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियमावली, 1956 में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, केंद्र सरकार ने 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नोटरी के रूप में 32350 विधि प्रैक्टिशनरों की नियुक्ति को अनंतिम रूप से अनुमोदन किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित विधि प्रैक्टिशनरों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	14648
2.	गुजरात	8086
3.	राजस्थान	4538
4.	हरियाणा	1357
5.	दिल्ली	975
6.	हिमाचल प्रदेश	578
7.	ओडिशा	531
8.	असम	420
9.	गोवा	296
10.	बिहार	331
11.	झारखंड	320
12.	उत्तराखंड	170
13.	चंडीगढ़	100
	कुल	32350

4.7 अन्य कार्यकलापः –

वर्ष 2023–24 के दौरान, लगभग 3000 केंद्रीय नोटरी के प्रैक्टिस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण किया गया। नोटरी सेल ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत दायर 700 आवेदनों को संसाधित किया और निपटाया; नोटरी पब्लिक के खिलाफ दर्ज 350 शिकायतों का निपटारा किया; और नोटरी पब्लिक के सत्यापन के लिए पुलिस प्राधिकारियों के 67 आवेदनों पर कार्रवाई की। जनता की चिंताओं और प्रश्नों को देखते हुए, नोटरी सेल ने नागरिकों की शिकायतों और पूछताछ से संबंधित 263 आवेदनों का समाधान किया और 17 न्यायालयीन मामलों का निपटारा किया।

5. न्यायिक अनुभाग

5.1 न्यायिक अनुभाग भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मुकदमेबाजी के लिए उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों और जिला न्यायालयों के समक्ष उत्तरदायी है। इसके कार्यों में भारत के महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और भारत के अपर महासॉलिसिटर, विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से मुकदमेबाजी के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, जिला

न्यायालयों और उपभोक्ता फोरम में केंद्र सरकारी काउंसेलों के नियुक्ति के लिए कार्रवाई करना, मंत्रालयों/विभागों की ओर से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोग, जिला न्यायालयों, अर्ध–न्यायिक प्राधिकरणों आदि के समक्ष मुकदेबाज़ी के लिए विधि अधिकारियों और अन्य काउंसेलों की नियुक्ति करना शामिल है। इसके कार्यों में मामलों के संचालन के लिए उनके निबंधन और शर्तों को बनाना और इनका व्यवस्थापन भी शामिल है। न्यायिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और गैर–सरकारी पक्षकारों के बीच विवादों में मध्यस्थों के नामांकन के लिए भी उत्तरदायी है।

यह अनुभाग सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश XXVII, नियमावली 1 के तहत विभिन्न अधिकारियों को सिविल अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा या उसके खिलाफ वादों या रिट कार्यवाही में और लिखित बयानों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकृत करने वाले वैधानिक आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग अधिकारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति की ओर से अनुबंधों और समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करता है।

यह अनुभाग सिविल मुकदमों में सम्मन की तामील, सिविल न्यायालयों के आदेशों का निष्पादन, भरण–पोषण आदेशों का प्रवर्तन तथा भारत में बिना वसीयत के मरने वाले विदेशियों की सम्पदा के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था के कार्य से संबंधित है।

भारत ने वर्ष 2007 में सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों को विदेश में तामील (सर्विस) करने पर हेग कन्वेंशन और सिविल और वाणिज्यिक मामलों में साक्ष्य विदेश में ले जाने पर हेग कन्वेंशन को भी स्वीकृति दी थी। विधि और न्याय मंत्रालय दोनों कन्वेंशन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। न्यायिक अनुभाग उक्त कन्वेंशन के तहत भारतीय नागरिकों को विदेशों से न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त समन/नोटिस तामील (सर्विस) करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह हमारे देश के न्यायिक अधिकारियों से प्राप्त समनों/नोटिसों को विदेशों के केंद्रीय अधिकारियों को अग्रेषित करने से भी संबंधित है।

5.2 न्यायिक अनुभाग द्वारा की जाने वाले कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(क) विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेलों के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में केन्द्र सरकार के मुकदमों का संचालन :

क) 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान भारत के विद्वान महासॉलिसिटर (एसजीआई) श्री तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया। कर्नाटक और तेलंगाना के उच्च न्यायालयों के लिए अपर भारत के महासालिसेटर की नए सिरे से नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पटना के उच्च न्यायालयों के लिए छह अपर भारत के महासालिसेटरों की फिर से नियुक्ति की गई है।

ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए भारत के सोलह उप महासॉलिसिटरों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ और कोलकाता में कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए नए उप महासॉलिसिटर नियुक्त किए गए हैं।

ग) भारत के एक अपर महासॉलिसिटर और भारत के एक उप महा सॉलिसिटर के त्यागपत्र पर कार्रवाई की गई है।

घ) देश के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए कुल 2017 अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल किया गया या पैनल काउंसेल के रूप में उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया।

ङ) 22 पैनल काउंसेलों के त्यागपत्र पर कार्रवाई की गई है।

च) विशेष कार्यों से निपटने वाले कुछ मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न न्यायालयों में उनके विशिष्ट प्रतिनिधित्व के लिए अधिवक्ताओं के अलग–अलग पैनल के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से देश के विभिन्न न्यायालयों में सामान्य या विशेष निबंधनों और शर्तों पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों और निजी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन/प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान, ऐसे लगभग 458 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है।

(ख) **स्पष्टीकरण और विभिन्न मुद्दे जैसे पैनल काउंसेल की नियुक्ति के निबंधन, शुल्क अनुसूची से संबंधित मुद्दे आदि:** जबकि इस अवधि के दौरान पैनल काउंसेल की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, उनकी शुल्क अनुसूची आदि के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण के लिए समय–समय पर संदर्भ प्राप्त हुए हैं, लगभग 230 ऐसे स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

(ग) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल का नामांकन, जिसमें एक ओर सरकार/सीपीएसई और दूसरी ओर सीपीएसई/निजी पक्षकार शामिल हैं: माध्यस्थम मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माध्यस्थम पैनल के काउंसेल की नियुक्ति के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान, ऐसे आवेदनों के जवाब में, लगभग 262 माध्यस्थम मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए हैं।

(घ) **सिविल कानून के मामलों में विदेशों के साथ संधि और समझौते करना:** विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था के लिए नोडल मंत्रालय है। इसके अलावा, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग अन्य देशों के साथ सिविल कानून के तहत कानूनी सहयोग पर विभिन्न समझौते करता है। इस दायित्व के तहत, इस अवधि के दौरान, वियतनाम समाजवादी गणराज्य के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ड.) समन आदि तामील करने के संबंध में द्विपक्षीय संधियों (पारस्परिक विधि सहायता संधियाँ/पारस्परिक व्यवस्थाएँ) और बहुपक्षीय संधियों (1965/1971 का हेग सम्मेलन) से उद्भूत आवेदनों की जाँच और प्रोसेस करना: विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग को सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा के लिए हेग कन्वेंशन, 1965 के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। इस दायित्व के तहत, उक्त अवधि के दौरान, लगभग 3829 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

(च) **आरटीआई/लोक शिकायत/संसदीय प्रश्न संबंधी कार्य:** इस अवधि के दौरान लगभग 352 आरटीआई आवेदनों और अन्य संबंधित मामलों का निपटारा किया गया है और आज की तारीख तक पीजी पोर्टल/सीपीजीआरएएमएस पर न्यायिक अनुभाग की ओर से कोई भी लोक शिकायत लंबित नहीं है। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान कुल 46 संसदीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।

6. एडीआर सेल

6.1 विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका, अर्थात मुकदमेबाजी, एक लंबी प्रक्रिया है जिससे न्याय मिलने में देरी होती है और न्यायपालिका पर बोझ भी बढ़ता है। ऐसे परिदृश्य में, माध्यस्थम, सुलह और मध्यकता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये एडीआर तंत्र कम विरोधाभासी, अनौपचारिक हैं और विवादों को हल करने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं।

6.2 सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र सहित अनुबंध प्रवर्तन और वाणिज्यिक विवाद समाधान व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न कदम और उपाय किए हैं, ताकि काम–काज करने में आसानी(ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) हो और निवेशकों का विश्वास बढ़े। इस क्षेत्र में विधायी हस्तक्षेप

और नीतिगत पहलों ने विवादों के समाधान के लिए एक मजबूत क्षेत्राधिकार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6.3 विभाग अन्य बातों के साथ–साथ मध्यकता अधिनियम, 2023, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रशासन से संबंधित है।

6.4 मध्यकता अधिनियम, 2023:

6.4.1 एक सफल समाधान न केवल पक्षकारों के बीच संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि जीवन को आसान बनाता है व समय और संसाधनों की भी बड़ी बचत करता है जो बदले में देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। मध्यकता के लिए एक वैधानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने और मध्यकता पर एक समेकित कानून बनाने के लिए, मध्यकता अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया गया था। मध्यकता कानून मध्यकता को व्यापक मान्यता प्रदान करने और न्यायालयों के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति की जड़ को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा।

6.4.2 मध्यकता विधेयक, 2021 को 20.12.2021 को संसद में पेश किया गया। तत्पश्चात, विधेयक को संबंधित विभाग– कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने मध्यकता विधेयक, 2021 पर अपनी एक सौ सत्रहवीं (117वीं) रिपोर्ट 13 जुलाई, 2022 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत की।

6.4.3 संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और विभाग द्वारा किए गए परामर्श के आधार पर, मध्यकता विधेयक, 2021 में आधिकारिक संशोधन जुलाई 2023 में संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए और विधेयक को 01. 08.2023 को राज्यसभा और 07.08.2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को 14.09.2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 15.09. 2023 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

6.4.4 अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने से पहले कुछ प्रशासनिक और कानूनी पूर्व–शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। तदनुसार, अधिनियम के कई प्रावधानों को दिनांक 09.10.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया।

6.4.5 मध्यकता अधिनियम, 2023 विवादित पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता के लिए विधायी रूपरेखा निर्धारित करता है, विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता, जहाँ भारत में एक मजबूत और प्रभावी मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है। मध्यकता अधिनियम, 2023 के मुख्य उपबंधों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सिविल या वाणिज्यिक विवाद के मामलों में पक्षकारों द्वारा न्यायालय या अधिकरण में जाने से पहले स्वैच्छिक मुकदमा–पूर्व मध्यकता से संबंधित उपबंध

(ii) मध्यकता के लिए उपयुक्त न होने वाले मामले या विवाद

(iii) मध्यकता की प्रक्रिया 180 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी की जानी है

(iv) मध्यक की नियुक्ति और मध्यकता के संचालन की प्रक्रिया

(v) मध्यकता सेवा प्रदाताओं और मध्यकता संस्थानों के कार्य

(vi) मध्यकता के फलस्वरूप मध्यकता समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम, बाध्यकारी और उसी तरह लागू होने योग्य है, जैसे कि यह एक अदालत का निर्णय या डिक्री हो;

(vii) धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, प्रतिरूपण आदि के सीमित आधारों पर मध्यकता निपटान समझौते को चुनौती देना।

(viii) किसी भी क्षेत्र या इलाके के निवासियों या परिवारों के बीच शांति, सद्भाव और सौहार्द को प्रभावित करने की संभावना वाले विवादों के संदर्भ के लिए पक्षों की सहमति से सामुदायिक मध्यकता;

(प•) ऑनलाइन मध्यकता का प्रावधान;

(X) भारतीय मध्यकता परिषद की स्थापना और मध्यकता के संचालन के लिए अन्य बातों के साथ–साथ नियम और विनियमन बनाने की शक्ति।

6.5 भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019:

भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 (जिसे पहले नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता था) को संस्थागत मध्यकता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त प्रणाली बनाने और भारत को मध्यकता केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आईआईएसी की स्थापना हेतु 2019 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में संस्थागत मध्यकता में ज्ञान और विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आईआईएसी के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है।

इस केंद्र की स्थापना 13 जून, 2022 को की गई थी और इसकी परिकल्पना सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (एसआईएसी), हांगकांग अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (एचकेआईएसी), लंदन अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम न्यायालय (एलसीआईए), दुबई अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र आदि जैसे अग्रणी माध्यस्थम संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए की गई थी।

6.6 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और भारतीय माध्यस्थम परिषद:

6.6.1 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 आंतरिक माध्यस्थम, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम, विदेशी माध्यस्थम अधिनिर्णयों के प्रवर्तन और सुलह से संबंधित कानून को समेकित करता है। यह अधिनियम 1985 में संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल) के मॉडल कानून पर आधारित है।

6.6.2 माध्यस्थम अधिनियम को पाँच भागों में विभाजित किया गया है। भाग–I उन माध्यस्थमों से संबंधित है, जिनका मुख्यालय भारत में है और इसका विदेश–स्थित माध्यस्थम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए, यह मध्यस्थों की नियुक्ति, माध्यस्थम की शुरुआत, अधिनिर्णय तैयार करने और पूर्वोक्त अधिनिर्णयों को चुनौती देने के साथ–साथ ऐसे अधिनिर्णयों के निष्पादन से निपटने के लिए एक पूर्ण संहिता है। भाग–I ए भारतीय माध्यस्थम परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है – जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देने और भारत को अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से माध्यस्थम संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय होगा। भाग II भारत में यथा परिभाषित विदेशी अधिनिर्णयों के प्रवर्तन से संबंधित है। भाग III सुलह से संबंधित है और भाग IV विविध उपबंधों से संबंधित है।

6.6.3 माध्यस्थम परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और माध्यस्थम को एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में सक्षम बनाने के लिए, भारतीय माध्यस्थम कानून में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में

महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन माध्यस्थम कार्यवाही के समय पर समापन सुनिश्चित करने, माध्यस्थम प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और माध्यस्थम अधिनिर्णयों के प्रवर्तन के लिए एक आदर्श बदलाव का संकेत देने में सक्षम हैं। संशोधनों का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक पद्धत्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए कानून को अद्यतन करना और अस्पष्टताओं को हल करना है, जिससे एक ऐसा माध्यस्थम पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके जहाँ माध्यस्थम संस्थाएं फल–फूल सकें।

6.6.4 माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 में भारतीय माध्यस्थम परिषद (परिषद) की स्थापना का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ माध्यस्थम संस्थाओं की ग्रेडिंग को नियंत्रित करने वाली नीतियां तैयार करना और मध्यस्थों को मान्यता प्रदान करने वाले पेशेवर संस्थानों को मान्यता देना है।

6.6.5 परिषद की स्थापना का उद्देश्य माध्यस्थम के मामलों में न्यायालयों की भूमिका को कम करना है, जिसके तहत पक्षकार माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, यथास्थिति, परिषद द्वारा वर्गीकृत और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा नामित माध्यस्थम संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं।

6.6.6 परिषद की स्थापना में तेजी लाने के उद्देश्य से, निम्नलिखित नियमावली संशोधन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित की गई है:

(i) भारतीय माध्यस्थम परिषद (निबंधन और शर्तें तथा अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते) नियमावली, 2022

(ii) भारतीय माध्यस्थम परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अहर्ताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियमावली, 2022

(iii) भारतीय माध्यस्थम परिषद (अंशकालिक सदस्यों को देय यात्रा एवं अन्य भत्ते) नियमावली, 2022

(iv) भारतीय माध्यस्थम परिषद (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, उनकी अहर्ताएं, नियुक्ति और अन्य निबंधन व शर्तें) नियमावली, 2022।

इसके अलावा, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 10, जो परिषद के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, को दिनांक 12.10.2023 की अधिसूचना के अनुसार लागू किया गया है।

वर्तमान में, भारतीय माध्यस्थम परिषद की स्थापना के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं।

6.7 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015:

6.7.1 राष्ट्रों के समूह में किसी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में वाणिज्यिक और वित्तीय बाज़ारों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसी आर्थिक कार्यकलापों के समृद्ध होने के लिए, निवेशकों को प्रोत्साहित करने और व्यावसायिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने वाले नियमों का सरल ढाँचा पूर्व–अपेक्षा है। इसलिए, सरकार ने भारत को निवेश और व्यापार के लिए पसंदीदा गंतव्यों में से एक बनाने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ–साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले कानून और नियम बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में, संसद ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया, जो जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की स्थापना का प्रावधान करता है।

6.7.2 केंद्र सरकार ने एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए और देश में आर्थिक सुधारों को जारी रखने के लिए देश में निवेश और व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने और न्यायालयों के कम से कम हस्तक्षेप के साथ विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रयास में, वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम,

2015 को 2018 में संशोधित किया गया। इन संशोधनों ने वाणिज्यिक विवादों के निर्दिष्ट मूल्य को पूर्व के 1.00 करोड़ रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये किया और उच्च न्यायालयों जिन्हें सामान्य मूल सिविल क्षेत्राधिकार प्राप्त है के अधिकार क्षेत्र में जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करके वाणिज्यिक विवादों की तेजी से सुनवाई की सुविधा प्रदान की है।

6.7.3 इसके अलावा, न्यायिक प्रणाली पर भार कम करने के लिए, अनिवार्य ''संस्था पूर्व मध्यकता और निपटान'' (पीआईएमएस) तंत्र शुरू किया गया है, जिसमें वादी को विवाद के निपटारे के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले मध्यकता करने की आवश्यकता होती है, सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें किसी तत्काल अंतरिम राहत की परिकल्पना की गई हो। पीआईएमएस तंत्र के माध्यम से विवाद का हल न होने पर, दावेदार अपने वाणिज्यिक विवाद के समाधान के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। संशोधित अधिनियम में, ऐसे क्षेत्रों में जहां उच्च न्यायालयों को सामान्य मूल सिविल अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, जिला स्तर पर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय और जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान है।''

6.7.4 देश में वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना से वाणिज्यिक विवादों के समयबद्ध तरीके से समाधान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

6.8 वैकल्पिक विवाद समाधान पर मार्गदर्शिका:

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 26.11.2023 को संविधान दिवस के अवसर पर 'ए गाइड टू आलटर्नेट डिस्पुट रेज़ोल्युशन' नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। यह मार्गदर्शिका विभिन्न वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों के संक्षिप्त इतिहास, वैधानिक प्रावधानों सहित इन तंत्रों की व्यापक रूपरेखा, इन तंत्रों के लाभ और सरकार द्वारा इससे संबंधित उठाए गए विभिन्न कदमों और विधायी हस्तक्षेपों का अवलोकन और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

6.9 कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में भारत–सिंगापुर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

6.9.1 भारत और सिंगापुर ने मार्च 2024 में कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारतीय पक्ष से और सिंगापुर पक्ष से सिंगापुर सरकार के संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्री तथा द्वितीय विधि मंत्री श्री एडविन टोंग ने वर्चुअल बैठक में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

6.9.2 यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच साझा हित के क्षेत्रों जैसे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान और संबंधित देशों में मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों में आगे सहयोग बढ़ाने पर आधारित है।

6.9.3 समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन की देख–रेख के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति की स्थापना का प्रावधान है।

7. डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा

7.1 भारत के डिजिटल परिदृश्य ने मात्र एक दशक के भीतर अपनी आधी से अधिक आबादी को शामिल करके अपने लोगों को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इस डिजिटल क्रांति के बीच, विधि कार्य विभाग, जो कभी कागजी कार्रवाई से भारग्रस्त था, ने कागज रहित वातावरण में बदलने में काफी प्रगति की है। यह बदलाव डिजिटल अंगीकार और सरकारी परिचालन दक्षता में सुधार के लिए निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित

करता है। एक उल्लेखनीय पहल कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिमब्स) की शुरूआत है, जो भारत संघ से जुड़े न्यायालय के मामलों को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। लिमब्स वास्तविक समय (रियल टाइम) में केस ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है और विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेल और अधिवक्ताओं के लिए शुल्क प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। अधिकारी, जिन्हें पहले आदेशों की स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता था, अब वे तुरंत यह जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। विभाग उपयोग को आसान बनाने के उद्देश्य से प्लेटफ़ॉर्म को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा, नोटरी एपलिकेशन का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जो नागरिकों को ऑनलाइन नोटरीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य घर से आसान पहुँच के साथ पूरी नोटरीकरण प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में बदलना है। नागरिकों पर केन्द्रित सेवाओं पर सरकार के फोकस और विज़न 2047 के उद्देश्यों का समर्थन करने के साथ, ये प्रयास काम–काज के लिए अनुकूल वातावरण को भी बढ़ावा देते हैं। विधि कार्य विभाग ने उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपनी वेबसाइट को उल्लेखनीय रूप से अपग्रेड किया है, जो एक सहज ज्ञान युक्त डिज़ाइन, स्पष्ट पाठ और संबंधित संगठनों के हाइपरलिंक के साथ विस्तृत सामग्री के माध्यम से व्यापक जानकारी प्रदान करती है। यह मोबाइल उपकरणों सहित विभिन्न वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट स्पीड पर सहज निर्देशन (नेविगेशन) सुनिश्चित करता है। विधि कार्य विभाग ने 'एक देश, एक चुनाव' पहल को समर्पित एक नई वेबसाइट शुरू की है। यह प्लेटफ़ॉर्म जागरूकता फैलाने और नीति पर जनता की राय एकत्र करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह उच्च–स्तरीय समिति की रिपोर्ट तक पहुँच भी प्रदान करता है।

7.2 इसके अलावा, विभाग ने कई दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को डिजिटल करके, पारदर्शिता बढ़ाकर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाकर स्वयं का एक कागज रहित कार्यालय में भी बदलाव किया है। फ़ाइल बनाने, नोटेशन, विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेना और अधिसूचनाएँ जारी करना जैसे संचालन अब ई–ऑफिस 7.0 प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रबंधित किए जाते हैं। ई–ऑफिस के कार्यान्वयन ने सरकारी कार्यों में क्रांति ला दी है, जिससे ऑनलाइन फ़ाइल हैंडलिंग, ट्रैकिंग और निरंतर ऑनलाइन निगरानी के साथ तेज़ निर्णय लेने में सक्षमता मिली है। इसके अलावा, विधि कार्य विभाग ने सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) को पूरी तरह से अपनाया है, जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक कागज रहित और कैशलेस प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म है, जो मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है।

7.3 विधि कार्य विभाग अपने डिजिटल फूटप्रिन्ट का विस्तार कर रहा है और साथ ही इसने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के अपने प्रयासों को भी बढ़ाया है। इन पहलों का उद्देश्य महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे और इसके डेटा को उभरते खतरों से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के निदेशों का पालन करते हुए, विधि कार्य विभाग ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य योजनाएँ शुरू की हैं। साइबर सुरक्षा संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) को रूप देने का कार्य प्रारंभिक चरण को चिह्नित करता है, जिसमें योजना को बनाने और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), डिप्टी सीआईएसओ के साथ–साथ एक विशेषज्ञ टीम की नियुक्ति की जाती है। सीसीएमपी विभाग के लिए विशेष रूप से संकट की स्थितियों में एक व्यवस्थित नीति ढांचे के रूप में कार्य करता है जिसमें नेटवर्क और उपकरण सुरक्षा बढ़ाने के लिए सॉफ़्टवेयर अपडेट और पुराने आईटी हार्डवेयर को अधिक सुरक्षित विकल्पों के साथ बदलने जैसे कदम शामिल हैं। इस रणनीति से विभाग के दूरस्थ स्थानों तक एक समान नेटवर्क सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होता है। एक समर्पित टीम निरंतर साइबर सुरक्षा की निगरानी व नियमित ऑडिट करती है जो किसी भी अनुचित हस्तक्षेप या सुरक्षा कमियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पुराने आईसीटी उपकरणों को बदलना, नेटवर्क उपकरणों को अपग्रेड करना और सुरक्षा उपकरणों की

स्थापना इस वर्ष साइबर सुरक्षा पहलों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। सीसीएमपी के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान आवंटित किए गए हैं, जो संभावित साइबर खतरों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की गारंटी देते हैं। सीसीएमपी रणनीति विभाग के आईटी बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं की सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखती है व एक मजबूत साइबर सुरक्षा रक्षा के लिए प्रयास करती है।

7.4 विभाग ने साइबर सुरक्षा और उससे जुड़े खतरों के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ज्ञान का प्रसार करने और जागरूकता बढ़ाने की व्यापक रणनीति के अनुरूप, पूरे वर्ष भर सत्रों, परिपत्रों और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन संचारों में साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम आचरणों, साइबर खतरों की जटिलताओं और उनके प्रति उपायों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। विभाग के लिए वर्ष 2023 साइबर सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसमें रणनीतिक पहलों का क्रियान्वयन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए लक्षित वित्तीय संसाधनों का आवंटन शामिल था।

7.5 इसका मुख्य लक्ष्य सरकार के विजन 2047 के अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि विभाग की सार्वजनिक सेवाएं, जिनमें नोटरीकरण और मध्यकता आदि शामिल हैं, भारतीय नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ हों।

8. कार्यान्वयन सेल

8.1 संविधियों का प्रशासनः

यह सेल निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से संबंधित हैः –

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ii) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारत में कानूनी प्रैक्टिस और कानूनी शिक्षा को विनियमित करता है। इसके सदस्य भारत के वकीलों में से चुने जाते हैं और इस तरह भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण, शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानूनी डिग्री छात्रों को स्नातक होने पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन योग्य बनाएगी। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई नियमावली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.barcouncilofindia.org पर उपलब्ध हैं।

8.2 **अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001**: कनिष्ठ वकीलों को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा और निर्धन या दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं हमेशा से ही विधि बिरादरी के लिए चिंता का विषय रही हैं। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने कानून बनाए हैं। संसद ने "अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001" अधिनियमित किया है जो उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों पर लागू है जिनके पास अपने अधिनियमन नहीं हैं ताकि वे "अधिवक्ता कल्याण निधि" बनाने के लिए सक्षम हो सकें। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर प्रत्येक वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य का स्टांप लगाना अनिवार्य बनाता है। "अधिवक्ता कल्याण निधि स्टांप" की बिक्री के माध्यम से एकत्र की गई राशि कोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोई भी प्रैक्टिस कर रहा अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक अंशदान का भुगतान करके कोष का सदस्य बन सकता है। कोष उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति ट्रस्टी कमेटी में निहित होगी और उसके द्वारा रखी और उपयोग की जाएगी। इस कोष का

उपयोग अन्य बातों के साथ–साथ, गंभीर स्वास्थ्य समस्या के मामले में कोष सदस्य को अनुग्रही अनुदान देने, वकालत बंद करने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने तथा सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी को भुगतान करने, सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने, पुस्तकों की खरीद करने तथा अधिवक्ताओं के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

8.3 विधि आयोग की रिपोर्टः कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोर्टों को तैयार करने व संसद के समक्ष रखने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इसकी जांच/कार्यान्वयन व साथ ही, शीघ्र कार्रवाई के लिए इन्हें अग्रेषित करने के लिए जिम्मेवार हो। भारत के विधि आयोग ने 1–287 और 289 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें से 277 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई हैं। 19.03.2024 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को उनकी जांच/कार्यान्वयन या आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है। शेष 11 रिपोर्टें जल्द ही संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएंगी। कार्यान्वयन सेल, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, वर्ष 2005 से लगातार संसद के दोनों सदनों के समक्ष लंबित विधि आयोग की रिपोर्टों की स्थिति को दर्शाते हुए वार्षिक विवरण रख रहा है। इस तरह के अंतिम विवरण (15वां विवरण) को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा में 01.04.2022 को और राज्य सभा में 31.03.2022 को) के पटल पर रखा गया। आयोग अपनी रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट अर्थात www.lawcommissionofindia.nic.in के माध्यम से भी उपलब्ध कराता है।

8.4 विधि शिक्षाः बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत, भारत में कानूनी शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक निकाय है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 30 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में दिए गए भाषण में की गई टिप्पणियों के अनुसार इस विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस विभाग ने इस संबंध में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) से नई शिक्षा नीति–2020 के आलोक में भारत में विधि शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के विषय पर टिप्पणियाँ माँगी थीं।

8.5 अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 33) :

'विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का 18) को निरस्त किया जाना, अधिवक्ता अधिनियम में विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 36 के उपबंधों को शामिल करके अधिवक्ता अधिनियम, 1861 (1961 का 25) में संशोधन।

निरस्तीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, जिसमें अपनी उपयोगिता खो चुके सभी अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई है। इससे कानून की पुस्तक में कानूनों की संख्या कम करने में मदद मिलती है। विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 देश में विधि व्यवसायियों (लीगल प्रैक्टिशनर) से संबंधित एक अधिनियम है। यह ब्रिटिश काल का अधिनियम था। स्वतंत्रता के बाद, संसद ने विधि व्यवसायियों से संबंधित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) नामक एक नया कानून बनाया। 'दलालों' से संबंधित मामले के सिवाय विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 में जिन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है, वे सभी पहले से ही अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आते हैं।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 50 के मद्देनजर, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 1, 3 और 36 को छोड़कर सभी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। शेष तीन धाराओं अर्थात 1, 3 और 36 को निरस्त करने के प्रस्ताव से विधि पुस्तक में अनावश्यक अधिनियमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

विधि कार्य विभाग ने विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के लागू उपबंधों को निरस्त करने का मामला विधायी विभाग, भारतीय विधि आयोग और भारतीय बार काउंसिल के समक्ष उठाया था। विधि कार्य विभाग ने विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों और नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति भी गठित की थी। समिति ने अधिवक्ता

अधिनियम, 1961 में परिणामी संशोधनों के साथ ब्रिटिश काल के कानून 'विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879' (1879 का 18) को निरस्त करने की सिफारिश की थी।

विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 को विधि–पुस्तक से निरस्त करना, अप्रचलित कानूनों विशेष रूप से जो ब्रिटिश काल से संबंधित हैं, को निरस्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास होगा। यह नागरिकों के लिए कामकाज में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और जीवन जीने में आसानी (ईज ऑफ लिविंग) की दिशा में भी एक कदम होगा। यह एक ही अधिनियम अर्थात अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा कानूनी पेशे को विनियमित करने में भी सहायक होगा।

वर्तमान में, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 को निरस्त कर दिया गया है तथा अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तथा 8 दिसंबर, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।

9. कार्यक्रम और सोशल मीडिया कवरेज

9.1 सोशल मीडिया सेलः विधि कार्य विभाग के पास एक समर्पित सोशल मीडिया सेल है जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी आउटरीच के माध्यम से विभाग के उद्देश्यों और विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जन जागरूकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा, विभाग नियमित आधार पर प्रेस, रेडियो और टेलीविजन जैसे संचार और प्रसार के अन्य पारंपरिक तरीकों का भी उपयोग करता है। विभाग की नई पहलों और उपलब्धियों और इसके द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में समय–समय पर पीआईबी के माध्यम से प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की जाती हैं। सोशल मीडिया सेल इन और अन्य आउटरीच कार्यकलापों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों जैसे पीआईबी, सीबीसी, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ समन्वयित करता है। इस सेल को समय–समय पर संसाधनों को एकत्र करने और कार्यकलापों को एकत्रित करने के लिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग करना भी अपेक्षित है। वर्ष के दौरान सोशल मीडिया सेल के कार्यकलाप की कुछ विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:

9.2 सोशल मीडिया सेल द्वारा संचालित/समन्वित कार्यकलापः

- पर्यावरण के लिए जीवनशैली अभियान (एलआईएफई)। 1–5 जून 2023
- वियतनाम प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक। 13 जून 2023
- मिशन लाइफ पर्यावरण क्विज़। 15–21 जून 2023
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून 2023
- एडोब सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण। 19–20 जून 2023
- चिंतन शिविर। 25 जून 2023
- वस्तु एवं सेवा कर दिवस। 1 जुलाई 2023
- विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अधिकारियों की वियतनामी प्रतिनिधिमंडल से बैठक। 2 जुलाई 2023
- भारत और यूनिड्रोइट के बीच संबंधों पर सेमिनार। 11 जुलाई 2023
- 164वां आयकर दिवस। 24 जुलाई 2023
- अंगदान महोत्सव पर पोस्टकार्ड बनाने की प्रतियोगिता। 31 जुलाई 2023
- अंगदान महोत्सव (भारतीय अंगदान दिवस)। 3 अगस्त 2023
- स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 2023

- राष्ट्रीय खेल दिवस प्रश्नोत्तरी। 26–8 सितंबर 2023
- राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त 2023
- शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक। 5 सितंबर 2023
- हिन्दी दिवस। 14 सितंबर 2023
- कचरा मुक्त भारत विशेष अभियान 2.0। 15 सितंबर–2 अक्टूबर 2023
- विधि सचिव की सिंगापुर प्रतिनिधिमंडल से बैठक। 18 सितंबर 2023
- हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता। 20 सितंबर 2023
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह। अक्टूबर 2023
- स्वच्छता दिवस। 2 अक्टूबर 2023
- कचरा मुक्त भारत विशेष अभियान 3.0। 2–31 अक्टूबर
- ब्रम्हा कुमारी प्रशिक्षण सत्र। 27 अक्टूबर 2023
- राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए शपथ समारोह। 26 अक्टूबर 2023
- एकता के लिए दौड़। 28 अक्टूबर 2023
- राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर 2023
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह। 30 अक्टूबर–5 नवंबर 2023
- संविधान दिवस। 26 नवंबर 2023
- तनाव प्रबंधन पर ब्रह्माकुमारी सत्र। 10 नवंबर 2023
- लोकसभा द्वारा पारित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। 4 दिसंबर 2023
- तनाव प्रबंधन पर ब्रह्माकुमारी सत्र। 8 दिसंबर 2023
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अभियान। 12–19 दिसंबर 2023
- ब्रह्माकुमारी डिजिटल डिटॉक्स सत्र। 22 दिसंबर 2023
- जनजातियों का सशक्तिकरण, बदलता भारत(पीएम–जनमन)। 16–23 जनवरी 2024
- भावनात्मक इंजीनियरिंग पर ब्रह्माकुमारी सत्र। 5 जनवरी 2024
- विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2024
- राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी 2024
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 2024
- गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 2024
- संप्रेषण कौशल बढ़ाने पर ब्रह्माकुमारीज़ सत्र। 2 फरवरी 2024
- सेफर इंटरनेट दिवस। 6 फरवरी 2024
- पोश अधिनियम पर जागरूकता कार्यशाला। 13 फरवरी 2024
- ब्रह्माकुमारी का कार्य जीवन समन्वय पर सत्र। 16 फरवरी 2024
- विधि सलाहकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला। 20 मार्च 2024

9.3 सोशल मीडिया सेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू, फेसबुक और यूट्यूब का उपयोग करके विधि कार्य विभाग के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस सेल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कुल 2,298 पोस्ट किए, जिनमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को कवर करने वाले पोस्ट, उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले पोस्ट और विधि कार्य विभाग द्वारा संचालित सफल कार्यकलाप शामिल थे। इसके अलावा व्यापक पहुँच के लिए सूचनात्मक अभियान भी चलाए गए।

9.4 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तस्वीरें

(25 जून 2023 को आयोजित चिंतन शिविर)

(5 सितंबर, 2023 को शंघाई में सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक आयोजित)

(28 अक्टूबर, 2023 को रन फॉर यूनिटी आयोजित)

(कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अभियान 12–13 फरवरी, 2024 तक आयोजित किया गया)

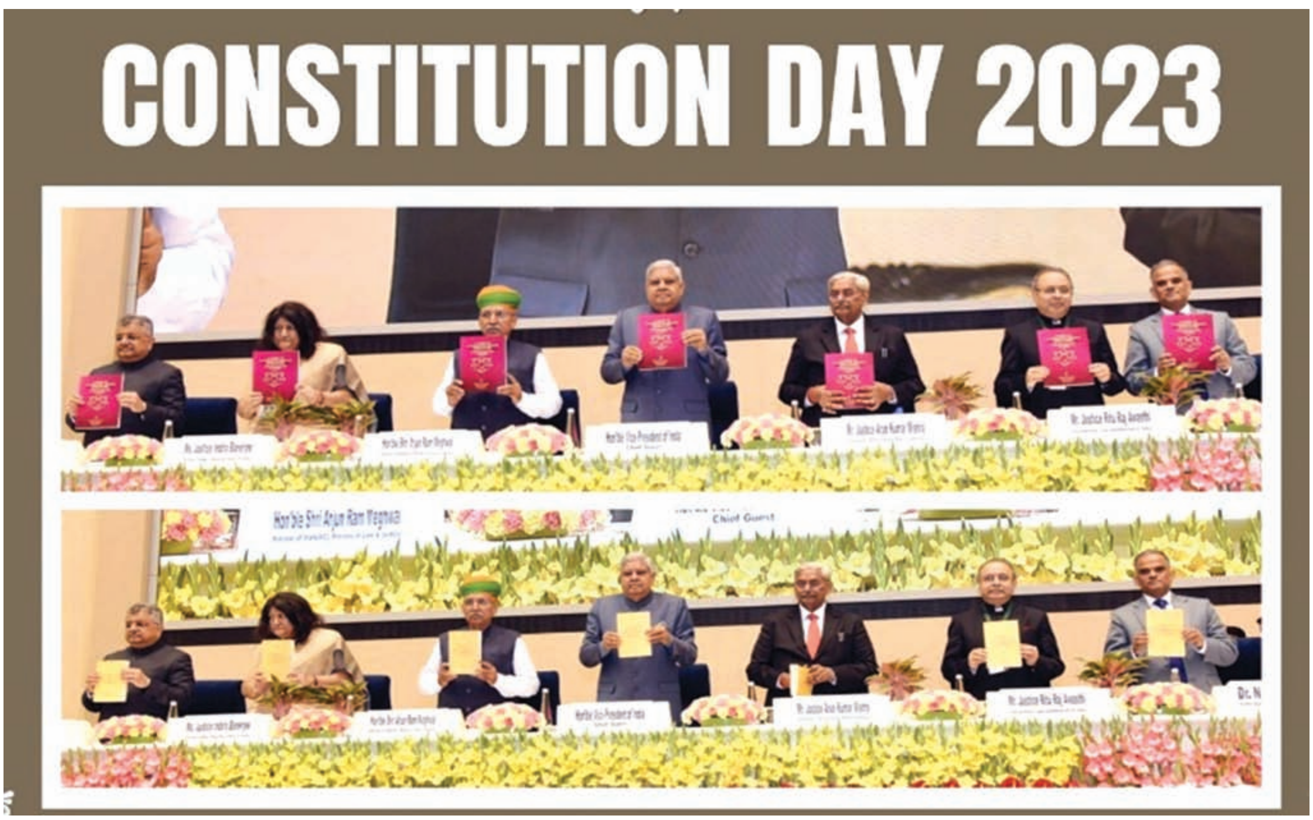

(संविधान दिवस 26 नवंबर, 2023 को आयोजित)

(9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2023 को आयोजित)

(2 जुलाई 2023 को कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अधिकारियों ने वियतनामी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की)

10. प्रशिक्षण प्रभाग

10.1 व्यावसायिक विश्व के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में, संगठनों को लगातार नई तकनीकों, कार्यप्रणाली और बाजार के रुझानों के अनुकूल होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जो किसी भी विभाग की निरंतर वृद्धि और सफलता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है, वह है एक समर्पित प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्व को देखते हुए, वर्ष 2022 में विभाग में एक प्रशिक्षण प्रभाग बनाया गया और इसे आईएलएस अधिकारियों और विभाग के अन्य अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक तंत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी स्थापना के बाद से, प्रशिक्षण प्रभाग का नेतृत्व अपर सचिव डॉ अंजू राठी राणा कर रही हैं। विभाग ने उनकी देखरेख में आईएलएस अधिकारियों और विभाग के अन्य अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और एनएलयू–दिल्ली जैसे प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा निर्देशानुसार नियमित आधार पर कार्यशालाएं, वेबिनार, लघु प्रशिक्षण आदि भी आयोजित किए जा रहे हैं।

10.2 अनुमोदित प्रशिक्षण योजनाएँ: इसके अलावा मानव संसाधन के समग्र विकास के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण योजनाएँ तैयार की जाती हैं जिनमें निम्न शामिल हैं:

i. आईएलएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण योजना

ii. अधीक्षक एवं सहायक (विधि) के लिए प्रशिक्षण योजना

iii. यंग प्रफेशनलों के लिए प्रशिक्षण योजना

iv. विधि प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण योजना

v. अनुभाग अधिकारियों/सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण योजना

vi. समुद्र के कानून (लॉ ऑफ सीज) पर विशेष प्रशिक्षण

10.3 क्षमता निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित क्रियाकलाप:

i. क्षमता निर्माण आयोग के परामर्श से वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) का विकास।

ii. एसीबीपी के तहत विकसित प्रशिक्षण कैलेंडर का कार्यान्वयन

iii. विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/वेबिनार आदि का आयोजन।

iv. विभाग के कर्मचारियों को केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म अर्थात आई–गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल करना और कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग)।

v. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के साथ प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

10.4 आयोजित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं:

वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

तिमाही	पाठ्यक्रम
तिमाही – 1 (अप्रैल–जून)	i. दक्षता पाठ्यक्रम ii. उभरती प्रौद्योगिकियों का परिचय iii. तनाव प्रबंधन iv. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण
तिमाही – 2 (जुलाई–सितंबर)	i. मंत्रिमंडल नोट तैयार करना ii. नौसिखियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल iii. नौसिखियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट iv. नौसिखियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
तिमाही – 3(अक्टूबर– दिसंबर)	i. एक्सेल एडवांस ii. पावर प्वाइंट एडवांस iii. वर्ड एडवांस iv. स्व नेतृत्व – तनाव प्रबंधन
अन्य संस्तुत पाठ्यक्रम	• दक्षता कार्यक्रम – सभी सहायक अनुभाग अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के लिए • विकास पाठ्यक्रम – सभी अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी • डब्ल्यूआईटीपी द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का परिचय • आई4सी द्वारा साइबर स्पेस में सुरक्षित रहना • आईएसटीएम द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण • तनाव प्रबंधन – आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा अपनी भावनात्मक दक्षता बढ़ाना • डिजिटल साक्षरता – एमएस सूट

10.5 विभाग द्वारा आयोजित ऑफलाइन प्रशिक्षणों का विवरण :

क्र.सं.	कोर्स का नाम	तारीख	प्लैटफ़ॉर्म	प्राप्तकर्ता
i.	व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण (जीवन जीने की कला)	29.05.2023 30.05.2023	ऑफलाइन	विधिक कार्य विभाग के सभी कार्मिक
ii.	एडोब एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण	19.06.2023 20.06.2023	ऑफलाइन	आईएलएस गैर–आईएलएस
iii.	**तनाव प्रबंधन श्रृंखला**			
	तनाव पर काबू पाना	27.10.2023	ऑफलाइन	अवर सचिव और उनसे ऊपर
	24'7 हर समय प्रसन्न रहना सुनिश्चित करें	10.11.2023	ऑफलाइन	अनुभाग अधिकारी और उनसे नीचे
	स्वस्थ जीवन का पासवर्ड	24.11.2023	ऑफलाइन	अवर सचिव और उनसे ऊपर
	अनिश्चितताओं के डर पर काबू पाना	08.12.2023	ऑफलाइन	अनुभाग अधिकारी और उनसे नीचे
	डिजिटल डिटॉक्स	22.12.2023	ऑफलाइन	विधि कार्य विभाग के सभी कार्मिक
	भावनात्मक इंजीनियरिंग	05.01.2024	ऑफलाइन	
	संप्रेषण कौशल बढ़ाना भागप्	19.01.2024	ऑफलाइन	
	संप्रेषण कौशल बढ़ाना भागप्प्	02.02.2024	ऑफलाइन	
	कार्य जीवन समन्वय	16.02.2024	ऑफलाइन	
	मानसिक सशक्तिकरण	01.03.2024	ऑफलाइन	
iv.	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण पर जागरूकता कार्यशाला	13.02.2024	ऑफलाइन	विधि कार्य विभाग के सभी कार्मिक
v.	विधि सलाहकारों और अधीनस्थ विधि संवर्ग के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला (अतिथि वक्ता श्री सुरेश चंद्र, पूर्व विधि सचिव)	20.03.2024	ऑफलाइन	विधि सलाहकार और अधीनस्थ विधि संवर्ग

चित्र 1: व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण सत्र : ब्रह्म कुमारीज संगठन के सहयोग से तनाव प्रबंधन सत्र

चित्र 2: व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण सत्र: ब्रह्म कुमारीज संगठन के सहयोग से तनाव प्रबंधन सत्र

चित्र 3: व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण सत्रः ब्रह्म कुमारीज संगठन के सहयोग से तनाव प्रबंधन सत्र

चित्र 4: व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण सत्रः ब्रह्म कुमारीज संगठन के सहयोग से तनाव प्रबंधन सत्र

चित्र 5: व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण सत्रः ब्रह्माकुमारीज संगठन के सहयोग से तनाव प्रबंधन सत्र

चित्र 6: व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण सत्रः ब्रह्म कुमारीज संगठन के सहयोग से तनाव प्रबंधन सत्र

चित्र 7: व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण सत्रः ब्रह्म कुमारीज संगठन के सहयोग से तनाव प्रबंधन सत्र

11. हिंदी अनुभाग

11.1 विधि कार्य विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोगः—

1. विधि विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैंः—

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचनाः

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी सूचनाएं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी शामिल हैं, के प्रारूप हिन्दी में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायः

(1) नियम 8(4) के अधीन व्यक्तिशः आदेशः

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) की धारा 8(4) के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुपालन में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना समस्ते सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाने के संबंध में नवीनतम व्यक्तिशः आदेश दिनांक 13.12.2023 को जारी किए गए हैं।

(2) जांच बिंदु :

राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच–बिंदु सृजित करने के लिए दिनांक 13.12.2023 को आदेश जारी किए गए हैं। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच–बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।

(3) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारी हिन्दी में, प्रवीण हैं, उनके दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश, गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(4) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में संगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी–हिंदी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(5) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार–बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित करके उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टि यां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है।

(6) विभाग के सभी कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को प्रदान किए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(7) हिंदी शिक्षण योजनाः

विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान किए जाते हैं।

(8) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकेंः

विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की गई हैं। विभाग के अपर सचिव (राजभाषा अधिकारी) इसके अध्यहक्ष हैं और निदेशक (प्रशा.), सभी उप सचिव/ अवर सचिव, और अनुभागों के प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी सदस्यों/अनुभागों को परिचालित किया जाता है।

(9) हिंदी कार्यशालाएँः

संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में शाखा सचिवालय कोलकाता, विधि कार्य विभाग तथा आईटीएटी की कोलकाता पीठ में कार्यरत कर्मचारियों को उनके दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में आ रही

कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्रमशः दिनांक 19.04.2023 और 20.04.2023 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शाखा सचिवालय, कोलकाता तथा आईटीएटी, कोलकाता पीठ के अनुभागों में तैनात अधिकारियों/ सहायकों/ उच्च श्रेणी लिपिकों/ कोर्ट क्लर्कों आदि को श्री शमशेर सिंह, सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा व्याख्यान/ प्रशिक्षण दिया गया।

शाखा सचिवालय कोलकाता

आईटीएटी, कोलकाता पीठ

कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने की निरंतरता में शाखा सचिवालय, बेंगलुरु, विधि कार्य विभाग और आईटीएटी, बेंगलुरु पीठ में भी क्रमशः दिनांक 21.02.2024 और 23.02.2024 को हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

शाखा सचिवालय, बेंगलुरु

आईटीएटी, बेंगलुरु पीठ

इसी प्रकार से, दिनांक 15.03.2024 को विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्लीर में भी एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधि कार्य विभाग के कार्मिकों के हिंदी संबंधी ज्ञान में उन्न यन के उद्देश्यर से श्री शमशेर सिंह, सहायक निदेशक द्वारा व्याख्यान दिया गया।

विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन

(10) राजभाषायी निरीक्षण

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार, कार्यालय के कामकाज में हिंदी के प्रयोग में प्रगति की समीक्षा के संदर्भ में श्री शमशेर सिंह, सहायक निदेशक (रा.भा.), विधि कार्य विभाग द्वारा शाखा सचिवालय, कोलकाता एवं आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ का निरीक्षण क्रमशः दिनांक 18.04.2023 एवं 20.04.2023 को किया गया।

दिनांक 10.01.2024 को राजभाषा एकक, विधि कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सलाह 'क' अनुभाग और सलाह 'ख' अनुभाग में राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

राजभाषाई निरीक्षण अभियान की निरंतरता में, शाखा सचिवालय, बेंगलुरु, विधि कार्य विभाग और आईटीएटी, बेंगलुरु पीठ का निरीक्षण क्रमशः 20.02.2024 और 22.02.2024 को श्री शमशेर सिंह, सहायक निदेशक और सुश्री खुशबू निधि, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, विधि कार्य विभाग द्वारा किया गया।

(11) हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा का आयोजनः

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.09.2023 को ''हिन्दी दिवस'' मनाया गया। इस अवसर पर माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्व्तंत्र प्रभार) तथा विधि सचिव ने अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। इस, संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 14.09.2023 से 29.09.2023 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' का आयोजन भी किया गया। इसे विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने और अधिकतम कार्य हिन्दी में करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी पखवाड़ा के दौरान

5 प्रतियोगिताओं अर्थात् ''हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,'' ''हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता'' "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," ''हिन्दी टंकण प्रतियोगिता'', "हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 102 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 69 सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों में भी हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता

12. लिम्ब स (विधिक सूचना और प्रबंधन ब्रीफिंग प्रणाली) :

12.1 विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्बीस) एक वेब–आधारित अनुप्रयोग है, जो उन सभी अदालती मामलों की निगरानी करता है, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है। लिम्ब स, फरवरी 2016 में परिचालन में आया और तब से यह एप्लीकेशन विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की देखरेख में काम कर रहा है। यह एक नवोन्मेषी और उपयोग में आसान ऑनलाइन टूल है जो सभी हितधारकों अर्थात वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, नोडल अधिकारियों और मंत्रालयों/विभागों के उपयोगकर्ताओं के लिए 24X7 उपलब्ध है।

12.2 लिम्बनस संस्करण 2.0, लिम्बअस का उन्नत संस्करण है और इसे एनआएसी के सहयोग से वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के लिए एक डैशबोर्ड–आधारित प्रणाली है, जिस पर वे एक नज़र में अपने मामलों की निगरानी कर सकते हैं। यह संस्करण सुरक्षा बढ़ाने और सिस्टम की दक्षता में सुधार करने के लिए पीएचपी के समन्वयक ढांचे का उपयोग करते हुए ओपन–सोर्स प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।

12.3 लिम्ब्स मंत्रालय/विभाग स्तर पर विवाद की आंतरिक प्रक्रिया से लेकर मध्यस्थों के नामांकन और कार्यवाही तक माध्यस्थम मामलों को भी कवर करता है। विधि कार्य विभाग, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग और

पीएमओ लिम्ब स पर न्यायालयी मामलों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। विधि कार्य विभाग का केंद्रीय एजेंसी अनुभाग (सीएएस) भारत संघ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर महत्वपूर्ण मामलों की पहचान करता है तथा उनका विवरण भी दर्ज करता है। ईएसी–पीएम (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद) को भी भारत संघ, मुकदमेबाजी पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए लिम्बिस पोर्टल तक पहुंच प्रदान की गई।

12.4 लिम्ब स पोर्टल मंत्रालयों/विभागों के उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करता है, जो मामला प्रबंधन प्रक्रियाओं को आधुनिक और अनुकूलतम बनाना, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना, तथा कानूनी प्रणाली में शामिल सभी हितधारकों को न्याय प्रदान करना चाहते हैं।

12.5 मैन्युअल डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया को न्यूनतम करने वाली अधिक स्वचालित प्रणाली की ओर झुकाव रखते हुए, निर्बाध डेटा हस्तांतरण और अद्यतन के लिए एपीआई के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में डेटाबेस के साथ लिम्बस को एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और 17 अधिकरणों से संपर्क किया गया है। विधि कार्य विभाग ने एनआईसी और संबंधित न्यायालय/अधिकरण/ प्राधिकरणों के सहयोग से निम्नलिखित न्यायालयों और अधिकरणों के साथ लिम्बस को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है:

निम्नलिखित न्यायालयों/अधिकरणों को एपीआई के माध्यम से लिम्बस के साथ एकीकृत किया गया है।

- उच्चतम न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- जिला और सत्र न्यायालय

अधिकरण (9) :

- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)
- दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)
- विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल)
- सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी)
- आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी)
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी)
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)
- रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी)

12.6 शेष 4 अधिकरणों (एएफटी, एनसीडीआरसी, सीजीआईटी, और सफेमा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरणों) के साथ लिम्बएस का एकीकरण कार्य प्रगति पर है।

12.7 31 मार्च 2024 तक, लिम्बयस को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, इसके विभागों और संबद्ध कार्यालयों में लागू किया गया और इसने सभी हितधारकों जैसे उपयोगकर्ताओं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों, अधिवक्ताओं आदि को एक ही मंच पर ला दिया। मंत्रालयों/विभागों के सम्मिलित प्रयासों से, इस एप्लीकेशन ने 14049 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के माध्यम से 11.31 लाख न्यायालयी मामलों (निपटान किए गए मामलों सहित) को एकत्रित किया है, जिससे भारत संघ से संबंधित मुकदमों का एक एकीकृत डेटाबेस तैयार हुआ है। इस एप्लीकेशन ने 3291 न्यायालयों और 21778 अधिवक्ताओं का विवरण एकत्रित किया है।

(लिम्ब्स पोर्टल की पहुंच)

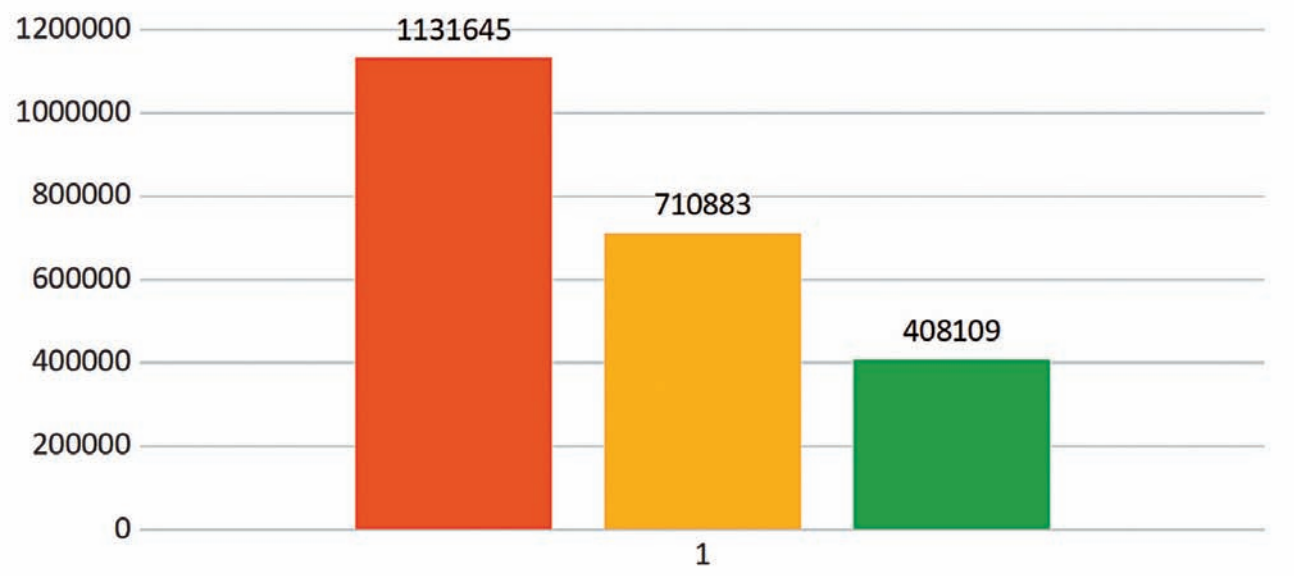

12.8 लिम्ब्स की मुख्य विशेषताएंः

लिम्ब्स उन्नत डेटा विश्लेषण क्षमताओं से लैस है। ये सुविधाएँ मामलों की निगरानी और विधि अधिकारियों, पैनल परामर्शदाताओं और अधिवक्ताओं द्वारा शुल्क बिल अपलोड करने में सहायता करती हैं। लिम्ब्स की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

(i) **माई कोर्ट केसेजः** उपयोगकर्ताओं के पास डैशबोर्ड पर 'नई प्रविष्टि' टैब के माध्यम से नए मामले इनपुट करने की सुविधा है। वे 'अनुपालन प्रविष्टि' अनुभाग के माध्यम से नवीनतम सुनवाई की तारीखों को अद्यतन कर सकते हैं और किसी मामले के लिए प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता सीएनआर नंबर, अधिवक्ता के नाम, मोबाइल नंबर और संक्षिप्त इतिहास जैसे बुनियादी केस विवरण को संपादित या लोड कर सकते हैं।

(ii) **अद्यतनीकरणः** उपयोगकर्ता सुनवाई की अंतिम तिथि को अद्यतन/संपादित कर सकते हैं, सीएनआर संख्या को अद्यतन कर सकते हैं, जिन मामलों में सीएनआर संख्या नई प्रविष्टि पर अद्यतित नहीं है, अधिकांश मामलों में केस की स्थिति का स्वतः अद्यतन, अपवाद मामलों और अधिकरण मामलों को भी अद्यतित कर सकते हैं।

(iii) **महत्वपूर्ण मामले** – नोडल अधिकारी को संबंधित सचिव से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मामलों को 'महत्वपूर्ण' के रूप में चिह्नित करने की सुविधा है। उपयोगकर्ता, डैशबोर्ड पर महत्वपूर्ण मामले टैब के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग के महत्वपूर्ण मामलों को भी देख सकते हैं।

(iv) **एमआईएस रिपोर्टः** उपयोगकर्ता सांख्यिकीय रिपोर्ट या सारांश रिपोर्ट जैसे मामला स्थिति–वार सारांश, मामला श्रेणी–वार सारांश, वित्तीय निहितार्थ–वार सारांश, न्यायालय–वार सारांश, निर्णीत मामलों का सारांश, कुल माध्यस्थम मामले, कुल बिल, कुल नोडल अधिकारियों की सूची, कुल उपयोगकर्ता सूची आदि देख सकते हैं।

एमआईएस रिपोर्ट पर, उपयोगकर्ता संबंधित मंत्रालय की मुकदमेबाजी की स्थिति देख सकते हैं, जैसे दर्ज मामलों की कुल संख्या, लंबित मामले, निपटाए गए मामले, अनुपालन के लिए लंबित मामले, महत्वपूर्ण मामले, अवमानना के मामले, वकीलवार शीर्ष 10 मामले, विषयवार लंबित मामले आदि।

(v) **एडवांस सर्चः** इस शक्तिशाली उपयोगिता के माध्यम से, उपयोगकर्ता विभिन्न क्षेत्रों – मंत्रालय/विभाग,

न्यायालयों का विवरण, मामले की श्रेणी, वित्तीय निहितार्थ, मामले की स्थिति, पक्ष का नाम, अधिवक्ता, सिस्टम तिथि, मामले की तिथि, सुनवाई की अगली तिथि/निर्णय की तिथि और संक्षिप्त इतिहास – के माध्यम से न्यायालयी मामलों को सर्च कर सकते हैं।

(vi) नोडल अधिकारी और स्थानीय प्रशासक संबंधित मंत्रालय/विभाग/स्वायत्त संगठनों/सीपीएसई आदि के नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सक्रिय कर सकते हैं। वे सेवानिवृत्त या स्थानांतरित हुए उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल बदल सकते हैं तथा गलत दर्ज किए गए या डुप्लिकेट मामलों को हटा सकते हैं।

(vii) एड प्रोगरेसः उपयोगकर्ता मामलों की दिन–प्रतिदिन की प्रगति को जोड़ सकते हैं तथा उसका विवरण वेब पेज पर प्रदर्शित कर सकते हैं।

(viii) **मामलों का हस्तांतरणः** एक मंत्रालय/विभाग के उपयोगकर्ता मामले को उसी मंत्रालय/विभाग के अन्य उपयोगकर्ताओं या अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं।

(ix) **माध्यस्थम मामलेः** उपयोगकर्ता 'मामला प्रविष्टि' टैब का उपयोग करके विवरण दर्ज कर सकते हैं और 'माध्यस्थम' टैब के अंतर्गत सूची का उपयोग करके दर्ज किए गए मामलों को देख सकते हैं।

(X) **एएमआरसीडी/एएमआरडी मॉड्यूलः** वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र एएमआरसीडी और एएमआरडी से संबंधित मामलों को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए इसका एक अलग डोमेन है। रिपोर्ट 'एमआईएस रिपोर्ट' टैब के अंतर्गत भी तैयार की जा सकती है।

(xi) **एफएबी मॉड्यूल–** एफएबी मॉड्यूल (फॉर्म फॉर अपीयरेंस बिल) विधि अधिकारियों को ऑनलाइन बिल बनाने में सक्षम बनाता है। यह डिजिटल पहल न केवल समय बचाती है बल्कि बिलों के सुचारू प्रसंस्करण में भी मदद करती है।

(xii) **एडवोकेट लॉगिनः** वर्तमान में, अधिवक्ता अपने खातों में लॉग इन कर सकते हैं और नए मामले दर्ज कर सकते हैं। अधिवक्ता अंतिम सुनवाई की तारीख, अगली सुनवाई की तारीख को अपडेट कर सकते हैं, संबंधित उपयोगकर्ता के लिए 'यह मेरा मामला नहीं है' स्थिति चिह्नित करके मामलों को स्थानांतरित कर सकते हैं, मामले से निपटने वाले संबंधित उपयोगकर्ता को संदेश भेज सकते हैं, और ऑनलाइन बिल बना सकते हैं।

(xiii) **बनाया गया बिलः** उपयोगकर्ता संबंधित मामलों पर अधिवक्ता द्वारा अपलोड किए गए बिलों को देख सकते हैं तथा स्वीकृति आदेश की प्रति भी तैयार कर सकते हैं।

(xiv) **सलाह मॉड्यूल/(एसएलपी) :** एसएलपी मॉड्यूल को एसएलपी/अपील को समय पर दाखिल करने में होने वाली देरी को रोकने के लिए भौतिक प्रक्रियाओं की समयसीमा को जानने के लिए विकसित किया गया था।

(xv) **अपवाद वाले मामलेः** अपवाद वाले मामले वे मामले हैं जिनमें न्यायालय, अधिवक्ता विवरण, केस श्रेणी, केस की स्थिति, वित्तीय निहितार्थ, केस की तिथि और सुनवाई की अंतिम तिथि से संबंधित अपवाद/त्रुटियां शामिल हैं। अपवादों/त्रुटियों को अद्यतन करने के लिए एक उप–मॉड्यूल भी विकसित किया गया था।

12.9 लिम्ब्स का उन्नयनः

i. **लिम्ब्स होमपेजः** लिम्ब्स के होमपेज को लिम्ब्स पोर्टल से लाइव आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए रूपांतरित किया गया है। डिजाइन में गतिशील दृश्यों के साथ एक आधुनिक, उपयोगकर्ता–अनुकूल लेआउट होगा जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंचाएगा और रणनीतिक रूप से स्थित कॉल टू एक्शन के साथ जुड़ाव को प्रेरित करेगा।

ii. **उपयोगकर्ता पंजीकरण पृष्ठः** लिम्ब्स के लिए उपयोगकर्ता पंजीकरण पृष्ठ को पुनः डिजाइन किया

गया है, जिसमें स्थानीय/नोडल अधिकारी का विवरण शामिल किया गया है तथा उपयोगकर्ताओं के लिए अपना ईमेल भरने का विकल्प भी जोड़ा गया है। उपयोगकर्ता अब अपना उपयोगकर्ता नाम अपने ईमेल पते के समान बना सकते हैं।

iii. **केस प्राथमिकताः** उपयोगकर्ताओं के पास अब नए प्रविष्टि पृष्ठ पर केस प्राथमिकता (उच्च, मध्यम, निम्न) का चयन करने का विकल्प है और वे उन्नत खोज सुविधा का उपयोग करके केस प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं।

iv. **प्रशिक्षण सामग्रीः** लिम्ब्स के लिए प्रशिक्षण सामग्री क्षमता निर्माण आयोग के ढांचे के अंतर्गत बनाई जाती है।

v. **डीजीक्यूआई दिशानिर्देशः** नीति आयोग द्वारा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) पोर्टल पर लिम्ब्स डेटा को अपडेट किया जा रहा है।

vi. **ईमेल कार्यक्षमताः** लिम्ब्स प्लेटफॉर्म में एक ईमेल टूल है जो मंत्रालय/विभाग सचिव को प्रासंगिक मामलों की आगामी सुनवाई के बारे में सूचनाएं भेजने में सक्षम बनाता है।

vii. **लिम्ब्स मंत्रालयों/विभागों के लिए नया संहिताकरणः** एनआईसी और ई–कोर्ट समिति के निर्देशों के बाद, सभी मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और अधीनस्थ कार्यालयों का नया संहिताकरण बनाया गया है।

viii. जब भी कोई उपयोगकर्ता लिम्ब्स पोर्टल पर लॉग इन करता है, लिम्ब्स में उच्च न्यायालय के मामलों की स्वतः अद्यतन सुविधा अब मामले के चरण, अगली सुनवाई की तिथि, अंतिम सुनवाई की तिथि और आदेश का विवरण सीएनआर नंबर के माध्यम से दैनिक रूप से रिकॉर्ड करती है।

ix. उच्चतम न्यायालय के साथ लिम्ब्स का एकीकरण उपयोगकर्ताओं को लिम्ब्स पोर्टल के नए प्रवेश पृष्ठ पर डायरी संख्या दर्ज करके केस विवरण और आदेश प्राप्त करने की अनुमति देता है।

X. ई–कोर्ट सर्वर के साथ उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय के मामलों के लिए नए एपीआई सर्वर हेतु एनएपीआईएक्स प्लेटफॉर्म पर लिम्ब्स पंजीकरण बनाया गया है।

Xi. **अपवाद वाले मामलेः** अपवाद वाले परिदृश्य के लिए एक नई एसएमएस अलर्ट सुविधा शुरू की गई है।

Xii. **नये वित्तीय निहितार्थः** लिम्ब्स पोर्टल अब उपयोगकर्ताओं को नए प्रविष्टि पृष्ठ पर वित्तीय स्लैब का चयन करने की अनुमति देता है ताकि मामलों में शामिल वास्तविक राशि दर्ज की जा सके।

Xiii. **वाद सूचीः** उपयोगकर्ताओं के पास उच्च न्यायालय के मामलों के लिए पहुंच की सुविधाएं और वाद सूची से एक विशिष्ट तिथि का चयन करके मामले के विवरण की समीक्षा करने की सुविधा है।

Xiv. उपयोगकर्ता अनुभव, कार्यक्षमता और पहुंच को बढ़ाने के लिए लिम्ब्स पोर्टल डिज़ाइन को अद्यतित किया गया है। यह अद्यतन न्यायालयी मामले की जानकारी तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगकर्ता–अनुकूल मंच प्रदान करता है, जिसमें अधिक कुशल उपयोगकर्ता अनुभव के लिए बेहतर नेविगेशन और सुव्यवस्थित टैब शामिल हैं।

Xv. **मॉड्यूल 8कः** लंबित अपीलों की समस्या से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय के लिए लिम्ब्स पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

Xvi. **प्रशिक्षण और सहायता मॉड्यूलः** यह मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने या लिम्ब्स पोर्टल का उपयोग करते समय आने वाली किसी भी समस्या या प्रश्न की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

Xvii. लिम्ब्स पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल चरण–दर–चरण निर्देश और स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रदर्शन प्रदान करता है, साथ ही उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल भी प्रदान करता है।

Xviii. **लिम्ब्स एफएक्यू:** लिम्ब्स एफएक्यू को लिम्ब्स पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे आम प्रश्नों और समस्याओं का निराकरण करने के लिए अद्यतित किया गया है। ये एफएक्यू उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों के उत्तर जल्दी से खोजने और लिम्ब्स प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी उपयोग करने में मदद करते हैं।

Xix.. न्यायालयी मामलों की निगरानी बढ़ाने के लिए, एमआईएस रिपोर्ट टैब के अंतर्गत निम्नलिखित नई रिपोर्टें जोड़ी गई हैं:

- शपथ पत्र रिपोर्ट
- मंत्रालयवार उपयोगकर्ता प्रगति रिपोर्ट
- आवधिक रिपोर्ट
- मामलों के प्रकार की उप–श्रेणी रिपोर्ट
- अवमानना/एनडीओएच रिपोर्ट
- वर्षवार रिपोर्ट (पिछले 10 वर्ष)
- उच्च न्यायालय की राज्य–वार रिपोर्ट
- एफएबी मॉड्यूल – अधिवक्ता–वार रिपोर्ट
- एफएबी मॉड्यूल– मंत्रालय–वार रिपोर्ट
- विधि कार्य विभाग लॉगिन के अंतर्गत लिम्ब्स की प्रगति रिपोर्ट

12.10 लिम्ब्स का प्रभाव:

i. लिम्ब्स उपयुक्त समय पर शुरू की गई पहल है, जो भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के दृष्टिकोण से न्यायालयीन मामलों की निगरानी में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य ई–कोर्ट एप्लीकेशन के साथ एकीकरण करना है, जिससे भारत संघ की मुकदमेबाजी की प्रभावी निगरानी के लिए एक व्यापक समाधान उपलब्ध हो सके। न्यायालयीन मामलों से निपटने में भ्रम और अस्पष्टता को दूर करने के लिए लिम्ब्स एक एकीकृत डेटाबेस, मानक नमूना और एक सामान्य नामकरण का उपयोग करता है। अधिवक्ताओं, उपयोगकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों को एसएमएस अलर्ट से सतर्क केस प्रबंधन सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, एमआईएस रिपोर्टों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विधिक प्रकोष्ठों के कामकाज को बढ़ाया है।

ii. इस प्रकार, लिम्ब्स ने सभी मंत्रालयों के उपयोगकर्ताओं के बीच जवाबदेही, स्वामित्व और सामंजस्य स्थापित करके तथा इस वेब एप्लीकेशन पर आवश्यक जानकारी दर्ज करके पारदर्शिता में सुधार लाकर भारत संघ की मुकदमेबाजी निगरानी प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किया है।

iii. लिम्ब्स, न्यायालयीन मामले में शामिल भारत संघ के सभी हितधारकों को किफायती वेब प्रौद्योगिकी पहुंच प्रदान करता है, तथा पूर्वनिर्धारित पहुंच नियमों के अनुसार 24/7 उपलब्ध इनपुट का समन्वय करता है। यह उपयोगकर्ता–अनुकूल रिपोर्टों के व्यापक समूह के माध्यम से किसी मामले के विभिन्न चरणों की निरंतर निगरानी को सक्षम बनाता है।

iv. लिम्ब्स का उद्देश्य वित्तीय बोझ को कम करना, समय की बचत करना और मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में दक्षता लाना है। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है तथा न्यायालयीन मामले की पूरी अवधि के दौरान सभी हितधारकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है।

v. यह प्राधिकरणों को डेटा–आधारित निर्णय लेने, विभिन्न हितधारकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विधिक ऑडिट करने में सहायता करेगा।

12.11 सरकार को अधिक समन्वित तरीके से कार्य करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विभाग एक निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर तथा एकीकृत तरीके से अपने आंकड़े प्रस्तुत करें।

12.12 लिम्ब्स टीम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/बैठकः विधि कार्य विभाग ने, वृहद उपयोगकर्ता आधार को ध्यान में रखते हुए, लिम्ब्स को सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा एप्लीकेशन को सुचारू रूप से अपनाने के लिए अपनी सहायता प्रदान किया है। लिम्ब्स टीम द्वारा 191 से अधिक प्रशिक्षण/बैठक सत्र (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से) आयोजित किए गए, जिसमें वित्त मंत्रालय (राजस्व सीबीडीटी), गृह मंत्रालय (एनसीबी), रक्षा मंत्रालय (पूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा संपदा), अंतरिक्ष विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय (एनआईसीएफ), महिला बाल एवं विकास मंत्रालय, सीएजी आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल किया गया ताकि इसकी विशेषताओं का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

(सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रशिक्षण)

13. दिनांक 31.03.2024 तक विभाग में आईएलएस और जीसीएस (लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार को छोड़कर) संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक–II में है।

14. दिनांक 31.03.2024 तक सीएसएस, सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसओएलएस और जीसीएस (केवल लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार) संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक–III में है।

15. स्वच्छता मिशनः

15.1 "विशेष अभियान 3.0" के अंतर्गत वर्ष 2023–24 के दौरान विधि कार्य विभाग में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत पुरानी और बेकार पड़ी वस्तुओं, ई–कचरा, घिसे–पिटे फर्नीचर और फिटिंग, पुराने एयर कंडीशनर आदि की नीलामी की गई। इससे विभाग में स्वच्छ वातावरण बनाने में मदद मिली।

15.2 कार्यालय क्षेत्र में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए विधि कार्य विभाग विभिन्न पहलों पर बारीकी से नजर रख रहा है तथा न केवल कार्यालयों में बल्कि अपने घरों में भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के बीच कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। कोविड–19 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कमरों/खुले क्षेत्रों आदि को सैनिटाइज करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए और इस विभाग के फर्श, शौचालय, खुले क्षेत्र, सीढ़ियों और गलियारों की नियमित सफाई/झाड़ू लगाने का काम किया गया।

15.3 इस अभियान में पुराने रिकॉर्ड/फाइलों को हटाना, पुराने अखबारों, ई–कचरे आदि का निपटान करना, साथ ही पुराने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण और स्कैनिंग करना शामिल है, ताकि कार्यालय की जगह का अधिकतम उपयोग किया जा सके। सिंगल–यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया गया और उनकी जगह पर कागज/ई–कचरे से बने फोल्डर/फाइलों पर जोर दिया जा रहा है।

15.4 इस विभाग द्वारा की गई कुछ मुख्य पहलों में शौचालयों, गलियारों और अन्य सामान्य क्षेत्रों तथा सभी अनुभागों की गहन सफाई, अतिरिक्त तारों, फर्नीचर को हटाना, कुछ कमरों में सफेदी करवाना आदि शामिल हैं। लगभग 3700 वर्ग मीटर क्षेत्र में कीट नियंत्रण गतिविधि भी शुरू की गई है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

15.5 आधुनिकीकरणः यह विभाग सदैव आधुनिकीकरण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है। इस अवधि के दौरान, चार से पांच कमरों में नवीकरण कार्य किया गया, जिसमें अन्य कार्यों के साथ–साथ, 225 वर्ग फीट क्षेत्र का गणमान्य व्यक्तियों के लिए आगंतुक/बैठक कक्ष, 441 वर्ग फीट क्षेत्र का एक छोटा सम्मेलन कक्ष, लगभग 414 वर्ग फीट क्षेत्र का एक नया साइबर सेल और एडीआर सेल के लिए कार्यालय स्थान का निर्माण/नवीनीकरण किया गया। इन कमरों का नवीनीकरण लकड़ी/पीवीसी फर्श, 4–5 फीट की झालर और सफेद तथा गर्म सफेद रोशनी के साथ सागौन की लकड़ी की कॉर्निश के साथ किया गया है। इसके अलावा खिड़की के शीशों को एकल शीशे से बदलना, उचित प्रकाश व्यवस्था और विद्युतीकरण, बैठने के लिए उचित अनुकूलित टेबल और कुर्सियां, ब्लाइंड्स/पर्दे का प्रावधान, नए एयर कंडीशनर का प्रावधान आदि शामिल हैं।

15.6 उपरोक्त के अलावा, शास्त्री भवन के गैराज नं. 15 में एक जिम का निर्माण किया गया तथा आर एंड आई अनुभाग का नवीनीकरण और उसे गैराज नं. 50 में स्थानांतरित करने का कार्य भी किया गया। आवश्यकतानुसार अपेक्षित पर्दों सहित इंटरनेट वायरिंग/इलेक्ट्रिकल वायरिंग से संबंधित कार्य भी किया गया। इस विभाग के एनआईसी सेल का नवीनीकरण किया गया, जिसमें दो आधुनिक कक्ष और 06 कार्यशील स्टेशन हैं, जिनमें उचित प्रकाश व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग आदि की व्यवस्था है। अधिकांश कंप्यूटर जो पुराने हो चुके थे या अप्रचलित हो गए थे, उन्हें समय–समय पर मेटी द्वारा जारी किए गए सुरक्षा दिशानिर्देशों के आधार पर नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन वाले नए कंप्यूटरों से बदल दिया गया है।

16. शाखा सचिवालय, मुंबई

16.1 शाखा सचिवालय, मुंबई का नेतृत्व वर्तमान में अवर सरकारी अधिवक्ता श्री माधव चरण प्रुष्टि प्रभारी के रूप में कर रहे हैं (26.6.2023 से 31.3.2024 तक) । शाखा सचिवालय, मुंबई को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा तथा संघ राज्य क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव पर कानूनी सलाह देने तथा क्षेत्र में स्थित विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों को निपटाने का अधिकार है।

16.2 **सलाहः** शाखा सचिवालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों में स्थित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को विधिक सलाह देता है। केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग भी अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित मामलों से संबंधित सलाह के लिए शाखा सचिवालय से संपर्क करते हैं। 01.01.2023 से

31.03.2024 के दौरान शाखा सचिवालय को परामर्श हेतु 1341 संदर्भ प्राप्त हुए। सभी परामर्शों का शीघ्रता से निपटान किया जा रहा है।

16.3 **मुकदमेबाजी का पर्यवेक्षणः** शाखा सचिवालय, मुंबई भारत सरकार की ओर से भारत संघ, मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मुकदमे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुंबई पीठ, एनसीएलटी, तथा मुंबई में कार्यरत अन्य अधिकरणों, जिला न्यायालयों तथा राज्य एवं जिला आयोग आदि के समक्ष संचालित करता है। इसके अतिरिक्त शाखा सचिवालय माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय तथा इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की भी निगरानी करता है। जब भी कोई मंत्रालय/विभाग या अन्य स्वायत्त/सांविधिक निकाय इस प्रयोजन के लिए शाखा सचिवालय से संपर्क करता है, शाखा सचिवालय माननीय उच्च न्यायालय, कैट, आरसीटी, जिला न्यायालयों और आयोग आदि के समक्ष लंबित भारतीय रेलवे से संबंधित मुकदमों का भी संचालन करता है।

16.4 शाखा सचिवालय, मुंबई को बॉम्बे उच्च न्यायालय से संबंधित लगभग 1980 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 709 का निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे सहित अन्य उच्च न्यायालयों और अधिकरणों से 1951 मामले प्राप्त हुए।

16.5 **परामर्शदाताओं के शुल्क बिलः** मुंबई शाखा सचिवालय, मुंबई उच्च न्यायालय के विद्वान अपर महासोलिसिटर और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को उपस्थिति/परामर्श के लिए व्यावसायिक शुल्क का भुगतान करता है और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य के जिला न्यायालयों के लिए केंद्र सरकार के स्थायी काउंसेल को इसके लिए आवंटित निधियों से भुगतान करता है। 31.03.2024 तक स्थायी काउंसेल सहित काउंसेल को व्यावसायिक शुल्क के रूप में 1.69 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि प्रदान की गई है।

16.6 **आरटीआई मामलेः** इस वर्ष आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु 29 आवेदन प्राप्त हुए। इनका निपटान अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शाखा सचिवालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर 4 प्रथम अपीलों का निपटारा किया गया।

16.7 **बजट और लेखाः** इस शाखा सचिवालय में बजट और लेखा कार्य "पीएफएमएस" पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन किया जाता है। सभी भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। जीईएम का उपयोग वस्तुओं, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। पेंशन मामलों का निपटान भी "भविष्य" ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

16.8 **पुस्तकालय और अनुसंधानः** मुंबई शाखा सचिवालय 14000 से अधिक पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सलाह देने तथा मुकदमेबाजी के मामलों में बहुत उपयोगी है। पुस्तकालय विभिन्न विषयों पर पुस्तकों से समृद्ध है, जैसे पत्रिकाएं, कानून की पुस्तकें, स्वामी पब्लिकेशन की पुस्तिका, एमओपी आदि। अधिकारियों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए इन्हें नियमित रूप से खरीदा जाता है। शाखा सचिवालय ने ऑनलाइन जर्नल 'एससीसी ऑनलाइन' की सदस्यता ली है।

16.9 **हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग एवं हिंदी पखवाड़ाः** शाखा सचिवालय में एक 'राजभाषा समिति' कार्यरत है जो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित होने पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। विभिन्न विवरण और प्रपत्र जैसे छुट्टी प्रपत्र, कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, रबर स्टाम्प, पत्र व्यवहार आदि को द्विभाषी बना दिया गया है। सितम्बर, 2023 माह में हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

16.10 विशेष कार्यः

16.10.1 **तकनीकी उन्नतिः** शाखा सचिवालय में ई–ऑफिस लागू किया गया है और अधिकारियों को फाइल संबंधी कार्य के लिए ई–ऑफिस का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस शाखा सचिवालय में बजट और लेखा कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर और "पीएफएमएस" पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन किया जाता है। जीईएम का उपयोग वस्तुओं, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। पेंशन मामलों का निपटान भी "भविष्य" ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन पत्रिकाओं के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है और तदनुसार शाखा सचिवालय द्वारा दी गई सलाह में संदर्भ के लिए एससीसी ऑनलाइन की सदस्यता ली गई है। अभिलेखों का डिजिटलीकरण प्रक्रियाधीन है। मुकदमेबाजी से संबंधित डेटा एक्सेल प्रारूप में दर्ज किया गया है।

16.10.2 **स्वच्छता अभियानः** सितंबर 2023 के दौरान, बीएस–मुंबई में विशेष अभियान 3.0 शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं, जैसे पुराने रिकार्डों की छंटाई, रिकार्डों का डिजिटलीकरण, पुराने और अनुपयोगी फर्नीचर की पहचान, पुस्तकालय सहित कार्यालय में सफाई अभियान, कार्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण। अप्रचलित रिकार्डों को हटाया गया और लगभग 84,000 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। इसके अलावा, स्वच्छता अभियान एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत डिस्पोजेबल रिकॉर्ड आदि को अलग करने का काम नियमित रूप से किया जाता है।

16.10.3 घटनाक्रमः वर्ष 2023 में बीएस–मुंबई में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, अंगदान दिवस तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई। दिनांक 29.08.2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संविधान दिवस के अवसर पर कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना का वाचन आयोजित किया गया। दिनांक 21.06.2023 को योग दिवस मनाया गया, जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास में भाग लिया।

चित्र

विशेष अभियान

पहले

बाद

पहले

बाद

अंगदान दिवस पर शपथ ग्रहण

योगा दिवस

संविधान दिवस समारोह

17. शाखा सचिवालय, कोलकाता

17.1 वर्ष 2023–2024 के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता का नेतृत्व 16 जून, 2023 तक अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा किया गया तथा उसके बाद वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी द्वारा किया गया, जो प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वितीय एवं तृतीय तल, मध्य भवन, 11, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता–700001 से कार्य कर रहा है। इसके नौ विंग हैं, अर्थात सलाह, मुकदमेबाजी (कलकत्ता उच्च न्यायालय), सर्किट बेंच सहित कैट और अन्य उच्च न्यायालय, अधिकरण और निम्न न्यायालय आदि शाखा सचिवालय, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें प्रशासन, रोकड़ एवं लेखा, हिंदी, बिल, आर एवं आई और पुस्तकालय अनुभाग हैं।

(शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों का समूह फोटो)

17.2 शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा विंग, भारत संघ के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित समस्त मुकदमेबाजी मामलों को देखता है, जो कलकत्ता स्थित माननीय उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट पीठों तथा पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, जिनमें असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, के विभिन्न अधिकरणों, जिला फोरमों, राज्य आयोगों और निम्न न्यायालयों में लंबित हैं।

17.3 शाखा सचिवालय, कोलकाता (i) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXVII, नियम 8बी(ए) के अंतर्गत सरकारी वकील के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित अधिकारियों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के मामलों का संचालन भी करता है; (ii) कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में एडवोकेट–ऑन–रिकॉर्ड के कार्यालय के रूप में कार्य करता है; (iii) कलकत्ता उच्च न्यायालय के मामलों में आवश्यकता के अनुसार भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और/या विभिन्न मामलों में वकील नियुक्त करता है; (iv) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता पीठ, कलकत्ता में अन्य न्यायाधिकरणों, राज्य स्तर पर उपभोक्ता निवारण मंच और वैकल्पिक समाधान के अन्य मंचों में वकील नियुक्त करता है; (v) केंद्र सरकार

की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में मूल पक्ष और अपीलीय पक्ष और मध्यस्थता मामले में मुकदमेबाजी कार्य की देखभाल करता है और अप) शाखा सचिवालय, कोलकाता माननीय उच्च न्यायालय, कैट, आरसीटी, जिला न्यायालयों और आयोग आदि के समक्ष लंबित भारतीय रेलवे से संबंधित मुकदमेबाजी का भी संचालन करता है।

17.4 यह शाखा सचिवालय माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के मुकदमेबाजी कार्य के साथ, पश्चिम बंगाल के अधीनस्थ न्यायालयों जैसे नगर सिविल न्यायालय, लघु वाद न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों के साथ–साथ पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिला न्यायालयों में मुकदमे जिनमें केन्द्रीय सरकार या तो पक्षकार है या अन्यथा हितबद्ध है तथा काउंसेल की नियुक्ति का सामान्य पर्यवेक्षण करता है।

17.5 शाखा सचिवालय, कोलकाता पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे पटना उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केन्द्रीय सरकार के मुकदमों,हस्तांतरण के दस्तावेजों का प्रारूपण और पुनरीक्षण, अनुबंध, संविदाओं और अन्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों जिनमें केन्द्रीय सरकार पक्षकार है का सामान्य पर्यवेक्षण भी करता है।

17.6 शाखा सचिवालय, कोलकाता पैनल काउंसेलों से प्राप्त फीस बिलों की जांच करता है, ताकि माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के अधीनस्थ न्यायालयों तथा इसके इसके न्यीायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य उच्च न्यायालयों में सरकारी विभागों की ओर से उपस्थित होने के लिए विशेष दरों पर स्पेशल काउंसेलों की नियुक्ति हेतु मंजूरी प्राप्त की जा सके, ऑरिजिनल साइड के मामलों में अपील के लिए पेपर बुक तैयार करता है तथा मुकदमेबाजी से संबंधित सभी आनुषंगिक कार्य जैसे बैक–शीट जारी करना, पत्राचार करना, सम्मेलन आदि करता है, तथा इस शाखा सचिवालय के कार्मिकों से संबंधित स्थापना तथा अन्य वैकल्पिक कार्य भी करता है।

17.7 इस शाखा सचिवालय का सलाह अनुभाग शाखा सचिवालय, कोलकाता के न्या याधिकार क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त संदर्भों पर कानूनी सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, अन्य मंत्रालय / विभाग जिनके मुख्यालय शाखा सचिवालय, कोलकाता के न्याायाधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, वे भी संविधियों की व्याख्या और न्यायलयी मामलों में सलाह के लिए इस शाखा सचिवालय से संपर्क करते हैं।

17.8 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान सलाह अनुभाग को सलाह के लिए कुल 1248 संदर्भ प्राप्त हुए।

17.9 उपर्युक्त अवधि के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता को याचिकाकर्ताओं तथा विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और स्वायत्त निकायों आदि से माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता से संबंधित 5979 मामले प्राप्त हुए हैं।

17.10. 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान इस शाखा सचिवालय को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता पीठ के समक्ष प्रस्तुत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से संबंधित कुल 994 सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं।

17.11 उपर्युक्त अवधि के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता में माननीय कैट, कोलकाता पीठ और पोर्ट ब्लेयर तथा जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट पीठों से संबंधित मुकदमों के लिए काउंसेलों की नियुक्ति हेतु 1446 मामले प्राप्त हुए। 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान माध्यस्थम मामलों सहित विभिन्न अधिकरणों, आरसीटी, औद्योगिक अधिकरण, सीईएसटीएटी, उपभोक्ता आयोग और निचली अदालतों में काउंसेलों की नियुक्ति हेतु 1552 मामले प्राप्त हुए।

17.12 उक्त अवधि के दौरान, अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी को 16 जून, 2023 तक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था और उसके बाद वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है, सहायक विधि सलाहकार को 13 नवंबर, 2023 तक सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया था और उसके बाद उप विधि सलाहकार को 14 नवंबर, 2023 से आरटीआई मामलों से निपटने के लिए सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है। जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक कुल 32 आरटीआई संदर्भ और 02(दो) प्रथम अपील प्राप्त हुई और निर्धारित समय के भीतर निपटाई गई।

17.13 शाखा सचिवालय, कोलकाता माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के विद्वान अपर महासालिसिटर तथा माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष उपस्थित होने वाले पैनल काउंसेलों को उपस्थिति/परामर्श के लिए प्रोफेशनल फीस का भुगतान करता है तथा पश्चिम बंगाल राज्य के जिला न्यायालयों के लिए केंद्र सरकार के स्थायी काउंसेलों को उनके लिए आवंटित बजट से रिटेनरशिप शुल्क का भुगतान करता है। पैनल काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत दावों को 2023–2024 के लिए स्वीकृत बजट में से आनुपातिक रूप से शीघ्रता से संसाधित किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के पैनल काउंसेलों को प्रोफेशनल फीस तथा स्थायी काउंसेलों को रिटेनरशिप फीस के भुगतान के लिए 31 मार्च, 2024 तक 2.83 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

17.14 इस शाखा सचिवालय का हिंदी अनुभाग राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रभावी प्रयोग के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक राजभाषा समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठकें तथा हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार हिंदी में नियमित प्रकृति के कार्य करने के लिए संदर्भ सामग्री तैयार करके अनुभागों में वितरित की गई है। इस कार्यालय के एक कर्मचारी को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी प्रशिक्षण %प्रवीण% के लिए नामित किया गया। इस शाखा सचिवालय में 14–29 सितंबर 2023 के दौरान बड़े उत्साह के साथ 'हिंदी पखवाड़ा' भी मनाया गया। 14 सितंबर, 2023 को पुणे में आयोजित हिंदी दिवस में इस कार्यालय के एक अनुभाग अधिकारी और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने भाग लिया। सिलीगुड़ी में पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 और कोलकाता में आयोजित हिंदी कवि सम्मेलन में इस कार्यालय के एक सहायक अनुभाग अधिकारी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने भाग लिया। नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय को भी निर्धारित प्रपत्र में नियमित आधार पर आवश्यक रिपोर्ट भेजी जाती है।

(हिंदी पखवाड़ा, 2023 के दौरान कर्मचारियों के फोटोग्रॉफ))

17.15 शाखा सचिवालय, कोलकाता में बजट और लेखा संबंधी कार्य एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल–आधारित भुगतान प्रणाली अर्थात 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' (पीएफएमएस) का उपयोग करके ऑनलाइन किए जा रहे हैं। कर्मचारियों, सरकारी काउंसेलों और अन्य सेवा प्रदाताओं को किए गए सभी भुगतान पीएफएमएस

पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आवधिक रिपोर्ट सीधे वेतन और लेखा कार्यालय और अन्य लोक प्राधिकरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं। माल, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए, सरकारी ई–अधिप्राप्ति वेबसाइट https://gem.gov.in का उपयोग सीधी अधिप्राप्ति के साथ–साथ बोलियों के माध्यम से खरीद के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पेंशन मामलों को 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है।

17.16 शाखा सचिवालय, कोलकाता का पुस्तकालय, 1,000 से अधिक पुस्तकों और जर्नलों के साथ अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है और मुकदमेबाजी में उपयोग के लिए तथा सरकारी मंत्रालयों/विभागों को सलाह देने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन जर्नल 'लाइव लॉ', 'मनुपत्र' और 'एससीसी ऑनलाइन' भी खरीदी गई हैं।

17.17 शाखा सचिवालय, कोलकाता में 1 जनवरी, 2022 से विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिम्बस) पोर्टल चालू हो गया है। पैनल काउंसलों ने न्यायालय के आदेश अपलोड करने और शुल्क का दावा करने में सक्षम होने के लिए लिम्बस पोर्टल पर अपने नाम पंजीकृत किए हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे लिम्बस पोर्टल पर मामले अपलोड करें और शाखा सचिवालय, कोलकाता को भेजे गए संदर्भों में लिम्बस आईडी प्रदान करें। पैनल काउंसलों से लिम्बस पोर्टल के माध्यम से 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान कुल 5,819 बिल प्राप्त हुए हैं।

17.18 शाखा सचिवालय, कोलकाता के अधिकारी और कर्मचारी पैनल काउंसेलों, मंत्रालयों/विभागों, अन्य सरकारी संगठनों और व्यापक स्तर पर आम जनता सहित सभी हितधारकों द्वारा संपर्क किए जाने पर उनको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने तथा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कल्याणकारी उपाय करने का प्रयास करते हैं। हमने डिजिटलीकरण के माध्यम से पैनल काउंसेलों और वादी विभागों को सुविधा प्रदान की है, जिससे आम जनता को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

17.19 शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा 21 जून, 2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

(21.06.2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दौरान लिए गए फोटो)

17.20 इस शाखा सचिवालय ने 25.08.2023 को बैडमिंटन खेलकर तथा 29.08.2023 को क्रिकेट खेलकर राष्ट्रीय खेल दिवस, 2023 मनाया।

(बैडमिंटन खेलते कर्मचारियों के फोटो)

17.21 प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निर्देशानुसार विशेष अभियान 3.0 के दौरान कुल 4414 फाइलों की समीक्षा उनकी छंटाई के लिए की गई। इसके अलावा 5900 किलोग्राम पुराने और बेकार पड़े कागजों को 81088 रुपये में बेचा गया। इसके अलावा, कबाड़ सामग्री को हटाकर 600 वर्ग फीट जगह खाली की गई।

(सफाई कार्य करते कर्मचारियों का फोटो)

17.22 31 अक्टूबर, 2023 से 6 नवंबर, 2023 की अवधि के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया। 30 अक्टूबर, 2023 को उक्त अवसर पर प्रभारी, शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' पर सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई।

सत्यनिष्ठा शपथ पढ़ने के दौरान ली गई एक फोटो

17.23 इस शाखा सचिवालय में संविधान दिवस मनाया गया जिसमें कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

18. शाखा सचिवालय बेंगलुरु

18.1 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों/मंत्रालयों के मुक़दमों को संभालना और उन्हें सलाह देना शाखा सचिवालय, बेंगलुरु के न्याशयाधिकार क्षेत्र में आता है। शाखा सचिवालय का नेतृत्व एक अपर सरकारी अधिवक्ता करता है जो प्रभारी के रूप में कार्य करता है।

18.2 **सलाह कार्यः** यह शाखा सचिवालय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और कार्यालयों को कानूनी सलाह देता है। 01.01.2023 से 31.03. 2024 की अवधि के दौरान कानूनी सलाह के लिए 835 संदर्भ प्राप्त हुए। सलाह कार्य में क्रमशः उच्च न्यायालयों अर्थात अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ और कलबुर्गी में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पीठों और हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाले अभिवचनों अर्थात आपत्तियों के बयानों, जवाबी शपथपत्रों, बेंगलुरु और हैदराबाद पीठों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों (कैट) के समक्ष दायर किए गए जवाबी बयानों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष दायर लिखित बयानों, जवाबी शपतपत्रों, जवाबी बयानों की संविक्षा और पुनरीक्षण करना शामिल है।

वे विभागों को यथावश्यक एसएलपी, अपील, समीक्षा आदि दायर करने की व्यवहार्यता की जांच करके, उनके द्वारा की गई कार्रवाई की कानूनी स्थिरता पर मार्गदर्शन देकर कानूनों की व्याख्या करने तथा प्रशासनिक विभागों के साथ विचार–विमर्श करने के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

18.3 **मुकदमेबाजी का पर्यवेक्षण** : शाखा सचिवालय अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ और कलबुर्गी में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पीठें और हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय, बेंगलुरु शहर और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों, इन राज्यों मं कैट और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमेबाजी का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों, संबंधित राज्यों के राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमेबाजी के कार्य को भी देखता है। 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान लगभग 6308 मुकदमों के संदर्भ प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेल का नामांकन, काउंसेल फीस बिलों और मुकदमेबाजी से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल हैं। इस संबंध में शाखा सचिवालय के कार्यों में काउंसेल की नियुक्ति/नामांकन और केंद्रीय सरकार के काउंसेलों के बीच मुकदमों का वितरण शामिल है।

18.4 **काउंसेलों के फीस बिल** : यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस बिलों पर कार्रवाई करता है और अपने केंद्रीकृत कोष से सीधे कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु में भारत के उप महा सॉलिसिटर और केंद्र सरकार के काउंसेलों को फीस का भुगतान करता है। 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान शाखा सचिवालय को लगभग 548 फीस बिल प्राप्त हुए। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ और कलबुर्गी पीठों का सवाल है, वहां काउंसेल फीस बिल का भुगतान उन संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, जिनकी ओर से काउंसेल मामलों का संचालन करते हैं, न कि शाखा सचिवालय, बेंगलुरु द्वारा। संबंधित विभाग/मंत्रालय कैट, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार के पैनल काउंसेलों की फीस का भुगतान करते हैं। इसलिए यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस बिलों को प्रमाणित नहीं करता। हाँलाकि, शाखा सचिवालय, बेंगलुरू इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों का स्पष्टीकरण देता है।

18.5 शाखा सचिवालय, बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम:

18.5.1 **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस:** शाखा सचिवालय, बेंगलुरु के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से योग अभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग के महत्व के साथ–साथ इससे जुड़े लाभों पर भी चर्चा की गई। सभी कर्मचारियों को इसे अपनी–अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

18.5.2 **हिंदी पखवाड़े का आयोजन:** विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, बेंगलुरू, ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करके हिंदी पखवाड़ा मनाया। सभी प्रतिभागियों ने 5 प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये प्रतियोगिताएं सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, बेंगलुरू की सहायता से आयोजित की गईं, इन्होंने प्रतियोगिताओं का आंकलन किया और समापन समारोह में भाषण दिया तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

18.5.3 **सतर्कता जागरूकता सप्ताह:** शाखा सचिवालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का आयोजन किया। 26 अक्टूबर, 2023 को अपर सरकारी अधिवक्ता और प्रभारी श्री के. सुदर्शन द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। सभी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

18.5.4 **राष्ट्रीय एकता दिवस:** दिनांक 31.10.2023 को श्री के. सुदर्शन, अपर सरकारी अधिवक्ता एवं प्रभारी द्वारा उनके कक्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा राष्ट्रीय एकता की शपथ ली।

18.6 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** शाखा सचिवालय, बेंगलुरु में प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया जाता है। सहायक विधि सलाहकार को सीपीआईओ के रूप में और अपर सरकारी अधिवक्ता एवं प्रभारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

18.7 **विशेष अभियान 3.0:** कैबिनेट सचिवालय और विधि कार्य विभाग के निर्देशों के संदर्भ में आदेश संख्या ए–60011/70/21–प्रशा.IV दिनांक 11.09.2023 के अनुसार, विशेष अभियान 3.0 के दौरान इस शाखा सचिवालय में 1300 से अधिक पुरानी फाइलों की पहचान करके उन्हें नष्ट किया गया।

19. शाखा सचिवालय, चेन्नै

19.1 शाखा सचिवालय, चेन्नै की अध्यक्षता एक सहायक विधि सलाहकार/उप विधि सलाहकार द्वारा की जाती है।

19.2 **सलाह :** शाखा सचिवालय तमिलनाडु, केरल तथा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को कानूनी सलाह देता है।

19.3 सलाह के लिए प्राप्त हुए लगभग 1117 संदर्भों का निपटारा किया गया।

19.4 **मुकदमेबाजी:** शाखा सचिवालय चेन्नै, मद्रास उच्च न्यायालय मद्रास, उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के मुकदमेबाजी संबंधी संपूर्ण कार्यों (रेलवे, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि से संबंधित मामलों को छोड़कर) को देखता है। यह तमिलनाडु और केरल में सिटी सिविल कोर्ट, प्रेसीडेंसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता मंचों आदि में केंद्र सरकार के मुकदमेबाजी संबंधी कार्य को भी देखता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय चेन्नै को, चेन्नै में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमेबाजी संबंधी कार्य भी सौंपें गए हैं।

19.5 उक्त अवधि में लगभग 9793 मुकदमेबाजी मामले प्राप्त हुए और तदनुसार निपटाए गए जिनमें मुकदमेबाजी रसीदें, फीस बिल और उच्च न्यायालय/कैट/निचला न्यायालय आदि के मामलों के लिए खोली गई फाइलें शामिल हैं।

19.6 शाखा सचिवालय, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साथ–साथ मुकदमे के निर्णयों के बारे में सूचित रखता है और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में दायर की जाने वाली दलीलों, हलफनामों आदि की मसौदा चरण में जांच और परीक्षण करता है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में काउंसेल की नियुक्ति/नामांकन और मामलों में शामिल केंद्रीय सरकार के विभागों से सामग्री एकत्र करना भी शामिल है, जिसे कानूनी दृष्टिकोण से दस्तावेजों की आवश्यक जांच के बाद काउंसेल को सौंप दिया जाता है।

19.7 **लिम्बसः** शाखा सचिवालय, चेन्नई, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्मित लिम्बस वेब–आधारित एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा है, जो केंद्र सरकार के मुकदमेबाजी मामलों के संचालन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल स्थान है। वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ और इसकी मदुरै पीठ में सूचीबद्ध विभिन्न न्यायालयी मामलों का विवरण, जिसे शाखा सचिवालय, चेन्नै द्वारा संभाला जाता है, को विभिन्न हितधारकों के उपयोग के लिए लिम्बस पोर्टल पर समय–समय पर अपडेट किया जाता है।

19.8 **काउंसेल फीस बिलः** शाखा सचिवालय इस उद्देश्य के लिए आबंटित निधियों में से व्यावसायिक फीस का भुगतान सीधे भारत के अपर सॉलिसिटर, उप सॉलिसिटर, वरिष्ठ पैनल काउंसेल तथा केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेल को मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ तथा इसकी मदुरै पीठ से संबंधित मामलों के संबंध में करता है।

19.9 संबंधित अवधि के दौरान, मद्रास उच्च न्यायालय और मदुरै पीठ में केंद्र सरकार के मुकदमों से संबंधित लगभग 3040 फीस बिल संसाधित किए गए और केंद्र सरकार के पैनल काउंसेलों को 5.95 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। उपरोक्त राशि में तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्थायी सरकारी काउंसेल को केंद्र सरकार के मुकदमों को संभालने के लिए रिटेनर फीस के लिए किये गए भुगतान शामिल है।

19.10 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपस्थिति के लिए केन्द्र सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत फीस बिलों का निपटारा किया गया और उन्हें विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार भुगतान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।

19.11 **21 जून, 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया गया :** मुख्य सचिवालय के निर्देशानुसार, योग दिवस समारोह के संबंध में 21.06.2023 को लगभग एक घंटे का योग प्रदर्शन सत्र आयोजित किया गया ताकि अनेक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकें।

19.12 **सितम्बर 2023 में 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गयाः** राजभाषा विभाग, मुख्य सचिवालय के निर्देशों के अनुसार, इस कार्यालय में सितम्बर 2023 में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नै के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं और अन्य संबंधित गतिविधियों में शाखा सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान, तत्कालीन सहायक विधि सलाहकार एवं प्रभारी तथा हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशक ने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।

19.13. **13वें भारतीय अंग दान दिवस का आयोजन :** 13वें भारतीय अंग दान दिवस के उपलक्ष्य में, अंग दान

के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शाखा सचिवालय, चेन्नै में एक 'प्रतिज्ञा' समारोह आयोजित किया गया और 03.08.2023 को सुबह 11.30 बजे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्यालय के परिसर में सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी द्वारा निर्धारित 'प्रतिज्ञा' दिलाई गई।

19.14 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन : केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस शाखा सचिवालय में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक 'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया।

19.15 इस शाखा सचिवालय के सभी अधिकारियों को 30 अक्टूबर, 2023 को प्रातः 11 बजे 'सत्यनिष्ठा की शपथ' दिलाई गई तथा इस संबंध में मुख्य सचिवालय को मेल भेज दिया गया है।

19.16 अक्टूबर 2023 में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 का आयोजनः विधि कार्य विभाग के निर्देशानुसार इस शाखा सचिवालय में विशेष/स्वच्छता अभियान 3.0 का आयोजन किया गया तथा अक्टूबर 2023 माह के दौरान स्वच्छता अभियान पूरे जोर–शोर से चलाया गया। अक्टूबर 2023 माह में विशेष अभियान 3.0 के दौरान इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यकलापों की एक समेकित रिपोर्ट, इस दौरान ली गई तस्वीरों के साथ मंत्रालय की समेकित रिपोर्ट में विचार करने तथा शामिल करने के लिए मुख्य सचिवालय के समन्वय प्रकोष्ठ को प्रस्तुत की गई।

19.17 'स्वच्छ भारत' मिशनः इस शाखा सचिवालय के प्रभारी समय–समय पर कार्यालय की स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण करते रहे हैं। कोविड–19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, कार्यालय परिसर की सफाई, हाथों को साफ रखना, चेहरे पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाने आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

19.18 रिटेनर फीसः शाखा सचिवालय को आवंटित निधियों में से तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्थायी सरकारी काउंसेल को रिटेनर फीस का भुगतान करने का अधिदेश सौंपा गया है। प्रासंगिक अवधि के दौरान, स्थायी सरकारी काउंसेल को रिटेनर फीस के भुगतान हेतु 22.32 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। उपरोक्त राशि को ऊपर पैरा प्ट में संदर्भित कुल काउंसेल शुल्क भुगतान में शामिल किया गया है।

19.19 ई–ऑफिस का कार्यान्वयनः इस कार्यालय ने मुख्य सचिवालय के निर्देशों के अनुसार पहले ही ई–ऑफिस कार्यान्वित कर दिया है। अप्रैल 2023 से, प्रशासन प्रभाग की अधिकांश नई फाइलें ई–ऑफिस मॉड्यूल में खोली और संसाधित की गई हैं। 01.04.2023 के बाद खोली गई शेष भौतिक (फिजिकल) फाइलें जिनमें काउंसेल फ़ीस भुगतान फाइलें शामिल हैं, को ई–फाइलों में परिवर्तित कर दिया गया है। काउंसेल फ़ीस बिलों और इस शाखा सचिवालय के कार्मिकों के दावों सहित सभी बिलों को पीएफएमएस के माध्यम से संसाधित किया जाता है और भुगतान सीधे संबंधित विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। संबंधित एनआईसी कर्मियों के मार्गदर्शन में 'लिटकेस' सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, ताकि फ़ीस बिल प्राप्तियों और उनके निपटान से संबंधित जानकारी/डेटा विधिवत अद्यतन हो सके।

19.20 आरटीआई प्राप्तियांः उपरोक्त अवधि के दौरान, 48 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए जिनमें ऑनलाइन, भौतिक (फिजिकल) और अन्य लोक प्राधिकरणों से अन्तरित मामले शामिल थे। 1.1.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 6 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं।

19.21 महिला कर्मचारीः इस कार्यालय में 3 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, अर्थात 1 अनुभाग अधिकारी (सीएसएस), 1 निजी सचिव (सीएसएसएस) और 1 सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस)।

19.22 निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के आंकड़ेः 5 कर्मचारी सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात, अ.जा.–1; अ.ज.जा –1; अ.पि.व.–3 (भूतपूर्व सैनिक – 1 सहित) ; दिव्यांग (पीएच) –0

20. मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी, दिल्ली

20.1 आयकर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न जिला न्यायालयों के साथ–साथ उपभोक्ता फोरम/अधिकरण में मुकदमेबाजी का काम मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा देखा जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/ अधिकरणों में मुकदमेबाजी का काम एक सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी द्वारा देखा जाता है, जिसकी सहायता अधीक्षक (विधि) /सहायक (विधि) द्वारा की जाती है।

20.2 भारत संघ अर्थात भारत सरकार की ओर से मामलों पर बहस करने के लिए वरिष्ठ पैनल काउंसेल और अपर केंद्र सरकारी काउंसेल (अर्थात 94 वरिष्ठ पैनल काउंसेल और 233 एसीजीसी) का एक पैनल नामित है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर, न्यायालयों में उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए उपयुक्त सरकारी काउंसेल को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि (अप्रैल 2023 – मार्च 2024) के दौरान, इस अनुभाग ने 1242 मामलों में काउंसेलों को नियुक्त किया। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों /अधिकरणों में सरकार (भारत संघ) के हितों की रक्षा के लिए हर समय विभिन्न विभागों साहित सरकारी काउंसेल के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखें जाते है।

20.3 जब माननीय न्यायालयों द्वारा मामलों का निर्णय ले लिया जाता है, तब सरकारी काउंसेल निर्धारित प्रारूप में अपनी फ़ीस बिल प्रस्तुत करते हैं। निर्धारित दरों पर भुगतान करने और प्रमाणित करने से पर्व उनकी नियुक्ति की शर्तों और नियमों को ध्यान में रखते हुए फ़ीस बिलों की बहुत ही सावधानी से जांच की जाती है। रिपोर्ट की अवधि (अप्रैल 2023– मार्च 2024) में, इस अनुभाग को सरकारी काउंसेल /वरिष्ठ पैनल काउंसेलों से 332 फ़ीस बिल प्राप्त हुए। इस अनुभाग ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, 1,30,00,000/– रुपये (एक करोड़ तीस लाख रुपये मात्र) का बजट आवंटित किया है। इस राशि में से 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए 106 पैनल काउंसेलों को उनके 436 व्यावसायिक फ़ीस बिलों के लिए 57,52,550/– रु. (सत्तावन लाख बानवे हजार पांच सौ पचास रुपए मात्र) का भुगतान किया गया है।

20.4 सहायक विधि सलाहकार इस अनुभाग के शाखा अधिकारी हैं। इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अधीक्षक (विधि) मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग का पर्यवेक्षण करते हैं।

21. केन्द्रीय अभिकरण अनुभागः

21.1 केंद्रीय अभिकरण अनुभाग (सीएएस) की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह कार्यालय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों (पांडिचेरी को छोड़कर), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय और सीएजी के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से मुकदमेबाजी करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका/अपील दायर करने की व्यवहार्यता पर विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के बाद भारत संघ की ओर से कुछ मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं और अपीलें दायर की जाती हैं। विधि सचिव ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के प्रभारी के रूप में कार्य किया। उन्हें 01 वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, 02 अपर सरकारी अधिवक्ता, 03 उप सरकारी अधिवक्ता और 02 परामर्शदाताओं (इनमें से 7 एडवोकेट–ऑन–रिकॉर्ड हैं) द्वारा सहायता प्रदान की गई। इसमें 07 विधि अधिकारी और 1029 विधि सरकारी पैनल काउंसेल हैं। केंद्रीय अभिकरण अनुभाग,

उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली से कार्य करता है।

21.2 केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नानुसार हैं :

- विद्वान महान्यायवादी, विद्वान महासॉलिसिटर और विद्वान अपर महासॉलिसिटर की राय प्राप्त करने के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों/अनुमोदित पैनल काउंसेलों की नियुक्ति।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी का संचालन एवं पर्यवेक्षण करना।
- विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के रिकॉर्ड का पर्यवेक्षण और फ़ीस बिलों का भुगतान।

21.3 केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में सरकारी अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट–ऑन–रिकॉर्ड की योग्यता की आवश्यकता होती है। वे उच्चतम न्यायालय के नियमावली के अनुसार भारत संघ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्य करते हैं, दलील देते हैं और पेश होते हैं।

21.4 केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के अनुसार 01.03.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सीएजी और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें भारत संघ या केंद्र शासित प्रदेश या तो याचिकाकर्ता या प्रतिवादी हैं, से सलाह/राय के लिए 4136 संदर्भ प्राप्त हुए हैं और इस अवधि के दौरान 5798 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

क्र. सं.	विवरण	मामलों की संख्या
1.	वर्ष 2023–2024 के दौरान एसएलपी दाखिल करने हेतु कानूनी राय लेने के लिए सीएएस में प्राप्त संदर्भों की संख्या	4136 (भौतिक फाइलों के माध्यम से 917 और ई–फाइलों के माध्यम से 3219)
2.	वर्ष 2023–24 में दर्ज मामलों की संख्या	5798
3.	वर्ष 2023–24 में निर्णीत मामलों की संख्या	101

कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिम्बस) से डेटा एकत्र किया गया।

21.5 वर्ष 2023–24 में भारत सरकार के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	मुकदमें का विवरण	शामिल मुद्दा	निर्णय
1.	डायरी संख्या 23592/2023 – विशाल तिवारी बनाम भारत संघ	भारतीय रेलवे में सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना, पटरियों की गुणवत्ता में सुधार, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और संवेदनशीलता, रखरखाव पद्धत्तियों में सुधार और कवच प्रणाली का विकास।	हमने भारत के विद्वान महाअटॉर्नी द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया है। हमने पाया कि सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना, पटरियों की गुणवत्ता में सुधार, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और संवेदनशीलता, रखरखाव पद्धत्तियों में सुधार और कवच प्रणाली के विकास की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जो एक अत्यधिक

			प्रौद्योगिकी–गहन प्रणाली है। हम भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदमों की सराहना करते हैं। ऐसा होने पर, हम संतुष्ट हैं कि जनहित में होने वाली इन कार्यवाहियों की शुरूआत ने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है और मुद्दों को भारत संघ और रेलवे द्वारा पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि, जिस भी तरह से विशेषज्ञों द्वारा उचित समझा जाये भारत संघ/भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और कवच प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए वांछित कदम उठाना जारी रखेगी। इन टिप्पणियों के साथ, इस स्तर पर तत्काल रिट याचिका का निपटान किया जाता है।
2.	**2022 का एसएलपी (सीआरएल), संख्या 12779–12781** वाई. बालाजी बनाम कार्तिक देसारी और अन्य	क्या प्रवर्तन निदेशालय को अभियुक्तों को समन जारी करने और पीएमएल अधिनियम की धारा 50 के तहत मामलों की जांच करने की शक्ति है? क्या 2022 के आदेश को रद्द किया जाता है। ईडी अब अभियुक्तों के खिलाफ कोई आपराधिक कारण और अभियोगात्मक साक्ष्य उपलब्ध हैं?	उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश से उद्भूत अपीलें स्वीकार की जाने योग्य हैं। तदनुसार, इन अपीलों को स्वीकार किया जाता है और मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 01.09. उस चरण से आगे बढ़कर कार्य करने की हकदार होगी जिस पर उनके हाथ विवादित आदेश से बंधे थे।
3.	**एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8847/2023** सौम्या चौरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय	क्या उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन के निपटारे में देरी करने और याचिकाकर्ता को 7 महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के लिए मजबूर करने से भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?	वर्तमान मामले में, सूर्यकांत तिवारी को, सक्षम न्यायालय द्वारा न तो आरोपमुक्त किया गया है, न ही दोषमुक्त किया गया है और न ही आपराधिक मामले को रद्द किया गया है। चूंकि न्यायालय ने पाया है कि अपीलकर्ता द्वारा और उसकी ओर से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अपील में गलत बयान देकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था, इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।
4.	सिविल अपील संख्या(एस)	मुद्दा–इन मामलों में विवाद प्रतिवादी–करदाताओं द्वारा दूरसंचार विभाग (जिसे इसके बाद संक्षेप में "डीओटी" कहा जाएगा) को नई दूरसंचार नीति 1999 (1999 की नीति) के तहत	मान्य किया: 31 जुलाई, 1999 के बाद का भुगतान 31 जुलाई, 1999 से पहले के भुगतान के अनुरूप ही है, यद्यपि इसका प्रारूप बदल गया है, जिससे भुगतान का मूल तत्व नहीं बदलता। यह एक अनिवार्य भुगतान है जो मूलभूत दस्तावेज़ यानी लाइसेंस समझौते से जुड़ा है जिसे 1999

		भुगतान किए गए परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क से संबंधित है, जो प्रकृति में राजस्व व्यय है और इसे अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए, या, यह अधिनियम की धारा 35एबीबी के तहत पूंजी प्रकृति की है।	की नीति में माइग्रेशन के बाद संशोधित किया गया था। भुगतान न करने का परिणाम लाइसेंसधारी को व्यापार से बाहर निकालना होगा। इस प्रकार, यह एक ऐसा भुगतान है जो लाइसेंस के अस्तित्व के साथ–साथ व्यापार के लिए भी आंतरिक है। इस तरह के भुगतान को केवल पूंजी के रूप में माना या वर्णित किया जाना चाहिए।

21.6 पैनल काउंसेल की फीस का भुगतानः सी.ए.एस में विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिमब्स) के कार्यान्वयन के साथ, पैनल काउंसेल की फीस का भुगतान ऑनलाइन हो गया है। डॉकेट/वर्क ऑर्डर अब लिमब्स के माध्यम से जारी किए जाते हैं। विधि अधिकारी/पैनल काउंसेल, पैनल टाइपिस्ट/फोटोकॉपियर अपने बिल ऑनलाइन जमा करते हैं और बाद में, बिलों को पीएफएमएस पोर्टल पर संसाधित किया जाता है। पैनल काउंसेल को सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उनकी फीस का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में विधि अधिकारियों और पैनल काउंसेल को 39,99,47,657/– रुपये का भुगतान किया गया।

21.7 न्यायालय शुल्कः ऐसे मामलों में जहां बड़ी मात्रा में न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है, संबंधित मंत्रालय/विभाग मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के माध्यम से न्यायालय फीस के भुगतान की व्यवस्था करते है। हालांकि, न्यायालय फीस की छोटी राशि के लिए, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग ने स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के साथ न्यायालय फीस के ई–भुगतान के लिए व्यवस्था की है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में न्यायालय फीस का कुल भुगतान 59000/– रुपए (लगभग) है।

21.8 कम्प्यूटर टाइपिस्ट/फोटोस्टेट ऑपरेटर का भुगतानः

मुकदमेबाजी से संबंधित कार्य के लिए कंप्यूटर टाइपिस्ट/फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटरों का एक पैनल गठित किया गया है। बिल लिमब्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी पहलुओं की जांच के बाद उनके बिलों का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान टाइपिस्ट और फोटोस्टेट ऑपरेटरों को किया गया कुल भुगतान 1,90,52,343/– रुपये है।

21.9 **वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बजटः** वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बजट आवंटन 51.50 करोड़ रुपये है जिसमें प्रोफेशनल शीर्ष (हेड) के लिए 41.9 करोड़ रुपये शामिल हैं।

21.10 **पुस्तकालय, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग** : केंद्रीय अभिकरण अनुभाग एक पुस्तकालय का रखरखाव करता है जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें है, जैसे कानून की पुस्तकें, मूल अधिनियम, बेयर एक्ट, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि रखी जाती हैं। केंद्रीय अभिकरण अनुभाग अधिकारियों की मांग के अनुसार कई अद्यतन कानून की पुस्तकें/मूल अधिनियम भी खरीदता है। 5 उपयोगकर्ताओं के लिए एससीसी ऑनलाइन का समय पर नवीनीकरण किया जाता है। पुस्तकों का निर्गमन, विभिन्न बिलों का भुगतान, कानून की पुस्तकों के लिए ऑर्डर देना, उच्चतम न्यायालय से संबंधित समाचारों की क्लिपिंग और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से कानूनी शोध आदि जैसे नेमी कार्य भी तदनुसार किए जाते हैं।

21.11 वर्ष 2023–24 के दौरान सीएएस की उपलब्धियां

I. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग (सीएएस) ई–ऑफिस व्यवस्था में शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा, सीएएस की मुकदमा इकाइयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अदालती मामलों से संबंधित सभी फाइलें सभी संबंधित विधि अधिकारियों/पैनल वकीलों को भौतिक (फिजिकल) फाइलों के बजाय ई–ऑफिस या ईमेल के माध्यम से सॉफ्टकॉपी के रूप में भेजें।

II. सीएएस ने सभी डिजिटलीकृत भौतिक फाइलों और स्टील रैक जिसमें वे संग्रहीत थी, के निपटान (नीलामी द्वारा) का कार्य अपने हाथ में ले लिया है,; ताकि केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के रिकॉर्ड रूम में इन फाइलों के कारण घिरा हुआ (लगभग 1200 वर्ग फीट क्षेत्र) खाली हो सके। इस उद्देश्य के लिए, सीएएस ने नीलामीकर्ता को नियुक्त किया है और सबसे अधिक बोली लगाने वाले का चयन किया है, जोकि इन फाइलों और रैक के निपटान की प्रक्रिया में लगे है।

III. सीएएस में एकीकृत सॉफ्टवेयर कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिमब्स) लागू किया गया है। इस वेब–आधारित एप्लिकेशन (यानी लिमब्स) के कार्यान्वयन के साथ, सीएएस ने कानून अधिकारियों और पैनल अधिवक्ताओं से बिल और संबंधित दस्तावेजों की मैन्युअल स्वीकृति और इन बिलों को मैन्युअल रूप से संसाधित करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और काम करने के डिजिटल तरीके को अपनाया है। अब डॉकेटों/वर्क ऑर्डरों अनिवार्य रूप से लिमब्स के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, बिल और संबंधित दस्तावेज कानून अधिकारियों/पैनल काउंसलों/पैनल टाइपिस्टों/फोटोकॉपियरों द्वारा लिमब्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हीं और संबंधितों को भुगतान भी लिमब्स के माध्यम से ही किया जा रहा है।

IV. इसके अतिरिक्त, इस कार्यालय में मानव संसाधन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए सीएएस में ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) को भी लागू किया गया है।

21.12 सीएएस में कार्यक्रम और सोशल मीडिया कार्यकलापः

1. मई 2023 में माननीय मंत्री कानून और न्याय श्री किरेन रिजिजू द्वारा केंद्रीय एजेंसी अनुभाग में आईएसआईएल भवन के बेसमेंट में व्यायामशाला का उद्घाटनः –

2. आईएसआईएल बिल्डिंग, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के बेसमेंट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023 का उत्सव मनाया गया।

3. स्वच्छता कार्य योजना 2023 के अंतर्गत सीएएस के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में 100 इनडोर पौधे लगाए गए हैं।

(केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की गैलरी का चित्र)

4. हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ और पुनः पुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2023) के अवसर पर केंद्रीय अभिकरण अनुभाग द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।

(सीएएस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शपथ लेते हुए सचिव एवं प्रभारी का चित्र)

(वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री एम.के. मरोरिया का अपने स्टाफ के साथ शपथ लेते हुए चित्र)

21.13 2023–24 के लिए केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के संगठनात्मक ढाँचे का प्रवाह–चार्ट

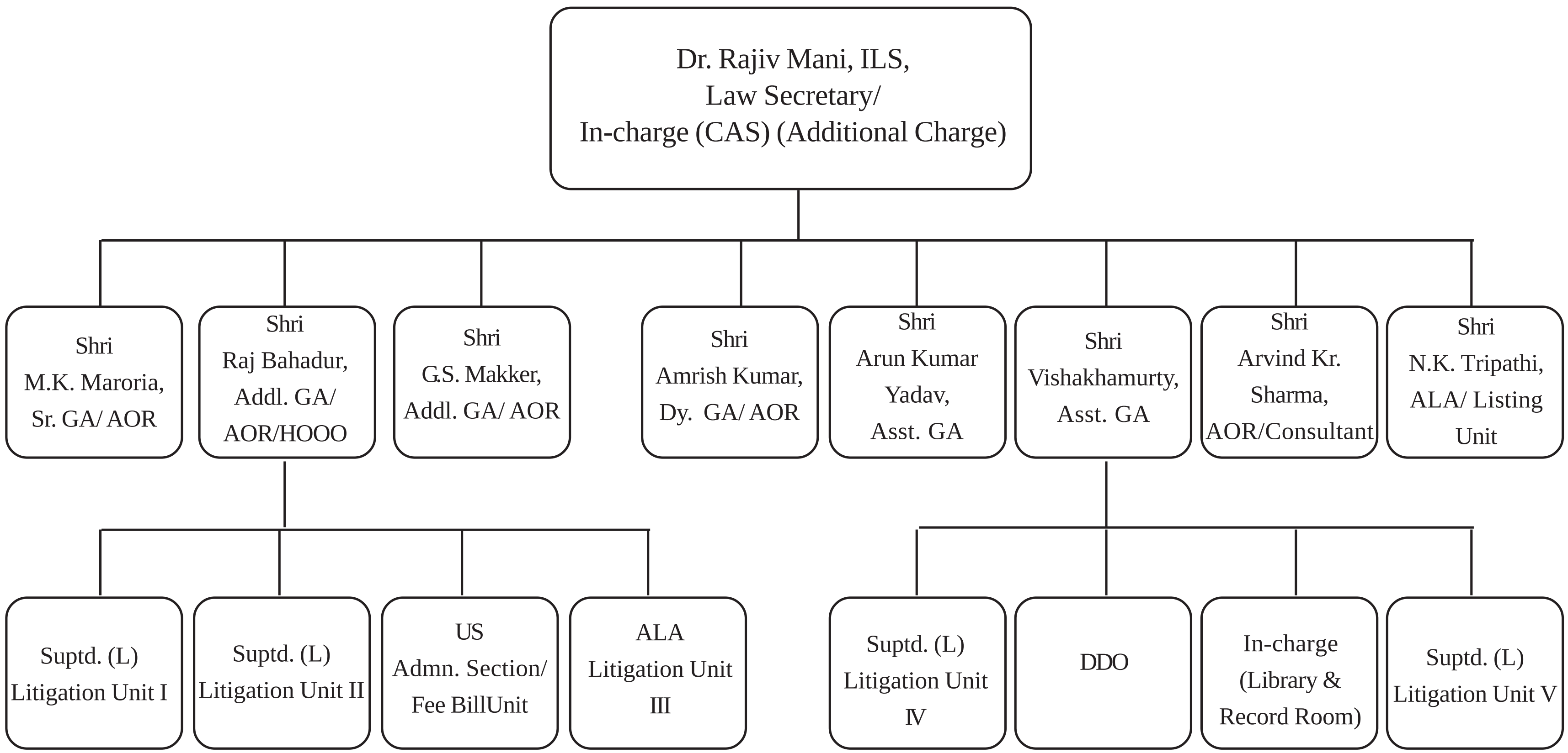

22. आयकर अपीलीय अधिकरण

22.1 उत्पत्ति

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी जिसमें उतने न्यायिक सदस्य और लेखाकार सदस्य होंगे जितने वह उचित समझे, ताकि उक्त अधिनियम द्वारा अपीलीय अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन किया जा सके। आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना 25 जनवरी, 1941 को तत्कालीन भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में निहित ऐसे ही प्रावधान के तहत की गई थी।

22.2 संविधान

अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और उसके तहत वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना जीएसआर 635 (ई) दिनांक 15 सितंबर 2021 के संदर्भ में बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, यदि;

(क) अध्यक्ष, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न हो और उसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या आयकर अपीलीय अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो ;

(ख) उपाध्यक्ष, जब तक कि वह सदस्य न रहा हो; और

(ग) न्यायिक सदस्य, जब तक कि,

- (i) वह दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश न रहा हो; या
- (ii) वह भारतीय विधि सेवा का सदस्य न रहा हो और उसे मुकदमेबाजी में दस वर्ष का अनुभव न हो तथा उसने दो वर्ष तक अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्चतर पद धारण न किया हो; या
- (iii) वह आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आयकर कानूनों के तहत मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्षों तक अधिवक्ता न रहा हो;

(घ) लेखाकार सदस्य, जब तक कि,

- (i) वह पच्चीस वर्षों से लेखाशास्त्र की प्रैक्टिस में हो,
  - (क) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में; या
  - (ख) किसी पूर्व प्रवृत्त कानून के अंतर्गत पंजीकृत लेखाकार के रूप में; या आंशिक रूप से ऐसे पंजीकृत लेखाकार के रूप में और आंशिक रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में; या
- (ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आयकर सेवा समूह 'क') का सदस्य रहा हो और प्रधान आयकर आयुक्त या उसके समकक्ष या उच्चतर पद धारण किया हो व तीन वर्षों तक न्यायिक, अर्ध–न्यायिक या न्यायनिर्णयन संबंधी कार्य कर चुका हो।

22.3 पीठ की संख्या

वर्तमान में गठित अधिकरण में 63 पीठ हैं। देश भर में 30 स्टेशनों (02 सर्किट बेंच सहित) में फैली 63 पीठों के लिए, सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 126 है, जिसमें एक (01) अध्यक्ष और दस (10) जोनल उपाध्यक्ष शामिल हैं। 31.03.2024 तक स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः –

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	अध्यक्ष	**01**	**01**	**00**
2	उपाध्यक्ष	**10**	**07**	**03**
3	लेखाकार सदस्य	**63**	**55**	**08**
4	न्यायिक सदस्य	**63**	**60**	**03**
	कुल	**126***	**115****	**11*****

* जिसमें 01 अध्यक्ष एवं 10 उपाध्यक्ष शामिल हैं।

** जिसमें 01 अध्यक्ष और 07 उपाध्यक्ष शामिल हैं।

*** जिसमें 03 उपाध्यक्ष भी शामिल हैं।

22.4 शक्तियां और कार्य

आयकर अधिनियम के तहत गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष करों के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों पर विचार करता है, जिसमें प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के खिलाफ अपील और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क या धारा 80छ के तहत पंजीकरण से नकारने संबंधित आदेश आदि शामिल हैं। अपीलीय अधिकरण काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों पर भी विचार करता है, जिसमें काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा पारित कोई भी पुनरीक्षण आदेश शामिल है।

अपीलीय अधिकरण की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन, अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से गठित पीठों के किया जाता है। सामान्यता, एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य होता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में, अध्यक्ष के विवेकानुसार, पीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं। अधिकरण का अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य स्वयं ही किसी ऐसे मामले का निपटारा कर सकता है जो उस पीठ को आवंटित किया गया हो, जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे करदाता से संबंधित हो जिसकी कुल आय, उस मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित, पचास (50) लाख रुपए से अधिक नहीं हो और अध्यक्ष किसी विशेष मामले के निपटान के लिए तीन या अधिक सदस्यों वाली एक विशेष पीठ का गठन कर सकता है, जिनमें से एक आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन अनिवार्यतः न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य होगा।

22.5 प्रक्रिया और नियमावली

अपीलीय अधिकरण को अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कार्यों के निर्वहन से उद्भूत सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया और अपनी न्यायपीठों की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठकें आयोजित करेंगी।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियमावली, 1963 नामक अपनी स्वयं की नियमावली बनाई हैं। उक्त नियमावली, अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

अपीलीय अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में, बल्कि संपत्ति कर, उपहार कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में भी अंतिम तथ्य–अन्वेषण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में कुशल कार्मिक

कार्यरत हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं तथा बिना किसी भय या पक्षपात के करदाता और राजस्व के बीच न्याय के पैमाने को समान रूप से संतुलित करते हैं।

अपीलीय अधिकरण द्वारा निपटाए जाने वाले मामले अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें कई करोड़ रुपए का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों के निर्णय करने का जिम्मेदारीपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखाकार सदस्यों दोनों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि विचार के लिए उठने वाले विधि और तथ्यों के प्रश्नों की उचित जांच की जाए और लेखा पहलू के साथ–साथ कानूनी पहलू पर भी उचित रूप से विचार किया जाए। अपीलीय अधिकरण दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देता है और कोई भी आदेश पारित करने से पहले निरपवाद रूप से उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षों की सुनवाई करते हैं, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, बार में उद्धृत प्राधिकारियों को संदर्भित करते हैं, आपस में विचार–विमर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। प्रक्रिया, जो यह सुनिश्चित करती है कि तथ्य और विधि के प्रश्नों का उचित और न्यायिक रूप से निर्णय किया जाए, अपने आप में पक्षों को सहायता देना है और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निंदा से परे पाए जाते हैं।

22.6 लंबित अपीलें

वर्ष 2023 की शुरुआत में अर्थात 01.01.2023 को लंबित अपीलों की संख्या 38311 थी और 31.03.2024 तक आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 38759 है।

निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है कि लंबित मामलों को कम करने की प्रतिबद्धता उत्साहजनक परिणाम दिखा रही है:

वर्ष	संस्था	निपटान	वर्ष के अंत में लंबित मामले
2019	50991	53160	89412
2020	14617	24256	79754
2021	15046	40473	54315
2022	21364	39096	38311
2023	29126	33008	34429
2024			
(जनवरी 24 से मार्च 24)	10904	6574	38759

22.7 लंबित मामलों को कम करने के प्रयास

सभी पीठों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं कि वे आई.टी.ए.टी., उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों को ज्ञात करें एवं संवीक्षा करें व इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पोस्ट करें। इसमें समूह और छोटे मामले शामिल हैं। बार के सदस्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे सभी कवर किए गए मामलों को आई.टी.ए.टी. के संज्ञान में लाएं, ताकि उन्हें बिन बारी से पोस्ट किया जा सके। इसके अलावा, तलाशी और जब्ती के मामलों से निपटने वाली अपीलों और प्रशासनिक आयुक्तों द्वारा धारा 263 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों को भी उनके निपटान में प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह, धारा 12क के तहत धर्मार्थ संस्थाओं को पंजीकरण से नकार करने और धारा 80छ के तहत मान्यता से नकार करने के विरुद्ध अपीलों को भी प्राथमिकता दी जाती है। जब भी अधिकरण से संपर्क किया जाता है तो वरिष्ठ नागरिकों की अपील को भी प्राथमिकता

के आधार पर सुनवाई के लिए लिया जाता है। इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2015 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में किए गए संशोधन के अनुसार, एकल सदस्यीय पीठ द्वारा अब 50 लाख रुपये तक की आय से जुड़ी अपील की सुनवाई की जा सकती है। उक्त संशोधन से मामलों के शीघ्र निपटान में मदद मिली है। एकल सदस्य मामलों की लंबित संख्या निम्नानुसार हैः –

माह	कुल लंबितता
जनवरी, 2023	3009
फरवरी, 2023	2960
मार्च, 2023	2941
अप्रैल, 2023	3006
मई, 2023	3034
जून, 2023	2892
जुलाई, 2023	2935
अगस्त, 2023	2976
सितंबर, 2023	2857
अक्टूबर, 2023	2852
नवंबर, 2023	3074
दिसंबर, 2023	3430
जनवरी, 2024	3834
फरवरी, 2024	4359
मार्च, 2024	4830

संपत्ति कर मामलों के लंबित आंकड़े निम्नानुसार हैं: –

माह	कुल लंबितता
जनवरी, 2023	89
फरवरी, 2023	68
मार्च, 2023	64
अप्रैल, 2023	69
मई, 2023	80
जून, 2023	77
जुलाई, 2023	72
अगस्त, 2023	50
सितंबर, 2023	51
अक्टूबर, 2023	51
नवंबर, 2023	65
दिसंबर, 2023	63
जनवरी, 2024	63
फरवरी, 2024	51
मार्च, 2024	56

आईटीएटी की 63 पीठों के कामकाज को चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों के 126 स्वीकृत पदों में से 115 पद भरे जा चुके हैं, 37 (न्यायिक और लेखाकार) सदस्यों ने मार्च, 2024 और अप्रैल, 2024 के महीने में कार्यभार संभाला है। कोविड–19 महामारी के कारणवश लगाए गए सभी प्रतिबंधों के बावजूद, न्यायाधिकरण ने कर वादियों को निष्पक्ष, आसान और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए गंभीर और ईमानदार प्रयास किए। इस उद्देश्य के लिए, न्यायाधिकरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट रूम की सुनवाई आईटीएटी के मौजूदा कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई और इसके लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी की सहायता नहीं ली गई। वर्चुअल कोर्ट सुनवाई की प्रणाली ने संतोषजनक परिणाम दिए हैं।

22.8 कम्प्यूटरीकरण

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के आरंभ में शुरू हुई थी और न्यायाधिकरण की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाएं क्रियान्वित किए जाने से, हाल के वर्षों में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया ने बहुत गति पकड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में न्यायाधिकरण ने अपने आदर्श वाक्य "निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय" को साकार करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं और उन्हें क्रियान्वित किया है। ऐसी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः

(क) आईटीएटी ऑनलाइन परियोजनाः यह परियोजना न्यायाधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित करने की प्रथम पहल थी, जो अपील और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर न्यायाधिकरण के आदेशों के निपटान और आदेशों की अपलोडिंग तक थी। इस परियोजना को न्यायाधिकरण की सभी पीठों में चरणबद्ध तरीके से शुरू और कार्यान्वित किया गया। आईटीएटी ऑनलाइन एक वेब–आधारित एप्लिकेशन है जिसे कहीं से भी और कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। अब आईटीएटी की सभी पीठों को आईटीएटी ऑनलाइन डेटाबेस से जोड़ दिया गया है और पंजीकरण, डेटा अपडेट, न्यायाधिकरण आदेश अपलोडिंग आदि जैसी गतिविधियाँ वेब एप्लिकेशन के माध्यम से की जाती हैं। इस परियोजना का वेब–सह–डेटाबेस सर्वर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्लाउड सर्वर में स्थापित किया गया है।

(ख) आईटीएटी आधिकारिक वेबसाइटः आईटीएटी ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट को 2016 में पुनर्विकसित किया गया और जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए सुसाध्य बनाया गया। आधिकारिक वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल, सूचनात्मक, उत्तरदायी, अद्यतन और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया। वादियों की न्यायिक सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पर वाद सूची, संविधान, मामलों की स्थिति, आदेश संबंधी जानकारी की खोज और उदघोषणा की खोज जैसी गतिशील जानकारी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, छुट्टियों की सूची, निविदाएं और नीलामी, नोटिस बोर्ड और सूचना का अधिकार जैसी स्थैतिक जानकारी विशेष रूप से वादियों और आम जनता के लिए सुलभ है। इस वेबसाइट का व्यापक रूप से उपयोग और सराहना की गई।

(ग) डिजिटल डिस्प्ले बोर्डः एक अभिनव और पर्यावरण–अनुकूल कदम के रूप में, आईटीएटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और रायपुर बेंचों में वास्तविक नोटिस बोर्डों को डिजिटल नोटिस बोर्डों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। डिजिटल नोटिस बोर्ड पर वाद सूची, संविधान, शुक्रवार की सूची आदि को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

(घ) मोबाइल एप्लीकेशन की शुरूआतः अपीलकर्ताओं, प्रतिवादियों और उनके वकीलों की सुविधा के लिए आईटीएटी न्यायिक सूचना पोर्टल का एंड्रॉयड संस्करण विकसित किया गया है और इसे जारी किया गया है। अपनी सरलता और उपयोग में आसानी के कारण, यह ऐप बहुत उपयोगी रहा है।

(ङ) जुडिसिस एप्लीकेशनः जुडिसिस एक आंतरिक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसे दिन–प्रतिदिन की न्यायिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। जुडिसिस, आंतरिक उपयोगकर्ताओं को वाद सूची, सुनवाई, नोटिस तैयार करने, ईमेल संचार भेजने, मामले की स्थिति को अपडेट करने और वेबसाइट पर दैनिक आदेश पत्र प्रकाशित करने तथा आवधिक विवरण आदि तैयार करने में सक्षम बनाता है।

(च) बजट और व्यय निगरानी प्रणालीः वास्तविक समय के आधार पर बजट उपलब्धता और व्यय की स्थिति की कुशलतापूर्वक और सटीक निगरानी और समेकन के लिए, आईटीएटी ने आंतरिक प्रतिभाओं द्वारा विकसित बजट मैन नामक एक ऑनलाइन एप्लिकेशन का कार्यान्वयन किया है। इस एप्लिकेशन ने प्रधान कार्यालय को एक बटन के क्लिक के साथ आवधिक बजटीय विवरण तैयार करने में सक्षम बनाया है।

(छ) सीसीटीवी कैमरेः आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सभी पीठों के न्यायालय कक्षों और अन्य महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदुओं पर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

(ज) बुनियादी ढांचे का उन्नयनः आईटीएटी हमेशा से इस बात के प्रति सजग रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। तदनुसार, आईटीएटी चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों को नवीनतम उपकरणों से बदल रहा है। आईटीएटी के सभी सदस्यों को उनके कार्यालयी उपयोग के लिए पहले से ही लैपटॉप प्रदान किए जा चुके हैं। आईटीएटी के सदस्यों को आदेशों को लिखने में सहायता के लिए डिक्टेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा भी उपलब्ध करवायी गई है। विभिन्न परियोजनाओं और अनुप्रयोगों की बैंडविड्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक बेंच पर ऑप्टिक फाइबर–आधारित हाई–स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

(झ) केंद्रीकरणः आईटीएटी के मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधीनस्थ पीठों के गैर–न्यायिक कार्यों को क्षेत्रीय मुख्यालयों में केंद्रीकृत करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीकरण की यह व्यवस्था शुरू में 1 नवंबर, 2022 से क्रमशः आगरा और कोचीन पीठों का कार्यभार संभालते हुए दिल्ली और बैंगलोर क्षेत्रीय मुख्यालयों में शुरू की गई थी।

(ञ) ई–फाइलिंग पोर्टलः आईटीएटी ने हितधारकों द्वारा अपील और आवेदन, तथा याचिकाओं और दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा के लिए ई–फाइलिंग पोर्टल शुरू किया है। अब तक करदाताओं द्वारा 7300 से अधिक अपीलें और विभाग द्वारा 2700 से अधिक अपीलें ई–फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की गई हैं।

(V) दैनिक आदेशों का प्रकाशनः न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, आईटीएटी ने न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा पारित दैनिक आदेशों को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। सभी सदस्यों ने जुडिसिस सॉफ्टवेयर (इन–हाउस आंतरिक न्यायिक अनुप्रयोग) द्वारा तैयार दैनिक आदेश पत्रक पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। ये दैनिक आदेश आईटीएटी न्यायिक सूचना पोर्टल पर मामला विवरण पृष्ठ पर दिखाई देते हैं।

(ठ) आईटीएटी सदस्यों का ई–लाइब्रेरी पोर्टलः आईटीएटी सदस्यों का ई–लाइब्रेरी पोर्टल 12 अगस्त, 2022 को शुरू किया गया। यह पोर्टल आईटीएटी के सदस्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न

उच्च न्यायालयों की डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुँच प्रदान करता है। यह पोर्टल कई कर पोर्टलों तक भी निर्बाध पहुँच प्रदान करता है।

(ड) आरटीआई ऑनलाइन पोर्टलः आईटीएटी के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) पर शामिल कर दिया गया है, जिससे आवेदक सूचना के लिए अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

(ढ) सुनवाई नोटिस आदि का इलेक्ट्रॉनिक संचारः आईटीएटी ने पक्षकारों को अपील दाखिल करने की पावती, सुनवाई सूचना, दोषपूर्ण सूचना आदि का इलेक्ट्रॉनिक संचार शुरू किया है।

(ण) ई–ऑफिस का कार्यान्वयनः विधि कार्य विभाग के सहयोग से, विधि कार्य विभाग को विभिन्न प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित करने के लिए आईटीएटी में ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। आईटीएटी अंतर–संगठनात्मक उपयोग के लिए ई–ऑफिस और स्पैरो को लागू करने पर भी विचार कर रहा है।

(त) लिम्बस के साथ एपीआई का संयोजन : मैनुअल डेटा एंट्री को कम करने के उद्देश्य से, लिम्बस पोर्टल को एपीआई के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के साथ एकीकृत किया गया है। हाल ही में, लिम्बस पोर्टल को आईटीएटी के साथ जोड़ा गया है, जो आवेदनों के बीच निर्बाध डेटा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा और लिम्बस पोर्टल पर आईटीएटी से संबंधित मामलों के रिकॉर्ड के स्वतः अद्यतन कार्य में सहायता करेगा।

22.9 वर्ष 2023–24 में हाल में ही प्राप्त हुई उपलब्धियां

(क) राजस्व अपीलों की अनिवार्य ई–फाइलिंगः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, आईटीएटी ने 30.06.2023 से आयकर विभाग द्वारा अपीलों आदि की अनिवार्य ई–फाइलिंग को लागू किया है। जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच विभाग द्वारा ई–फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से 2,400 से अधिक अपीलें और आवेदन दायर किए गए।

(ख) पेपरलेस कोर्टरूमः आईटीएटी में ई–फाइलिंग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, अपील और आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर किए जाते हैं। इससे पेपरलेस कोर्टरूम की स्थापना हुई है। सदस्यों को सुनवाई से पहले, सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद फ़ाइलों तक निर्बाध पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस विकसित किया गया है। पेपरलेस कोर्टरूम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोर्टरूम के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है।

(ग) वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाईः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, आईटीएटी ने न्यायाधिकरण की सभी बेंचों पर हाइब्रिड/वर्चुअल सुनवाई को सक्षम बनाया है। हितधारकों के उपयोग के लिए सभी बेंचों पर निःशुल्क और हाई–स्पीड वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है।

(घ) साइबर सुरक्षाः बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके आईटी बुनियादी ढांचे को खतरों से बचाने की आवश्यकता से आईटीएटी पूरी तरह अवगत है। आईटीएटी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को सभी हितधारकों को सख्ती से पालन करने के लिए प्रसारित किया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आईटीएटी ने वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन का सुरक्षा ऑडिट भी किया है ताकि डिजिटल नागरिकों को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन अनुभव मिले।

22.10 वर्ष 2023–24 में अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

(क) आईटीएटी के हितधारकों के साथ संवादात्मक बैठकः मुंबई में आईटीएटी के हितधारकों के साथ 15.01.2023 को एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बैठक की अध्यक्षता की। आईटीएटी के अध्यक्ष श्री जी.एस. पन्नू, आईटीएटी, पुणे जोन के उपाध्यक्ष, बार एसोसिएशन के सदस्य और आयकर विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

(ख) महिला दिवस समारोहः महिला दिवस समारोह 08 मार्च, 2023 और 08 मार्च, 2024 को विभिन्न बेंचों पर आयोजित किया गया।

(ग) राष्ट्रीय एकता दिवसः आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी पीठों ने 31 अक्टूबर, 2023 को %राष्ट्रीय एकता दिवस" के रूप में मनाया और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस अवसर पर शपथ ली।

(घ) योग दिवस समारोहः आईटीएटी की सभी पीठों में 21 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

(ङ) हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ाः भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, की अध्यक्षता में पुणे में हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया गया। आईटीएटी की सभी पीठों ने 14.09.2023 को हिंदी दिवस और सितंबर, 2023 में हिंदी पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

(च) आईटीएटी स्थापना दिवस समारोहः आईटीएटी का स्थापना दिवस वर्ष 2023–24 में आईटीएटी की विभिन्न पीठों पर 25.01.2024 को मनाया गया।

22.11 आईटीएटी की पीठों का परिसर

निम्नलिखित स्टेशनों पर आईटीएटी अपने स्वयं के भवन से कार्य कर रहा है:

जयपुर
बैंगलोर
कटक
लखनऊ

निम्नलिखित स्टेशनों पर कार्यालय–सह–आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आईटीएटी द्वारा भू–खंड खरीदे गए हैं: –

अहमदाबाद
कोलकाता
गुवाहाटी
पुणे

22.12 भूमि एवं भवन की स्थिति का विवरण

(i) **दिल्ली:** एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली के टॉवर–बी में आईटीएटी, दिल्ली बेंच, दिल्ली के कार्यालय भवन का निर्माण जोरों पर है। कार्यालय स्थान के लिए आंतरिक सुसज्जा के कार्यों के निष्पादन के लिए प्रारंभिक जमा के रूप में एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड को 16,44,96,891/– रुपये का भुगतान किया गया। टॉवर–बी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नई दिल्ली में आईटीएटी, दिल्ली बेंच के संबंध में पहले से आवंटित नए कार्यालय परिसर के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में 11वीं किस्त और 12वीं किस्त के रूप में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 16,55,85,869/– रुपये और 12,42,56,429/– रुपये का भुगतान किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24

में आंतरिक सुसज्जा के कार्यों के निष्पादन के लिए एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड को 19,56,68,821 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ii) **अहमदाबादः** आईटीएटी, अहमदाबाद बेंच, अहमदाबाद के लिए कार्यालय भवन/कर्मचारी क्वार्टर के निर्माण के लिए एफपी नंबर 60, टीपी नंबर 694, जोजे सोला, ताल घाटलोडिया में 11,559 वर्ग मीटर भूमि जिसकी कीमत 76,46,16,869 रुपये है, गुजरात सरकार द्वारा आवंटित की गई है और यू.ओ. दिनांक 12.10.2021 के तहत आईटीएटी, अहमदाबाद के नाम पर सरकारी भूमि अभिलेखों में स्थानांतरित/प्रविष्ट की गई है। सीपीडब्ल्यूडी, अहमदाबाद से 77.82 करोड़ रुपये के लिए प्राप्त प्रारंभिक अनुमान को मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09.07.2022 के माध्यम से सहमति दे दी है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आईटीएटी, अहमदाबाद के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 24,00,00,000/– रुपये की सहमति के एवज में 11,00,00,000/– रुपये (सिविल कार्य के लिए 10,00,00,000 रुपये और विद्युत कार्य के लिए 1,00,00,000 रुपये) के लिए प्राधिकार जारी किया गया। इसमें से, पिछले वित्त वर्ष 2023–24 में 5,06,05,446/– रुपये (सिविल कार्य के लिए 4,09,27,716/– रुपये और विद्युत कार्य के लिए 96,77,730/– रुपये) की राशि वापस कर दी गई है।

(iii) **कोलकाताः** डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय और विधिक हब में दिनांक 19.09.2019 के पत्र के माध्यम से 1.25 एकड़ पट्टे वाली भूमि (लीजहोल्ड भूमि) आवंटित की है। वित्त वर्ष 2019–20 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) को विचारित 16 करोड़ रुपये की पूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी, कोलकाता से 66.39 करोड़ रुपये के लिए प्राप्त प्रारंभिक अनुमान को मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09.07.2022 के माध्यम से सहमति दी है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आईटीएटी, कोलकाता के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 35,00,00,000/– रुपये की सहमति के एवज में सीपीडब्ल्यूडी, कोलकाता द्वारा आवश्यक तत्काल भुगतान करने के निर्देश के साथ 10,00,00,000/– रुपये के लिए प्राधिकार जारी किया गया। इसमें से 3,00,00,000 रुपये की राशि पिछले वित्त वर्ष 2023–24 में वापस कर दी गई है।

(iv) **गुवाहाटीः** आयकर अपीलीय अधिकरण ने केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सीआईडब्ल्यूटीसी),, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार का एक उपक्रम संगठन से फैंसी बाजार, उज़ानबाजार, गुवाहाटी में 1 बीघा, 3 कट्ठा और 1 लेसा जमीन 4,03,00,000/– रुपये की मुआवजा राशि पर खरीदी। बिक्री विलेख के निष्पादन के 5 साल से अधिक समय बाद भी भूमि को आयकर अपीलीय अधिकरण के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया है।

निदेशक (एनईआर), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नोएडा, उत्तर प्रदेश ने पत्र दिनांक 28.01.2020 द्वारा सूचित किया कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय को गुवाहाटी के फैंसी बाजार में भूमि का प्राधिकार आईटीएटी को सौंपने के संबंध में उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है और डीसी, कामरूप को यह भी बताया है कि एनओसी जारी करने पर पहले उठाई गई आपत्ति को वापस लिया जाए और क्षेत्रीय कार्यालय को भूमि के टुकड़े को आईटीएटी, विधि और न्याय मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए एनओसी जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अक्टूबर 2021 में पोत परिवहन मंत्रालय ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से आईटीएटी से जमीन वापस करने पर विचार करने का अनुरोध किया, जिस पर आपत्ति की गई है। तत्कालीन माननीय विधि मंत्री ने माननीय पत्तन मंत्री को संबोधित 04.02.2022 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से गुवाहाटी में आईटीएटी पीठ को जमीन सौंपने का अनुरोध किया है।

(v) पुणे आईटीएटी ने 1998 में कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण के लिए पिंपरी चिंचवाड़ न्यू टाउनशिप विकास प्राधिकरण से अकर्डी में 1.20 करोड़ रुपये की लागत से 4000 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की थी। भूमि शहर की सीमा से बाहर होने और तार्किक रूप से असुविधाजनक होने के कारण बार एसोसिएशनों और अन्य हितधारकों ने आपत्तियां जताई थीं। आईटीएटी ने आईटीएटी के तत्कालीन अध्यक्ष, के दिनांक 01.02.2022 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से विधि और न्याय मंत्रालय को एक उपयोगी संसाधन केंद्र, उदाहरण के लिए, एक आवासीय विधि अकादमी/भारतीय विधिक सेवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र आदि की स्थापना के लिए भूमि के उपयोग पर विचार करने का प्रस्ताव दिया है ताकि भूमि का इष्टतम उपयोग किया जा सके, जिसमें आईटीएटी द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी ऐसी सुविधा का उपयोग शामिल है।

22.13 सदस्यों के लिए सुविधाएंः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ एवं अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के मामले में एसएलपी (एल) संख्या 6905/1998 और टीपी (सी) संख्या 659 और 672–673/1998 में दिनांक 19.9.2003 के आदेश के तहत सरकार को आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था और आईटीएटी द्वारा सदस्यों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

22.14 **परोपकारी निधिः** आयकर अपीलीय अधिकरण में एक परोपकारी निधि भी मौजूद है, जिसका कोष अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान से बनाया गया है। आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष इसके संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारी इस निधि में स्वैच्छिक योगदान देते हैं और नियमों के तहत गठित समिति की सिफारिश पर चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थितियों की आवश्यकता वाले अधिकारियों को राशि वितरित की जाती है।

22.15 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005ः** आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। आईटीएटी के सभी 28 स्टेशन (63 बेंच) सीआईसी, दिल्ली की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं। आरटीआई अधिनियम की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आरटीआई आवेदकों के लिए सूचना तक त्वरित पहुँच की सुविधा के लिए, आईटीएटी के सभी 28 सार्वजनिक प्राधिकरणों को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल (rtionline.gov.in) के अंतर्गत लाया गया है।

22.16 **राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः** राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी पीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (ओएलआईसी) गठित की गई हैं।

हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी संबंधित न्यायपीठ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है तथा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के संबंध में न्यायपीठों द्वारा अग्रेषित आवधिक रिपोर्टों की मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को नामित करके हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राजभाषा नीति के समुचित क्रियान्वयन के लिए सभी न्यायपीठों में हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, ताकि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके तथा हिंदी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर की जा सके। इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी न्यायपीठों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हिंदी पुस्तकों की खरीद (अर्थात् कुल पुस्तकालय अनुदान का 50%) के लिए राजभाषा नीति के अनुसार तथा राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार व्यय करें।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा इसके प्रगामी प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों पर हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई द्वारा एक वार्षिक पत्रिका "सृजन" प्रकाशित की जाती है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के विभिन्न पीठों के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखे गए लेख, कहानियाँ, कविताएँ और यात्रा वृत्तांत आदि के अलावा हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रमों और हिंदी कार्यशालाओं की तस्वीरें भी शामिल होती हैं।

22.17 विकलांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि की सेवाओं में प्रतिनिधियों के संबंध में अनुदेशों का कार्यान्वयनः विकलांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि की नियुक्तियों में रियायतों के संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों का विचाराधीन अवधि के दौरान विधिवत कार्यान्वयन किया गया। आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन श्रेणियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक प्ट में संलग्न हैं।

आईटीएटी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या तथा पुरुष कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं के अतिरिक्त उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

समूह क	**11**
समूह ख	**42**
समूह ग	**63**
एमटीएस	**12**
कुल	**128**

22.18 वर्ष 2023–24 में आईटीएटी में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तस्वीरें

i. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सी.वी. भडंग दिनांक 23.10.2023 को आईटीएटी के माननीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हुए

ii. **विभागीय पत्रिका “सृजन–2023” की पुस्तक का विमोचन आईटीएटी मुंबई, कोर्ट–सं.–1 में**

iii. आईटीएटी, मुंबई पीठ, मुंबई में हिंदी पखवाड़ा 2023 का आयोजन

iv. 21.06.2023 को आईटीएटी, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

v. 21.06.2023 को आईटीएटी, विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

vi. 21.06.2023 को आईटीएटी, चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

vii. 21.06.2023 को आईटीएटी, अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

viii. 21.06.2023 को आईटीएटी, बैंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

ix. 31.10.2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आईटीएटी, चेन्नई में शपथ ली गई

x. **31.10.2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आईटीएटी, लखनऊ में शपथ ली गई**

xi. **31.10.2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आईटीएटी, अहमदाबाद में शपथ ली गई**

xii. आईटीएटी का 83वां स्थापना दिवस आईटीएटी मुंबई पीठ, मुंबई में आयोजित किया गया

xiii. **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च, 2024 को आईटीएटी, मुंबई में आयोजित किया गया**

23. भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (%आईआईएसी")

23.1 आईआईएसी के बारे में:

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (आईआईएसी) की स्थापना भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 द्वारा की गई थी। इस अधिनियम का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था बनाना है। आईआईएसी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है।

मौजूदा विवाद समाधान प्रक्रियाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत में व्यापार करने की वैश्विक धारणा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इस उद्देश्य से, आईआईएसी का लक्ष्य निर्बाध माध्यस्थम प्रक्रिया के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करके पक्षकारों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) के बीच विश्वास को बढ़ावा देना है।

23.2 आईआईएसी के उद्देश्य:

(क) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम के संचालन के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में स्वयं को विकसित करने के लिए लक्षित सुधार लाना;

(ख) अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा माध्यस्थम, सुलह, मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान मामलों में सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना;

(ग) सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम कार्यवाही के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;

(घ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और मध्यस्थों या सर्वेक्षकों और अन्वेषकों जैसे विशेषज्ञों के पैनल को बनाए रखना;

(ङ) माध्यस्थम और सुलह में एक विशेष संस्थान के रूप में केंद्र की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना;

(च) केन्द्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत और विदेश में सुविधाएं स्थापित करना;

(छ) केंद्र द्वारा अपनाए जा रहे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के विभिन्न तरीकों के लिए मापदंड निर्धारित करना; और

(ज) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिन्हें वह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उचित समझे।

23.3 आईआईएसी के कार्य:

(क) विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों प्रकार के माध्यस्थम और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अन्य रूपों के संचालन को सुविधाजनक बनाना;

(ख) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माध्यस्थम और सुलह के संचालन के लिए लागत प्रभावी और समय पर सेवाएं प्रदान करना;

(ग) वैकल्पिक विवाद समाधान एवं संबंधित मामलों के क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देना, तथा विवादों के निपटान की प्रणाली में सुधार को बढ़ावा देना;

(घ) शिक्षण का कार्य करना तथा वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों पर कानून और प्रक्रियाओं के ज्ञान का प्रसार करना और प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक या व्यावसायिक उपाधियाँ प्रदान करना;

(ड़) माध्यस्थम, सुलह और मध्यस्थता से जुड़े लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(च) वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अन्य सोसाइटियों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करना; तथा

(छ) वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना।

23.4 आईआईएसी द्वारा आयोजित/प्रतिनिधित्वित सम्मेलन

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉरपोरेट लॉयर्स द्वारा आयोजित दिल्ली डिस्कोर्स 2023: 26.05.2023 को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉरपोरेट लॉयर्स द्वारा "अमृत काल के युग में भारत के कानूनी क्षेत्र का संचालन करना" विषय पर आयोजित "दिल्ली डिस्कोर्स 2023" नामक एक सम्मेलन में अध्यक्ष, आईआईएसी को विवाद समाधान सत्र में "भारत में विवादों को सुलझाना: सफलता के लिए रुझान और रणनीतियाँ" पर विशेष भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

2. आईआईएसी ने दिनांक 27.05.2023 को ताज पैलेस, नई दिल्ली में प्रमुख कानूनी फर्मों के प्रैक्टिसनरों के साथ "भारतीय माध्यस्थम नेतृत्व गोलमेज सम्मेलन" का आयोजन किया: आईआईएसी ने गोलमेज अर्थात भारत का अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश के लिए मानदंड) विनियम, 2023, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन) विनियम, 2023 के मसौदे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों और उपयोगकर्ता परिषद की स्थापना के लिए संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देने के लिए आईआईएसी द्वारा क्या किए जाने की आवश्यकता है, इस पर आगे की राह पर चर्चा करने के लिए %भारतीय माध्यस्थम नेतृत्व गोलमेज सम्मेलन" नामक एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया।

3. भारतीय माध्यस्थम परिषद द्वारा फिक्की के सहयोग से आयोजित भारत–यूके वाणिज्यिक विवादों में माध्यस्थम पर सम्मेलन – दूसरा संस्करण: दिनांक 05.06.2023 को तकनीकी सत्र अर्थात, "यूके और भारत में अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम पुरस्कारों के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया का मार्गनिर्देशन करना" में आईआईएसी के अध्यक्ष को एक वक्ता और मॉडरेटर के रूप में आमंत्रित किया गया था।

4. सेंट जेम्स कोर्ट, ताज होटल, लंदन में भारत विवाद समाधान फोरम: थॉटलीडर्स 4 डिस्प्यूट्स द्वारा दिनांक 08.06.2023 को में आयोजित भारत विवाद समाधान फोरम 2023 में आईआईएसी के अध्यक्ष को वक्ता और मॉडरेटर के रूप में "वाद–विवाद: क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम का केंद्र बन सकता है?" विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

5. आईआईएसी ने दिनांक 04.08.2023 को होटल–सोफिटेल, बीकेसी मुंबई में अग्रणी कॉर्पोरेट घरानों के विधि प्रमुखों के लिए "संस्थागत माध्यस्थम – अपेक्षाएं और आगे की राह" विषय पर भारतीय माध्यस्थम नेतृत्व गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया: विचार–विमर्श में एक माध्यस्थम संस्था से अपेक्षाएं और इस संबंध में आईआईएसी द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम शामिल थे।

6. शशांक गर्ग के चैंबर्स के साथ सहयोग: आईआईएसी के सदस्यों के अनुमोदन के अनुसार, आईआईएसी ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ फायरसाइड चैट की एक श्रृंखला के लिए संस्थागत भागीदार के रूप में शशांक गर्ग के चैंबर्स के साथ सहयोग किया है।

7. आईआईएसी ने "संस्थागत माध्यस्थम और आगे की राह" पर एक सम्मेलन आयोजित किया: आईआईएसी ने 25 सितंबर 2023 को जकरांदा हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली–110003 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के विधि प्रमुखों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया।

8. आईआईएसी ने 11 अक्टूबर 2023 को (मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन द्वारा आयोजित इंडिया एडीआर वीक 2023 के दौरान) "संस्थागत माध्यस्थम के लिए तदर्थः दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता" विषय पर एक वेबिनार की मेजबानी की। आईआईएसी की ओर से वेबिनार का संचालन आईआईएसी के अंशकालिक सदस्य श्री गणेश चंद्रू ने किया।

9. ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 (जीएमआईएस) 2023ः बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय बंदरगाह संघ और फिक्की के सहयोग से 19 अक्टूबर 2023 को एमएमआरडीए ग्राउंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन (जीएमआईएस) 2023 में आईआईएसी के अध्यक्ष को एक वक्ता के रूप में "समुद्री वित्तपोषण, बीमा और माध्यस्थम" विषय पर अपने विचार साझा करने के लिये आमंत्रित किया गया था।

10. 30 अक्टूबर 2023 को वेबन्याय और ओडीआर अफ्रीका द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला के उदघाटन वेबिनार "अफ्रीका–भारत विवाद समाधान वार्ता" में आईआईएसी के अध्यक्ष को "अफ्रीका और भारत में ओडीआर–हम कहां हैं?" विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए पैनल वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

11. 25 नवंबर 2023 को "नए युग में माध्यस्थम" संगोष्ठी के दौरान, आईआईएसी के अध्यक्ष को एडीआरएएएस–विवाद समाधान के लिए एक वास्तविक समय के माहौल के शुभारंभ का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आईआईएसी के अध्यक्ष को एडीआरएएएस (विवाद समाधान के लिए वास्तविक समय का माहौल) द्वारा आयोजित उक्त कॉन्क्लेव में 'माध्यस्थम सुधार– क्या उम्मीद करें?' विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए पैनल स्पीकर के रूप में भी आमंत्रित किया गया था।

12. दिनांक 30 नवंबर 2023 को भारतीय रेलवे संभार तंत्र एवं सामग्री प्रबंधन संस्थान (आईआरआईएलएमएम) द्वारा अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम पर विशेष ध्यान देने के साथ वैकल्पिक विवाद समाधान पर आयोजित एक सम्मेलन में आईआईएसी के अध्यक्ष को 'भारत एक अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के रूप मेंः क्या यह एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है?' विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

13. आईआईएसी के अध्यक्ष को 8 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ कंस्ट्रक्शन लॉ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 के चौथे संस्करण "कानून निर्माण और माध्यस्थम पर एससीएल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः विवाद समाधान निर्माण को नया रूप देना" के उदघाटन समारोह में एक विशेष भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

23.5 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आईआईएसी और भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक (आईआईएम रोहतक) के बीच समझौता ज्ञापनः आईआईएसी और भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक (आईआईएम रोहतक) ने दिनांक 30.04.2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जागरूकता अभियान और प्रचार अभियान विकसित करने के लिए गतिविधियाँ शुरू करना है जो भारत को माध्यस्थम के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने में आईआईएसी के लक्ष्यों को संरेखित करेगा।

आईआईएसी और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स (आरआईसीएस) के बीच समझौता ज्ञापनः आरआईसीएस की स्थापना 1868 में लंदन में हुई थी, जो निर्मित पर्यावरण, निर्माण, भूमि, संपत्ति और रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए एक वैश्विक पेशेवर निकाय है, आरआईसीएस ने दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के माध्यम से, पक्षकारों का उद्देश्य एक साथ काम करना और राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में आईआईएसी की स्थिति का लाभ उठाना है, जिसका कार्य भारत

में निर्बाध माध्यस्थम और एडीआर सेवाएँ प्रदान करना है और आरआईसीएस का 150 साल का इतिहास है तथा निर्मित पर्यावरण क्षेत्र में विवाद समाधान, विशेष रूप से माध्यस्थम को प्रशासित करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है।

आईआईएसी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के बीच समझौता ज्ञापनः गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आरआरयू ने दिनांक 05 दिसंबर 2023 को गुजरात में द्वितीय आरआरयू निवेश माध्यस्थम अकादमी के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य बातों के अलावा, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अकादमिक कार्यक्रम को मान्यता देकर, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके, मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अन्य रूपों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और अध्ययन को प्रोत्साहित करके और आरआरयू के तत्वावधान में बनाई गई विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देकर आरआरयू और आईआईएसी की विशेषज्ञता को समन्वित करना है।

23.6 आईआईएसी के साथ मध्यस्थों का पैनल बनाना

आईआईएसी ने मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश के लिए मानदंड विनियमों के अनुसार मध्यस्थों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में, आईआईएसी को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर विभिन्न विशेषज्ञों से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वास्तुकारों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों, लागत और कार्य लेखाकार, इंजीनियरों और लोक सेवा आदि श्रेणियों के तहत आईआईएसी के साथ मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं। आईआईएसी ने मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश के लिए आवेदनों की जांच करने और उसके बाद मध्यस्थों को पैनल में शामिल करने के लिए माध्यस्थम कक्ष के लिए डैशबोर्ड वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया है। आईआईएसी के अध्यक्ष के निर्देशों के आधार पर, रजिस्ट्रार आवेदकों के प्रोफाइल को आईआईएसी (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश के लिए मानदंड) विनियम, 2023 के अनुसार समय–समय पर जांच और विचार के लिए माध्यस्थम कक्ष (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू) को भेजता है।

23.7 विनियमों की अधिसूचनाः

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (माध्यस्थम का संचालन) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र में दिनांक 01.09.2023 को प्रकाशित किए गए हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की विधि, उसकी शक्तियां और उसको सौंपे गए कार्य) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र में दिनांक 05.10.2023 को प्रकाशित किए गए हैं।

23.7 नियमों की अधिसूचनाः

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (समितियों का गठन और उसके कार्य) नियम, 2023 भारत के राजपत्र में दिनांक 04. 10.2023 को प्रकाशित किए गए हैं।

23.8 प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भर्तीः

आईआईएसी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की विधि, उसकी शक्तियां और उसे सौंपे गए कार्य) विनियम, 2023 के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।

23.9 आईआईएसी उपयोगकर्ता परिषद की स्थापनाः

आईआईएसी ने त्वरित और कुशल विवाद समाधान तंत्र की सुविधा प्रदान करके भारत को एक महत्वपूर्ण माध्यस्थम केंद्र के रूप में बढ़ावा देने और उसे विकसित करने के लिए उपयोगकर्ता परिषद की स्थापना की है। उपयोगकर्ता परिषद के माध्यम से, आईआईएसी का उद्देश्य भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न न्यायाधिकरणों और उद्योगों से आने वाले माध्यस्थम के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच एकरूपता लाना है और उसे बनाए रखना है।

23.10 आईआईएसी मॉडल माध्यस्थम खंड

आईआईएसी ने आईआईएसी मॉडल माध्यस्थम खंड को मंजूरी दे दी है और इसे अपनी वेबसाइट www.indiaiac.org पर अपलोड कर दिया है।

24. भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

24.1 संस्थान के बारे में

भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) एक प्रमुख विधि अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1956 को हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 12 दिसंबर, 1957 को संसद के सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली में इस संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था, जिसके साक्षी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एस.आर. दवे थे।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं तथा भारत सरकार के माननीय विधि मंत्री इस संस्थान के पदेन उपाध्यक्ष हैं। इस संस्थान का नियमित प्रशासन भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली विभिन्न समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अन्य सदस्यों को विधि बंधुत्व से चुना जाता है जिसमे विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित प्रमुख शिक्षाविद शामिल होते हैं।

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य कानून में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि कानून और इसके साधनों के माध्यम से लोगों की सामाजिक–आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इस संस्थान को सहकर्मी टीम द्वारा गहन मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से 4.00–पॉइंट स्केल पर 3.35 के सीजीपीए के साथ मार्च 2017 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा 'ए' ग्रेड के साथ अपनी प्रथम मान्यता प्राप्त हुई।

यह संस्थान कानून के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात वैकल्पिक विवाद समाधान, कॉर्पोरेट कानून और प्रबंधन, साइबर कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में मास्टर इन लॉ और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के साथ–साथ कुछ पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है।

इस संस्थान का पुस्तकालय एशिया के प्रमुख विधि पुस्तकालयों में से एक है और यह विधि अनुसंधान के लिए दुनिया भर से शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है तथा इसमें लगभग 82,000 वोल्यूम और धारावाहिक प्रकाशनों सहित लगभग 190 वर्तमान विधि पत्रिकाएँ हैं। दुर्लभ दस्तावेजों और संस्थान के प्रकाशनों का डिजिटलीकरण नियमित आधार पर किया जाता है और आम जनता की पहुँच के लिए उन्हें संग्रह में रखा जाता है। संस्थान के पुस्तकालय ने हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफ़ॉर्म (एनडीएल) पर अपने संस्थागत संग्रह को साझा किया है, जो एमएचआरडी–एनएमई–आईसीटी का आविष्कार है।

24.2 संस्थान की गतिविधियाँ

शैक्षणिक कार्यक्रम

वर्ष 2004 में मानद विश्वविद्यालय की घोषणा के बाद, इस संस्थान ने अनुसंधान–उन्मुख एलएलएम कार्यक्रम शुरू किया। एलएलएम कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट (सीएटी) और साक्षात्कार में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं:

कार्यक्रम	**शैक्षणिक सत्र 2023–24 में नामांकित छात्र**
एलएलएम– 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	46
पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कॉर्पोरेट कानून और प्रबंधन, साइबर कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार कानून)	266
विधि में पीएचडी में सीटों की संख्या	05
छात्रों की कुल संख्या	317

- इस संस्थान में एक पीएचडी कार्यक्रम है। आज की तारीख तक इसमें 26 छात्र नामांकित हैं।
- दिनांक 8 मई, 2023 को "साइबर लॉ" (44वां बैच) और "इंटरनेट युग में बौद्धिक संपदा अधिकार और आईटी" (55वां बैच) पर तीन माह की अवधि का ई–लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

एलएलएम 1 वर्षीय कार्यक्रम के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा–2023

एलएलएम 1 वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (कैट) – 2023 दिनांक 7 मई, 2023 को महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसका परिणाम 25.5.2023 को घोषित किया गया था।

एलएलएम 1 वर्षीय कार्यक्रम (2023–24) में प्रवेश के लिए मौखिक परीक्षा 29.5.2023 और 30.5.2023 को आयोजित की गई थी। मेरिट के अनुसार परिणाम 5.06.2023 को घोषित किया गया था।

पीएचडी प्रवेश–2023

पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा – 2023 दिनांक 07.05.2023 को महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 22.6.2022 को घोषित किए गऐ थे।

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 15 मार्च, 2023 को शुरू की गई। इस संस्थान को 458 सीटों के लिए 586 आवेदन प्राप्त हुए।

एलएलएम 1 वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) परीक्षाएं

एलएलएम के लिए सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा (प्रथम सेमेस्टर) 15 से 23 मई, 2023 के दौरान आयोजित की गई।

24.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/सम्मेलन/पुस्तक विमोचन

I. प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए मीडिया और मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ विषय पर 21 जनवरी, 2023 को एक दिवसीय कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में रिपोर्टिंग के दौरान आने वाली कई चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉ. पी. पुनीत, सुश्री अंजू मंगला, श्री सुधांशु रंजन और श्री विक्रम श्रीवास्तव जैसे कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अतिथि वक्ता के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। वक्ताओं ने न्यायालय, जेल की स्थिति, बच्चों के अधिकार आदि जैसी विभिन्न परिस्थितियों के लिए रिपोर्टिंग की बारीकियों की जांच की। उन्होंने मीडिया कर्मियों को संवेदनशीलता और सहानुभूति रखने के महत्व के बारे में बताया, खासकर तब जब वे समाज के हाशिए पर पड़े लोगों और पीड़ित वर्ग की रिपोर्टिंग करते हैं। इन वार्ताओं में इस बात पर भी चर्चा की गई कि किस प्रकार कानून और कानूनी विनियमन मीडिया व्यवसाय को अधिक नैतिक और सैद्धांतिक शासन संरचना बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, कई प्रतिभागियों ने बताया कि अगर मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करना जारी रखना है तो स्व–नियमन ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नई अंतदृष्टि प्रदान की गई और प्रमाणपत्रों के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियां

मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ पर जेल अधिकारियों के लिए 11–12 फरवरी, 2023 को दो दिवसीय कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त रूप से मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ पर जेल अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में देश भर से जेल अधिकारियों ने भाग लिया। श्रीमती ज्योतिका कालरा, एनएचआरसी सदस्य द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया। उन्होंने मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण में एनएचआरसी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सत्र की शुरुआत नेल्सन मंडेला को उद्धृत करके की, जिन्हें मानवाधिकारों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत में मानवाधिकारों के प्रवर्तन और इसे सुनिश्चित करने में एनएचआरसी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बात की। सुश्री कालरा ने जेल अधिकारियों के महत्व पर जोर दिया और बताया कि आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली में उनकी भूमिका कितनी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने उन व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में भी बात की, जब वह मानवाधिकार आयोग की सदस्य थीं और जेलों की क्षमता का आकलन करने के लिए उन्होंने जेलों का दौरा किया था। उन्होंने जेल कैदियों में किसी भी संवेदनशील और गंभीर बीमारी को नियंत्रित करने के उपाय और जेलों के सुचारू रूप से संचालन के लिए जेल कैदियों के उचित स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व पर बात की। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता,

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के पूर्व सदस्य और जाने–माने बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री शशांक शेखर भी व्याख्यान के लिए आए थे। उनकी चर्चा का विषय था "नए किशोर न्याय अधिनियम के विशेष संदर्भ में रिमांड होम, सुधार गृह में किशोरों के मानवाधिकारों का संरक्षण"। उन्होंने कानून के साथ विधि वैषम्य बच्चों और किशोर अपराधियों की परिभाषा पर विचार–विमर्श किया तथा कानून के तहत बाल अपराधियों के विभिन्न वर्गीकरण पर चर्चा की।

कार्यक्रम की झलकियां

मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ विषय पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए 25–26 मार्च, 2023 को दो दिवसीय कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त रूप से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए मानवाधिकार मुद्दों और चुनौतियों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत 25 मार्च, 2023 को मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, विशिष्ट अतिथि श्री देवेंद्र कुमार सिंह, आईएएस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव और सीईओ द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके की गई। माननीय न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि न्याय सभी गुणों की जननी है और यह न्याय करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। उन्होंने न्याय की अपनी खुद की गढ़ी परिभाषा "कोई भी व्यक्ति अस्तित्वहीन व्यक्ति नहीं है" का उल्लेख किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट, संविधान और मानवाधिकारों के बीच घनिष्ठ संबंध पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता एक वरदान है जिसका आनंद लेने से पहले इसे अर्जित किया जाना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि जमानत देते समय शर्तें गलत नहीं होनी चाहिए तथा सजा न तो बहुत उदार होनी चाहिए और न ही असंगत।

माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

किशोर गृह, वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियां विषय पर 27 मई, 2023 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

किशोर गृह, वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए "मानव अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 मई, 2023 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली और पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्वलित करके किया।

कार्यक्रम की झलकियां

मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ विषय पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए 1–2 जुलाई, 2023 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए %मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

इसके बाद भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। प्रो. सिन्हा ने दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी प्रतिभागियों का दिल से अभिनंदन किया। प्रो. सिन्हा ने मानवाधिकार और इसकी परिभाषा पर संक्षिप्त चर्चा की और समकालीन समय के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

इसके बाद विशिष्ट अतिथि प्रो. (डॉ.) रणबीर सिंह, पूर्व कुलपति, एनएलयू दिल्ली ने अपना व्याख्यान दिया। प्रो. सिंह ने मानवाधिकारों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और न्यायालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर चर्चा की। उन्होंने मानवाधिकारों की बेहतरी और उसके संवर्धन में न्यायिक प्रणाली की भूमिका पर चर्चा की।

पुलिस और मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ विषय पर पुलिस अधिकारियों के लिए 29–30 जुलाई, 2023 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से 29–30 जुलाई, 2023 को आईएलआई में पुलिस कर्मियों के लिए "पुलिस एवं मानवाधिकारः मुद्दे एवं चुनौतियाँ" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री देवेन्द्र कुमार निम, संयुक्त सचिव, स्थापना एवं सामान्य प्रशासन, आईपी एवं टीएएफएस, एनएचआरसी ने व्याख्यान दिया। उन्होंने युवा प्रशिक्षु अधिकारियों को आम आदमी के मानवाधिकारों की रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में प्रेरित किया।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जब कोई शिकायत लेकर आता है तो वे उसके प्रति संवेदनशीलता और उचित चिंता दिखाएं। यह पुलिस अधिकारी ही है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को गति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त या असुरक्षित व्यक्ति सबसे पहले पुलिस के पास जाएगा और अपने मानवाधिकारों की सुरक्षा की मांग करेगा। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाजा बाद में खटखटाया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियां

पुलिस और मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ विषय पर जेल अधिकारियों के लिए 07–08 अक्टूबर, 2023 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से 7–8 अक्टूबर, 2023 को आईएलआई में "पुलिस और मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर जेल अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) रणबीर सिंह, पूर्व कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली ने अपना संबोधन दिया। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि एनएचआरसी की पूर्व सदस्य सुश्री ज्योतिका कालरा थीं। उन्होंने भारत की जेलों में व्याप्त विभिन्न चिंताओं को उठाया, जिन पर काम करने की आवश्यकता है। महिला कैदियों की अत्यधिक भीड़, मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं की लत की समस्याओं के लिए सुधारात्मक उपायों से संबंधित मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए, खासकर ऐसे समाज में जहां जेल कानून पुराने हैं और जेल राज्य की प्राथमिकता नहीं हैं।

मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ पर न्यायिक अधिकारियों के लिए 04–05 नवंबर, 2023 को दो दिवसीय कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से 4–5 नवंबर, 2023 को मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ पर न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुश्री ज्योतिका कालरा, पूर्व सदस्य, एनएचआरसी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उन्होंने देश भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में एनएचआरसी की भूमिका पर चर्चा की।

मीडिया और मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ विषय पर मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए 10 दिसंबर, 2023 को एक दिवसीय कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से 10 दिसंबर, 2023 को आईएलआई में मीडिया कर्मियों और सरकारी जनसंपर्क अधिकारियों के लिए "मीडिया और मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और आईएलआई के निदेशक प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा के उद्घाटन भाषण से हुआ। इसके बाद पूर्व विधि सचिव श्री पी.के. मल्होत्रा ने विशेष भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की प्रासंगिकता और समकालीन चुनौतियों

पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य भाषण वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारीख ने दिया। इसके बाद मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल, न्यायिक सदस्य, एनजीटी ने उद्घाटन भाषण दिया।

ख. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) – राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीइएम) – प्रशिक्षण कार्यक्रम

''राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीइएम)'' के 'समूह क, अधिकारियों' के लिए विधि विषय पर 05–09 जून, 2023 तक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

''भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं'' के 'समूह क, अधिकारियों' के लिए विधि विषय पर 05–09 जून, 2023 तक आईएलआई में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीइएम) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में अधिकारियों की समझ को बढ़ाना था, जिससे उन्हें अपनी सेवाओं में मदद मिलेगी। यह पाठ्यक्रम भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं में सेवारत अधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर (डॉ.) रणबीर सिंह, संस्थापक कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली और नालसार, हैदराबाद, जो वर्तमान में आईआईएलएम विश्वविद्यालय के प्रो–वाइस चांसलर हैं, ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्वलित करके किया और मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय और पूर्व मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय ने समापन भाषण दिया। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीश और अधिवक्ता के रूप में अपने सीखने के अपने बहुमूल्य अनुभव को प्रतिभागी अधिकारियों के साथ साझा किया। उन्होंने बताया की कि कैसे सरकार देश में सबसे बड़ी वादी के रूप में उभर रही है और न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागी अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम की झलकियां

28 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक ''राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीईएम)" के 'समूह क, अधिकारियों' के लिए कानून पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

28 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक रक्षा संपदा और छावनी बोर्ड के अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए कानून पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीईएम) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में अधिकारियों की समझ को बढ़ाना था, जिससे भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं में सेवारत अधिकारियों को अपनी सेवाऐं प्रदान करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का उद्‌घाटन माननीय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, पूर्व न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय और पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्वलित करके किया। भारतीय विधि संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. मनोज कुमार सिन्हा ने फूलों का गुदस्ता देकर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया, जिसके बाद आईएलआई के निदेशक प्रो. सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया।

11 दिसंबर, 2023 से 15 दिसंबर, 2023 तक आईडीईएस अधिकारियों और एसडीओ के लिए कानून पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

11–15 दिसंबर, 2023 तक आईडीईएस अधिकारियों और एसडीओ के लिए कानून पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीईएम) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं पर अधिकारियों की समझ को बढ़ाना था, जो भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं में सेवारत अधिकारियों को उनकी सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। माननीय न्यायमूर्ति सुश्री इंदिरा बनर्जी, पूर्व न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागियों को संबोधित किया। डॉ. रीता वशिष्ठ, सचिव, विधि कार्य विभाग कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं।

सम्मेलन/सेमिनार/पुस्तक विमोचन

एशिया में आपदा प्रबंधन कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारः 27–28 जनवरी, 2023 को एक पुनरावलोकन

कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस एजुकेशन एंड रिसर्च (सीआईजईआर) और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा **एशिया में आपदा प्रबंधन कानूनः एक पुनरावलोकन** पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 27 और 28 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। माननीय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, पूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय/ पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने स्वागत भाषण में प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा ने इस कार्यक्रम की संकल्पना और कार्यक्रम के लिए प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार के प्रयास और पहल की सराहना की। प्रो. सिन्हा ने आपदा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि आपदा प्रबंधन विषय इस मुख्यधारा संवाद का एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कई नए दृष्टिकोण सामने लाने और ज्ञान साझा करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। उनकी आशा है कि यह वेबिनार पूरे एशिया में विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार ने इस परियोजना अर्थात **एशिया में आपदा प्रबंधन कानूनों पर संयुक्त अनुसंधान** के बारे में बताया।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से कानूनी शिक्षा को बढ़ानाः मुद्दे और चुनौतियाँ पर 2–4 मार्च, 2023 तक सीएलईए स्वर्ण जयंती अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2023

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ, लंदन और लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) के सहयोग से 2 मार्च 2023 से 4 मार्च 2023 तक आयोजित राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ स्वर्ण जयंती अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2023 प्रौद्योगिकी के माध्यम से कानूनी शिक्षा को बढ़ानाः मुद्दे और चुनौतियाँ, 2023 का आयोजन किया। सम्मेलन की शुरुआत सम्मेलन–पूर्व कार्यशालाओं i) स्ट्रीट लॉ, ii) भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का विरोध, और iii) तुलनात्मक संविधान और सार्वजनिक कानून से हुई। उद्घाटन समारोह में माननीय न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणी और बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल श्री ए.एम. अमीन उद्दीन सम्मानित अतिथियों के रूप में उपस्थित थे। समापन समारोह में माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति थे साथ ही प्रो. (डॉ.) डेविड मैकक्वॉयड मेसन, प्रोफेसर एमेरिटस, क्वाजुलु–नताल विश्वविद्यालय, डरबन, दक्षिण अफ्रीका और प्रो. जॉन हैचर्ड उपाध्यक्ष, सीएलईए/एमेरिटस प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ, बकिंघम विश्वविद्यालय भी समापन समारोह में शामिल थे।

भारतीय विधि संस्थान, दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, सार्क लॉ इंडिया और समाधान के सहयोग से 28 मार्च से 1 अप्रैल, 2023 तक मध्यस्थता पर 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन।

भारतीय विधि संस्थान, सार्क इंडिया और समाधान, दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के सहयोग से मार्च–अप्रैल, 2023 के महीने में 5 दिनों तक मध्यस्थता पर 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण समाधान के प्रशिक्षकों सुश्री वीना रल्ली, मध्यस्थ/प्रशिक्षक, समाधान के आयोजन सचिव, श्री जे.पी. सेंघ, मध्यस्थ/प्रशिक्षक के साथ–साथ उनकी टीम के युवा मध्यस्थों श्री सुमित चंदर, सुश्री स्वाति सेतिया और सुश्री मिताली गुप्ता द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रोफेशनलों जैसे वकीलों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और यहां तक कि छात्रों ने भी भाग लिया। इस प्रशिक्षण को रोल प्ले के माध्यम से सिद्धांत को समझाने के लिए क्यूरेट किया गया था। सटीक रूप से कहें तो यह सिद्धांत और व्यवहार का मिश्रण था।

22–23 अप्रैल, 2023 को भारतीय न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सम्मेलन

भारतीय विधि संस्थान ने 22–23 अप्रैल, 2023 को आईएलआई में भारतीय न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। सत्र 1 में, एक रोचक प्रस्तुति में न्यायाधीशों को उनके निर्णय में सहायता प्रदान करने के लिए मशीन लर्निंग टूल का लाइव डेमो शामिल था। जबकि एल्गोरिथ्म भरोसेजनक था, प्रस्तुतकर्ताओं ने यह स्वीकार किया कि वास्तविक समय में इसका उपयोग करने से पहले बहुत काम करने की आवश्यकता थी। तथापि, इसने इस बात पर हेल्थी डिस्कशन करने पर जोर दिया कि कैसे एआई का उपयोग न्यायाधीशों को उनके काम में सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है ताकि न्यायाधीशों को एआई से बदल कर उन्हें काम करने में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

अध्यक्षों द्वारा कई मौजूदा एआई समाधानों पर चर्चा की गई उन्होंने अपने प्रोफेशनल अनुभवों के उदाहरण दिए और इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्हें कानूनी दृष्टिकोण से इन समाधानों में कैसे कमी लगी है। कानूनी मुद्दों में मददगार एआई

उपकरण बनाने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है। इस संबंध में यूरोपीय संघ के चल रहे प्रयासों को स्वीकार करते हुए डेटा एआई को विनियमित करने में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। गोपनीयता की चिंताओं को दूर करने और कार्यान्वयन में कुछ मानकीकरण लाने के लिए ये सम्मेलन आवश्यक हैं।

मूल संरचना सिद्धांत के 50 वर्षः पूर्वव्यापी और संभावना पर 24 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय सम्मेलन

भारतीय विधि संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विधि एवं प्रशासन केंद्र के सहयोग से मूल संरचना सिद्धांत के 50 वर्षः पूर्वव्यापी और संभावना पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की शुरुआत भारतीय विधि संस्थान के निदेशक प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने वैश्वीकरण और मूल संरचना के बीच संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 28 को पढ़कर उन्होंने विश्व का नागरिक होने के महत्व पर जोर दिया।

राष्ट्रीय सम्मेलन की झलकियां

भारतीय विधि संस्थान ने पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर 20–21 जुलाई, 2023 को ''भारत में संवैधानिक शासनः कार्यान्वयन का आकलन, प्रभाव का मापन" विषय पर कार्यशाला आयोजित की।

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर "भारत में संवैधानिक शासनः कार्यान्वयन का आकलन, प्रभाव का मापन" विषय पर अभूतपूर्व कार्यशाला आयोजित की। इस बौद्धिक सम्मेलन के पीछे पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शुभंकर डैम और भारतीय विधि संस्थान के प्रोफेसर अनुराग दीप का दूरदर्शी मस्तिष्क था। कार्यशाला का विषय संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज और उनके संचालन पर संविधान के सीमित मार्गदर्शन को स्वीकार करना था। इसने इन संस्थाओं को आकार देने वाले कानून और राजनीति के जटिल अंतर्संबंध को पहचाना और न्यायालय के निर्णयों की आदर्श–मार्गदर्शक भूमिका पर जोर दिया। प्राप्त किए गए कई सार–संक्षेपों में से केवल पाँच को ही लेख और प्रस्तुति के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। भारतीय विधि संस्थान के प्रतिष्ठित निदेशक प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिससे दो दिनों तक विद्वत्तापूर्ण अन्वेषण और सहयोगात्मक चर्चा का मंच तैयार हुआ।

भारतीय विधि संस्थान, गाजियाबाद के कामकस कॉलेज ऑफ लॉ के सहयोग से 26 जुलाई, 2023 को ''कानूनी शिक्षण और अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग" विषय पर कार्यशाला का आयोजन।

भारतीय विधि संस्थान, गाजियाबाद के कामकस कॉलेज ऑफ लॉ के सहयोग से 26 जुलाई, 2023 को ''कानूनी शिक्षण और अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न संस्थानों के विधि शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एआई की अवधारणा और कानूनी शिक्षा में इसके अनुप्रयोग से परिचित कराना था। इसका प्राथमिक उद्देश्य कानूनी शिक्षण और अनुसंधान में एआई उपकरणों के संभावित उपयोग का पता लगाना और उस पर चर्चा करना था।

ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए 10 अगस्त, 2023 से 13 अगस्त, 2023 तक चार दिवसीय संवादात्मक कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों (पीओ) के लिए 10 अगस्त से 13 अगस्त, 2023 तक कानून पर चार दिवसीय संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

पुस्तक विमोचन समारोह

29 सितंबर, 2023 को डॉ. फुरकान अहमद द्वारा ''इस्लामिक लॉ ऑफ डिवार्सः रेमिडिंग द मेलेडी एंड मिस्कॉन्सेपसन'' तथा डॉ. फुरकान अहमद और प्रिया सिंह द्वारा ''एन एपरेजल ऑफ इन्वाइरन्मेन्टल लॉः एवोलूशन एंड डिवेलप्मन्ट''।

'वित्तीय साक्षरता जागरूकता' कार्यशाला

भारतीय विधि संस्थान, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के सहयोग से 18 अक्टूबर, 2023 को अपराह्न 4 बजे आईएलआई में 'वित्तीय साक्षरता जागरूकता' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य निवेशकों और आम आदमी के हितों की रक्षा करना था, ताकि वे अपने वित्तीय निर्णय अधिक विवेकपूर्ण और सार्थक तरीके से ले सकें। साथ ही, उन्हें बाजार की पेचीदगियों और विभिन्न वित्तीय उत्पादों में शामिल जोखिमों के बारे में भी जागरूक किया गया।

24.4 विशेष कार्यक्रम

15 मार्च, 2023 को आईएलआई का दीक्षांत समारोह – 2023 में स्वर्ण पदक वितरण समारोह

स्वर्ण पदक वितरण समारोह 15 मार्च, 2013 को आईएलआई में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों (एलएलएम और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम, सत्र 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21) के टॉपर्स को माननीय न्यायमूर्ति रवींद्र भट, अध्यक्ष, अकादमिक परिषद, आईएलआई/न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वर्ण पदक वितरित किए गए। सात शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के आठ मेधावी छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह – 21 जून, 2023

विश्वभर में योग और ध्यान के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय विधि संस्थान में 21 जून, 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष "वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग" थीम पर योग दिवस मनाया गया अर्थात 'एक विश्व एक परिवार' के रूप में सभी के कल्याण लिए योग।

स्वतंत्रता दिवस समारोह – 14 अगस्त, 2023

भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस मनाया।

भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर, भारतीय विधि संस्थान ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से, 14 अगस्त, 2023 को आईएलआई परिसर में ''मेरी माटी, मेरा देश'' के बैनर तले एक भव्य और देशभक्तिपूर्ण समारोह का आयोजन किया।

इस समारोह में संस्थान के छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने इस शुभ अवसर पर कई आकर्षक और सार्थक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसका आरंभ उपस्थित सभी लोगों द्वारा शपथ लेकर किया गया, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने और एकता और देशभक्ति की भावना को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। इसके बाद, राष्ट्रगान की धुन पर भारत की स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज अत्यंत गौरव के साथ फहराया गया।

संविधान दिवस समारोह– 26 नवंबर, 2023

भारतीय विधि संस्थान ने विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 25 नवंबर, 2023 को स्वतंत्रता की सीमाएं: भारतीय संविधान में अधिकार एवं कर्तव्य" विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। इस वाद–विवाद प्रतियोगिता में विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों की 15 टीमों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही, अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने किया। डॉ. नितेन चंद्रा, विधि सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन और विशिष्ट अतिथियों के औपचारिक सम्मान के साथ हुई। प्रो. डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने विषय की प्रासंगिकता पर जोर दिया और बताया कि स्वतंत्रता, अधिकार और कर्तव्यों पर निरंतर चर्चा करना कितना महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संविधान की आधारशिला हैं। प्रो. डॉ. ज्योति डोगरा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस वाद–विवाद में संविधान के विभिन्न पहलुओं पर पांच तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। इस प्रतियोगिता में देश भर से 20 टीमों ने भाग लिया।

सीएलईए – कॉमनवेल्थ महान्यायवादी और सॉलिसिटर कॉन्फ्रेंस (सीएएसजीसी'24) 2–4 फरवरी, 2024

सीएलईए – कॉमनवेल्थ महान्यायवादी और सॉलिसिटर कॉन्फ्रेंस (सीएएसजीसी '24) 2 फरवरी से 4 फरवरी 2024 तक दिल्ली में प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस का विषय था "न्याय प्रदान करने में सीमा पार की चुनौतियाँ"। सीएलईए – कॉमनवेल्थ महान्यायवादी और सॉलिसिटर कॉन्फ्रेंस (सीएएसजीसी '24) का आयोजन भारत सरकार (विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय), महान्यायवादी और भारत का महासॉलिसिटर के कार्यालय, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से किया गया था। सम्मेलन की शुरुआत 3 फरवरी 2024 को एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई जिसमें भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्य अतिथि के रूप में और भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार, सम्मेलन के अध्यक्ष और कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर ने अपने "स्वागत भाषण" के साथ सम्मेलन के लिए एक माहौल तैयार किया। माननीय श्री तुषार मेहता, भारत के महासॉलिसिटर और आयोजन समिति के सह–अध्यक्ष ने अपने परिचयात्मक भाषण में जोर देकर कहा कि यह सम्मेलन विशेष रूप से दुनिया के सामने सबसे प्रासंगिक मुद्दे, न्याय प्रशासन में सीमा पार की चुनौतियों को संबोधित करेगा। भारत के विद्वान महान्यायवादी डॉ. आर. वेंकटरमानी ने सभी अतिथियों और छात्रों का स्वागत करते हुए सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी शिक्षा के मूल सिद्धांतों में परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रमंडल कानूनी आदान–प्रदान मंच और राष्ट्रमंडल कानूनी आदान–प्रदान सम्मेलन का समय आ गया है। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन सुशासन संरचना के बड़े क्षेत्र में महान्यायवादी और महासॉलिसिटर की विकसित भूमिका और भविष्य में उनकी उद्देश्यपूर्ण भूमिका पर विचार करने का अवसर है।

माननीय प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित करते हुए

राष्ट्रमंडल देशों के एजीएस और एसजीएस के साथ गोलमेज सत्र– 3 फरवरी, 2024, अपराह्न 05:00 बजे से 06:45 बजे

उद्देश्यः सभी के लिए न्यायः सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करना, अनुभव साझा करना और प्रभावी रणनीति विकसित करना

इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादी(एजी) और महासॉलिसिटर (एसजी) और भारतीय राज्यों के एडवोकेट जनरल (एजी) और अपर एडवोकेट जनरल और भारत के अपर महासॉलिसिटर के साथ गोलमेज सत्र था।

(राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादी और महासॉलिसिटर के साथ गोलमेज सत्र)

सम्मेलन का समापन समारोह

इस सम्मेलन का समापन एक स्मरणीय समापन समारोह के साथ हुआ, जिसमें **भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह** की गरिमामयी उपस्थिति रही।

माननीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करते हुए

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू समारोह में

यह समापन समारोह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। भारत के राष्ट्रपति ने चर्चा की कि कैसे कानूनी पेशा और न्यायपालिका सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक हैं। भारत के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले युवा मस्तिष्क वर्तमान कानूनी प्रणाली को संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने इस तरह के सफल सम्मेलन के आयोजन के लिए आयोजन समिति को बधाई देते हुए सम्मेलन का समापन किया।

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से 26 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संविधान दिवस को एक प्रभावशाली समारोह के रूप में मनाया।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मुख्य भाषण दिया। विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, अध्यक्ष, विधि आयोग, श्री तुषार मेहता, भारत के महासॉलिसिटर, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी, न्यायमूर्ति सुश्री इंदिरा बनर्जी, पूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय और डॉ. नितेन चंद्रा, सचिव, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद विधि और न्याय मंत्रालय और भारतीय विधि संस्थान द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिनका शीर्षक क्रमशः 'वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मार्गदर्शिका' और 'संविधान एवं विकास पर परिप्रेक्ष्य' था।

इस वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तनकारी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक पांच तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इस संगोष्ठी का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं तथा पृथ्वी और उसके निवासियों के कल्याण के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाना था। विज्ञान भवन में एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया.

आईएलआई ई—लाइब्रेरी का उद्घाटन — 29.01.2024

डॉ. राजीव मणि, सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, प्रो. (डॉ.) रणबीर सिंह, पूर्व कुलपति, एनएलयू दिल्ली और प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, आईएलआई की उपस्थिति में माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, भारत का उच्चतम न्यायालय और अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति, आईएलआई ने भारतीय विधि संस्थान की ई—लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी

निदेशक आईएलआई, माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, प्रो. (डॉ.) रणबीर सिंह

भारतीय विधि संस्थान पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के अनुसंधान और सीखने की आवश्यकताओं के लिए व्यापक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है। इस पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं की विविध सूचना आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए प्रिंट संसाधनों और ई–संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह है। प्रिंट संग्रह में 85000 बाउंड वॉल्यूम और 80+ सब्सक्राइब्ड पत्रिकाएँ शामिल हैं। पुस्तकालय के ई–संसाधनों में –12 मूल्यवान कानूनी डेटाबेस शामिल हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केस कानून, सहकर्मी–समीक्षित लेख, अधिनियम, समाचार सूचना और ई–पुस्तकें आदि को कवर करते हैं तथा आईएलआई प्रकाशनों का आईएलआई डिजिटल रिपोजिटरी में दुर्लभ दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध हैं।

20 जनवरी, 2024 को "लॉ जर्नल के लिए किसी लेख की समीक्षा कैसे करें" विषय पर आईएलआई लॉ रिव्यू (आईएलआईएलआर) कानूनी शोध कार्यशाला आयोजित की गई

भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) और आईएलआईएलआर द्वारा शुरू की गई आईएलआईएलआर–एलआरडब्ल्यू पहल के एक भाग के रूप में, आईएलआई लॉ रिव्यू (आईएलआईएलआर) कानूनी अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन 20 जनवरी, 2024 को हुआ, जिसका विषय था "लॉ जर्नल के लिए लेख की समीक्षा कैसे करें"। कार्यशाला के अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक आईएलआई और संपादक आईएलआईएलआर के नेतृत्व में आयोजित इस उद्घाटन समारोह ने कानूनी अनुसंधान के मानकों को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से एक श्रृंखला की शुरुआत की है। इस कार्यशाला समिति में प्रोफेसर (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, प्रोफेसर (डॉ.) अनुराग दीप, आईएलआई और श्री अविनाश कुमार पासवान, पीएचडी स्कॉलर, आईएलआई जैसे सम्मानित सदस्य शामिल थे, जिन्होंने सत्रों के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रतिभागियों को प्रतिष्ठित विधि पत्रिकाओं के लिए सहकर्मी–समीक्षा प्रक्रिया की पेचीदगियों के बारे में व्यापक जानकारी मिली।

24.5 प्रकाशन

जारी किए गए शोध प्रकाशन

रिपोर्ट की अवधि के दौरान आईएलआई द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए हैं:

- जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई) – राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक कानूनी मामलों पर अनुसंधान आलेख त्रैमासिक रूप में प्रकाशित।
- आईएलआई समाचारपत्र – वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और आगामी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए त्रैमासिक रूप में प्रकाशित।
- विधि पत्रिकाओं का सूचकांक – यह पत्रिकाएं वार्षिक रूप से प्रकाशित होती है तथा इसमंय विधि एवं संबंधित क्षेत्रों से संबंधित अनुक्रमणिकाएं, पत्रिकाएं (वार्षिक पुस्तकें और अन्य वार्षिक प्रकाशन सहित) शामिल हैं, जो आईएलआई लाइब्रेरी द्वारा (सदस्यता, विनिमय या पूरक रूप में) प्राप्त की जाती हैं।
- भारतीय कानून का वार्षिक सर्वेक्षण – यह संस्थान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशन है, तथा इसमें भारतीय कानून का वार्षिक सर्वेक्षण शामिल है, जिसमें कानून की प्रत्येक महत्वपूर्ण शाखा में नवीनतम रुझान शामिल हैं।
- भारतीय संविधान और विकास पर परिप्रेक्ष्य – प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा द्वारा प्रकाशित
- आईएलआई लॉ रिव्यू (ग्रीष्म) और (शीतकालीन)

अनुबंध 1

माननीय राज्य मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय(स्वतंत्र प्रभार) (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

विधि सचिव (डॉ. राजीव मणि) मुख्य सचिवालय के बाहर तैनाती

मुख्य सचिवालय

श्री आर.एस.वर्मा, ए.एस
डॉ. अंजू राठी राणा, ए.एस.
श्रीमती सुनीता आनंद, एएस
श्री ध्रुव कुमार सिंह, सीसीए
श्री आशुतोष मिश्रा, जेएस एवं एलए
श्री शेर सिंह डागर,जेएस एवं एलए
श्री अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव
डॉ. आर.जे.आर. काशिभाटला, एडि.एलए
श्री नीरज कुमार, एडि.एलए
श्री अवनीत सिंह अरोड़ा, निदेशक
सुश्री हैमंती भट्टाचार्य, निदेशक
श्री यू.एस. ठाकुर, निदेशक
डॉ. आर.एस. श्रीनेत, डीएलए
श्री नीरज रावत, डीएलए
श्री राजीव कुमार, उप सचिव
श्रीमती प्रतिभा आहूजा, उप सचिव

मुख्य सचिवालय के बाहर तैनाती

डॉ. पद्मिनी सिंह (सीबीआई)
श्री प्रवीण श्रीवास्तव, एडि.एलए
श्री एस.के.शर्मा, एडि.एलए (ईडी)
श्री जापान बाबू, एडि.एलए (एनसीबी,डीपी)
श्री आर.के. चौधरी, डीएलए (डीओपीटी)
डॉ. अमित त्यागी, डीएलए (सीबीआई)
श्री पी.के. गंगवार, डीएलए (सीपीडब्ल्यूडी)
श्री अर्पित ए. मिश्रा, डीएलए (डीएफएस)
डॉ. के.एम. आर्य, डीएलए (एसएससी)
श्री हेमंत कुमार, डीएलए
श्री भूपेश वर्मा, डीएलए (रक्षा)
सुश्री रेणु पांडे, एएलए (रक्षा)
श्री बी. एस. शर्मा, एएलए (आईबी/नेटग्रिड)
सुश्री चम्पा बिष्ट, एएलए (एसएफआईओ)
डॉ. डी.वी. राव, परामर्शदाता (संपदा)
श्री बी.एस. माझी, परामर्शदाता (रेलवे)
श्री बृंदाबन, परामर्शदाता (एनटीआरओ)

शाखा सचिवालय

शाखा सचिवालय, मुंबई
श्री ए.ए. अंसारी, सीनियर जी.ए.
शाखा सचिवालय, कोलकाता
श्री ए.ए. अंसारी, सीनियर जी.ए.
शाखा सचिवालय, चेन्नै
शाखा सचिवालय, बेंगलुरु

मुकदमा

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग
श्री एम.के. मरोरिया, सीनियर जीए जी.ए.
मुकदमा उच्च न्यायालय और कैट
मो. मुकीम, एडि .एलए
मुकदमा निचला न्यायालय
श्री सुकृति तिवारी, एएलए

प्रमुख व्यक्ति :
एएसः अपर सचिव; सीसीएः मुख्य लेखा नियंत्रक
जेएस एवं एलएः संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार ; सीनियर जीएः वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता;
एडि.एलएः अपर विधि सलाहकार; डीएलएः उप विधि सलाहकार;
एएलएः सहायक विधि सलाहकार;

अनुबंध–II

जीसीएस और आईएलएस काडर:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजातियाँ	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	पूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से दिव्यांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	61	9	14.75%	2	3.27%	13	21.31%	00	——	4	6.55%
समूह 'ख'	47	5	10.63%	3	6.38%	13	27.65%	00	——	02	4.25%
समूह 'ग' (सफाईवाला को छोड़कर)	41	14	34.14%	4	9.75%	7	17.07%	00	——	01	2.43%
समूह 'ग' (सफाईवाला)	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
कुल	149	28	18.79%	9	6.04%	33	22.14%	00	——	7	4.69%

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व (31.03.2024 तक)

समूह	**विधि कार्य विभाग**	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	**महिला कर्मचारियों की संख्या**
समूह क #	61	11
समूह ख	47	07
समूह ग		
(सफाईवाला को छोड़कर)	41	03
समूह ग (सफाईवाला)	——	——
कुल	**149**	**21**

इसमें आईएलएस (विधि सलाहकार और सरकारी अधिवक्ता संवर्ग) से संबंधित जानकारी शामिल है।

अनुबंध–III

सीएसएस, सीएसएसएस, सीएससीएस, सीएसओएलएस और जीसीएस (केवल लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार) काडर

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजातियाँ	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	पूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से दिव्यांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह'क'	79	20	25.31%	04	5.06%	01	1.26%	00	–––	00	–––
समूह'ख'	120	28	23.33%	04	3.33%	24	20%	03	2.5%	05 (एचएच–1, ओएच–2,वीएच–2)	4.16%
समूह'ग' (सफाईवाला को छोड़कर)	20	04	20%	02	10%	06	30%	00	–––	01(ओएच)	5%
समूह'ग' (सफाईवाला)	––	––	––	––	––	––	––	––	––	––	––
कुल	**219**	**52**	**23.74%**	**10**	**4.56%**	**31**	**14.15%**	**03**	**1.37%**	**06**	**2.74%**

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में विद्यमान पदों के संबंध में जानकारी शामिल है, जोकिकि इस विभाग द्वारा नियंत्रित किए जा रहे संवर्ग भी हैं।

* उपरोक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) में पदों के बारे में जानकारी शामिल नहीं है।

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व (31.03.2024 तक)

समूह	**विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)**	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	**महिला कर्मचारियों की संख्या**
समूह क	79	26
समूह ख	120	35
समूह ग		
(सफाईवाला को छोड़कर)	20	02
समूह ग (सफाईवाला)	––––	––––
कुल	**219**	**63**

इसमें आईएलएस (विधि सलाहकार और सरकारी अधिवक्ता संवर्ग) से संबंधित जानकारी शामिल है।

अनुबंध IV

31.03.2024 तक अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., पूर्व सैनिक, पीएच (दिव्यांग) सहित आईटीएटी के कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सामा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	पूर्व–सैनिक	शारीरिक रूप से दिव्यांग
अध्यक्ष	1	1	–	–	–	–	–
उपाध्यक्ष	7	5	–	–	2	–	–
लेखाकार सदस्य	53	39	3	1	10	–	–
न्यायिक सदस्य	54	38	7	0	9	–	–
रजिस्ट्रार	0	0	–	–	–	–	–
उप रजिस्ट्रार	1	1	–	–	–	–	–
सहायक रजिस्ट्रार	11	6	2	1	2	–	–
हिंदी अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
कुल	127	90	12	2	23	–	–

समूह ख	कर्मचारियों की संख्या	सामा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	पूर्व–सैनिक				शारीरिक रूप से दिव्यांग			
						अनु. जा. जा.	अनु. जन वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामा.	अनु. जा. जा.	अनु. जन वर्ग	अन्य पिछड़ा	सामा.
वरिष्ठ निजी सचिव	81	49	13	2	17	–	–	–	–	–	–	–	–
निजी सचिव	7	1	3	0	3	–	–	–	–	–	–	–	–
अधीक्षक	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कार्यालय अधीक्षक	44	27	6	2	8	–	–	–	–	–	1	–	–
हिंदी अनुवादक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वरिष्ठ लेखाकार	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लाइब्रेरियन	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**138**	**82**	**23**	**4**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

नोट : वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के 07 पद तदर्थ आधार पर भरे गए।

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सामा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	पूर्व–सैनिक				शारीरिक रूप से दिव्यांग			
						अनु. जा. जा.	अनु. जन वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामा.	अनु. जा. जा.	अनु. जन वर्ग	अन्य पिछड़ा	सामा.
उच्च श्रेणी लिपिक	116	49	24	8	32	–	–	–	–	–	–	1	2
आशुलिपक ग्रेड 'घ'	01	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अवर श्रेणी लिपिक	116	46	23	8	36	–	–	–	–	–	–	2	1
स्टाफ कार चालक	22	5	9	1	6	–	0	–	1	–	–	–	–
कुल	**255**	**101**	**56**	**17**	**74**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**3**

	कर्मचारियों की संख्या	सामा.	अनु. जा.	अनु. जन जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	पूर्व–सैनिक				शारीरिक रूप से दिव्यांग			
						अनु. जा. जा.	अनु. जन वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामा.	अनु. जा. जा.	अनु. जन वर्ग	अन्य पिछड़ा	सामा.
मल्टी–टास्किंग स्टाफ	159	45	51	14	37	1	–	1	4	4	–	1	1
कुल	**159**	**45**	**51**	**14**	**37**	**1**	**–**	**1**	**4**	**4**	**–**	**1**	**1**

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

Printed at : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531